सप्तम माला, खंड 8, अंक 41 शुक्रवार, 1 अगस्त, 1980/ 10 [illegible], 190[illegible] (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

(तीसरा सत्र)

(खंड 8 में अंक 41 से 48 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय–सूची

अंक 41, शुक्रवार, 1 अगस्त, 1980/10 श्रावण, 1902 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
*तारांकित प्रश्न संख्या 798, 799, 801 से 803, 805 से 808 और 811	1—20
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	
तारांकित प्रश्न संख्या 800, 804, 809, 810 और 812 से 816	20—25
अतारांकित प्रश्न संख्या 6386 से 6389, 6391 से 6398, 6400 से 6528 6530 से 6535, 6537 से 6562 और 6564 से 6585	25—170
सभा पटल पर रखे गये पत्र	170—172
अवलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	172—186
29 जुलाई, 1980 को भूकम्प के कारण जनधन की हानि का समाचार	
श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत	172
श्री वीरेन्द्र सिंह राव	173
प्रो० मधु दण्डवते	178
श्री पी० एम० बनातवाला	181
श्री चिंतामणि जेना	184
श्री चिरंजीलाल शर्मा	186
प्रश्न काल के दौरान अनुपस्थित रहने के कारण मंत्री द्वारा क्षमायाचना	
श्री विद्या चरण शुक्ल	180—181
सभा का कार्य	186—198
कार्य-मंत्रणा समिति	199—201
सातवां प्रतिवेदन	

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक —पुर: स्थापित	201—202
कर्ण पटह और कर्ण-अस्थि (चिकित्सीय प्रयोजनों के लिये उपयोग का प्राधिकार) विधेयक पुर: स्थापित	202
नियम 377 के अधीन मामले—	202—207
(एक) विभागीय स्टाम्प विक्रेता संघ के प्रतिनिधियों द्वारा आमरण अनशन की धमकी का समाचार	
श्री बापूसाहेब परुलेकर	202
(दो) बुरहानपुर से दिल्ली को केलों को रेल द्वारा परिवहन में विलंब के समाचार	
श्री शिवकुमार सिंह ठाकुर	203
(तीन) तमिलनाडु की औषधि निर्माता कंपनियों को लेवी दर पर चीनी सप्लाई करने की आवश्यकता	
श्री एस० ए० दोराई सेबेस्तियन	203
(चार) राजस्थान के जोधपुर-बाड़मेर-जैसलमेर सेक्शनों में कतिपय रेल सेवाएं पुन: चालू करने की आवश्यकता	
श्री वृद्धि चन्द जैन	204
(पांच) अखिल भारतीय कृषक संघ की गेहूं, धान, गन्ने आदि के मूल्यों में वृद्धि करने की मांग	
श्री रामावतार शास्त्री	204
(छ:) राजस्थान में खरीफ की फसल को कीड़ा लगने से बचाने की आवश्यकता	
श्री दौलतराम सारन	205
(सात) रमजान और रक्षाबन्धन के त्योहारों के लिए मध्य प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में चीनी, गेहूं आदि की सप्लाई	
श्री सत्यनारायण जाटिया	205
(आठ) दक्षिणी राज्यों में पैदा की जाने वाली अच्छी किस्म की कपास के लिए लाभकारी मूल्य	
श्री बी० डी० सिंह	206

विषय	पृष्ठ
(नौ) पंजाब के तरनतारन स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में उर्वरक से चावल के विषाक्त हो जाने के समाचार	
श्री हरिकेश बहादुर	206
(दस) राज्य सरकार की भाषा सम्बन्धी नीति के विरुद्ध केरल में व्याप्त रोष के समाचार	
श्री जी० एम० बनातवाला	207
रेलवे अभिसमय समिति के बारे में संकल्प	207—220
श्री कमलापति त्रिपाठी	207
श्री नारायण चौबे	208
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	211
श्री शिवकुमार सिंह ठाकुर	214
श्री हरिकेश बहादुर	216
श्री जी० एम० बनातवाला	219
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
सातवां प्रतिवेदन	220
पूर्वोत्तर भारत में गंभीर स्थिति के बारे में संकल्प वापस लिया गया	221—230
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	221
श्री योगेन्द्र मकवाना	222
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	224
आदिवासी क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने के संकल्प	230—257
श्री गिरिधर गोमांगो	230
श्री भीखा भाई	236
श्री एम० सत्यनारायण राव	240
श्री हरिहर सोरन	243
श्री सुन्दर सिंह	245
श्री बापूसाहिब परुलेकर	247
श्री सुधीर गिरि	250
श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा	253
श्री राम विलास पासवान	254

विषय	पृष्ठ

आधे घंटे की चर्चा — 257—268

इलायची का विपणन

श्री एस० बी चन्द्रशेखर मूर्ति — 257

श्री प्रणब मुखर्जी — 259

श्री राम विलास पासवान — 261

श्री एच० एन० नंजे गौड़ा — 262

श्री के० लकप्पा — 263

श्री जनार्दन पुजारी — 265

लोक सभा

शुक्रवार, 1 अगस्त, 1980/10 श्रावण, 1902 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सरकारी कर्मचारियों के दैनिक भत्ते का पुनरीक्षण

*798. श्री रामावतार शास्त्री : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दौरे पर जाने वाले सरकारी कर्मचारियों के दैनिक भत्ते का पिछली बार किस तारीख को पुनरीक्षण किया गया था ;

(ख) दैनिक भत्ते के पुनरीक्षण के समय जीवन निर्वाह लागत सूचकांक क्या था ;

(ग) उसकी तुलना में इस समय जीवन निर्वाह लागत सूचकांक क्या है ;

(घ) क्या इस तथ्य को देखते हुए कि जीवन निर्वाह लागत सूचकांक बहुत अधिक बढ़ गया है सरकार का विचार दैनिक भत्ते की दरों का पुनरीक्षण करने का है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) से (ङ) एक विवरण-पत्र सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को स्वीकार्य दैनिक भत्ते की विद्यमान दरें 1 जून, 1974 से तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर निर्धारित की गई थी । श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960=100) का 12 मास की औसत तब 266.25 था। नियमों के सरलीकरण/युक्तिकरण के लिए गठित एक कार्यकारी दल की सिफारिशों पर 1-2-1978 से इन दरों में और आगे सुधार किया गया, जिसके द्वारा बम्बई/कलकत्ता में दैनिक भत्ते की लागू उच्च दरें सभी 'क' श्रेणी के नगरों और दिल्ली/शिमला की दरें सभी 'ख-1' श्रेणी के नगरों में स्वीकार की गई ।

(ग) मई, 1980 के लिए श्रमिक वर्ग उपभोक्ता सूचकांक (1960=100) के लिए 12 मास का औसत, जिसके लिए अब सूचना उपलब्ध है, 366.50 है।

(घ) और (ङ) इस प्रकार दैनिक भत्ते की दरें मूल्य सूचकांक से सम्बद्ध नहीं हैं, यद्यपि इन दरों में संशोधन करते समय सरकार मूल्यों में आम बढ़ोत्तरी को ध्यान में रखती है। दैनिक भत्ते की दरों में मामूली सी वृद्धि का भी भारी वित्तीय प्रभाव हो जाता है। साधनों की कठिन स्थिति को देखते हुए दैनिक भत्तों की दरों में ऊर्ध्वमुखी संशोधन के लिए सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है। दैनिक भत्ते की दरों के ऊर्ध्वमुखी संशोधन का प्रश्न, 18-19 जुलाई, 1980 को संयुक्त परामर्शदाता तंत्र की हुई बैठक में कर्मचारी पक्ष द्वारा उठाया गया था। इस मामले पर इसकी अगली बैठक में इस मंच पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, इनके वक्तव्य में यह बात कही गई है कि सरकारी कर्मचारियों के दैनिक भत्ते का सवाल तीसरे वेतन आयोग के समय तय किया गया था। फिर उसके बाद टास्क फोर्स के कहने के मुताबिक फिर रिवाइज किया गया। लेकिन वह फर्दर रिवीजन इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि इससे आर्थिक बोझ सरकार पर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा जो कि उन्होंने माना है कि उपभोक्ता सूचकांक मई, 1980 में 366.50 हो गया है जब कि पे कमीशन ने जब तय किया था उस समय 266.25 था। आज वह सूचकांक बढ़ गया है और इसी वजह से आप कर्मचारियों को ज्यादा पैसे भी दे रहे हैं महंगाई भत्ते के रूप में। तो एक तो मैं यह जानना चाहता हूं कि आप जो डेली एलावेंस का निर्धारण करते हैं उसका आधार आपने क्या रखा है और उस आधार को रखते हुए आज जब महंगाई बढ़ गई तो डेली एलावेंस पर तो असर पड़ेगा ही महंगाई का। जहां लोग जाते हैं वहां चीजें महंगी हैं, तो आपका आधार क्या है डेली एलावेंस तय करने का ?

श्री मगनभाई बारोत : जैसा विवरण में बतलाया गया है, तृतीय वेतन आयोग द्वारा मूल्य वृद्धि सूचकांक में इस परिवर्तन को ध्यान में रखा गया था।

जहां तक कृतिक बल का संबंध है, इसने उसमें केवल संशोधन किया है और उसे सरल बना दिया है। मैं यही कह सकता हूं कि जहां तक इन सभी समस्याओं का प्रश्न है, जे० सी० एम० की राष्ट्रीय परिषद को इनकी जानकारी है। जहां तक स्टाफ का संबंध है, उनका अभ्यावेदन राष्ट्रीय परिषद के समक्ष है।

श्री रामावतार शास्त्री : अभी मंत्री जी ने भी कहा और इसमें लिखा भी हुआ है कि जे० सी० एम० के साथ इस सिलसिले में आपकी वार्ता चल रही है यानी मामला अभी विचाराधीन है, तो मैं यह जानना चाहूंगा कि जे० सी० एम० का इस बारे में क्या ख्याल है, उसकी क्या ओपिनियन है जिसके आधार पर बातें चल रही हैं ?

श्री मगनभाई बारोत : हम जे० सी० एम०, जिन्हें हमने काम सौंपा है, के निर्णय का पूर्वानुमान नहीं करते।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, यह तो कोई जवाब नहीं हुआ। जे० सी० एम० ने कोई प्वाइंट आफ व्यू रखा होगा। मैं दैनिक भत्ते के बारे में जे० सी० एम० का दृष्टिकोण जानना चाहता हूं।

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : आमतौर से यह होता है कि समिति में स्टाफ के प्रतिनिधि इस मामले पर चर्चा करते हैं और सिफारिश करते हैं और जब सिफारिश आती है उसके बाद सरकार कोई निर्णय करती है। मेरे माननीय मित्र चाहते हैं कि मैं सिफारिश आने से पहले ही कोई निर्णय करूं।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं पूछ रहा हूं कि उनका विचार क्या है ?

श्री आर० वेंकटरामन : मैं कह चुका हूँ कि मैं अपना विचार सिफारिश आने के बाद ही व्यक्त करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : इसमें और क्या पूछने की बात है ?

श्री रामावतार शास्त्री : स्टाफ साइड का भी प्वाइंट आफ व्यू कुछ होगा।

श्री मूलचन्द डागा : आज भी जो फर्स्ट क्लास गजटेड आफिसर्स है, उनके साथ फोर्थ क्लास का जो आदमी चलता है उसको जाने के लिए जो कुछ डेली एलावेंस मिलता है वह कितना मिलता है और फर्स्ट क्लास आफिसर को कितना मिलता है और क्या वह सफिश्येंट है ?

श्री मगनभाई बारोत : यह पर्याप्त है या नहीं, इस विषय में मैं नहीं कहूँगा। लेकिन मैं तथ्य अवश्य दे सकता हूँ। जहां तक खाद्य बिल आदि का सम्बन्ध है, यह अलग नहीं है। मैं अन्तर बता सकता हूं। यह अंतर दो तरह का है : एक वर्ग तो सेवाओं, उनके वेतनमानों की है ; और दूसरे वर्ग में नगर आते हैं—मैं माननीय महोदय को नगरों और वर्गीकरण की सूची दे सकता हूँ। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि, जहां तक चतुर्थ श्रेणी का सम्बन्ध है, यह वर्गों के अनुसार 4.50 रु०, 6 रु० और 7.50 रु० है, और जहां तक नगरों का संबंध है, वे क्रमश: 6 रु०, 8 रु० और 10 रु० हैं।

श्री मूचलन्द डागा : क्या आज के जमाने में साढ़े चार या 6 रुपए में, अगर कोई बाहर जाए तो उसका गुजारा हो सकता है और वह खाना खा सकता है ?

श्री मगन भाई बारोत : वास्तव में यही मामला राष्ट्रीय परिषद के समक्ष है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय वेतन आयोग ने दैनिक भत्ता निश्चित करते समय मूल्य सूचकांक को अपने विचार में रखा था ? क्या मंत्री महोदय इस बात पर विचार करेंगे कि जिस समय मूल्य सूचकांक कम था उसके आधार पर दैनिक भत्ता तय किया गया था लेकिन आज मूल्य सूचकांक आगे बढ़ गया है तो दैनिक भत्ता भी आगे बढ़ाया जाए ?

श्री मगन भाई बारोत : आम तौर पर उन्हें ध्यान में रखा जाता है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या यह दैनिक भत्ता नियत करते समय तृतीय वेतन आयोग के विचाराधीन था ······

अध्यक्ष महोदय : वह सब ठीक है। अगला प्रश्न।

मध्य प्रदेश में विदिशा में प्राचीन स्मारकों का विकास

*799. **श्री प्रताप भानु शर्मा :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक नगर विदिशा में मौर्य, गुप्त और सम्राट अशोक के काल के प्राचीन और बहुमूल्य स्मारक हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके ब्यौरा क्या है और इन स्थानों का पर्यटन की दृष्टि से विकास करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) विदिशा जिले के नौसोदा तहसील में उद्मेश्वर (उदयपुर) मंदिर का, जो 1600 वर्ष पुराना बताया जाता है, जीर्णोद्धार करने के लिए सरकार की क्या योजना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। विदिशा में पर्यटक सुविधाओं का विकास करने के लिए फिल-हाल केन्द्रीय सरकार के कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) विदिशा जिले के अन्तर्गत उदयपुर में उद्मेश्वर महादेव मन्दिर, 'प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958' के अधीन एक संरक्षित स्मारक है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस स्मारक के परिरक्षण हेतु समय-समय पर उपाय करता रहता है।

श्री प्रताप भानु शर्मा : कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं ।

श्री अरविन्द नेताम : विदिशा नगर एक ऐतिहासिक स्थान है। विदिशा के निकट ही, प्रसिद्ध उदयगिरि गुफा है जो उचित पहुँच मार्ग और प्रचार के अभाव में सारे देश के लिए एक अनजानी जगह है। क्या मैं सरकार से यह जान सकता हूँ कि इस स्थान को पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे ?

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : प्रश्न विदिशा नगर के बारे में था ......

श्री अरविन्द नेताम : यह विदिशा नगर का ही एक हिस्सा है।

नौवहन और परिवहन तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : प्रश्न स्मारक और उसके संरक्षण के बारे में है। मेरे मित्र ने अब उदयगिरि मंदिर के निकट पर्यटन के विकास के बारे में प्रश्न किया है। पर्यटन सुविधाओं के विकास के बारे में, प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा भेजे जाते हैं, और जब ऐसे प्रस्ताव हमारे समक्ष आते हैं तब हम उन पर विचार करते हैं।

कन्याकुमारी का विकास

*801. **श्री एन० डेनिस :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्याकुमारी को एक महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्र के रूप में बदलने के बारे में

प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके सुधार के लिए क्या सुविधायें दी जायेंगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) आगामी पांच वर्षों के दौरान पर्यटकों के आगमन में होने वाली संभाव्य दुगुनी वृद्धि को देखते हुए तदनुकूल सुविधाओं का बन्दोबस्त करने की दृष्टि से पर्यटन योजना पर पुनर्विचार किया जा रहा है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जिन उपायों पर विचार किया जा रहा है, उनमें ये शामिल हैं :— (i) यात्रा परिपथों का पता लगाना तथा उनका विकास करना और (ii) इन यात्रा परिपथों के अन्तर्गत आने वाले केन्द्रों पर पर्याप्त रूप से आधारित संरचनात्मक सुविधाओं की व्यवस्था करना। इस उद्देश्य के लिए राज्य के पर्यटन अधिकारियों से बातचीत की गई थी और तमिलनाडु सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा तत्संबंधी ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं। उनके प्रस्तावों की प्रतीक्षा है।

श्री एन० डेनिस : उत्तर में, सामान्य प्रस्ताव दिए जाते हैं। सूर्यास्त और सूर्योदय देखने और जहां तीनों सागर मिलते हैं उस स्थान पर बने विवेकानन्द स्मारक को देखने तथा पर्यटक आकर्षण के अन्य स्थानों के दर्शनार्थ हजारों राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक भारत के इस दक्षिणतम भाग की यात्रा पर आते हैं। लेकिन पर्यटकों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहां पानी की कमी है। कोई एक्सप्रेस रेल सेवा नहीं है। न कोई हवाई अड्डा है और न ही पर्याप्त होटल हैं। क्या माननीय मंत्री से मैं यह जान सकता हूँ कि क्या सरकार इन तथा अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने और कन्याकुमारी शहर को एक सुन्दर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए तत्काल कदम उठाएगी।

नौवहन और परिवहन तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : मैं माननीय सदस्य और सदस्य को अभी बता सकता हूँ कि कन्याकुमारी में क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने विवेकानन्द स्मारक समिति को एक 100 सीट वाला लांच दान किया है ताकि दर्शनार्थियों को कन्याकुमारी से विवेकानन्द राक तक निःशुल्क लाया ले जाया जा सके। वहां एक पर्यटक बंगला भी है तथा इस पर्यटक बंगले पर होने वाला व्यय केन्द्रीय पर्यटन विभाग और राज्य सरकार द्वारा आधा-आधा वहन किया जाता है। ये सुविधाएं वहां उपलब्ध कराई जा रही हैं और यदि इस सम्बन्ध में कोई अन्य सुविधाएं अपेक्षित हों तो हमारे पास राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव आना चाहिए और जो भी प्रस्ताव प्राप्त होगा, हम उस पर विचार करेंगे।

श्री भागवत झा आजाद : वहां केवल एक ही बंगला है।

श्री एन० डेनिस : कन्याकुमारी अभी अविकसित दशा में है। पर्यटक आकर्षण के सर्वोत्तम स्थल के रूप में इसका विकास करने के लिए वहां सभी संभाव्यताएं हैं। क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूँ कि क्या सरकार मास्टर प्लान के जरिए इसका विकास करने के लिए तत्काल कदम उठाएगा।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : मैं पहले ही इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं। वहां पर्यटन विकास की आगे और भी जो आवश्यकता होगी, उसके बारे में हमने तमिलनाडु सरकार से चर्चा की

थी और हमें उनसे प्रस्ताव प्राप्त होने की आशा है तथा जब हमें प्रस्ताव प्राप्त होंगे, उन पर विचार किया जाएगा।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के बीच जो विचार-विमर्श हुआ था उसका ब्यौरा क्या है और राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : मुझे खेद है, मैं बिल्कुल निश्चित तारीख नहीं बता सकूंगा। नवम्बर 1978 में दिल्ली में पर्यटन मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान तमिलनाडु सरकार का प्रतिनिधि उपस्थित था और विचार-विमर्श हुआ था। राज्य सरकार ने इस बारे में हमें अब तक कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है। वे जब भी हमें प्रस्ताव भेजेंगे, उन पर विचार किया जाएगा।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि विवेकानन्द स्मारक का प्रबन्ध किन लोगों के हाथ में है और क्या यह बात सच है कि इसके प्रबन्धकों में आर० एस० एस० का भी कोई हाथ है?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : महोदय, मैं समझता हूं कि इस प्रश्न से यह बात नहीं उठती है। लेकिन, मैं इस प्रश्न को ध्यान में रखूंगा और सूचना दे दूंगा।

उड़ीसा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

***802. श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा राज्य में चालू कैलेंडर वर्ष में और अधिक क्षेत्री ग्रामीण बैंक स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) जी, हां।

(ख) चालू कलेण्डर वर्ष में दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले जा चुके हैं जिनकी व्याप्ति के अंतर्गत कालाहांडी, मयूरभंज और क्योंझर जिले में आते हैं। आशा है कि निकट भविष्य में राज्य में और तीन बैंक स्थापित किये जायेंगे जिनकी व्याप्ति गंजाम, बालासोर और धेनकनाल जिलों में होगी।

श्री लक्ष्मण मलिक : माननीय वित्त मन्त्री से मैं यह जानना चाहता हूं कि उड़ीसा राज्य में अब तक कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले गए हैं और जहां तक इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का संबंध है, जिलावार कुल कितनी जनसंख्या इनसे लाभान्वित होगी।

श्री आर० वेंकटरामन : महोदय, उड़ीसा में तेरह जिले हैं ; आठ जिलों में ये बैंक स्थापित किए जा चुके हैं। रिजर्व बैंक ने तीन बैंक और खोलना मंजूर कर लिया है। अतः उड़ीसा में ग्रामीण बैंकों की संख्या पर्याप्त है।

अध्यक्ष महोदय : कोई दूसरा अनुपूरक प्रश्न नहीं होगा। श्री दास।

श्री अनादि चरण दास : कोरापुट, फूलवनी, सुन्दरगढ़, बोलनगीर और कटक जैसे जिलों जो घने बसे हुए हैं और जहां आदिवासियों तथा हरिजनों की संख्या भी काफी है, में आर्थिक

पिछड़ेपन को देखते हुए, क्या मैं माननीय वित्त मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या निकट भविष्य में वहां और अधिक ग्रामीण बैंक खोले जाने की संभावना है और क्या अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों को उन क्षेत्रों में अपनी शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे ?

श्री आर वेंकटरामन : जहां तक गंजम जिले का संबंध है, रिजर्व बैंक इस बात पर पहले ही सहमत हो गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले जाने चाहिए। जहां तक माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित स्थानों पर बैंकों की शाखाएं खोलने का सवाल है, इस बारे में एक सूची उड़ीसा सरकार को प्रस्तुत की जाए ताकि वे स्थानों का चुनाव करते समय उसे भी ध्यान में रखें। शाखाएं खोलने के बारे में मुझे अलग से नोटिस दिया जाए क्योंकि यह मुख्य प्रश्न से संबद्ध नहीं है।

श्री राजेश पाइलट : क्या मैं मन्त्री महोदय से ग्रामीण बैंकों की उपलब्धियों तथा असफलताओं के बारे में जान सकता हूँ ? क्या वर्तमान ग्रामीण बैंकों के कार्य निष्पादन और प्रभाव में सुधार के लिए कोई कदम उठाए गए हैं ? क्या पुराने बैंकों और अब खोले जा रहे नए बैंकों के उद्देश्यों में इन विचारों को शामिल किया गया है ?

श्री आर० वेंकटरामन : वास्तव में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की उपयोगिता का प्रश्न पिछली सरकार द्वारा एक विशेषज्ञ अर्थशास्त्री, प्रो० दांतवाला के पास भेजा गया था। उन्होंने सारे मामले की जांच करके कहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थव्यवस्था में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। यह विचार मूल रूप से कांग्रेस सरकार का था। हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक कार्य निष्पादन का संबंध है, यह संतोषजनक रहा है। वास्तव में, उड़ीसा में जो ग्रामीण बैंक पिछले तीन वर्षों में किए गए हैं, जिनके आंकड़े मेरे पास हैं, उन्हें लाभ नहीं हो रहा था। आज वे संतोषजनक ढंग से काम कर रहे हैं और उन्होंने लाभ अर्जित किया है। अतः इससे पता चलता है कि ग्रामीण जनसंख्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की ओर आकर्षित हो रही है और यही इस विचार की सफलता है।

भारतीय ब्रांड नामों की लुंगियों और चादरों से खाड़ी के बाजारों का भर जाना

*803. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि चीन और थाईलैंड मशहूर भारतीय ब्रांड नामों के अन्तर्गत लुंगियों और चादरों से खाड़ी के बाजारों को भर रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले को चीन और थाईलैंड सरकारों के साथ उठाया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) सरकार को इस सम्बन्ध में व्यापारी वर्ग से कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, न ही इस क्षेत्र में किसी भारतीय मिशन ने चीन तथा थाईलैंड द्वारा भारतीय ब्रांड नामों के अन्तर्गत लूंगियों तथा पलंगपोश

के विपणन की रिपोर्ट की है। तथापि, भारत के समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचार के आधार पर इन क्षेत्रों में भारतीय मिशनों से तथ्यों का पता लगाने का अनुरोध किया गया है।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय लुंगियां और पलंग की चादरें खाड़ी के देशों में बहुत लोकप्रिय हैं। क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि इस वर्ष निर्यात की गई लुंगियों और चादरों का मूल्य क्या है और खाड़ी के देशों में इनकी सप्लाई को पूरा करने के लिए निर्यात में वृद्धि करने तथा इन लुंगियों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

श्री प्रणब मुखर्जी : महोदय, हम हथकरघा क्षेत्र में निर्मित अनेक वस्तुओं का निर्यात करते हैं और वस्तु-वार तथा देश वार आंकडे रखना मंत्रालय के लिए संभव नहीं है। लगभग 121 देशों में इन वस्तुओं की खपत होती है। यदि माननीय सदस्य यह जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हो कि वास्तव में कितनी लुंगियों का निर्यात किया गया और हमें कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई तो उसके लिए मुझे अलग से नोटिस दिया जाए।

श्री जनार्दन पुजारी : समाचार पत्रों में छपी खबर मिलते ही उस पर तत्काल कार्यवाही करने के लिए मंत्री महोदय को बधाई देते हुए, क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या खाड़ी के देशों में हमारे दूतावासों को इन देशों द्वारा किए जा रहे कथित कदाचारों के बारे में तथ्यों का पता लगाने के लिए कहा गया है ?

श्री प्रणब मुखर्जी : यह पता लगा लिया गया है और कभी-कभी यह हो भी सकता है लेकिन मैंने तथ्यों का पता लगा लिया है। उनसे अनुरोध किया गया है कि स्थानीय बाजार से पता करें और हमें वास्तविक स्थिति से अवगत कराएं।

श्री एम० सत्यनारायण राव : महोदय, खाड़ी के देशों में न केवल हमारी उपभोक्ता वस्तुएं बल्कि अन्य वस्तुएं भी काफी लोकप्रिय हैं क्योंकि उनकी किस्म अच्छी है। चेयरमैन, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट काउंसिल ने बतलाया कि हमारी वस्तुओं के लिए उन देशों में बड़ी मांग है लेकिन दुर्भाग्य से हम उनकी मांग को पूरा करने की स्थिति में नहीं हैं। वे 100 करोड़ रु० मूल्य की वस्तुओं की मांग कर रहे हैं लेकिन वाणिज्य मंत्रालय उनकी आवश्यकता को पूरा करने की स्थिति में नहीं है। इस बात को देखते हुए, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सुनिश्चित करने के लिए आप क्या उपाय करना चाहते हैं कि इन देशों को और अधिक निर्यात किया जाए।

श्री प्रणब मुखर्जी : महोदय, यह प्रश्न हथकरघा निर्मित वस्तुओं के निर्यात से सम्बन्धित है। जहां तक कुल निर्यात का संबंध है, हमने चालू वर्ष के लिए 16 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया है और मुझे आशा है कि इस लक्ष्य को पाना संभव हो सकेगा और स्वाभाविक ही है, खाड़ी के देशों में भी हमें आनुपातिक हिस्सा मिलेगा क्योंकि इन देशों में हमारी वस्तुओं की मांग बढ़ रही है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या चीन और थाईलैंड से होने वाले निर्यात की बात सच है और क्या वह हमारे दूतावासों को मूल्यों का पता लगाने के लिए कहेंगे ? क्या वे हमारे मूल्यों से कम हैं अथवा हमारे मूल्यों के बराबर हैं ?

श्री प्रणब मुखर्जी : महोदय, जहां तक हथकरघा क्षेत्र का संबंध है, चीन हमारा

प्रतियोगी नहीं है । चीन मशीन निर्मित कपड़े के क्षेत्र में हमारा प्रतियोगी है । यदि हमारी वस्तुओं की किस्म और उनके मूल्य प्रतियोगी न हो तो विदेशी लोग उन्हें नहीं खरीदेंगे ।

महाराष्ट्र को आय-कर के हिस्से का भुगतान

*805. **श्री बापूसाहिब परुलेकर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1972-73 के बाद से आय-कर राजस्व के महाराष्ट्र के हिस्से का भुगतान नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) महाराष्ट्र राज्य को बकाया की कितनी धनराशि का भुगतान किया जाना है ; और

(घ) क्या इस संबंध में बार-बार अनुरोध किए गए हैं और धनराशि का भुगतान कब तक किया जाएगा ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) से (घ) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख) संविधान के अनुच्छेद 279(1) के अनुसार संघ और राज्यों के बीच बांटी जा सकने वाली कर की निवल रकमों का निर्धारण और प्रमाणीकरण भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाना है, जिसका प्रमाणीकरण अन्तिम होता है । इस प्रकार प्रमाणीकृत आंकड़े प्राप्त होने तक विभिन्न राज्यों के हिस्से की देय रकमें उन्हें प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बजट अनुमानों और संशोधित अनुमानों के आधार पर किस्तों में इस शर्त के साथ दी जानी है कि जब प्रमाणित आंकड़े प्राप्त हो जाएंगे तब उन्हें दी गई रकमों को देखते हुए बकाया बची रकमों अथवा अतिरिक्त अदायगी की रकमों का समायोजन कर दिया जाएगा । इस प्रकार 1972-73 तथा इसके बाद के वर्षों के लिए महाराष्ट्र तथा सभी अन्य राज्यों को अनन्तिम आधार पर अदायगियों की गई हैं । चूंकि नियंत्रक महालेखापरीक्षक से 1972-73 से 1975-76 के वर्षों के प्रमाणित आंकड़े अभी हाल ही में प्राप्त हुए हैं इसलिए अदायगी की रकमों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है और इसके बाद के वर्षों के प्रमाणित आंकड़े अभी नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त होने हैं ।

(ग) नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त 1972-73 से 1975-76 के वर्षों के प्रमाणित आंकड़ों के आधार पर इन वर्षों में आय-कर के हिस्से के सम्बन्ध में उन्हें पहले से की गई अनन्तिम अदायगियों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार से 237 करोड़ रुपए की रकम वसूल की जानी है । इसके बाद के वर्षों के लिए राज्य सरकार को दी जाने वाली बकाया रकम, अगर कोई होगी, तो उसका हिसाब नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्रमाणित आंकड़ों की प्राप्ति के बाद ही लगाया जाएगा और उन्हें यह रकम दे दी जाएगी ।

(घ) महाराष्ट्र सरकार ने आय-कर के अपने हिस्से की बकाया रकमों की अदायगी के लिए समय-समय पर अनुरोध किया है । जैसा कि ऊपर बताया गया है नियंत्रक महालेखापरीक्षक

से प्राप्त आंकड़ों की प्राप्ति के बिना विभिन्न राज्यों, जिसमें महाराष्ट्र भी शामिल है, को अन्तिम रूप से दी जाने वाली रकमों का हिसाब नहीं लगाया जा सकता। 1972-73 से 1975-76 के वर्षों के लिए अन्तिम रूप से अब समायोजन कर दिए जाएंगे तथा इसके बाद के वर्षों के लिए रकमों का अन्तिम रूप से समायोजन नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्रमाणित आँकड़ों की प्राप्ति पर किया जाएगा।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : महोदय, मैंने माननीय मंत्री द्वारा सदन के पटल पर रखा गया विवरण देखा है।

महाराष्ट्र सरकार ने यह दावा किया है कि 1972 से 1975 तक आय-कर से हुई आय में से उनके हिस्से के रूप में देय 25 करोड़ रुपये की राशि भारत सरकार पर बकाया है। दूसरी ओर भारत सरकार केवल यही दावा नहीं करती कि उसका समायोजन कर दिया गया है बल्कि यह भी दावा करती है कि उन पर 2.24 करोड़ रुपये बकाया है। मैं इस विवाद के बारे में नहीं बोलूंगा। मैं अपने आप को आगे की अवधि तक ही सीमित रखूंगा।

इस पृष्ठ-भूमि में मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या यह सच नहीं है कि केन्द्रीय कर-आय में से राज्यों का हिस्सा केन्द्रीय सरकार के वार्षिक बजट में दिये गये वसूली अनुमानों के आधार पर ही अनन्तिम रूप से अदा कर दिया जाता है और यह कार्य सामान्यत: वर्ष की समाप्ती के दूसरे वर्ष में किया जाता है बशर्ते कि नियंत्रक-महालेखा परीक्षक द्वारा इसे अन्तिम रूप दे दिया जाये।

दूसरे, क्या यह सच है कि बजट में दिये गए वसूली अनुमानों के आधार पर महाराष्ट्र सरकार को जो राशि अदा की जानी चाहिए वह वर्ष 1976-77 के लिए 17.33 करोड़ रुपये है, 1977-78 के लिए 1.67 करोड़ रुपये है तथा वर्ष 1978-79 के लिए 6 करोड़ रुपए है और क्या इन तीनों वर्षों के संदर्भ में कोई नियतन किया गया है या भुगतान किया गया है? मैं प्रथम वर्ष को छोड़ रहा हूं क्योंकि उसके बारे में कोई विवाद चल रहा है।

श्री आर० वेंकटरामन : स्थिति स्पष्ट करने के लिए मैं यह उल्लेख करना चाहूँगा। 1972-76 के वर्षों के लेखों में इस तथ्य के कारण कुछ गड़बड़ हो गई है कि अधिभार और निगम-कर जो पूरी तरह केन्द्रीय सरकार को देय है, दोनों आयकर में मिल गये थे। इसलिए, कुछ आवंटन किये गये जो उससे बहुत अधिक थे जिसके वे हकदार थे। राज्यों के हिस्सों के आवंटन के सम्बन्ध में निर्णय करने के लिए अब, नियंत्रक-महालेखा परीक्षक अन्तिम अधिकारी हैं। उन्होंने 1972 से 1976 तक सारे लेखे देखे हैं। उन्होंने एक प्रमाण-पत्र दिया है जिसके अनुसार महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र को लगभग 2 करोड़ रुपये देने हैं।

अब, जहां तक दूसरी अवधि, अर्थात, 1976 से 1979 तक की चालू अवधि का संबंध है, राशियों की अदायगी बी० ई० और आर० ई०, दोनों के आधार पर अग्रिम रूप से की जाती है। लेकिन ये आंकड़े अंतिम नहीं है। सारी गणना अनन्तिम आंकड़ों के आधार पर की जाती है और उन अनन्तिम आंकड़ों के आधार पर ही संबंधित राज्य को उसका हिस्सा दिया जाता है। यदि माननीय सदस्य और अधिक जानकारी चाहते हैं तो मैं वह भी दे सकता हूँ; मेरे पास एक विवरण है जो मैं पटल पर रख सकता हूं।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : मैंने तीन वर्षों के बारे में पूछा था।

श्री आर० वेंकटरामन : उसके लिए आपको अलग से एक प्रश्न पूछना होगा। आपका मूल प्रश्न कुछ और था। राज्य सरकारों को दी गई राशि बी० ई० और आर० ई० पर आधारित अग्रिम अदायगी होती है और हम यह अनन्तिम आबंटन करते हैं लेकिन राज्य सरकार—मैं इसे फिर दोहराता हूं—किसी विशेष आंकड़े के बारे में मांग करने या उसका दावा करने की हकदार नहीं है। जैसा कि मैंने कहा है ये आंकड़े केवल अनन्तिम हैं जब तक कि नियंत्रक-महालेखा परीक्षक द्वारा उन्हें प्रमाणित न कर दिया जाए। यह केवल लेखागत भुगतान है जिसे किसी भी रूप में समायोजित किया जाना है। यदि मेरे माननीय मित्र किसी विशेष वर्ष का ब्यौरा जानना चाहते हैं तो मुझे उस विशेष वर्ष का ब्यौरा देखना पड़ेगा और यह पता लगाना पड़ेगा कि क्या प्रमाण-पत्र जारी किया गया है या नहीं और क्या अदा की गई राशि अनन्तिम गणना के आधार पर अदा की गई है।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने 1972-75 के दौरान जिस प्रकार राज्यों को कुछ धन-राशि अदा की थी, क्या 1976 से इस वर्ष तक की अवधि के लिए भी उसी प्रकार अनन्तिम आधार पर कोई राशि अदा की गई है? यदि नहीं, तो क्या सरकार देय राशि के 75 प्रतिशत के आधार पर ब्याज मुक्त तदर्थ ऋण देगी? यदि हां, तो कितनी राशि अदा की जायेगी? और अन्त में, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को इन चीजों की गणना करने और लेखाओं को अन्तिम रूप देने में कितना समय लगेगा?

श्री आर० वेंकटरामन : मैंने उस बारे में शुरू में ही बताया था। मैंने इस प्रश्न की आशा की थी और इसीलिए शुरू में ही यह कहा था कि अधिभार और निगम कर की राशियों के आपस में मिल जाने से भ्रान्ति हो गई थी। इसलिए इसमें कुछ समय लग गया है। नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक हमेशा लेखे तैयार होते ही यथाशीघ्र प्रमाणपत्र जारी कर देते हैं। अब, मेरे माननीय मित्र यह जानना चाहते हैं कि वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के लिए कितनी धनराशि अदा की गई थी। जहां तक महाराष्ट्र का संबंध है, यह धनराशि वर्ष 1977-78 के लिए 74.64 करोड़ रुपये थी, वर्ष 1978-79 के लिए 78.08 करोड़ रुपये थी और वर्ष 1979-80 के लिए 91.73 करोड रुपये थी। चालू वर्ष के लिए अब तक 17.0 करोड़ रुपये अदा किये जा चुके हैं।

पौलिनासिक मिश्रित कपडे

*806. **श्री आर० के० महालगी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाथ से बना हुआ एक नया रेशा पौलिनासिक कपड़े के निर्माण में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है और पौलिनासिक मिश्रित कपड़े को मूल्य-अंकन से छूट मिली हुई है; और

(ख) क्या सरकार का विचार मूल्य-अंकन नीति पर पुनः विचार करने और पौलिनासिक मिश्रित सभी कपड़ों के लिये मूल्य-अंकन को अनिवार्य बनाने का है?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

पौलिनासिक बढ़िया परिवर्तित विस्कोस रेशे के लिए ब्रांड नाम है जो मिश्रित वस्त्रों के उत्पादन के लिये सूत के साथ बेहतर तौर पर मिश्रित होता है। इस समय पौलिनासिक के साथ मिश्रित सूती वस्त्रों का उत्पादन सूत तथा विस्कोस के साथ मिश्रित वस्त्रों के कुल परिमाण का लगभग 16 प्रतिशत है। मूल्य मुद्रांकन योजना मुख्यतः उन सूती वस्त्रों पर लागू है जिनमें कृत्रिम रेशम का अंश वजन के हिसाब से 60 प्रतिशत से कम हैं। कृत्रिम रेशम से बने वस्त्रों को मुख्यतः विकेन्द्रीकृत क्षेत्र से होने के नाते और सामान्य तौर पर समृद्ध वर्गों की मांग को पूरा करने की वजह से मूल्य मुद्रांकन योजना से छूट मिली हुई है।

श्री आर० के० महालगी : विवरण में यह बताया गया है कि मूल्य अंकित करने की योजना मुख्यतः केवल उन्हीं सूती कपड़ों पर लागू होती है जिनके भार में आर्ट रेशम 60% से कम होता हैं। क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि पौलिनासिक में आर्ट रेशम किस अनुपात में होता है और क्या सरकार पौलिनासिक को आर्ट रेशमी कपड़ा मानती है?

श्री प्रणब मुखर्जी : इसे आर्ट रेशमी कपड़ा माना जाता है और जहां तक तन्तुओं का संबंध है, मैंने वह विवरण में स्पष्ट कर दिया है। यह 16% तक या उसके लगभग है। लेकिन मुझे यह बताया गया है कि इसे 25 से 30 प्रतिशत तक इस्तेमाल किया जा सकता है।

श्री आर० के० महालगी : मूल्य अंकित करने की योजना उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बहुत दिनों से लागू है ताकि उनका शोषण न किया जाये। क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि सरकार ने यह निष्कर्ष कैसे निकाला है कि आर्ट रेशमी कपड़ा मुख्यतः केवल सम्पन्न वर्ग इस्तेमाल करता है इसलिए उसे इस योजना से मुक्त रखा गया है? क्या इस आशय का कोई सर्वेक्षण किया गया है?

श्री प्रणब मुखर्जी : यदि माननीय सदस्य विवरण को देखें तो उन्हें मालूम हो जायेगा कि जहां तन्तु 60% से कम हैं वहां मूल्य अंकित करना अनिवार्य है। जहां तन्तु 60% या उससे अधिक हैं, वहां कुदरतन, मूल्य अंकित करने की योजना लागू नहीं होती है। उसे मूल्य अंकित करने की योजना से छूट है।

श्री निरेन घोष : वस्तुतः मैं यह कहना चाहूंगा कि यह कपड़ा, विशेष रूप से हाथ से बना कपड़ा, मुख्यतः सम्पन्न लोग ही खरीदते हैं और इस उद्योग को बहुत अधिक मुनाफा होता है। माननीय मंत्री यह कहते हैं कि उन कपड़ों पर मूल्य अंकित नहीं किया जायेगा जिनमें आर्ट रेशमी तन्तु 60% और अधिक है। उनको यह छूट है कि वह जितना चाहे मूल्य लें। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह प्रथा समाप्त की जायेगी और क्या यह आवश्यक नहीं है कि इस कपड़े की सभी किस्मों पर मूल्य अंकित किया जाये। यदि मूल्य अंकित करने की योजना इस विशेष ब्रांड के कपडे पर लागू नहीं होती है तो आप पर यह संदेह किया जा सकता है कि आप गुप्त सौदों को छूट दे रहे हैं।

श्री प्रणब मुखर्जी : माननीय सदस्य को यह संदेह है कि हर जगह गुप्त सौदे होंगे। मैं इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। जहाँ तक उनके द्वारा उठाये गये मुद्दे का संबंध है, यह केवल एक सुझाव है।

श्री निरेन घोष : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन कपड़ों पर मूल्य अंकित किया जायेगा। इन कपड़ों पर मूल्य क्यों नहीं अंकित किया जाता है ?

श्री प्रणब मुखर्जी : यदि माननीय सदस्य ने एक सुझाव दिया है तो मैंने यह मान लिया है कि यह एक सुझाव है।

केरल में भारतीय पर्यटन विकास निगम की परियोजना

*807 श्री ए० ए० रहीम : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा चालू योजना के दौरान देश में कौन-कौन से नए पर्यटक स्थलों का विकास किया जाना है ;

(ख) योजना अवधि के दौरान भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा केरल में आरम्भ की जाने वाली पर्यटन विकास परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं ; और

(ग) क्या त्रिवेन्द्रम के निकट अनूठी पोनमुडी पहाड़ियों को भी उन स्थलों में शामिल किया गया है जिन्हें देश के प्रमुख पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकसित किया जाना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) पंचवर्षीय योजना 1980-85 के दौरान विकास हेतु पर्यटन केन्द्र निर्धारित करने के लिए क्षेत्रीय आधार पर राज्य पर्यटन संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ हाल ही में बातचीत की गई है। अपने-अपने राज्यों में पर्यटन विकास का एक ब्लू प्रिंट तैयार करने के लिए उनसे अनुरोध किया गया है।

(ख) भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा केरल में कोई परियोजनाएं शुरू करने की योजना नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

श्री ए० ए० रहीम : केरल का पोनमुदी पहाड़ी स्थान सबसे सुन्दर स्थान है और त्रिवेन्द्रम तथा कोवलम से बहुत पास है। इसे एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। क्या सरकार ने इस पर्यटन केन्द्र को कोई प्राथमिकता दी है क्योंकि यह स्थान त्रिवेन्द्रम और कोवलम के बहुत नजदीक हैं। कोवलम सागर तट से पहाड़ की चोटी पर मोटर गाड़ी से पहुंचने में मुश्किल से आधा घन्टा लगता है। इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। केरल में यह सबसे सुन्दर स्थान है और एक सुन्दर पहाड़ी स्थान है। क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम प्राथमिकता के आधार पर इसका विकास करेगा ? यह एक बहुत महत्वपूर्ण केन्द्र है।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : प्रश्न के मुख्य उत्तर में मेरे मित्र ने यह बताया है कि हम केरल सरकार के नक्शे (ब्ल्यू प्रिन्ट) की प्रतीक्षा कर रहे हैं। योजना आयोग द्वारा नियुक्त कार्यकारी दल ने पर्यटन विकास के लिए वर्ष 1980-81 के लिए 95 लाख रुपये के परिव्यय की सिफारिश की है। यद्यपि योजना आयोग से अभी तक हमारे पास अन्तिम कार्यवाही सारांश नहीं आया है लेकिन, इस बात पर सहमति हो गई थी। मेरे माननीय मित्र जो भी विकास चाहते हैं, मैं उन्हें यह सुझाव दूंगा कि वह केरल राज्य सरकार से प्रस्ताव भिजवायें, हम उस पर विचार करेंगे।

श्री ए० ए० रहीम : कोवलम का होटल पांच-सितारा होटल के समान है और यह बहुत से विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करता है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि कोवलम में एक मध्य श्रेणी के होटल का निर्माण करायें ताकि हमारे देश के पर्यटक भी वहां आकर रह सकें इस समय, कोवलम होटल बहुत महंगाई है।

अध्यक्ष महोदय : यह नोट किए जाने के लिए एक सुझाव है।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। हमारे पास केवल एक ही परियोजना यात्री निवास होटल की है जिसका निर्माण केवल दिल्ली में किया जा रहा है। मैं इस सुझाव को भी नोट नहीं कर सकता क्योंकि इस होटल का मूल्यांकन करने के बाद ही हम अन्य स्थानों पर ऐसे होटल खोलने पर विचार कर सकते हैं और वह भी इसके बाद कलकत्ता, बम्बई और मद्रास जैसे महानगरों में खोले जायेंगे।

डा० कर्ण सिंह : यह आश्चर्य की बात है कि केरल में पर्यटन स्थलों का पता लगाने के लिए एक नई योजना की आवश्यकता है। यह देश के सबसे सुन्दर स्थानों में से एक है और यह सर्व विदित है कि वहां कौन-कौन से पर्यटन स्थल हैं। हमने कोवलम स्थल का विकास विश्व के सबसे सुन्दर तटीय स्थलों के समान किया है। जैसा कि माननीय सदस्य ने पहले कहा है, क्या माननीय मंत्री हमें यह बतायेंगे कि क्या कोवलम तटीय स्थल के विकास के साथ-साथ कोवलम में ही कम लागत वाली पर्यटन सुविधाओं का विकास करने के लिए विशेष प्रयास किये जायेंगे ताकि इस अदभुत तटीय स्थल का वस्तुत: अधिक उपयोग किया जा सके।

दूसरे, हमारे पास केरल में पेरियार पशु शरण-स्थल है जो एक अलग ढ़ंग का पशु शरण-स्थल है क्योंकि अन्य पशु शरण-स्थलों में आप जमीन पर होते हैं लेकिन यहां आप झील में रहते हैं, देखने वाला झील में और पशु जमीन पर। पूर्वी अफ्रीका को छोड़कर ऐसे अलग ढंग का पशु-शरण स्थल विश्व में और कहीं नहीं है। कोवलम, पेरियार तट पशु-शरणस्थल और शंकराचार्य के जन्म स्थान तथा भारत के तीर्थ स्थानों में से एक कालादी में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं? आपको इसके लिए एक योजना की जरूरत क्यों है?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : जहां तक कोवलम का संबंध है, हम वहां एक योग-व-मालिश केन्द्र तथा एक तट-केन्द्र का निर्माण करके उसका विकास कर रहे हैं ताकि इस कम्पलेक्स को समेकित तरीके से विकसित किया जा सके। तदनुसार योग-व-मालिश केन्द्र और तट-केन्द्र के लिए क्रमश: 8 लाख रुपये और 11.25 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गई थीं। कार्य चल रहा है। किन्तु, पेरियार के बारे में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया था कि राज्यों को निदेश दिया गया है अपने यहां के पर्यटन स्थलों के विकास के लिए ब्लू प्रिन्ट बनाने का तो क्या उन को यह भी निदेश दिया गया है कि 6 महीने, एक साल या तीन साल या पांच साल में कितने टाइम के अन्दर वह उसको बनाकर भेजें? कोई टाइम बाउंड प्रोग्राम के अन्तर्गत उनको यह प्लान बनाने का निर्देश दिया गया है?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : नहीं, ऐसा कुछ निर्देश नहीं दिया गया है। आशा की जाती है कि वे अपने-अपने प्रोपोजल जल्दी भेज देंगे।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं भी केरल के पर्यटन स्थलों का विकास चाहता हूं। माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में यह कहा है कि विभिन्न क्षेत्रों के संबध में खाका तैयार किया जा रहा है। मैं यह कहना चाहूँगा कि पर्यटन और नागर विमानन के मामले में पूर्वी क्षेत्र की उपेक्षा की जाती रही है। बिहार भी पूर्वी क्षेत्र में है और माननीय मंत्री भी वहीं के हैं। पश्चिम बंगाल, मेघालय, मणिपुर, असम आदि, इन सभी क्षेत्रों की पर्यटन और नागर विमानन के विकास के मामले में उपेक्षा की गई है। जैसा कि आप जानते हैं विदेशी दूतावासों के जरिये विदेशों में भी पूर्वी क्षेत्र के बारे में प्रचार नहीं किया जा रहा है। मैं यह जानना चाहूँगा कि पूर्वी क्षेत्र में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए वहां पर्यटन और नागर विमानन के विकास के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : इस प्रश्न का संबंध देश में पर्यटन सुविधाओं के विकास से है, नागर विमानन सुविधाओं से नहीं। पर्यटन और अन्य सुविधाओं के विकास के लिए मैंने बार-बार यह बताया है कि इसके बारे में प्रस्ताव राज्य सरकार ने भेजना है, उन्होंने स्थान बताने हैं। जब राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होगा, हम निश्चित रूप से उस पर विचार करेंगे। हमने स्वयं कोई खाका तैयार नहीं किया है।

श्री दिग्विजय सिंह : ऐसा प्रतीत होता है कि कोई योजनायें नहीं बनाई गई हैं और इन योजनाओं को नये सिरे से तैयार करना होगा। ये योजनायें निश्चित रूप से हैं। प्रत्येक राज्य के पास संदर्श योजनायें हैं ; यह क्यों कहते हैं कि योजनायें अब तैयार करनी होंगी ? मैं नहीं जानता। उत्तर यह दिया गया है कि राज्यों से यह अनुरोध किया गया है कि अपने-अपने राज्यों में पर्यटन विकास के बारे में एक खाका तैयार करें। मुख्य बाधा समन्वय का अभाव है। केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय पर्यटन विकास निगम के जरिये इसे किस सीमा तक क्रियान्वित करना चाहती है। वे राज्य के विभिन्न कार्यों को समन्वित कर सकते हैं और अधिक प्रभावकारी ढंग से योजना बना सकते हैं।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : मेरे मित्र को केन्द्रीय सरकार की स्थिति को समझना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार सभी पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। और उस उद्देश्य के लिए हाल ही में जून के महीने में हमने राज्य-सरकारों के प्रतिनिधियों से बातचीत की थी, हमें कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है। हम काम को आगे कैसे बढ़ायें, यदि किसी स्थान पर हम केन्द्र से सीधे कार्य करें तो इस पर आपत्ति उठाई जा सकती है या राज्य सरकार यह कह सकती है कि यह उचित स्थान नहीं है, कोई अन्य स्थान है, जहां उन्होंने विभिन्न पर्यटन केन्द्र विकसित करने हैं, इसलिए, यह आवश्यक है कि हमें राज्य सरकार से खाका अवश्य प्राप्त होना चाहिए और तदनुसार हम कार्य करेंगे।

एक माननीय सदस्य : कोआर्डिनेशन के लिए क्या किया है ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : कोआर्डिनेशन के लिए उनसे बातचीत की है, डिस्कशन किया है और क्या कोआर्डिनेशन चाहिए ?

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से विशेष तेल सुविधा के अन्तर्गत ऋण

*808. **श्री एन० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री पी० एम० सईद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से विशेष तेल सुविधा के अन्तर्गत लगभग 300 करोड़ रु० के ऋण की मांग की है ;

(ख) क्या यह अनुरोध अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष न्यास निधि से 540 करोड़ रु० के ऋण के अतिरिक्त है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास दूसरी बार जाने को बाध्य हुई है ;

(घ) उसके मुख्य कारण क्या हैं ; और

(ङ) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत का अनुरोध स्वीकार कर लिया है ?

वित्त मंत्री (श्री आर वेंकटरामन) : (क) जी, नहीं। इस समय अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कोई तेल सुविधा नहीं है।

(ख) से (ङ) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

श्री एम० वी चन्द्रशेखर मूर्ति : मुझे माननीय मन्त्री द्वारा दिये गये उत्तर से आश्चर्य हुआ है। माननीय मन्त्री महोदय ने 3 मई, 1980 को संकेत दिया था कि हमारे देश को बाध्य होकर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास से 550 करोड़ रुपये का ऋण लेना पड़ा था ताकि अशोधित तेल के आयात से उत्पन्न भुगतान संतुलन की समस्या को हल किया जा सके। अब जो उन्होंने उत्तर दिया है, उसमें उन्होंने कहा है 'जी. नहीं'। यह बिलकुल परस्पर बिरोधी बात है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचार अथवा मन्त्री महोदय द्वारा दिया गया उत्तर सही है; इसमें कौन सा सही है।

श्री आर० वेंकटरामन : माननीय सदस्य को गलतफहमी हुई है। यहां पर जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि क्या भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से विशेष तेल सुविधा के अन्तर्गत लगभग 300 करोड़ रुपये के ऋण की मांग की है। इसका 540 करोड़ रुपये, जिसकी हमने अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष से व्यवस्था की है, से कोई सम्बन्ध नहीं है। तेल की सुविधा ऐसी है जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने उन देशों, विकासशील और विकसित देशों, विशेष रूप से तेल मूल्यों में वृद्धि के कारण प्रतिकूल भुगतान संतुलन से प्रभावित हुए, के लिए व्यवस्था की थी। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने दो अथवा तीन वर्षों के लिए विकासशील देशों को सहायता दी थी। यह सुविधा 1975-76 में शुरू हुई थी और यह 1976-77 और 1977-78 तक चली थी और इस बीच यह बंद कर दी गई है। यही कारण है जब मैंने उत्तर दिया था मैंने इस पर बल दिया था कि इस समय कोई तेल सुविधा नहीं है। भारत ने 1974-75 में तैल सुविधा के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 192 करोड़ रुपये की राशि का तथा 1975-76 में 207 करोड़ रुपये की राशि का ऋण लिया था। अब इस समय कोई तेल सुविधा नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 540 करोड़ रुपये का ऋण जो हमने लिया है वह न्यास कोष से दोबारा उन देशों को दिया गया है जो भुगतान संतुलन के घाटे को पूरा करने के लिए न्यास कोष के सदस्यों के रूप में इसके हकदार हैं। यह तेल सुविधा से अलग है।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : हमारा देश पाकिस्तान, मध्य पूर्व और खाड़ी के देशों को श्रमिकों का निर्यात कर रहा है और हमारे प्रवासी विदेशों में प्रतिवर्ष लगभग 15,000 डालर कमा रहे हैं और यह 1977 से 1979 तक पूर्णतः लगभग 1400 करोड़ रुपये था। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार विदेशों में रह रहे इन प्रवासियों की धन राशियों का निवेश उत्पादक पूंजी निवेश में करने हेतु कोई योजना बनाने के लिए तैयार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्री० आर० वेंकटरामन : यह प्रश्न अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से अलग है। मुझे इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है।

श्री पी० एम० सईद : मैं नहीं जानता कि मेरा अनुपूरक प्रश्न भी कहां तक इस प्रश्न की परिधि के अन्तर्गत आता है। तथापि उन्होंने मुझे एक अनुपूरक प्रश्न करने के लिए प्रोत्साहित किया है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या कोई अन्य अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियां हैं जो तेल खरीद के बारे में हमारा कुछ व्यय वहन करेंगी और क्या भारत सरकार ने इसका लाभ उठाया है और यदि कोई राशि प्राप्त हुई है तो वह कितनी है ?

श्री आर० वेंकटरामन : मैं अपने मित्र, श्री सईद को अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए, जब वह उस पक्ष की ओर बैठे होते थे, सहायता किया करता था। अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। यदि सदन चाहे तो अब मैं थोड़ी सी जानकारी दे सकता हूं। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अन्य सुविधायें हैं : एक सुविधा अनुपूरक वित्त पोषण है और दूसरी प्रतिपूर्ति वित पोषण है। प्रतिपूर्ति वित्त पोषण सुविधा के बारे में कुछ ऋण उपलब्ध हैं। भारत सरकार अभी इस पर विचार कर रही है कि क्या हम सहायता के लिए, जो प्रतिपूर्ति वित्त पोषण सुविधा के रूप में जानी जाती है, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से आग्रह कर सकते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : माननीय मन्त्री महोदय ने कहा है कि 540 करोड़ रुपये की राशि न्यास कोष से है। अब भारत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक सदस्य बना हुआ है। अतः भारत इस राशि को पाने के लिए हकदार था। क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कोई संकेत दिया है कि इस प्रकार की सहायता कितने वर्ष दी जा सकती है ; क्या आपके पास ऐसा कोई संकेत है ताकि भारत सरकार भविष्य में उपलब्ध कोष के आधार पर योजना बना सके ; (क) ब्याज की दर क्या है ; (ख) क्या विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर अधिकाधिक निर्भर रहने की इस प्रवृत्ति से पूर्णतया इस अन्तर्राष्ट्रीय कोष पर आश्रित होना और भविष्य में अत्यंत गंभीर जटिलता को पैदा करना नहीं है क्योंकि सामान्यतया वे बहुत शर्तें लगाते हैं। हमारा अनुभव है कि जो कोई देश भी विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर अधिकाधिक निर्भर रहा है, वह स्वयं कठिनाई में पड़ा है ? क्या भारत सरकार इन सभी बातों पर ध्यान दे रही है और क्या मन्त्री महोदय इस सदन को बतायेंगे कि इस न्यास कोष की शर्तें क्या है और इस की सुविधायें क्या हैं ?

श्री आर० वेंकटरामन : यह वर्ष के अधिस्थगन-काल सहित दस वर्ष के अन्त तक यह राशि पुनः वापस की जानी है और बकाया शेष राशि पर ब्याज की दर लगभग 2.6 प्रतिशत है ; मैं ठीक ठीक नहीं कह सकता परन्तु यह 2.7 प्रतिशत है। जहां तक शर्तों का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दिला सकता हूं कि इसमें कोई शर्तें नहीं लगाई गई थीं। हम

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य हैं और इस कोष को हमने सोने का योगदान दिया है तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को हमने पूंजी का भी योगदान दिया है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सोने का एक हिस्सा बेचता है और मुनाफा कमाता है; इस मुनाफे का न्यास कोष बनाया गया है और इस न्यास कोष से सदस्य ऋण लेने के हकदार हैं। इसमें कोई शर्तें नहीं लगाई गई हैं और मैं इस सदन को दोबारा आश्वासन दिलाता हूं—यह बात मैंने पिछली शाम को कही थी कि भारत किसी एजेंसी अथवा किसी देश से ऐसी शर्तों के अधीन ऋण नहीं लेगा जो इसकी गरिमा और आत्म-सम्मान तथा इसकी प्रभु सत्ता के अपमान जनक हो।

श्री चन्द्रजीत यादव : क्या 540 करोड़ रुपये की राशि केवल इस चालू वर्ष के लिए उपलब्ध है ?

श्री आर० वेंकटरामन : आपने पूछा है क्या यह चालू वर्ष के लिए है। यह नहीं है। प्रत्येक वर्ष यह निर्भर करता है कि क्या आपको यह मिल रही है अथवा नहीं।

कपड़ा उद्योग के लिए लाइसेंस नीति

*811. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिरला बन्धुओं का एकाधिकार कम करने के लिए कपड़ा उद्योग तथा विशेष रूप से मानव निर्मित रेशा उद्योग के लिए लाइसेंस नीति को उदार बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और 1980-82 की कपड़ा नीति का ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) वस्त्र उद्योग में (मानव निर्मित रेशा उद्योग सहित) क्षमता की आवश्यकता की समीक्षा की जा रही है और यह 1980-85 के लिए छठी योजना के प्रारूप में सम्बद्ध है जो इस समय तैयार किया जा रहा है। इसका ब्योरा तभी उपलब्ध होगा जब छठी योजना के दस्तावेज को योजना आयोग द्वारा अन्तिम रूप दे दिया जाएगा तथा उसे संसद के समक्ष रख दिया जाएगा।

कुमारी कमला कुमारी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि कितने उद्योगपतियों ने मानव निर्मित कपड़ा उद्योग के लाइसेंस के लिये एप्लाई किया है ? मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि आप बिरला के कुछ लोगों को लाइसेंस प्रदान करने जा रहे हैं, ऐसा क्यों ?

श्री प्रणब मुखर्जी : माननीय सदस्य को पता है कि सितम्बर, 1978 में पिछली सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था। यह निर्णय लिया गया था कि संगठित मिल क्षेत्र में विस्तार की अनुमति नहीं दी जायेगी। अब तक यह निर्णय बदला नहीं गया है। लेकिन मैंने उत्तर में उल्लेख किया है कि हमें इसकी समीक्षा करनी पड़ेगी। हमें यह समीक्षा करनी पड़ेगी कि हम संगठित क्षेत्र, विद्युतचालित करघा क्षेत्र और हथकरघा क्षेत्र में कताई और करघे दोनों में कितनी क्षमता उत्पन्न करना चाहते हैं। इस समस्त कार्य के खत्म हो जाने पर हमारे समक्ष एक स्पष्ट स्थिति आ सकता है।

कुमारी कमला कुमारी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहती हूं कि जो छोटे उद्योगपतियों ने लाइसेंस के लिये एप्लाई किया है, उनमें क्या आप किसी तरह की रियायत बरत रहे हैं, जिनसे वे भी लाभान्वित हो सकें ?

श्री प्रणब मुखर्जी : माननीय सदस्य ने मेरे उत्तर को ठीक तरह से नहीं समझा है। मैंने कहा है कि संगठित क्षेत्र में हमें कुछ क्षमतायें उत्पन्न करनी पड़ेगी और साथ ही विद्युतचालित करघा क्षेत्र और हथकरघा क्षेत्र में क्षमतायें उत्पन्न करनी पड़ेगी। लेकिन अब तक कोई नये लाइसेंस नहीं दिये गये हैं और पुरानी कपड़ा नीति की समीक्षा की जा रही है और जब हम इसको अन्तिम रूप दे देंगे तो मेरे लिये यह बताना संभव होगा कि संगठित क्षेत्र को कितना मिलेगा, विद्युतचालित करघा क्षेत्र को कितना मिलेगा और हथकरघा क्षेत्र को कितना मिलेगा ?

श्री नारायण चौबे : माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि उन्हें अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। उन्होंने बताया है कि वह इस मामले में पिछली सरकार के निदेशक सिद्धान्तों का अनुसरण कर रहे हैं हालांकि नई सरकार सात महीने पहले सत्ता में आ चुकी है। क्या यह सच है कि जब तक उनके सामने स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती है, तब तक बिड़ला घराने को इस मामले में ऐसी ही बने रहने की अनुमति दी जायेगी ?

श्री प्रणब मुखर्जी : यहां पर बिरला घराने का प्रश्न कहां आता है ?

प्रो० एन० जी० रंगा : क्या आप हमें आश्वासन दे सकते हैं कि भारत सरकार की दशाब्दी पुरानी नीति, जो सुनिश्चित कराती है कि अन्य देशों को अपने उत्पादन का निर्यात करने के अतिरिक्त कपड़ा मिलों को कोई और अधिक करघे लगाने की अनुमति देने से हथकरघा क्षेत्र को नुकसान न हो, बनी रहेगी ?

श्री प्रणब मुखर्जी : जी हां। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दिला सकता हूं कि इसे न केवल बने रहने दिया जायेगा, अपितु हम हथकरघा क्षेत्र में विकास को बढ़ाना चाहेंगे। संगठित मिल क्षेत्र में दर्शाई गई वर्तमान विकास दर 8 प्रतिशत हो सकती है, विद्युतचालित करघा क्षेत्र में यह 32 प्रतिशत हो सकती है और हथकरघा क्षेत्र में यह 40 प्रतिशत तक हो सकती है।

प्रश्न संख्या 815 के बारे में

श्री टी० आर० शमन्ना : प्रश्न संख्या 815

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय कहां है ? * *

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, यह सदन का अपमान है, मिनिस्टर इस समय मौजूद नहीं है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे नोट कर लिया है।

श्री अमर राय प्रधान : मंत्री महोदय कहां हैं ?

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : प्रधान मंत्री सदन को स्पष्ट करें कि मंत्री महोदय अनुपस्थित क्यों है, मंत्रीमंडल स्तर के मंत्री इस सदन के प्रति इतनी लापरवाही क्यों कर रहे हैं क्या इसका कारण यह है कि उन्होंने सोचा हो कि शायद यह प्रश्न न लिया जा सके और इसलिए वह अनुपस्थित रहे हैं ? ऐसा पहली बार हुआ है । यदि कोई एक मंत्री बहुत व्यस्त हो तो दूसरे मंत्री महोदय को उत्तर देने के लिये कहा जाना चाहिये ।

(व्यवधान)

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : मैं उत्तर दूंगा ।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं व्यवस्था का प्रश्न करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है । कृपया अपनी सीटों पर बैठ जायें । मैंने इस सदन की चिन्ता नोट कर ली है ; मैं इस मामले पर चिन्तित हूं और इस बारे में जो कुछ भी आवश्यक हुआ, मैं करूंगा । मैं इस स्थिति के बारे में अत्यन्त गम्भीरता से विचार कर रहा हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों द्वारा विकास की गतिविधियां

*800. **डा० वी० वी० देसाई** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों से अपने आस-पास के क्षेत्रों की गतिविधियों का विस्तार करने और उनमें तेजी लाने के लिए कहा गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजनाओं की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ;

(ग) उक्त योजना के अन्तर्गत भिलाई, बोकारो और राउरकेला में कितने गांवों का विकास किया जाएगा ;

(घ) इस पर कुल कितना व्यय होगा ; और

(ङ) राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा इस बारे में क्या-क्या योजनाएं बनाई गई हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, हां । सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों ने अपने इर्द-गिर्द के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन में खुशहाली भरने के अपने सामाजिक दायित्व को पूरा करने के लिए ऐसे विकास कार्य किए हैं

~~** कृपया देखिये भाग II, लोक सभा वाद-विवाद —पृ० पृ० 1~~

जिनका प्रभाव आस-पास के क्षेत्रों के आर्थिक और सामाजिक विकास पर पड़ता है। इन कार्यों में पीने के पानी, शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था करना, सड़कों, पुलियों और भवनों का निर्माण/मरम्मत करना, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना, कृषि और डेरी विकास कार्यक्रमों, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम और स्थानीय किस्म के अन्य कार्य शामिल हैं।

(ग) और (घ) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने वर्ष 1980-81 से 1982-83 की तीन वर्षों की अवधि के लिए भिलाई, राउरकेला और बोकारो के इस्पात कारखानों के विकास कार्यों के लिए 72 लाख रुपये की राशि की एक योजना अनुमोदित की है। इन तीनों कारखानों में से प्रत्येक को उपर्युक्त अवधि में 24 लाख रुपये खर्च करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। उपर्युक्त अवधि में भिलाई 106 गांवों में विकास कार्यक्रम चलायेगा जबकि राउरकेला 63 गांवों में विकास कार्यक्रम चलाएगा और बोकारो 31 गांवों में कार्यक्रम आरम्भ करेगा।

(ङ) राउरकेला इस्पात कारखाने द्वारा तैयार की गई योजनाओं में, पीने के पानी की सुविधाओं की व्यवस्था करना, स्कूल भवनों, लिंक रोड, चिकित्सा सहायता केन्द्रों, मनोरंजन केन्द्रों का निर्माण/मरम्मत करना, कृषि, पशु-पालन और ग्रामीण उद्योगों आदि का विकास करना शामिल है।

तमिलनाडु के जिला तिरुनेलवेली में हवाई अड्डा

*804. श्री ईरा मोहन : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के जिला तिरुनेलवेली में तूतीकोरिन के निकट वगईकुलम् स्थान पर हवाई अड्डे के निर्माण हेतु जमीन का अभिग्रहण करने के लिये कदम उठाये गये हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो जमीन के अभिग्रहण में और आगे कार्य आरम्भ करने में कितना समय लगेगा ?

नौवहन और परिवहन तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) वगईकुलम् में एक हवाई अड्डा बनाने के लिये भूमि अधिग्रहण करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

एल-बेस के आयात पर वास्तविक उपभोक्ताओं से बिक्री-कर की वसूली

*809. श्री चन्द्रभाल मणि तिवारी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू आयात नीति के अंतर्गत वास्तविक उपभोक्ता द्वारा प्राधिकार-पत्र जारी किये जाने का अर्थ माल के स्वामित्व में परिवर्तन करना होता है और इस प्रकार वास्तविक उपभोक्ता आयात-निर्यात नियमों के अधीन सभी कार्यवाहियों से मुक्त हो जाता है ; और

(ख) क्या स्टेट कैमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड उन

वास्तविक उपभोक्ताओं से बिक्री-कर वसूल करता है जिन्होंने एल-बेस का आयात के लिये सरणीबद्ध एजेन्सियों को अपना प्राधिकार-पत्र दे दिया है ; और यदि हां, तो उपरोक्त (क) भाग में उल्लिखित व्यवस्था की दृष्टि से ऐसा किस आधार पर किया जाता है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी नहीं।

(ख) भारतीय राज्य रसायन तथा भेषज निगम लि० उन वास्तविक प्रयोक्ताओं से बिक्री कर वसूल करता है जिनके लिए वह एल-बेस आयात करता है। निगम इस प्रश्न पर विचार कर रहा है कि क्या वास्तव में इन मामलों में बिक्री कर वसूल किया जा सकता है या नहीं।

फेरस स्क्रैप समिति का गठन

*810. **श्री बनवारी लाल :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लोहा और इस्पात (नियंत्रण) आदेश, 1956 के अन्तर्गत फेरस स्क्रैप समिति का गठन किया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति के कृत्य क्या हैं ;

(ग) समिति के काम के लिये वित्त की कैसे व्यवस्था की जायेगी ;

(घ) क्या समिति को सौंपे गए कार्य लोहा और इस्पात (नियंत्रण) आदेश, 1956 के अन्तर्गत सर्वोच्च प्राधिकारी के रूप में लोहा और इस्पात नियंत्रक द्वारा निष्पादित किए जाने सम्भव नहीं हैं ; और

(ङ) समिति के खर्च के लिए धन की व्यवस्था कैसे किए जाने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) संक्षेप में समिति का काम स्क्रैप की उपलब्धि की समीक्षा करना, सामान्य प्रक्रियाओं के लिए इस्पात के मुख्य उत्पादकों के कार्यकरण में समन्वय स्थापित करना तथा इस्पात कारखानों से निकलने वाले फेरस स्क्रैप के वितरण और मूल्यन के बारे में संयुक्त रूप से कार्रवाई करना, स्क्रैप हैंडिल करने तथा इसे प्रोसेस करने की सुविधाओं के विकास के लिए योजनाएं बनाना तथा बाजार में फेरस स्क्रैप के मूल्य स्थिर रखने के लिए प्रयास करना है।

(ग) यह एक विमर्शी समिति है जिसे साचिविक सहायता मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन द्वारा दी जाती है। इसलिए इस समिति को अपने काम के लिए कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) समिति द्वारा निधिबन्दी तथा अपने काम पर किसी प्रकार का कोई खर्च करने की कोई संभावना नहीं है।

भारतीय पर्यटकों के प्रति गाइडों का बर्ताव

*812. **श्री दया राम शाक्य :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पर्यटन विभाग के गाइड भारतीय पर्यटकों के साथ उचित बर्ताव नहीं करते जबकि विदेशी पर्यटकों के प्रति उनका बर्ताव अच्छा होता है ;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनकी संख्या कितनी है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

नौवहन और परिवहन तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) इस संबंध में केन्द्रीय पर्यटन विभाग को हाल ही में केवल एक शिकायत प्राप्त हुई है जो भारतीय पर्यटन विकास निगम की कोच में यात्रा करने वाले भारतीय पर्यटकों के साथ एक गाइड द्वारा किए गए बर्ताव के विरुद्ध है। भारतीय पर्यटन विकास निगम ने संबंधित पक्ष से क्षमा मांगी है और इस गाइड को कार्य देना बन्द कर दिया है। पर्यटन विभाग भी इस मामले की जांच कर रहा है।

देशी संश्लिष्ट सूत उत्पादक

*813. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार पालिस्टर 'फिलामेंट यार्न' के आयात के खिलाफ है और फिर भी वह देश के संश्लिष्ट सूत उत्पादकों के हितों की उपेक्षा करती है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने देश के संश्लिष्ट सूत के उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : जी नहीं।

(ख) खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत पोलिएस्टर फिलामेन्ट यार्न का आयात, 200 प्रतिशत यथा मूल्य आयात शुल्क की दर जमा 66·15 कि० ग्रा० के प्रतिकरात्मक शुल्क के अध्यधीन है जिससे स्वदेशी उत्पादकों को पर्याप्त संरक्षण मिलता है।

आय-कर विभाग में 'सेलेक्शन पोस्टों' को 'नान-सेलेक्शन पोस्ट' घोषित किया जाना

*814. **श्री सोमजी भाई डामोर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने हाल में आय-कर विभाग में इन्सपेक्टरों के अलावा सभी लिपिक-वर्गीय पदों को 'नान-सेलेक्शन' पद घोषित किया है जिसमें अगली पदोन्नति के लिए मात्र मापदण्ड वरिष्ठता होगी ;

(ख) क्या सरकार ने वांचू समिति के प्रतिवेदन के पद पैरा में 6.55 में निहित सिफारिश को स्वीकार कर लिया है जिसके अनुसार ऊंचे पदों पर नियुक्ति के लिए केवल योग्यता ही मापदण्ड होनी चाहिए ;

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आय कर विभाग में 'लिपिक-वर्गीय' संवर्ग में 'सेलेक्शन पोस्टों' को 'नान-सेलेक्शन पोस्ट' किस आधार पर किया गया ; और

(घ) क्या सरकार केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा किये गये निर्णय का पुनरीक्षण करेगी और यथापूर्व स्थिति को बनाये रखेगी ताकि योग्य व्यक्तियों को हानि न हो ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) जी, हां।

(ख) वांचू समिति की रिपोर्ट के पैरा 6.55 में निहित सिफारिश का सम्बन्ध समूह 'क' और उससे उच्चतर पदों पर योग्यता के आधार पर की जाने वाली नियुक्तियों से है। आयकर विभाग में समूह 'क' और उससे उच्चतर पदों पर की जाने वाली पदोन्नतियां पहले ही योग्यता के आधार पर की जा रही है। अतः उक्त सिफारिश को स्वीकार करने के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट आदेश आवश्यक नहीं समझे गये।

(ग) कार्यावली संवर्ग में 'प्रवरण पदों' को, 'प्रवरण-भिन्न पद' घोषित करने का सरकारी निर्णय वांचू समिति की सिफारिशों से अलग रह कर स्वतंत्र रूप में लिया गया क्योंकि वांचू समिति की सिफारिश का सम्बन्ध समूह 'क' और उससे उच्चतर पदों से ही है।

(घ) जी, नहीं।

उचित दर दुकानों पर सामान की बिक्री के लिये एक जैसी प्रक्रिया

*815. श्री टी० आर० शमन्ना : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उचित दर दुकानों पर सामान की बिक्री के बारे में सभी राज्यों द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया एक जैसी है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या वितरण की एक जैसी प्रक्रिया अपनाने का विचार है ; और

(ग) राज्यों को (1) चीनी, (2) सीमेंट (3) मिट्टी के तेल और (4) पेट्रोल का कोटा किस आधार पर आवंटित किया जाता है ?

नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) राज्यों द्वारा उचित दर की दुकानों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए अपनायी जाने वाली प्रणालियां, प्रायः एक सी ही होती हैं, जो संबंधित मंत्रालयों द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुरूप होती हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आवश्यक वस्तुओं का आबंटन भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों द्वारा किया जा रहा है। लेवी-चीनी का मासिक आबंटन, 16-8-1978 को चीनी पर से कंट्रोल हटाने से पूर्व आंशिक कंट्रोल की अवधि में दिये जाने वाले मासिक कोटे के आधार पर किया जाता है। राज्यों को सीमेंट के तिमाही आबंटन का निर्धारण विगत में हुई सीमेंट की खपत के आधार पर तथा उसकी कुल उपलभ्यता के अनुरूप किया जाता है। मिट्टी के तेल का आबंटन कई संगत बातों के आधार पर किया जाता है, जिनमें वस्तु की उपलभ्यता, संचलन-क्षमता तथा विगत में हुई उसकी बिक्री भी शामिल हैं। पेट्रोल सार्वजनिक वितरण

प्रणाली के क्षेत्र में नहीं आता और विभिन्न सप्लाई-क्षेत्रों की आवश्यकताओं का आंकलन तेल कंपनियों द्वारा विगत में हुई इसकी बिक्री तथा अन्य संगत बातों के आधार पर किया जाता है।

बैंकिग सेवा आयोग में बैठने वाले आवेदकों के लिये लिखित परीक्षा

*816. **श्री एन० ई० होरो** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंकिंग सेवा आयोग (क्षेत्रीय भर्ती बोर्ड स्टेट बैंक ग्रुप) द्वारा आयोजित परीक्षाओं में शामिल होने वाले आवेदकों के लिए अंग्रेजी में लिखित परीक्षा अनिवार्य है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि मैंट्रीक्यूलेशन परीक्षा में अंग्रेजी विषय न लेने वाले छात्र इस प्रकार की परीक्षाओं में पास होने से वंचित रह जाते हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उनके मामले पर विचार करने और उन्हें अंग्रेजी में लिखित परीक्षा से छूट देने तथा उन्हें केवल प्रायोगिक परीक्षा के लिये अनुमति देने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) 60 प्रतिशत अंक प्राप्त कर मैट्रिक पास कोई भी व्यक्ति चाहे उसने मैट्रिक की परीक्षा में एक विषय के रूप में अंग्रेजी ली हो अथवा नहीं, बैंक में लिपिक वर्गीय नौकरी के लिए परीक्षा में बैठने के लिए पात्र है। बैंकों में अधिकांश कार्य अंग्रेजी में होता है। इसलिए बैंक में समुचित रूप से काम करने के लिए अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक माना जाता है। अंग्रेजी भाषा की परीक्षा केवल एक अर्हक परीक्षा है और किसी उम्मीदवार को इस परीक्षा से छूट देना आवश्यक नहीं समझा जाता है।

वैम्बले चिट फण्ड फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड में सर्टिफिकेट धारियों का दायित्व

6386. **श्री राम सिंह शाक्य** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैम्बले चिट फण्ड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड में सर्टिफिकेट धारियों को सरकारी अभिरक्षा में कुल दायित्व राशियां क्या हैं ;

(ख) कम्पनी द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों में (अलग अलग) कितनी राशि निवेशित की गई ;

(ग) वैम्बले चिट फंड एण्ड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 1979-80 के अन्त तक कुल कितना बिजनेस दिया गया ; और

(घ) वैम्बले चिट फंड में सर्टिफिकेट धारियों को निवेशित पूंजी की सुरक्षा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) रिजर्व बैंक ने सूचित किया

है कि यह कम्पनी परम्परागत चिट फंड का कारबार करती है और वह अपने सदस्यों/जनता को कोई सर्टीफिकेट नहीं जारी करती।

(ख) इस कम्पनी ने सरकारी प्रतिभूतियों में कोई निवेश नहीं किया है। 31 मार्च, 1980 की स्थिति के अनुसार, जैसा कि कानून के अन्तर्गत आवश्यक था, चिटों के रजिस्ट्रार के हक में एक राष्ट्रीयकृत बैंक के पास स्थिर (फिक्सड) जमा खाते में इस कम्पनी की 2.38 लाख रुपए की रकम जमा की थी। इसी तारीख को एक राष्ट्रीयकृत बैंक के चालू (करेंट) खाते में कम्पनी की 3.59 लाख रुपए की राशि थी।

(ग) इस कम्पनी ने 31 मार्च, 1980 तक कुल मिलाकर जो चिट का कारबार किया अर्थात् इस कारबार से उसे जो कुल रकम प्राप्त हुई वह 83.90 लाख रुपया है।

(घ) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

गोआ में काजू के फल से बनी शराब

6387. श्रीमती संयोगिता राणे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोआ में काजू के फल से बनी शराब की विदेशी बाजार में निर्यात की काफी क्षमता है ;

(ख) क्या सरकार का विचार विदेशी बाजारों के लिये इस शराब के बनाने वालों को उसके स्वाद तथा गंध को परिष्कृत करने तथा उसके पैकिंग में सुधार के लिये तकनीकी तथा वित्तीय सहायता देने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) विकसित देशों में बनाई गई शराब के लोकप्रिय ब्रांडों की शराब की मार्किट में सुस्थापित प्रभावी स्थिति होने के कारण गोआ में काजू के फल से तैयार की गई शराब की निर्यात संभाव्यताओं का अनुमान लगाना कठिन है।

(ख) तथा (ग) भारत में बनाई गई विदेशी शराब, जिसमें काजू के फल से बनी शराब भी शामिल है, के निर्यात पर एफ० ओ० बी० मूल्य के 15 प्रतिशत की दर से वित्तीय सहायता उपलब्ध है। विदेशी बाजारों के लिये इस शराब के उत्पादकों को स्वाद एवं गंध में परिष्करण और पैकिंग में सुधार करने हेतु इस समय बाजार विकास सहायता योजना के अन्तर्गत तकनीकी सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

काफी का उत्पादन

6388. श्री एस० बी० सिदनाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-80 के दौरान भारत में काफी का कुल कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ ;

(ख) उसमें कर्नाटक राज्य का कितना अंश है ;

(ग) क्या और अधिक क्षेत्रों में काफी का उत्पादन करने, उपज में सुधार करने तथा उत्पादकों की सहायता की पेशकश करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) वर्ष 1979-80 के दौरान काफी का अनुमानित उत्पादन 1,50,000 मे० टन है।

(ख) उपरोक्त उत्पादन में से कर्नाटक का अंश लगभग 1,02,000 मे० टन है।

(ग) तथा (घ) जी हां, काफी बोर्ड ने काफी के विकास के लिये एक परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की है जिसमें वर्ष 1993-94 तक 1,30.000 हेक्टार की सीमा तक काफी के विस्तार की व्यवस्था है, जिसमें से 72,000 हेक्टार अपरम्परागत क्षेत्रों में होगा और 58,000 हेक्टार परम्परागत क्षेत्रों में होगा। इसमें से छठी योजना के अन्तर्गत 38,400 हेक्टार के विस्तार की व्यवस्था है। काफी बोर्ड के पास उपज में सुधार करने और उत्पादकों की सहायता के लिये समर्थन कार्यक्रम हैं जिनमें अन्तर्निविष्ठ साधनों की सप्लाई, विस्तार सेवाएं, ऋण सुविधाएं सुनिश्चित करना, काफी प्रदर्शन फार्म और अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना तथा ब्याज उपदान की व्यवस्था, पुनर्रोपण उपदान और विस्तार उपदान, तथा साथ ही स्टोरेज, भाण्डागार और क्योरिंग क्षमताओं जैसी विपणन अवस्थापना के सुधार शामिल हैं।

शहरों की श्रेणियों का उन्नयन

6389. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरों की श्रेणियों के उन्नयन के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या इस मामले की जांच के लिए कोई समिति नियुक्त की गई है ;

(ग) शहरों की श्रेणियों के उन्नयन के लिए क्या मानदंड अपनाए गये हैं ;

(घ) क्या गुजरात राज्य ने भी जामनगर शहर के श्रेणी उन्नयन की सिफारिश की है ;

(ङ) यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ; और

(च) यदि नहीं, तो क्या सरकार उनके श्रेणी उन्नयन पर विचार करेगी ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को तैनात स्थानों के लिए मकान किराया भत्ते और प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ते की अदायगी के संबंध में विभिन्न नगरों का दर्जा बढ़ाने के लिए समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (च) 1971 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार नगरों को इन भत्तों की अदायगी के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। परन्तु जिन नगरों की 1971 की जनसंख्या ऐसे वर्गीकरण के लिए न्यूनतम आवश्यक जनसंख्या से सीमांतिक कम पड़ती थी, उनको महा पंजीयक और भारतीय जनगणना आयुक्त द्वारा दिए गए अर्ध-जनगणना जनसंख्या के अनुमानों के आधार पर हाल ही में वर्गीकृत किया गया है। दर्जा बढ़ाया गया है। चूंकि 1971

की जनगणना के अनुसार जामनगर शहरी समूह की जनसंख्या केवल 2,27,640 थी जो कि ख-2 श्रेणी नगर के रूप में वर्गीकरण के लिए कम से कम आवश्यक 4 लाख की जनसंख्या से बहुत कम पड़ती है, इसलिए इसका दर्जा बढ़ाकर ख-2 श्रेणी नहीं किया जा सका।

सीमाशुल्क हवाई अड्डा कर्मचारियों को
बारी-बारी से तैनात करने की व्यवस्था

6391. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रियों के साथ किए जा रहे पक्षपात को सुनिश्चित करने के लिए ऐसी कोई व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत पालम और बम्बई जैसे बड़े हवाई अड्डों पर सीमाशुल्क हवाई अड्डा कर्मचारियों को डिपार्चरलाउंज से अराइवल लाउंज तक बारी-बारी से तैनात किया जाता है।

(ख) यदि हां, तो वह व्यवस्था क्या है और कितने अन्तराल के बाद उन्हें इस तरह तैनात किया जाता है ;

(ग) जो एयरलाइन्स कर्मचारी ड्यूटी पर न होते हुए भी अराइवल और डिपार्चर लाउंजों में जाकर सीमाशुल्क कर्मचारियों से मिल कर सीमाशुल्क निकासी में उनकी मदद चाहने वालों की सहायता चाहते हैं क्या उन पर कोई निगरानी रखी जाती है , यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) आने वाले यात्रियों की सीमाशुल्क निकासी में मदद करने के बदले में जो सीमाशुल्क कर्मचारी डिपार्चर लाउंज में उनसे उपहार प्राप्त करना चाहते हैं उन पर कोई निगरानी रखी जाती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) संभवतः इस प्रश्न का संबंध, यात्रियों के साथ तरफदारी न होने देने के लिए कर्मचारियों की बारी-बारी से तैनाती किए जाने की प्रणाली से है। कार्य की अत्यावश्यकता और अन्य संगत कारणों को ध्यान में रखते हुए, हवाई अड्डे पर तैनात सीमाशुल्क कर्मचारियों को प्रस्थान और आगमन लाउंजों तथा अन्य पदों पर, जहां-जहां सीमाशुल्क अधिकारी लगाए गए हैं, बारी-बारी से तैनात किया जाता है। कभी-कभी इन बारियों में अचानक परिवर्तन भी कर दिए जाते हैं।

(ख) बारी-बारी से ये तैनातियां ठीक कितने-कितने समय बाद और किस प्रकार से की जाती है, इन सब बातों का विस्तृत ब्योरा देना, वायुपत्तन स्थित सीमाशुल्क संगठन के समुचित कार्यकरण के हित में नहीं होगा।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर प्रतिबंधित के क्षेत्रों में प्रवेश को विनियमित करने का काम तथा जिम्मेदारी भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय वायुपत्तन प्राधिकरण की है, जो वायुपत्तनों पर कार्यरत विभिन्न एजेंसियों के कार्मिकों को पास जारी करता है और प्रवेश को रोकने तथा उसे विनियमित करने के लिए उसके अपने सुरक्षा कर्मचारी हैं। ऐसी कोई रिपोर्टें नहीं मिली हैं जिनसे यह पता चले कि एयरलाइंस के कर्मचारी, जो ड्यूटी पर नहीं हों, सीमाशुल्क कर्मचारियों के साथ सांठ-गांठ से हितबद्ध पार्टियों को सीमाशुल्क निकासी में मदद करने के लिए आगमन और प्रस्थान लाउंजों में प्रवेश कर जाते हैं।

(घ) हवाई अड्डों पर सीमाशुल्क कर्मचारी खुले में तथा उच्चतर अधिकारियों की सतत निगरानी में काम करते हैं।

यदि प्रश्न के भाग (ग) अथवा भाग (घ) से संबंधित किसी विशिष्ट मामले का ब्यौरा माननीय सदस्य की जानकारी में हो तो उसकी सूचना दिए जाने पर उपयुक्त उपचारी कार्यवाही अथवा यथावश्यक कोई अन्य कार्यवाही करने के लिए, मामले की जांच की जा सकती है।

पर्यटन विभाग में स्थानान्तरण और पोस्टिंग सम्बन्धी नीति

6392. **श्री चन्द्रपाल शैलानी :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन विभाग में श्रेणी दो और तीन के कर्मचारियों (अराजपत्रित) को मुख्यालय के भीतर अनेक डिवीजनों/अनुभागों में स्थानान्तरित करने और उनकी पोस्टिंग करने के बारे में कोई नीति है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसे किस तारीख से बनाया गया था और क्या उसका सख्ती के साथ पालन किया जा रहा है ;

(ग) क्या यह सच है कि इस नीति के बावजूद भी कुछ कर्मचारी/अधिकारी गत दस वर्षों से भी अधिक समय से उसी अनुभाग में उसी सीट पर काम करते आ रहे हैं ;

(घ) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है ; और

(ङ) स्थानान्तरण नीति बनाये जाने का उद्देश्य क्या है जब उसकी दृढ़ता से क्रियान्विति नहीं होती ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (ङ) पर्यटन विभाग के मुख्य कार्यालय के विभिन्न प्रभागों/अनुभागों में द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों (अराजपत्रित) के आवधिक स्थानान्तरणों तथा तैनाती को विनियमित करने के लिए कोई निश्चित नीति तैयार नहीं की गई है। तथापि, अन्तर-अनुभागीय/प्रभागीय स्थानान्तरण/तैनाती समय-समय पर काम की अत्यावश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्रशासनिक आधार पर की जाती है।

भारत के कुल राष्ट्रीय उत्पाद में सुधार के लिए कदम

6393. **श्री बालासाहेब विखे पटिल :**

श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में जारी हुए विश्व बैंक एटलस 1979 के अनुसार भारत का प्रति व्यक्ति जी० एन० पी० (कुल राष्ट्रीय उत्पाद) पाकिस्तान और श्रीलंका से भी कम है ;

(ख) भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के संबंध में पिछले पांच वर्षों की प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रीय उत्पाद की तुलनात्मक स्थिति क्या है ; और

(ग) इस बारे में भारत की स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रीय उत्पाद*

(अमरीकी डालर)

	1974	1975	1976	1977	1978x
भारत	120	140	140	160	180
पाकिस्तान	140	180	180	200	230
श्रीलंका	170	180	190	160	190

*बाजार कीमतों पर

xअनंतिम

(ग) भारत के कुल राष्ट्रीय उत्पाद के बढ़ाने के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं उनका उल्लेख 13 जून, 1980 को लोकसभा के पटल पर रखी गई आर्थिक समीक्षा 1979-80 में 18 जून, 1980 के बजट भाषण में किया गया है । देश की सभी विकास योजनाओं का उद्देश्य भारत के कुल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि करना रहा है ।

विमान उड़न-योग्यता तथा हवाई सुरक्षा के बारे में नई दिल्ली में हुआ सेमिनार

6394. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान, उड़न-योग्यता तथा हवाई सुरक्षा के बारे में एक सेमिनार अप्रैल, 1980 में नई दिल्ली में हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो सेमिनार में की गई सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

महानगरों में चीनी, चावल, गेहूं आदि के तुलनात्मक खुदरा तथा थोक मूल्य

6395. श्री नारायण चौबे : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न महानगरों में मार्च, अप्रैल, मई और जून, 1980 के दौरान चीनी, चावल गेहूं, गुड़ तथा खाद्य-तेलों के तुलनात्मक खुदरा तथा थोक मूल्य क्या-क्या रहे ; और

(ख) इन वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में निर्दिष्ट महीनों के निर्दिष्ट वस्तुओं के माह अंत के थोक और फुटकर मूल्य क्रमशः विवरण-1 और विवरण-2 में दिए गये हैं।

(ख) सरकार ने स्थिति को सुधारने के लिए पिछले कुछ महीनों के दौरान बहुत से उपाए किए हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचने के लिए केन्द्रीय पूल से अनाज और आयातित खाद्य तेलों की हर मास दी जाने वाली मात्रा में वृद्धि की गई है। उचित दर की दुकानों की संख्या में विशेषकर, सूखाग्रस्त राज्यों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। खाद्य तेलों का आयात करना जारी रखा जा रहा है और चीनी की सीमित मात्रा भी आयात की जा रही है। चीनी और खांडसारी की स्टाक रखने की सीमाएं और भी कम कर दी गयी हैं। गुड़ का वायदा व्यापार स्थगित कर दिया गया है और गुड़ तथा खांडसारी के प्रति बैंक अग्रिमों पर मार्जिन बढ़ा दिये गये हैं। ऋण नीति प्रतिबंधित बनी हुई है। रेलवे द्वारा आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई में सुधार करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। राज्यों द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और उसके अंतर्गत जारी किए गए आदेशों तथा चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय बनाए रखना अधिनियम, 1980 के उपबंधों को लागू किया जा रहा है।

विवरण-1

महानगरों में चावल, गेहूं, चीनी, गुड़ और खाद्य तेलों के मार्च से जून, 1980 के माह अन्त के थोक मूल्य

वस्तु/केन्द्र	किस्म	मात्रक	इन महीनों में माह अन्त के थोक मूल्य			
			मार्च, 1980	अप्रैल, 1980	मई, 1980	जून, 1980
1	2	3	4	5	6	7
चावल						
दिल्ली	बेगमी	रु०/क्विटल	178	188	205	208
कलकत्ता	कानूनी राशन-व्यवस्था लागू है।					
मद्रास	सफेद कार	रु०/क्विटल	207	207	214	221
बंबई	खुले बाजार के अधिकृत मूल्य उपलब्ध नहीं है।					
गेहूं						
दिल्ली	कल्याण	रु०/क्विटल	128	125	130	133
कलकत्ता	कानूनी राशन-व्यवस्था लागू है।					
मद्रास	खुले बाजार के अधिकृत मूल्य उपलब्ध नहीं हैं।					
बंबई	कल्याण	रु०/क्विटल	168	168	163	168
चीनी						
दिल्ली	सी-30	रु०/क्विटल	557	575	625	642
कलकत्ता	डी-30	रु०/क्विटल	535	560	560	610

1	2	3	4	5	6	7
मद्रास	पैरी (ई० 30)	रु०/क्विटल	580	555	550	575
बंबई	सी-30	रु०/क्विटल	580	580	595	600
गुड़						
दिल्ली	ढाईसरा	रु०/क्विटल	240	290	310	375
कलकत्ता	भेली	रु०/क्विटल	220	290	340	400
मद्रास	11-सार्ट	रु०/क्विटल	280	280	340	380
बंबई	कोल्हापुरी	रु०/क्विटल	295	305	400	410
मूंगफली का तेल						
दिल्ली	—	रु०/क्विटल	980	980	1010	980
कलकत्ता	मद्रास	,,	1000	1050	1060	1030*
मद्रास	निष्कर्षित	,,	900	900	982	970
बंबई	तैयार	,,	955	972.50	977.50	1005
सरसों का तेल						
दिल्ली	कच्ची धानी	,,	1078.79	1121.21	1200	1248.48
कलकत्ता	साधारण	,,	1130	1160	1300	1270
मद्रास	उपलब्ध नहीं है।					
बंबई	-वही-					

1	2	3	4	5	6	7
तिल का तेल						
दिल्ली	—	रु०/क्विटल	1050	1250	1400	1300
कलकत्ता	उपलब्ध नहीं है।					
मद्रास	एगमार्क	रु०/क्विटल	1262.50	1481.25	1293.75	1237.50
बंबई	—	"	1140	1350	1300	1300

(स्रोत : आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय)

*13-6-1980 को मूल्य

विवरण-2

महानगरों में चावल, गेहूं, चीनी, गुड और खाद्य तेलों के मार्च, 1980 और जून, 1980 के माह अंत के खुदरा मूल्य ।

मात्रक : रु० प्रति किलोग्राम

वस्तु/केन्द्र	इन महीनों के माह अन्त के खुदरा मूल्य			
	मार्च, 1980	अप्रैल 1980	मई, 1980	जून, 1980
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
चावल (मोटा)				
दिल्ली	2.40	2.40	2.40	2.40
कलकत्ता *	1.90	1.90	1.90	1.90
मद्रास		उपलब्ध नहीं है ।		
बम्बई	2.20	2.20	2.20	2.20
गेहूं				
गेहूं (सफेद)				
दिल्ली	1.75	1.70	1.70	1.70
कलकत्ता	1.45	1.45	1.45	1.45
मद्रास**	1.90	1.90	1.80	1.85
बंबई***	1.46	1.46	1.46	1.49
चीनी				
दिल्ली	5.70	5.85	6.40	6 55
कलकत्ता	5.60	5.80	6.00	6.25
मद्रास	5.85	5.60	5.60	5.85
बंबई	6.00	6.10	6.20	6.20
गुड़				
दिल्ली	2.80	3.20	3.60	4.00
कलकत्ता	2.60	3.40	4.00	4.50
मद्रास	3.00	3.00	3.60	4.20
बंबई	3.70	3.80	4.80	4.80

*ये मूल्य मध्यम किस्म के हैं ।

**ये मूल्य लाल किस्म के हैं ।

***उचित दर की दूकान के मूल्य ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
मूंगफली का तेल				
दिल्ली	12.00	12.00	12.00	12.00
कलकत्ता	16.00	16.00	16.00	18.00
मद्रास	10.00	9.80	9.70	10.20
बंबई	10.60	10.60	10.60	10.80
सरसों का तेल				
दिल्ली	11.60	11.40	12.00	12.60
कलकत्ता	12.50	12.50	13.00	13.00
मद्रास	15.00	16.00	16.00	17.00
बंबई	13.50	13.50	13.50	13.50
तिल का तेल				
दिल्ली	12.50	12.50	18.00	16.50
कलकत्ता	20.00	21.00	22.00	16.00
मद्रास	13.00	13.50	13.50	12.50
बंबई	13.50	13.50	13.50	13.50

बेलाडिला के आस-पास रहने वाले आदिवासी लोगों के उत्थान के लिए विकास योजना

6396. **श्री लक्ष्मण कर्मा** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के बैलाडिला लौह-अयस्क परियोजना निकटवर्ती आस-पास रहने वाले आदिवासी लोगों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए ए समन्वित विकास योजना बनाई है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ग) लौह-अयस्क परियोजना का इन आदिवासी लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा है अं लौह-अयस्क कम्प्लेक्स के कारण कुल कितने गांवों तथा आदिवासियों पर असर पड़ा है, और

(घ) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अब तक क्या-क्या पुनर्वास योजनाएं प्रारम्भ की गई और उनका क्या परिणाम निकाला है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) जानक प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

हावड़ा जिले में बौरिया में स्थित मिलों पर छापा

6397. श्री निरेन घोष :

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला हावड़ा, पश्चिम बंगाल में बोरिया में स्थित फोर्ट ग्लोस्टर न्यू मिल और नार्थ मिल पर दिनांक 3 मई, 1980 को कोई छापा मारा गया था ;

(ख) यदि हां, तो नगद और वस्तु के रूप में बरामद हुए सामान का ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को यह पता है कि तलाशी लेने वाले दल को बढ़िया भोजन और शराब परोसी गई थी ; और

(घ) उक्त छापे में बरामद हुए सामान की पूरी सूची सहित अन्य ब्योरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) कलकत्ता समाहर्त्तालय के, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों ने, पटसन विनिर्मितियों के तैयार शुदा स्टाक और पटसन की रस्सियों की जांच करने के लिए 2-5-1980 को मैसर्स फोर्ट ग्लोस्टर इण्डस्ट्रीज की दि न्यू मिल और दि नार्थ मिल का निरीक्षण किया ।

(ख) पटसन विनिर्मितियों की 25 गांठें और पटसन की रस्सियों का एक पैकेज, जिसका मूल्य कुल मिलाकर 74610.44 रु० था और 40,000 रु० मूल्य की दो कैरियर लारियां, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमों का उल्लंघन किये जाने के अपराध में दि न्यू मिल से पकड़ी गयीं ।

15,120 रुपये मूल्य की जो विनिर्मितियां दि नार्थ मिल से पकड़ी गयीं वे जांच पड़ताल करने पर, स्टाक के लेखे में दिखायी गयी पाई गईं ।

(ग) सरकार को सूचित किया गया है कि मामला, ऐसा नहीं था ।

(घ) दि न्यू मिल और दि नार्थ मिल के स्टाक की वास्तविक जांच करने पर क्रमश: 3766 रु० तथा 25,476 रु० मूल्य की विभिन्न किस्म की पटसन विनिर्मितियां कम पायी गयीं । मिलों के विरुद्ध अपराध के मामले दर्ज किए गए हैं ।

भारतीय व्यापारियों द्वारा वाया नेपाल कलकत्ता पत्तन के माध्यम से भारतीय हल्दी के निर्यात के सम्बन्ध में कदाचार

6398. श्री एन० ई० होरो : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कुछ भारतीय व्यापारी वाया नेपाल कलकत्ता पत्तन के माध्यम से निर्यात के लिए भारतीय हल्दी के सम्बन्ध में कदाचार करते रहे हैं ;

(ख) क्या कदाचार के कुछ मामले सरकार के ध्यान में भी आये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और कदाचर पर रोक लगाने के लिए इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) 1978 में लगभग 420 टन वजन की हल्दी की खेपें, जिनका नेपाल से निर्यात हो रहा था, कलकत्ता कस्टम्स पर इस शक पर रोक ली गई थी कि हल्दी भारतीय उद्भव की है । सीमा शुल्क समाहर्ता ने फैसले के आधार पर 174 मे० टन वजन की खेपों के निर्यात की अनुमति दी है और माल के

जब्त किये जाने का आदेश दिया क्योंकि विशेषज्ञ राय के आधार पर उनको इस बात का समाधान हो गया था कि माल भारतीय उद्भव का है । तथापि, निर्यातकों को सीमाशुल्क विनियमों के अधीन लगाये जा सकने वाले जुर्मानों तथा दण्डों की अदायगी करने पर इन खेपों को छुड़ाने का विकल्प दिया गया । शेष खेपें सन्देह का लाभ देते हुए निर्यात के लिए रिलीज की गई ।

उड़ीसा में पता लगाये गए आय-कर छिपाने के मामले

6400. **श्री के० प्रधानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में गत तीन वर्षों के दौरान आयकर छिपाने के कितने मामलों का पता लगाया गया ;

(ख) प्रत्येक मामले में कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है ; और

(ग) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति अथवा फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बारोत) : (ख) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही और सदन-पटल पर रख दी जायगी ।

1 अगस्त, 1980 को उत्तर दिये जाने के लिये राज्य व्यापार निगम को निर्यात और आयात में हुई हानियां

6401. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम को विगत तीन वर्षों में अपने निर्यात और आयात सौदों में हानियां हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी, वर्षवार, ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने उक्त हानियों के लिये कोई व्यक्तिगत उत्तरदायित्व नियत किया है और यदि हां, तो इस बारे में उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य व्यापार निगम ने कुल मिलाकर अपने सभी निर्यात और आयात सौदों में कोई हानियां नहीं उठाई हैं ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

राष्ट्रीयकृत उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का उत्पादन मूल्य

6402. **श्री के० मालन्ना** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में जिन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हुआ था उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का रुपयों में उत्पादन मूल्य कितना है ;

(ख) इन उद्योगों में लगाये गये श्रमिकों और उत्पादित वस्तुओं के मूल्य के अनुपात के बारे में ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इन उद्योगों का प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या रहा है ; और

(ग) इन उद्योगों के राष्ट्रीयकरण से पहले के तीन वर्षों में इनका प्रति व्यक्ति श्रम-उत्पादन मूल्य क्या था ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) से (ग) यथा उपलब्ध जानकारी का विवरण सभापटल पर रखा जाता है । 1979-80 से सम्बन्धित जानकारी अनन्तिम है ।

विवरण

कम्पनी का नाम	राष्ट्रीयकरण का वर्ष	उत्पादन मूल्य (लाख रु० में)			उत्पादन मूल्य प्रति कर्मचारी (लाख रुपयों में)					
		1979-80	1978-79	1977-78	1979-80	1978-79	1977-78	1976-77	1975-76	1974-75
1. स्मिथ स्टानीस्ट्रीट फार्मेस्यूटिकल्स लि०	1977-78	605	570	453	0.57	0.54	0.43	0.42	0.37	0.18
2. मैंगनीज ओर (इण्डिया) लि०	1977-78	900	1184	1007	0.07	0.09	0.08	0.07	0.06	0.04
3. मैसूर पोर्सलेन्स लि०	1977-78	804	612	707	0.51	0.39	0.47	0.29	0.24	0.19
4. लगन जूट मशीनरी कम्पनी लि०	1978-79	276*	209	231	—	0.38	0.41	—	—	—
5. भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लि०	1978-79	266	142	173	0.40	0.22	0.25	0.25	0.19	0.17

*नवम्बर 1978 से मार्च 1980 की अवधि के लिए।

कोटा, जयपुर तथा अजमेर नगरों का दर्जा बढाना

6403. **श्री सतीश अग्रवाल :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर में हाल ही में हुए एक सम्मेलन में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों ने मांग की थी कि जयपुर को ख-1 श्रेणी का नगर घोषित किया जाना चाहिए और कोटा तथा अजमेर नगरों को भी ख-2 नगर घोषित किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को नगर प्रतिपूर्ति भत्ता देने के प्रयोजन से नगरों को ख-1 तथा ख-2 घोषित करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाये जाते हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने उक्त मांग पर विचार किया है और यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) इसके सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ते की मंजूरी के प्रयोजन के लिए बी-1 और बी-2 श्रेणी के रूप में नगरों का वर्गीकरण, जहां भी वे विद्यमान हैं, उनके शहरी समूह के भीतर की जनसंख्या अथवा अन्यथा नगरपालिका की सीमाओं के भीतर की जनसंख्या क्रमशः 8 लाख और 4 लाख से अधिक होने पर किया जाता है । कुछ ऐसे नगर जिनकी 1971 की जनगणना जनसंख्या 4 लाख से सीमान्तिक रूप से कम है उनको भारत के महापंजीयक द्वारा भेजे गये मध्य-जनगणना अनुमानों के आधार पर बी-2 श्रेणी नगर के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है । राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त परामर्शदाता तंत्र) के कर्मचारी पक्ष के साथ परामर्श करके निर्धारित किये गये मानों को ध्यान में रखते हुए, असाधारण रूप से महंगे नगरों में तैनात केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को बी-2 श्रेणी की दरों पर नगर (प्रतिपूर्ति) भत्ते की अदायगी के लिए भी नगरों पर विचार किया जाता है ।

(ग) असाधारण महंगेपन के आधार पर अजमेर में तैनात केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को 1-8-79 से बी-2 श्रेणी की दरों पर नगर प्रतिपूर्ति भत्ते की मजूरी दे दी गई है । चूंकि जयपुर और कोटा के 1971 की जनसंख्या के आंकडे क्रमशः 8 लाख और 4 लाख से कम पड़ते हैं इसलिए उनका क्रमशः बी-1 और बी-2 के रूप में दर्जा बढ़ाने पर विचार नहीं किया जा सकता ।

फरक्का बराज परियोजना, पश्चिम बंगाल के फालतू घोषित किए गए कर्मचारियों को खपाया जाना

6404. **श्री ए० यू० आजमी :** क्या वित्त मन्त्री फरक्का बराज परियोजना, पश्चिम बंगाल के फालतू किये गये कर्मचारियों को रक्षा लेखे (फैक्टरियां) नियंत्रक, कलकत्ता द्वारा खपाये जाने के बारे में 31 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5015 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वरिष्ठता का प्रश्न उन कर्मचारियों के हक में अभी भी तय नहीं किया गया है जिनकी अर्हताओं के बारे में पहले सरकारी आदेशों के द्वारा छूट दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इन कर्मचारियों से कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं ; और

(ग) रक्षा लेखे (फैक्टरियां) नियंत्रक के कार्यालय में पदभार ग्रहण करने वाले सभी कर्मचारियों को उनकी वरिष्ठता के बारे में फरक्का बराज परियोजना, पश्चिम बंगाल में उन के पद ग्रहण की तिथि के अनुसार वरिष्ठता देने के सम्बन्ध में क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) और (ख) जी, नहीं। विवादास्पद कर्मचारियों की वरीयता वर्तमान नियमों के अनुसार निर्धारित की जा चुकी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बंगाल राष्ट्रीय कपड़ा मिल लिमिटेड, फरीदाबाद का बन्द किया जाना

6405. श्री सुशील भट्टाचार्य : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरीदाबाद की बंगाल राष्ट्रीय कपड़ा मिल लिमिटेड के प्रबन्धकों ने मिल बन्द करने का निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) बंगाल नेशनल टैक्सटाइल मिल्स, फरीदाबाद के प्रबंधकों ने भारी वित्तीय हानियों और बाजार की समग्र स्थिति को देखते हुए, जिनके अनुसार निकट भविष्य में कारखाने के अर्थक्षम होने की बहुत कम गुँजाइश है, मिल को बन्द करने के बारे में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत हरियाणा की राज्य सरकार को नोटिस दिया है।

तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन

6406. श्री ईरा अनबारासु : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनता सरकार द्वारा तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री के विरुद्ध विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन की कानूनी कार्यवाही रोक दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो कार्यवाही किन आधारों पर रोकी गई थी ; और

(ग) क्या मुख्य मन्त्री के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने हेतु मन्त्री महोदय नये सिरे से जांच के आदेश देंगे ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) और (ख) प्रवर्तन निदेशालय ने तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमन्त्री श्री एम० जी० रामचन्द्रन के खिलाफ विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन के अपराध में इस्तगासे अथवा विभागीय न्याय-निर्णयन की कोई कार्यवाही शुरू नहीं की। लेकिन, मैसर्स एमजीयार पिक्चर्स (प्रा०) लि० और इसके प्रबंध निदेशक श्री एम० जी० रामचन्द्रन द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन किये जाने के आरोप सम्बन्धी सूचना मिलने पर, प्रवर्तन निदेशालय ने जांच-पड़ताल की, लेकिन आरोप साबित न हो सका। इसलिए, मार्च 1979 में मामले को बन्द हुआ समझा गया।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों को केन्द्रीय सहायता

6407. **श्री चित्त महाटा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्यों को केन्द्रीय सहायता में कटौती करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों के गैर योजना राजस्व के अन्तर को पूरा करने हेतु सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) केन्द्र से राज्यों को वित्तीय संसाधनों के राज्यों के राजस्व को अन्तरण की अधिक मात्रा केन्द्रीय करों के शेयर और सहायता अनुदान के रूप में होती है और यह वित्त आयोग की सिफारिशों द्वारा अधिशासित होती है। इस संबंध में सातवें वित्त आयोग की सिफारिशें केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार की गई और तद-नुसार अन्तरण किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त राज्यों को राज्य आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाती है। चालू वर्ष के बजट में राज्यों की आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के लिए व्यवस्था पिछले वर्ष की व्यवस्था पर पर्याप्त वृद्धि दर्शाती है। राज्यों को केन्द्रीय सहायता कम करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) सातवें वित्त आयोग के निर्धारण में आठ राज्य ऐसे पाये गये जिनमें 1979-80 से 1983-84 तक की अवधि के लिए आयोजना भिन्न राजस्व में अन्तराल था। आयोग ने सिफा-रिश की कि राज्यों के राजस्व खाते में घाटे की राशि के बराबर राज्यों को सहायता अनुदान दिया जाए। आयोग की सिफारिशें केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार की गई और तदनुसार सहायता अनुदान दिये जा रहे हैं।

राज्यों को केन्द्रीय कर में उनका भाग दिया जाना

6408. **श्री आर० आर० मोले** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को केन्द्रीय कर में से दिया जाने वाला उनका भाग किसी वर्ष के लिए केन्द्रीय सरकार के वार्षिक बजट में दिखाई गई अनुमानित वसूली के आधार पर, जिसे पुनरीक्षित प्राक्कलन में संशोधित किया जा सकता है, अस्थायी तौर पर राज्यों को वितरित किया जाता है ;

(ख) क्या प्रत्येक राज्य के भाग का अन्तिम समायोजन तब किया जाता है जब वसूली की प्रमाणित राशि उपलब्ध हो जाती है और राज्य को अगले वर्ष अतिरिक्त भुगतान किया जाता है ;

(ग) क्या 41.09 करोड़ रुपये के आयकर की राशि का वर्ष 1972-73 से 1977-78 के दौरान समायोजन नहीं किया गया है ;

(घ) क्या उत्पादन शुल्क का समायोजन भी वर्ष 1975-76 से नहीं किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार का विचार सभी बकाया राशि राज्यों को कब तक देने का है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) जी, हां।

(ख) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्रमाणित आंकड़ों की प्राप्ति पर ही प्रत्येक राज्य को अन्तिम रूप से दी जाने वाली रकमों का हिसाब लगाया जाता है और आवश्यक समायोजन किये जाते हैं।

(ग) नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने वर्ष 1972-73 से 1975-76 तक के आयकर की निवल प्राप्तियों के प्रमाणित आंकड़े अभी हाल ही में भेजे हैं। इन आंकड़ों के आधार पर 1972-73 से 1975-76 तक के चार वर्षों में सभी राज्य सरकारों को अनन्तिम रूप से पहले से की गई अदायगियों को देखते हुए उनसे 20.97 करोड़ रुपये की कुल रकम वसूल की जानी है। चालू वर्ष में आवश्यक समायोजन कर दिये जायेंगे। 1976-77 तथा 1977-78 के वर्षों के संबंध में नियंत्रक महालेखा परीक्षक से प्रमाणित आंकड़े अभी प्राप्त होने हैं।

(घ) वर्ष 1975-76 के लिए उत्पाद शुल्कों की निवल प्राप्ति की रकमों में से राज्यों को उनके हिस्से के रूप में दी जाने वाली रकमों को अन्तिम रूप दे दिया गया है और यह रकमें उन्हें चुका दी गई हैं। इसके बाद के वर्षों के लिए नियंत्रक महालेखा परीक्षक से प्रमाणित आंकड़े अभी प्राप्त होने हैं और इनके प्राप्त होने पर ही आवश्यक अन्तिम समायोजन किये जाएंगे।

(ङ) प्रमाणित आंकड़ों के प्राप्त होने पर ही विभिन्न राज्यों को दी जाने वाली बकाया रकमें, अगर कोई होंगी तो उन्हें दे दी जायेंगी।

इस्पात प्राधिकरण, विशाखापत्तनम में रोजगार

6409. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को पता है कि इस्पात प्राधिकरण, विशाखापत्तनम ने रोजगार कार्यालय, विशाखापत्तनम से नाम मंगाये बिना अपने कार्यालय में लगभग 20 स्नातक नियुक्त किये थे ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि उक्त व्यक्ति आन्ध्र विश्वविद्यालय के एक अथवा दो विभागों से सीधे भर्ती किये गये थे ; और

(ग) यदि हां तो सरकार का विचार क्या सुधारात्मक उपाय करने का है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना ने रोजगार कार्यालय से नाम मंगाए बिना आन्ध्र विश्वविद्यालय विशाखापत्तनम के विभिन्न विषयों के 21 स्नातक भर्ती किये थे और उन्हें 650-1142 रुपये के वेतनमान में तकनीकी सहायक के पदों पर नियुक्त किया था।

(ग) भारत सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए निर्धारित भर्ती नीति के अनुसार उन पदों की भर्ती, जिनका अधिकतम वेतनमान 800 रुपये से अधिक होता है, रोजगार दफ्तर के माध्यम से करनी अपेक्षित नहीं है, यद्यपि उनको रिक्तियों की सूचना रोजगार दफ्तर को भेजनी होती है।

सरकार ने सेल को उचित निर्देश जारी कर दिये हैं ताकि भविष्य में नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 के अनुसार ठीक प्रक्रिया का पालन किया जाय/अपनाई जाय।

बिजली बोर्डों के उपयोग तथा सिंचाई परियोजनाओं के लिए इस्पात का आबंटन

6410. **श्री वी० एस० विजयराघवन :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिजली बोर्डों के उपयोग हेतु तथा सिंचाई परियोजनाओं के लिए इस्पात की कुल कितनी मात्रा आबंटित की गई और उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है,

(ख) उक्त प्रयोजन हेतु केरल को कितना इस्पात आबंटित किया गया ;

(ग) क्या यह सच है कि केरल राज्य की इस्पात पिण्डों की सप्लाई प्राइवेट पार्टियों के माध्यम से की गई जिसके परिणामस्वरूप सरकार को भारी हानि हुई ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) वितरण पर किसी प्रकार का नियंत्रण न होने से आबंटन करने की कोई व्यवस्था नहीं है। फिर भी, वर्ष 1979-80 के दौरान इन क्षेत्रों को कुल 557,400 टन इस्पात सप्लाई किया गया था। राज्यवार आंकड़े नीचे दिये गये हैं :—

क. विद्युत बोर्ड

राज्य का नाम	(हजार टन) मात्रा
1	2
1. मध्य प्रदेश	60.7
2. कर्नाटक	3.2
3. महाराष्ट्र	62.1
4. उड़ीसा	16.5
5. पंजाब	17.1
6. राजस्थान	34.3
7. उत्तर प्रदेश	41.8
8. पश्चिमी बंगाल	14.4
9. तमिलनाडू	24.7
10. आन्ध्र प्रदेश	27.6
11. बिहार	13.1

1	2
12. गुजरात	37.8
13. केरल	5.7
14. हिमाचल प्रदेश	4.8
15. मेघालय	0.2
16. असम	4.3
17. हरियाणा	13.4
	381.7
(ख) सिंचाई परियोजनाएं	
1. आन्ध्र प्रदेश	8.5
2. असम	1.1
3. बिहार	26.7
4. दिल्ली	4.9
5. गुजरात	29.2
6. हिमाचल प्रदेश	—
7. हरियाणा	3.5
8. जम्मू-कश्मीर	8.7
9. केरल	4.3
10. कर्नाटक	1.7
11. मध्य प्रदेश	6.4
12. महाराष्ट्र	7.8
13. उड़ीसा	5.2
14. पंजाब	5.8
15. राजस्थान	4.4
16. तमिलनाडू	0.3
17. त्रिपुरा	0.8
18. उत्तर प्रदेश	44.4
19. पश्चिमी बंगाल	12.0
	175.7

(ग) और (घ) केरल में किसी प्राइवेट पार्टी को इस्पात पिण्ड सप्लाई नहीं किये गये हैं। कुछ प्राइवेट पार्टियों ने विद्युत बोर्डों तथा सिंचाई परियोजनाओं के कार्यों के लिए इन बोर्डों/परियोजनाओं द्वारा जारी किये गये अनिवार्यता प्रमाण-पत्रों के आधार पर स्टाकयार्डों से अन्य सामग्री प्राप्त की है। इस प्रकार की सप्लाई से सरकार को किसी प्रकार की हानि होने की रिपोर्ट नहीं मिली है।

बम्बई और मद्रास के बीच कैरावेल सेवा

6411. **श्री नवीन रवाणी :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने बम्बई और मद्रास के बीच एक दैनिक कैरावेल सेवा चलाने के लिए एक प्राइवेट कम्पनी को अनुमति देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सरकार की नीति के विपरीत नहीं है ; ऐसे करार का ब्योरा क्या है ;

(ग) इंडियन एयरलाइन्स ने कुछ मांगों पर अत्यधिक मांग होने के बावजूद भी विमान को क्यों बेचा ;

(घ) वह प्राइवेट कम्पनी कौन सी है, उसका विमानन व्यवसाय रिकार्ड कैसा है तथा अन्य ब्योरा क्या है ; और

(ङ) क्या सरकार प्राइवेट सैक्टर के लिए अन्य रूट खोलने के बारे में भी विचार कर रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) बम्बई/मद्रास मार्ग पर यातायात की मांग को पूरा करने के लिये इन्डियन एयरलाइन्स ने अस्थायी आधार पर मैसर्स पुष्पक एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई से एक कैरॉवल विमान, जोकि पहले उन्हें इन्डियन एयरलाइन्स द्वारा ही बेचा गया था, 17 जून, 1980 से अपनी उड़ान संख्या के साथ सप्ताह में चार बार परिचालित करने के लिए पट्टे पर लिया। पट्टे की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है।

(ग) इन्डियन एयरलाइन्स ने कैरावेले विमान को इसलिये हटा लिया क्योंकि इसे परिचालनों के लिए अलाभप्रद पाया गया।

(घ) कम्पनी का नाम पुष्पक एविएशन प्रा० लि०, बम्बई है जोकि एक गैर-अनुसूचित परिचालक कम्पनी है। कम्पनी 1970 से विमानन कारोबार में लगी हुई है। कम्पनी के पास तीन हैलीकॉप्टर हैं जिनका कि फसलों पर छिड़काव तथा ग्राम विमानन के लिये प्रयोग किया जा रहा है।

(ङ) किसी भी निजी पार्टी को इन्डियन एयरलाइन्स द्वारा परिचालित मार्ग पर परिचालन की अनुमति नहीं दी जायेगी, परन्तु जब भी इंडियन एयरलाइंस की क्षमता में कमी होगी, उसे पूरा करने के लिये इन्डियन एयरलाइन्स निजी परिचालकों के पट्टे पर विमान ले सकती है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक-मंडलों का पुनर्गठन

6412. श्री छीतूभाई गामित : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडलों का पुनर्गठन होना है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ; और

(ग) इन नियुक्तियों के लिए क्या मानक अपनाये जाते हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) और (ख) 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडलों को पिछली बार अक्तूबर-दिसम्बर 1977 में, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके "राष्ट्रीयकरण योजना" के उपबंधों के अनुसार पुनर्गठित किया गया था। इन निदेशक मण्डलों का वर्तमान कार्यकाल अक्तूबर-दिसम्बर 1980 में समाप्त होने वाला है। इन मण्डलों को यथासमय पुनर्गठित किया जायेगा।

6 नये राष्ट्रीयकृत बैंकों के बारे में, बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश, 1980 की धारा 7(3) के अन्तर्गत सरकार द्वारा गठित किये गये प्रथम निदेशक मण्डल ही अभी तक कार्य कर रहे हैं। इन निदेशक मण्डलों को, इन बैंकों के लिये राष्ट्रीयकरण योजना को अन्तिम रूप दे दिये जाने के तुरन्त बाद ही व्यापक निदेशक मण्डलों द्वारा प्रति-स्थापित कर दिया जायेगा।

(ग) 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में निदेशकों की नियुक्ति, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) योजना, 1970 की धारा 3 में दिये गये उपबन्धों के अनुसार की जाती है। योजना की धारा 3 का उद्धरण संलग्न है : (अनुबन्ध)। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1203/80]

छोटे-मोटे मसालों की कीमत में कमी

6413. श्री के० कुन्हम्बु : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लौंग, जायफल तथा दालचीनी जैसे छोटे-मोटे मसालों की कीमतों में 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक की कमी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ; और

(ग) कीमतों में कमी को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) लौंग की कीमतों में वृद्धि हुई है। जायफल तथा दालचीनी की कीमतें कृषि मंत्रालय के आर्थिक तथा सांख्यिकीय निदेशालय द्वारा संकलित नहीं की जाती।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सोंठ (ड्राइड जिंजर) जायफल और लौंग का मूल्य

6414. श्री जार्ज जोसेफ मुंडाकल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि तीन वर्षों में सोंठ, जायफल और लौंग के मूल्य 30 प्रतिशत गिर गये हैं ; और

(ख) इस बात के क्या कारण हैं कि सरकार न्यूनतम मूल्य निर्धारित करके किसानों के हितों की रक्षा नहीं कर रही है और राज्य व्यापार निगम अथवा मार्केटिंग फेडरेशन के माध्यम से ये मसाले नहीं खरीद रही है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सोंठ के मूल्य में गिरावट आई है, जायफल का मूल्य स्थिर रहा है जबकि लौंग के मूल्य में घरेलू बाजार में वृद्धि हुई है।

(ख) सरकार कृषि मूल्य आयोग की सिफारिश पर रुई, पटसन, मूंगफली, सोयाबीन, सरसों आदि मुख्य कृषि वस्तुओं के लिये, जो कई राज्यों में बड़े क्षेत्रों में उगाई जाती हैं, न्यूनतम समर्थन कीमतें निर्धारित करती रही है।

भिलाई संयंत्र (रिफ्रैक्टरी) की कमजोर नींव

6415. श्री नन्द किशोर शर्मा : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भिलाई (रिफ्रैक्टरी) संयंत्र जो कि कुछ दिनों में शुरू होने वाला है, की नींव इतनी कमजोर है कि किसी भी समय दुर्घटना हो सकती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके कारणों का पता लगाने हेतु सरकार का विचार कोई जांच कराने का है ; और

(ग) क्या इसका पुनर्निर्माण किया जाएगा और यदि हां, तो उस पर कितना अतिरिक्त खर्च होगा ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) परियोजना प्राधिकारियों की रिपोर्ट के अनुसार नींव में धंस जाने की कोई आशंका नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

भारत और विदेशों में सामान्य बीमा का पुन: बीमा किया जाना

6416. श्री एस० ए० दोराई सेबस्तियन :

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य बीमा निगम और उसकी सहायक कम्पनियों के पास भारत और विदेशों में सामान्य बीमा का सीधे ही पुनर्बीमा करने के लिए अपना निजी तंत्र है ;

(ख) यदि हां, तो यह बीमा दलालों/एजेन्टों के द्वारा क्यों किया गया था ;

(ग) क्या यह सच है कि 1973 के बाद विदेशी बाजार में पुनर्बीमा का काफी बड़ा भाग बम्बई के मैसर्स जे० बी० बौढ़ा एण्ड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड के द्वारा कराया गया था ; और

(घ) इस कम्पनी को वर्ष 1973 से प्रत्येक वर्ष कितनी कमीशन/ दलाली दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) और (ख) साधारण बीमा निगम और इसकी सहायक कम्पनियों ने भारत में अपने पुनर्बीमा कारबार के लिए दलाल नियुक्त नहीं किया है ।x

साधारण बीमा निगम और इसकी सहायक कम्पनियों द्वारा भारत के बाहर पुनर्बीमा कारबार या तो सीधे पुनर्बीमा कम्पनियों के अथवा दलालों के माध्यम से किया जाता है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि कारबार किस प्रकार का है, ऐसे पुनर्बीमा के लिए बाजार कितना है और प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय प्रथाएं क्या है ।

(ग) निम्नलिखित सारणी में भारत से बाहर किए गए पुनर्बीमे के प्रीमियम की कुल रकम और मैसर्स जे० बी० बौढ़ा के माध्यम से किए गए पुनर्बीमे के प्रीमियम की राशि दिखाई गई है :

करोड़ रुपए

वर्ष	भारत से बाहर किए गए पुनर्बीमे के प्रीमियम की कुल रकम	मैसर्स जे० बी० बौढ़ा के माध्यम से किए गए पुनर्बीमे के प्रीमियम की रकम
1973	24.3	3.0
1974	36.5	4.1
1975	41.9	4.4
1976	54.0	6.7
1977	60.2	7.1
1978	60.8	7.4
1979	70.7	7.4

(घ) दलालों के माध्यम से किए गए पुनर्बीमे के लिए भारतीय बीमा कम्पनियों को कोई कमीशन अथवा दलाली अदा नहीं की जाती क्योंकि ऐसी अदायगियां ग्राही विदेशी कम्पनियों द्वारा की जाती हैं ।

बिहार में केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधिकार में ली गई स्पिनिंग मिलों की संख्या

6417. श्रीमती कृष्णा साही : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधिकार में ली गई स्पिनिंग मिलों की संख्या कितनी है ;

(ख) वर्तमान उत्पादन कितना है और अतिरिक्त तकलों (सिपण्डल) की स्थापना का मंजूरशुदा कार्यक्रम क्या है ; और

(ग) राज्य में यार्न की बढ़ती हुई मांग पूरी करने के लिये वर्तमान मिलों का विस्तार करने और नई मिलों की स्थापना करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने मिश्रित मिल के अतिरिक्त बिहार में एक कताई मिल का अधिग्रहण किया है।

(ख) तथा (ग) बिहार में विद्यमान सूती मिलों के धागे का औसत मासिक उत्पादन लगभग साढ़े चार लाख कि० ग्रा० है। राज्य सरकार ने इस राज्य में और कताई एककों की स्थापना के लिये वस्त्र निगम स्थापित किया है और इस निगम ने बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम के साथ मिलकर 25,000-25,000 तकुओं वाले तीन कताई एकक स्थापित करने के लिये कदम उठाए हैं। इन उपायों से इस राज्य में धागे की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में सहायता मिलेगी।

दार्जिलिंग चाय उद्योग की पुनःस्थापना

6418. श्री निहाल सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाय बोर्ड ने दार्जिलिंग चाय उद्योग की पुनःस्थापना के लिये कितनी धनराशि मंजूर की है ; और

(ख) इस धनराशि का उपयोग किन प्रयोजनों के लिये किया जायेगा ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) चाय बोर्ड द्वारा अपनी विकास योजनाओं के अन्तर्गत, दार्जिलिंग के चाय उद्योग को मार्च, 1980 तक स्वीकृत ऋण की कुल राशि 244.27 लाख रु० है। चाय बोर्ड ने अपनी पुनर्रोपण और जीर्णोद्धार उपदान योजना के अन्तर्गत दार्जिलिंग में 1097.35 हेक्टार क्षेत्र भी अनुमोदित किया है। चाय बोर्ड द्वारा स्वीकृत किये गये ऋण और उपदान विस्तार, पुनर्रोपण और बदलाव रोपण, मशीनरी और सिंचाई के उपकरणों की खरीद, चाय की पुरानी झाड़ियों के जीर्णोद्धार के लिये छटाई, मराई और अन्तःरोपण तथा चाय क्षेत्रों की चकबन्दी के लिये है।

केन्द्रीय सरकारी सेवाओं में ग्रुप "ए" में पदोन्नति के लिये सतर्कता मंजूरी

6419. श्री के० लकप्पा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त को केन्द्रीय सरकारी सेवाओं में ग्रुप "ए" में सभी अधिकारियों के लिये, उनकी उच्च स्तरों पर पदोन्नति के लिये विचार किये जाने से पूर्व, सतर्कता मंजूरी देनी पड़ती है ;

(ख) क्या यह प्रक्रिया वर्ष 1977, 1978 और 1979 में शरारतपूर्ण ढंग से अपनाई गई थी जब वित्त मंत्रालय ने केन्द्रीय उत्पादन और सीमा शुल्क के विभिन्न निदेशालयों में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमाशुल्क के उप कलक्टर के ग्रेड से निदेशक (कलक्टर-लेवल II) के ग्रेड में पदोन्नतियां की थीं ;

(ग) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त का प्रतिवेदन दर्शाता है कि उपरोक्त वर्ग (ख) में पड़ने वाले कुछ अधिकारियों के मामले में यह पद्धति शरारतपूर्ण ढंग से नहीं अपनाई गई थी और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इन कदाचारी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) तथा (ख) ऐसे कोई अनुदेश नहीं हैं, जिनके अन्तर्गत केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त द्वारा केन्द्रीय सरकारी सेवाओं के समूह "क" के सभी अधिकारियों के संबंध में, उच्चतर पदों पर पदोन्नति के लिए उनके मामले पर विचार किये जा सकने से पूर्व, सतर्कता की दृष्टि से अनुमति दी जानी होती हैं। किन्तु, निर्धारित कार्यविधि के अनुसार, संबंधित मन्त्रालय/विभाग द्वारा, जिन अधिकारियों के नाम उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिये विचार-सूची में हों, उन सभी के संबंध में, सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र विभागीय पदोन्नति समिति को पेश किया जाना होता है। यदि किसी अधिकारी की, जिसका नाम विचार-सूची में है, सत्यनिष्ठा के बारे में सन्देह हो तो तथ्य विभागीय पदोन्नति समिति की जानकारी में लाया जाता है। विभागीय पदोन्नति समितियों की वर्ष 1977, 1978 तथा 1979 में हुई बैठकों के संबंध में निर्धारित कार्यविधि का पालन किया गया है, जिसके आधार पर सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के उप समाहर्ता ग्रेड से सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क, समाहर्ता लेवल-II ग्रेड में पदोन्नतियां की गई थीं।

(ग) प्रश्नगत अवधि से संबंधित केन्द्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्टों में ऐसा कोई मामला सरकार के देखने में नहीं आया है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

सांख्यिकीय प्रभाग में एक ही स्थान पर कार्य कर रहे व्यक्तियों के नाम

6420. **श्री राम विलास पासवान** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य नियन्त्रक, आयात और निर्यात के कार्यालय में, विशेष रूप से सांख्यिकीय विभाग में, कर्मचारी कई वर्षों से एक ही पद पर कार्य कर रहे हैं ;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप वहां भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) मुख्य नियन्त्रक, आयात तथा निर्यात के संगठन में, जिसमें सांख्यिकीय प्रभाग भी शामिल है, 5 वर्षों अथवा उससे अधिक समय तक एक ही जगह पर काम कर रहे व्यक्तियों के कुछ उदाहरण हैं।

(ख) इस प्रकार के अनुमान को न्यायोचित ठहराने के लिये कोई सबूत नहीं है।

(ग) जहां विशिष्ट/तकनीकी विशेषज्ञता प्राप्ति के कारण रोकना आवश्यक होता है या जहां काम की अत्यावश्यकता अपेक्षित होती है या इक्के-दुक्के पदों के मामले को छोड़कर उचित समयावधि के बाद स्टाफ का बारी-बारी से बदलने के प्रयास किये जाते हैं।

सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति

6421. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार

निगम जैसे सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में कितनी राशि दी गई है ;

(ख) ऐसे कितने व्यक्तियों का पता चला है जिन्होंने जाली बिल प्रस्तुत करके प्रतिपूर्ति प्राप्त की है ; और

(ग) उनके खिलाफ क्या कानूनी कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) वर्षवार ब्यौरे निम्नलिखित अनुसार हैं :

वर्ष	राशि (लाख रु० में)	
	रा० व्या० नि०	ख० धा० व्या० नि०
1977-78	21.89	24.47
1978-79	26.69	20.54
1979-80 (अनन्तिम)	31.80	33.70

(ख) ऐसा कोई मामला जानकारी में नहीं आया ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मंत्रियों द्वारा विदेशों के दौरे

6422. श्रीमती प्रमिला दण्डवते : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रियों, राज्य-मंत्रियों तथा उप-मंत्रियों की पत्नियों को विदेशी दौरों पर जाने वाले अपने पतियों के साथ जाने की अनुमति होती है,

(ख) क्या उक्त सुविधा उन्हें विमान द्वारा यात्रा के मामले में भी मिलती हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो जनवरी, 1980 से अब तक किन किन मंत्रियों, राज्य मंत्रियों तथा उप-मंत्रियों ने विदेशों के दौरे किये और कितने-कितने दौरे किये ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) और (ख) सरकारी दौरे पर विदेश जाते समय किसी भी हैसियत के मंत्री के लिए अपनी पत्नियों को सरकारी खर्च पर अपने साथ ले जाने की नियमों में कोई व्यवस्था नहीं है । परन्तु विशिष्ट मामलों में ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है । बाद की किस्म के मामलों के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा संभव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) 1 जनवरी, 1980 से 31 जुलाई, 1980 तक की अवधि के लिए अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा संभव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

चीन द्वारा मशीनरी की पेशकश

6423. श्री रघुनंदन लाल भाटिया : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने भारत को शीघ्र ही बड़ी तादाद में विभिन्न किस्म की मशीनी पुर्जों का निर्यात करने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी व्योरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राजधानी में भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटलों में अंग्रेजी टेलीप्रिंटर्स

6424. श्री एच० एन० नन्जे गौडा :

श्री के० लकप्पा : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटलों में गैर-हिन्दी भाषी लोगों की सुविधा के लिए अंग्रेजी का कोई टेलीप्रिंटर नहीं लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं , और

(ग) क्या गैर-हिन्दी भाषी लोगों की सुविधा के लिए अंग्रेजी के टेलीप्रिंटर्स लगाने का विचार है और यदि हां, तो कब, और यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) जी, नहीं । भारत पर्यटन विकास निगम ने दिल्ली में निगम द्वारा फिलहाल संचालित किए जा रहे 6 होटलों में से दो होटलों में इंग्लिश टेलीप्रिंटर और एक होटल में हिन्दी टेलीप्रिंटर की व्यवस्था कर दी है ।

(ग) जी, नहीं । किफायत के कारण ।

कलकत्ता कस्टम हाउस

6425. श्री मुकुन्द मण्डल : क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक वक्तव्य सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि कलकत्ता कस्टम हाउस में भ्रष्टाचार तथा अनियमितताये हो रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो तीन वर्षों के दौरान हुए ऐसे मामलों का पूरा ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी ।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में वस्तुओं की खरीद के सम्बन्ध में अनियमितताएं

6426. श्री बृजमोहन महन्ती : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों तथा सरकारी क्षेत्र के होटलों में वस्तुओं की खरीद के संबंध में अनियमितताओं के कितने मामले वर्ष 1977-78, 1978-79, 1979-80 के दौरान सरकार के ध्यान में लाये गये ;

(ख) ऐसे कितने मामलों की जांच की जा रही है और ऐसे प्रत्येक मामले का ब्योरा क्या है ; और

(ग) सभी होटलों में खरीद के संबंध में समान प्रक्रिया आरम्भ करने के बारे में यदि कोई कार्यवाही की गयी है, तो वह क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चंद्राकर) : (क) केवल भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में वस्तुओं की खरीद के संबंध में अनियमितताओं के 7 मामले सरकार के ध्यान में लाए गए हैं ।

(ख) दिल्ली में होटलों के लिए नए माल की खरीद के बारे में भ्रष्टाचार के आरोपों संबंधी केवल एक मामले की जांच की जा रही है ।

(ग) खरीद और स्टोर के संबंध में समान प्रक्रिया लागू है । जब कभी कोई अनियमितताएं ध्यान में आती हैं, तब उपचारात्मक कार्यवाही की जाती है ।

बारमाल्ट (आई) प्राइवेट लिमिटेड, गुड़गांव द्वारा स्थापित संयंत्रों और मशीनों का मूल्यांकन

6427. श्री विजय कुमार यादव : क्या वित्त मंत्री केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों द्वारा बारमाल्ट (आई) प्रा० लि० पर जुर्माना लगाने के बारे में 20 जून, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1496 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पादन, शुल्क अधिकारियों द्वारा बारमाल्ट (आई) लि० गुड़गांव में स्थापित संयंत्र और मशीनों के आंकड़ों और ब्योरों के साथ आयकर अधिकारियों ने मूल्य की तुलना कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय उत्पादन शुल्क द्वारा दिये गये आंकड़े सही पाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

नए राशन कार्डों के लिए आवेदन-पत्र

6428. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में नए राशन कार्ड के लिये आवेदन देने वाले को किन-किन शर्तों को पूरा करना होता है ;

(ख) खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग, कर्जन रोड, नई दिल्ली के जोनल कार्यालय को 1980 में जनवरी से जून तक (मास-वार) नए राशन कार्डों के लिये कितने आवेदन प्राप्त हुए ;

(ग) कितने आवेदकों को राशन कार्ड जारी किए गये ;

(घ) क्या सरकार को पता है कि ऐसे आवेदकों को, जो नए राशन कार्ड के लिये अथवा किसी परिवर्तन के लिये आवेदन-पत्र लेकर आते हैं, असम्बद्ध प्रश्न पूछे जाते हैं, परेशान किया जाता है और उनको बार-बार आने को कहा जाता हैं ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इस पर नजर रखते और यह सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक कदम उठाने का है कि आवेदकों को अविलम्ब नए राशन कार्ड जारी किये जायें ?

नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) दिल्ली में खाद्य कार्ड जारी करने का कार्य दिल्ली विनिर्दिष्ट खाद्य वस्तुएं (विनियमन तथा वितरण) आदेश, 1968 के अन्तर्गत नियमित होता है । इस आदेश के अनुसार संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में स्थायी रूप से रहने वाले अथवा रहने का इरादा रखने वाले किसी भी व्यक्ति, जो घरेलू खाद्य कार्ड लेना चाहता है, को निर्धारित फार्म में उस स्थान के मण्डल कार्यालय को आवेदन करना होता है जहां वह रहता है अथवा उसका रहने का इरादा है और आवश्यक सत्यापन करने के बाद उसे खाद्य कार्ड जारी कर दिया जाता है । इसके अलावा, बेघर व्यक्ति, जिसके रहने का कोई निश्चित अथवा अभिज्ञेय ठिकाना नहीं है, को भी अस्थायी घरेलू खाद्य कार्ड (बेघर) जारी किया जाता है । ऐसे खाद्य कार्ड एक बार में तीन महीने की अवधि के लिये वैध होते हैं और इनकी वैधता की अवधि एक बार में तीन महीने अथवा कम अवधि, जैसा भी उपयुक्त हो, के लिये बढ़ायी जा सकती है ।

(ख) व (ग) एक विवरण संलग्न है ।

(घ) व (ङ) हाल में इस प्रकार की कोई शिकायत सरकार की दृष्टि में नहीं आई है । दिल्ली प्रशासन द्वारा आवेदकों को खाद्य कार्ड बिना देरी किये जारी करने के बारे में अनुदेश पहले ही दिये जा चुके हैं ।

विवरण

माल	दिल्ली प्रशासन के खाद्य एवं नागरिक पूर्ति विभाग के कर्जन रोड, नई दिल्ली स्थित क्षेत्रीय कार्यालय को 1980 में नये राशन कार्डों के लिये मिले आवेदन पत्रों की संख्या	आवेदकों की संख्या, जिन्हें राशन कार्ड दिये गये ।
जनवरी, 1980	502	502
फरवरी, 1980	446	413
मार्च, 1980	604	571
अप्रैल, 1980	510	493
मई, 1980	593	580
जून, 1980	489	466
योग :	3144	3025

अशोधित अभ्रक का उत्पादन

6429. श्री ए० के० राय : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1971 में अभ्रक के सरणीबद्ध किये जाने के पश्चात् अशोधित अभ्रक का उत्पादन (कतरन अथवा उच्छिष्ट के अलावा) गिरकर नगण्य रह गया है ;

(ख) क्या अभ्रक खनन और शोधन कार्य पर 1971 में पांच लाख श्रमिक तथा "होम स्पिलिटर्स" लगे हुए थे और अब इस उद्योग में केवल कुछ हजार लोग कार्य करते हैं ;

(ग) क्या सरकार द्वारा अपनाई गई अनुपयुक्त नीतियां, तथा सरणीकरण से पूर्व विद्यमान न्यूनतम मूल्यों में 300 प्रतिशत की अनुचित वृद्धि तथा 40:60 फार्मूला का लागू करना इस क्षति के लिये उत्तरदायी है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार है कि शोधित अभ्रक के निर्यात को गैर सरणीबद्ध किया जाये तथा इसे नष्ट होने से बचाया जाये और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) अभ्रक के सूचित उत्पादन में 1970 से अर्थात् सरणीकरण से पूर्व गिरावट आती रही है।

(ख) जी नहीं। भारतीय श्रम आंकड़ों के अनुसार 1971 के दौरान अभ्रक उद्योग में कार्यरत कामगारों की कुल संख्या 29,000 थी। तब से रोजगार का स्तर नहीं गिरा है।

(ग) तथा (घ) जी नहीं। अभ्रक के निर्यातों में गत तीन वर्षों में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है।

विदेशी झंडे और भारतीय झंडे वाले जहाजों के आयात सरणीकरण के लिये सेवा-प्रभार

6430. श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्य निर्धारण समिति ने उचित मूल्य अथवा सरणीकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये लागत विवरण के बाद विदेशी झंडे और भारतीय झंडे वाले जहाजों के आयात सरणीकरण के लिये 4 प्रतिशत की दर सेवा-प्रभार की स्वीकृति दी है ;

(ख) क्या यह सच है कि पुराने जहाज तोड़ने-वेचने वालों ने अनुरोध किया है कि 4 प्रतिशत की दर से सरणीकरण सेवा प्रभार की गई सेवा और उस पर आने वाली लागत से अधिक है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मूल्य निर्धारण समिति को सेवा-प्रभार पर पुनर्विचार करने के लिये कहने का नहीं है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) मूल्य निर्धारण समिति ने सभी संगत तथ्यों पर विचार करके सरणीकरण अभिकरण का सेवा-प्रभार 4 प्रतिशत निर्धारित किया।

(ख) ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे कि भारतीय झंडे वाले जहाजों के संबंध में सेवा प्रभार कम किया जाये अथवा बिक्रियों की रकम से विनियोजित किया जाये। विदेशी झंडे वाले जहाजों के मामले में यह सुझाव दिया गया था कि सेवा प्रभार के रूप में कोई विनिर्दिष्ट राशि निर्धारित न हो लेकिन सरणीकरण अभिकरण उतनी राशि का विनियोजन करे जो आयातित जहाज की बिक्री से प्राप्त कुल लाभ में से उनके वास्तविक खर्चों के बराबर हो।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में बैंकों की शाखाएं तथा बैंकों में ऋण-जमा राशियों का अनुपात

6431. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय औसत के रूप में प्रति 20,000 व्यक्तियों के पीछे एक बैंक है परन्तु मध्य प्रदेश का औसत बहुत ही निम्न है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि ग्रामीण तथा अर्ध-ग्रामीण बैंकों के ऋण तथा जमा राशियों का राष्ट्रीय औसत के अनुपात के क्रमशः 35 प्रतिशत और 47 प्रतिशत की तुलना में मध्य प्रदेश का औसत बहुत कम है ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) सरकार द्वारा उपरोक्त दोनों असंगतियों को दूर करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) दिसम्बर 1979 के अन्त की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में औसतन 24,000 व्यक्तियों के लिए, एक बैंक शाखा थी। पिछले वर्ष अखिल भारतीय औसत 17,000 व्यक्तियों के लिए एक शाखा का था। अलबत्ता, शहरी तथा महानगरीय केन्द्रों की शाखाओं तथा ऐसी केन्द्रों की जनसंख्या को छोड़कर मध्य प्रदेश में प्रति 28,000 ग्रामीण /अर्ध शहरी व्यक्तियों के लिए एक तथा पूरे देश में प्रति 22,000 व्यक्तियों के लिए एक ग्रामीण/अर्ध-शहरी शाखा थी।

(ख) बैंकों द्वारा राष्ट्रीयकरण से पूर्व के दिनों में ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों की भारी उपेक्षा, ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा विस्तार कार्यक्रम चलाने के लिए बैंकों की सीमित क्षमता तथा पर्याप्त आधारभूत सुविधाओं वाले उत्पादन केन्द्रों तथा अच्छी व्यापारिक क्षमता की सीमित उपलब्धता आदि विभिन्न कारण हैं जिनकी वजह से मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग व्याप्ति काफी कम रही।

(ग) तथा (घ) जी, नहीं। जून 1979 के अन्त की स्थिति के अनुसार, मध्य प्रदेश में ग्रामीण तथा अर्ध शहरी शाखाओं का ऋण : जमा अनुपात क्रमशः 65.9 प्रतिशत तथा 55.3 प्रतिशत था। इसकी तुलना में पिछले वर्ष अखिल भारतीय अनुपात क्रमशः 54.4 प्रतिशत तथा 47.3 प्रतिशत था।

(ङ) 1979–81 के दौरान बैंकों का मुख्यतः कम बैंक वाले जिलों के बैंक रहित ग्रामीण/तथा अर्ध शहरी केन्द्रों में शाखाएं खोलने के लिये प्रयास करने चाहिये ताकि प्रति 20,000 ग्रामीण/अर्ध शहरी व्यक्तियों के लिए कम से कम एक शाखा हो जाय। इस कार्यक्रम के अनुसार, मध्य प्रदेश के कमी वाले जिलों के ग्रामीण/अर्ध शहरी केन्द्रों में 730 शाखाएं खोली जानी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि राज्य सरकार से परामर्श करके 758 स्थानों पर शाखाएं खोलने के प्राधिकार पत्र पहले ही जारी किये जा चुके हैं।

बैंकों से इस बारे में विशेष ध्यान देने तथा प्रयास करने के लिए भी कहा गया है कि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों तथा विशेष रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम के लाभान्वितों को अधिक ऋण सहायता सुनिश्चित हो सके। उनसे अपनी ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाओं के ऋण : जमा अनुपात को बढ़ाने का प्रयास करने के लिए भी कहा गया है।

उड़ीसा में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा गैर सरकारी उद्योगों को दिये गये ऋण

6432. डा० कृपा सिंधु भोई : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान उड़ीसा में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा विभिन्न गैर-सरकारी उद्योगों को कितनी राशि के ऋण दिये गए ;

(ख) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि इन ऋणों का उचित रूप से उपयोग किया गया है ;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान उड़ीसा में कितनी कम्पनियों ने ऋणों का भुगतान नहीं किया है ; और

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्रवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) संभवतः माननीय सदस्य का आशय छोटे पैमाने के उद्योगों को मंजूर किये जाने वाले अग्रिमों से है। दिसम्बर 1977, दिसम्बर 1978, और जून 1979 के अन्त की स्थिति के अनुसार (जो हाल की उपलब्ध सूचना है), उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा इस प्रकार के उद्योगों को दिये गये अग्रिमों की बकाया राशियों का ब्योरा नीचे दिया गया है :—

उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा छोटे पैमाने के उद्योगों को दिये गए अग्रिम

निम्नलिखित महीनों के अन्त में	एककों की संख्या	बकाया राशि (लाख रुपये)
दिसम्बर, 1977	10947	1206.35
दिसम्बर, 1978*	16570	1620.37
जून, 1979*	19287	1861.04

*आंकड़े अनन्तिम हैं।

(ख), (ग) और (घ) बैंक यह सुनिश्चित करने के उपाय करते हैं कि जिस प्रयोजन के लिए अग्रिम दिये जायें उसी के लिए उनका उपायोग हो। इन उपायों में, ऋणकर्ता को सामग्री मुहैया करने वाली पार्टियों को बैंकों द्वारा सीधे अदायगी किये जाने, ऋणकर्ता द्वारा बैंक के पास रखी गई प्रतिभूतियों का बैंक द्वारा समय-समय पर जांच करते रहने का कार्य शामिल है। जब कभी अदायगी करने में व्यतिक्रम होता है तब सम्बन्धित ऋणकर्ता के साथ वह मामला उठाया जाता है। यदि किन्हीं युक्तिसंगत कारणों से व्यतिक्रम हुआ हो तो ऋणों की वापसी अदायगी की अवधि बढ़ाई दी जाती है। वापसी अदायगी का फिर से क्रम-निर्धारण किया जाता है। अन्तिम उपाय के तौर पर कानूनी कार्रवाई तभी शुरू की जाती है जब समझा-बुझा कर ऋण वसूल करने के सभी प्रयास असफल हो जाते हैं। पिछले दो वर्षों में उड़ीसा में जिन एककों ने ऋण की वापसी अदायगी करने में व्यतिक्रम किया है उनके बारे में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

सूरत नगर में हवाई अड्डे का निर्माण

6433. श्री सी० डी० पटेल : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात राज्य के सूरत नगर में हवाई अड्डा बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके पूरा होने में उनके द्वारा कितना समय लगाए जाने की सम्भावना हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, नहीं। राज्य सरकार की एक हवाई पट्टी वहां पहले से ही मौजूद है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में नैनीताल नगर का भू-विज्ञान सर्वेक्षण

6434. श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में नैनीताल नगर का भू-विज्ञान सर्वेक्षण किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के परिणाम क्या हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी हां, इस समय सामान्यतया नैनीताल क्षेत्र और विशेषतया भू-स्खलन प्रवण (सुरक्षित और भयानक) क्षेत्रों का भू-तकनीकी मूल्यांकन उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की सलाह और सहायता से किया जा रहा है।

(ख) अब तक की भू-तकनीकी खोजों से पता चला है कि इमारतों और सड़कों में और अधिक दरारें पड़ गई हैं और धंसाव आ गया है। शेर-का-डान्डा पहाड़ी पर लगे चेतावनी खंभों

से वहां लगातार सिकुड़न का पता चला है। ये क्षेत्र सामान्यतया असुरक्षित हैं। अन्य पहाड़ी ढलानों का अध्ययन किया जा रहा है।

मानकीकृत वस्तुओं पर उपभोक्ता मूल्य का अंकन

6435. **श्री सत्य नारायण जाटिया :** क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मानक संस्था द्वारा मानकीकृत वस्तुओं, प्रतिरूपों (पेटर्न) और सामग्री पर उपभोक्ता मूल्य अंकित करने के लिए निदेश दिये गये हैं ; और

(ख) क्या विभाग ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही की है कि उपभोक्ता वस्तुयें उचित मूल्य पर अथवा निर्धारित मूल्यों पर बेची जायें और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं। भारतीय मानक संस्था द्वारा मानकीकृत वस्तुओं, प्रतिमानों (पेटर्न) और सामग्री पर उपभोक्ता मूल्य अंकित करने के लिए कोई निदेश नहीं दिये जाते हैं, क्योंकि भारतीय मानक संस्था द्वारा तैयार किये जाने वाले मानकों में गैर-तकनीकी वाणिज्यक विषय शामिल नहीं होते हैं। तथापि, बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि पैकेज में रखी उन वस्तुओं के विक्रय मूल्य पैकेज पर लिखे जाएं जिनका अंतर्राज्यीय व्यापार होता है।

(ख) सारे देश में उचित दर की दुकानें सामान्यत: चावल, गेहूँ, लेवी चीनी और मिट्टी के तेल जैसी उपभोज्य वस्तुओं का वितरण करती हैं। साफ्ट कोक और कन्ट्रोल के कपड़े के वितरण हेतु भी सभी राज्यों द्वारा अपने क्षेत्रों में बिक्री केन्द्र खोले गये हैं। इन उपभोज्य वस्तुओं के केन्द्रीय निर्गम मूल्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना होता है कि उचित दर की दुकानों और अन्य बिक्री केन्द्रों के माध्यम से वस्तुएं राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किये जाने वाले अन्तिम मूल्यों पर, जो कि केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में ढुलाई तथा अन्य आनुषंगिक खर्चों को शामिल करके निर्धारित किये जाते हैं, बेची जाएं।

रोजगार संवर्धन सम्बन्धी दाण्डेकर समिति

6436. **श्री सत्य साधन चक्रवर्ती :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रोजगार संवर्धन सम्बन्धी दांडेकर समिति ने 'हारवेस्टर कम्बाइन' के आयात पर रोक लगाने की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) तथा (ख) रोजगार संवर्द्धन के लिए कर उपाय सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति (जिसे आमतौर पर दाण्डेकर समिति के नाम से जाना जाता है) की रिपोर्ट, जिसमें समिति की सिफारिशें भी निहित हैं, 1 जुलाई 1980 को लोक सभा-पटल पर रख दी गई थी। कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण के प्रभाव पर उक्त समिति की सिफारिशें रिपोर्ट के पैरा 7.37 से 7.42 तक में निहित हैं।

काफी के उत्पादन को बढाने का प्रस्ताव

6437. श्री जी० एम० बनातवाला :

श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में काफी के उत्पादन को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो अगले पांच वर्षों में कितना अनुमानित उत्पादन बढ़ाने की संभावना है ; और

(ग) उस पर कितना धन व्यय होगा ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) सन् 2000 तक 2 लाख मे० टन के उत्पादन स्तर तक पहुँचाने के विचार से काफी बोर्ड ने अगले पांच वर्षों अर्थात् 1984-85 के अन्त तक 1,59,450 मे० टन के उत्पादन लक्ष्य की परिकल्पना की है।

(ग) विस्तार तथा विकास के लिये चालू विभिन्न योजनाओं को जारी रखने व नयी योजनाएं शुरू करने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 56.34 करोड़ रु० का वित्तीय परिव्यय होगा। इसके अलावा, परम्परागत तथा गैर-परम्परागत क्षेत्रों में विभिन्न राज्य सरकारों के अन्तर्गत विस्तार कार्यक्रम के लिए छठी योजना के दौरान 90.34 करोड़ रु० के कुल निवेश की आवश्यकता होगी।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को सेवा समाप्ति/सेवा निवृत्ति की सुविधाएं

6438. श्री बाबु लाल सोलंकी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे स्थायी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को सेवा समाप्ति/सेवानिवृत्ति की क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं जो समाचार पत्रों में नौकरियों के विज्ञापनों के अनुसार उचित माध्यम से आवेदन करते हैं और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में स्थायी तौर पर रख लिये जाते हैं ;

(ख) क्या यह सुविधाएं उन्हें भी प्राप्त हैं जो सरकारी क्षेत्र के राष्ट्रीयकृत बैंकों में रख लिए जाते हैं ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) सूचना विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) ऐसे कर्मचारियों को जो सरकारी क्षेत्र के राष्ट्रीयकृत बैंकों में समाविष्ट हो जाते हैं, के लिए सेवा समाप्ति/सेवानिवृत्ति लाभ के अनुपात की स्वीकार्य मात्रा वही है जो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में समाविष्ट होने वाले कर्मचारियों के मामले में लागू है। लेकिन पेंशन

और उपदान, समाविष्ट होने की तारीख से अथवा उस तारीख से जिससे कि वह समयपूर्व स्वैच्छिक सेवा निवृति के लिए पात्र हो गया है, इनमें से जो भी बाद में हो, देय हो जाता है।

(घ) राष्ट्रीयकृत बैंकों को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के समतुल्य नहीं समझा जाता बल्कि इन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्ण रूप से अथवा पर्याप्त रूप से नियंत्रित तथा वित्तपोषित स्वायत्त निकायों के समान समझा जाता है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में समाविष्ट होने वाले स्थायी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को स्वीकार्य अनुपातिक सेवा निवृति लाभ।

1. पेंशन और उपदान

कोई भी स्थायी सरकारी कर्मचारी जो सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में समाविष्ट हो जाता है तो वह सरकारी उपक्रम में प्राप्त हो रहे वेतन के अलावा ऐसी समाविष्टि से पहले उसके द्वारा केन्द्र सरकार के अधीन की गई अर्हक सेवा के लिए अर्जित अनुपातिक पेंशन और उपदान का हकदार है। यदि अर्हक सेवा 10 वर्ष से कम हो तो पेंशन के बदले अनुपातिक सेवा उपदान देय होता है और मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति उपदान भी देय होता है। ये लाभ समाविष्टि के तुरन्त बाद देय होते हैं।

2. अर्जित छुट्टी

सरकारी क्षेत्र उपक्रम में समाविष्ट कर्मचारी समाविष्टि की तारीख को अपने नाम जमा अर्जित छुट्टी को अपने नये छुट्टी लेखे में अग्रेनित करने के लिए हकदार होता है।

3. परिवार पेंशन

10 वर्ष की अर्हत सेवा पूरी करने के पश्चात ऐसे कर्मचारी जो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में समाविष्टि हो जाते हैं उनके मामले में परिवार पेंशन का दायित्व सरकार वहन करती है।

4. पेंशन का संराशिकरण

प्रत्येक समाविष्ट कर्मचारी को इस बात का विकल्प होता है, जिसे समाविष्टि की तारीख से 6 महीने के भीतर देना होता है, कि वह मासिक पेंशन लेना चाहता है अथवा संराशिकरण सारणी के संदर्भ में संगणना की गई पेंशन के बदले में एकमुश्त रकम लेना चाहता है।

भारत सहायता कान्सोर्टियम से सहायता

6439. प्रो० श्री मधु दण्डवते :
श्री दिग्विजय सिंह :
श्री चित्त बसु :
श्री मोहम्मद असरार अहमद :
श्री माधवराव सिंधिया : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक के भारत सहायता कान्सोर्टियम ने वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये 3.4 अरब डालर की मामूली सहायता देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान मुद्रास्फीति को देखते हुए सहायता की यह मात्रा भारत की विकास आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अपर्याप्त है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सहायता की इस मात्रा में वृद्धि के लिये आगे प्रयास किये जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) से (ग) 3 और 4 जुलाई, 1980 को पेरिस में हुई भारत संघ की बैठक में सहायता संघ के सदस्यों ने अपने देशों के संबद्ध कानूनों और विनियमों के अन्तर्गत आवश्यक अनुमोदनों के अधीन वर्ष 1980-81 के लिए 3.4 अरब डालर की आर्थिक सहायता देने का वचन दिया था। यह राशि पिछले वर्ष की 3.3 अरब डालर की राशि की अपेक्षा 2.3 प्रतिशत अधिक है। हालांकि 1980-81 के लिए दिए गए सहायता के वचन वास्तव मे सहायता में कमी के द्योतक हैं फिर भी इन्हें विभिन्न देशों में व्याप्त सहायता संबंधी सामान्य वातावरण और उनकी कठिन आर्थिक स्थिति के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

शोधन शेष की बिगड़ती हुई स्थिति से निपटने के लिए न्यास निधि (ट्रस्ट फंड) और प्रतिपूरक वित्तपोषण सुविधा (कम्पेन्सेटरी फाइनेंसिंग फेसिलिटी) के अन्तर्गत सहायता की राशि निकालने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ बातचीत पहले ही पूरी हो चुकी है। विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं पर कड़ी निगरानी रखने के लिए भी पहले ही कदम उठाए जा चुके हैं ताकि वर्ष के दौरान विदेशी सहायता की निकासी की गति को तेज किया जा सके।

अखिल भारतीय डाक और तार तथा केन्द्रीय सरकार के अन्य पेंशनर एसोसिएशन से ज्ञापन

6440. श्री रतनसिंह राजदा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्ष 1938 के पूर्व भर्ती हुए अन्य पेंशनरों के लिए एक चौथाई पेंशन की कटौती रोकने और इस प्रकार पेंशन को वेतन 3/8 स्तर पर बहाल करने के बारे में अखिल भारतीय डाक और तार तथा केन्द्रीय सरकार के अन्य पेंशनर एसोसिएशन से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या यह सच है कि वर्ष 1938 के पूर्व के ऐसे पेंशन भोगियों के मामलों में सरकार मृत्यु एवं निवृत्ति उपदान देते समय उनके वेतन की आधी राशि से 3/8 तक पेंशन कम करती है और क्या यह सच है कि नए पेंशन भोगियों के मामले में पेंशन में कोई कटौती किये बिना इन्हें उपदान दिया जाता है और पेंशन उनके आधे वेतन पर निर्धारित की जाती है ; और

(ग) इस भेदभाव को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) जी, हां।

(ख) मृत्यु-एवं-सेवा-निवृत्ति उपदान के रूप में एकमुश्त अदायगी सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए औसत परिलब्धियों को 1/60 से घटाकर 1/80 तक पेंशन को कम कर दिया गया जबकि अधिकतम पेंशन परिलब्धियों का 40/80 से घटाकर 30/80 हो गई। यह प्रथम वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार किया गया। अतः सेवा-निवृत्ति लाभों की पद्धति में परिवर्तन किया

गया, और काम दर पर पेंशन दिए जाने के अलावा, सेवा-निवृत्ति के समय अथवा सेवाकाल में मृत्यु होने पर एकमुश्त अदायगी किए जाने की शुरुआत की गई। यह संशोधित पद्धति पेंशन देय संस्थानों के सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू थी केवल उन कर्मचारियों को छोड़कर जो 30.9.1938 को स्थायी पद पर थे जिनको विकल्प दिया गया था।

कुछ वर्षों से सेवा निवृत्ति लाभों में वृद्धि कर दी गई है। मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान की वर्तमान दर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए आधे महीने के वेतन के बराबर होती है बशर्ते कि यह अधिकतम 16½ महीने का वेतन अथवा 30,000 रु०, इसमें जो भी कम हो। अब पेंशन स्लैब पद्धति के आधार पर निर्धारित की जाती है। जिसके अंतर्गत कर्मचारियों की काफी संख्या को उनकी औसत परिलब्धियों के आधे के बराबर पेंशन दी जाती है।

(ग) किसी सरकारी कर्मचारी के सेवा-निवृत्ति लाभ सेवा-निवृत्ति की तारीख को प्रवृत नियमों के संदर्भ में निर्धारित किए जाते हैं। सैवा-निवृत्ति लाभों में उदारीकरण नीति के रूप में केवल, भावी तारीख में ही दिए जाते हैं। इसलिए पुराने पेंशनभोगियों को सेवा-निवृत्ति लाभों में नवीनतम उदारीकरणों का लाभ देना संभव नहीं है। परन्तु 1.1.1973 से पूर्व सेवा-निवृत्ति हुए व्यक्तियों को, तीसरे वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किए गए अनुसार महंगाई राहत की किस्तों के अतिरिक्त, पेंशन की मात्रा के आधार पर 15 रुपये से 35 रुपये प्रतिमास की सीमा तक तदर्थ राहत दी गयी है। विभिन्न तारीखों को सेवा-निवृत्त व्यक्तियों की सूचकांक स्तर 360 तक स्वीकार्य राहत की किस्तों की संख्या निम्न प्रकार है :

30.9.1977 से पहले सेवा निवृत्त हुए व्यक्तियों के लिए 10 किस्तें जो कि पेंशन का 50 प्रतिशत हो जाता है परन्तु कम से कम 50 रुपये और अधिक से अधिक 250 रुपये प्रति महीने।

30.9.77 की या इसके बाद सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सूचकांक स्तर 272 तक वेतन में महंगाई भत्ते के विलयन के लाभों के साथ 6 किस्तें जो पेंशन का कुल 30 प्रतिशत हो जाता है बशर्ते कि यह कम से कम 30 रु० और अधिक से अधिक 150 रु० प्रतिमास हो।

उत्तरी बंगाल में पटसन के मूल्य में गिरावट

6441. श्री के० पी० सिंह देव : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर बंगाल में पटसन के मूल्यों में गिरावट शुरू हो गयी है और यह मूल्य जुलाई, 1980 के प्रथम सप्ताह में 150 रुपये प्रति क्विंटल हो गया था ;

(ख) क्या पटसन निगम द्वारा इस क्षेत्र में खरीददारी न करने के कारण 'फरिया' (बिचौलियों) की गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला है, और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) भारतीय पटसन निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार उत्तर बंगाल के अधिकांश बाजारों में कीमतें अभी भी सांविधिक स्तर से ऊंची चल रही हैं। निगम और सहकारी संस्थाएं पहले से ही कार्य आरम्भ करने की स्थिति में हैं।

पर्यटन पर राष्ट्रीय नीति

6442. श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन पर नई राष्ट्रीय नीति बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, नहीं, इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

इन्डियन फोनोग्राफिक उद्योग का ज्ञापन

6443. श्री आरिफ मोहम्मद खां : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चोरी छिपे लाए गए कैसेट्स की बिक्री के खिलाफ शिकायत करते हुए 26 फरवरी, 1980 को इंडियन फोनोग्राफिक उद्योग का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) प्रश्नाधीन ज्ञापन उद्योग मंत्रालय में प्राप्त हुआ था और विचाराधीन है ।

सहकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र में उचित दर की दुकानें

6444. श्री प्रभु नारायण टंडन : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र में उचित दर की दुकानों की तुलनात्मक प्रतिशतता क्या है ?

नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : सहकारी क्षेत्र में 70,689 उचित दर की दुकानें हैं, जो देश में विद्यमान कुल 2,58,669 उचित दर की दुकानों का 27.3 प्रतिशत हैं। शेष 1,87,980 अर्थात् 72·7 प्रतिशत उचित दर की दुकानें अधिकतर निजी क्षेत्र में हैं और कुछ दुकानें नागरिक पूर्ति निगमों द्वारा चलाई जा रही हैं ।

भारत में 1976 के बाद विमान अपहरण की घटनाएं

6445. श्री बी० डी० सिंह : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में 1976 के बाद विमान अपहरण की (अपहरणकर्ताओं के ब्योरे का उल्लेख करते हुए) कितनी घटनाएं हुई हैं ;

(ख) क्या अपहरणकर्ताओं ने अपराध के कोई कारण बताये थे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या हैं ; और

(ग) क्या अपहरणकर्ताओं को कोई सजा दी गई, यदि हां, तो प्रत्येक मामले का तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन तथा पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) :

(क) और (ख) 1976 के पश्चात् भारतीय विमान क्षेत्रों से/को विमान अपहरण की तीन घटनाएं हुई, जिनका विवरण नीचे दिया गया है :-

(एक) 28.9.1977 को एथन्स, काहिरा, करांची, बम्बई तथा बैंकाक से होकर पेरिस से टोकियो की अपनी अनुसूचित उड़ान के लिए जापान एयरलाइन्स का एक डी० सी०-8 विमान जब बम्बई से उड़ा तो जापानी लाल सेना के पांच उग्रपंथी (ओसानू मारुका, जून निशिकावा, कुनियो कांडो, नूरी सासाकी तथा एक अज्ञात) इसका अपहरण करके ढ़ाका ले गए।

अपहरणकर्ताओं ने 60 लाख डालर की फिरौती तथा छः जापानी लाल सेना आतंकवादियों की जापानी जेलों से रिहाई की मांग की जिसे कि अंततः जापान सरकार ने मान लिया।

(दो) 20.12.1978 को जब इंडियन एयरलाइंस का बोइंग-737 विमान लखनऊ विमान क्षेत्र से कलकत्ता से दिल्ली के लिए अपनी अनुसूचित उड़ान पर उड़ा तो देवेन्द्र पाण्डे तथा भोलानाथ पाण्डे ने इसका अपहरण कर लिया तथा इसे वाराणसी ले गए।

अपहरणकर्ताओं की मांगों में जनता सरकार का त्याग-पत्र, श्रीमती इन्दिरा गान्धी की जेल से रिहाई तथा उनके और श्री संजय गान्धी के विरुद्ध मामलों की वापसी सम्मिलित थी।

अपहरणकर्ताओं ने यह भी कहा कि यात्री उनके भाई बहनों की तरह हैं और वे सर्वथा सकुशल व प्रसन्न हैं। विलम्ब के कारण यात्रियों को जो असुविधा हो रही थी उसके लिए उन्होंने खेद व्यक्त किया।

(तीन) 25.7.1979 को जैस्सोर से ढाका के लिए अपनी आन्तरिक उड़ान के दौरान बंगलादेश के एक फोकर फ्रैंडशिप विमान का मोहम्मद सैयद नज़रूल इस्लाम नामक एक व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लिया गया तथा इसने कलकत्ता विमानक्षेत्र पर अवतरण किया।

अपहरणकर्ता अकेला था और उसकी मुख्य मांग दस लाख अमरीकी डालर की फिरौती थी। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और बंगलादेश भेज दिया गया।

(ग) यह मालूम नहीं हो सका है कि जापान एयरलाइन्स तथा बंगलादेश के विमान के अपहरणकर्ताओं को क्या सजा दी गई। तथापि, इंडियन एयरलाइन्स के विमान के अपहरणकर्ताओं के विरुद्ध मामला लखनऊ सैशन जज की अदालत में विचाराधीन है।

आवंटित गलन स्क्रैप से अधिक मात्रा में गलन स्क्रैप का आयात करने की जांच

6446. **श्री भोला राउत** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास इस बात की जांच करने की मशीनरी है कि गलन-स्क्रैप का वास्तविक उपभोक्ता, उससे अधिक आयातित स्क्रैप का उपयोग तो नहीं करता, जितना उसे आबंटित किया गया है,

(ख) वर्ष 1977-78 और 1978-79 के दौरान प्रत्येक "आर्क फरनेस" एकक द्वारा आयातित गलन स्क्रैप की कितनी-कितनी मात्रा उपयोग में लाई गई थी ; और

(ग) क्या यह सच है कि कुछ बड़े बाक "आर्क फरनेस" एककों ने आयातित स्क्रैप की उससे अधिक मात्रा का उपयोग किया था, जितनी मात्रा के उनके पास लाइसेंस थे ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) आयात व्यापार नियंत्रण प्राधिकारी, प्रायोजक प्राधिकारियों से परामर्श करके चयनात्मक आधार पर अचानक जांच-पड़ताल करते हैं और यह देखते हैं कि वास्तविक उपयोक्ता ने किस हद तक तथा किस तरीके से आयात की सामग्री का उपयोग किया है । प्रायोजक प्राधिकारियों का भी यह दायित्व है कि वे इसकी जांच-पड़ताल करें । आयात नियंत्रण विनियमों के उल्लंघन के विशिष्ट मामलों का पता चलने पर उन्हें आयात व्यापार नियंत्रण प्राधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है ।

(ख) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) अभी हाल में ऐसा कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है ।

बड़ी, पापड़ और फुलबड़ी का निर्यात

6447. **श्री कुंवर राम** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बड़ी, फुलबड़ी और पापड़ के निर्यात की संभावनाओं का पता लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो इन वस्तुओं की वस्तुवार तथा देशवार निर्यात की क्या संभावनायें हैं ; और

(ग) उन सरकारी, अर्ध-सरकारी या स्वैच्छिक संगठनों के नाम क्या हैं जिन्हें इन खाद्य वस्तुओं के निर्माण, पैकिंग और निर्यात का कार्य सौंपा गया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी हां ।

(ख) विभिन्न देशों को भारी मात्राओं में पापड़ निर्यात किए जाते हैं, जैसा कि विवरण में दर्शाया गया है । तथापि, बड़ी और फुलबड़ी का निर्यात नगण्य रहा ।

(ग) बड़ी, फुलबड़ी तथा पापड़ किसी भी निर्यातक द्वारा तैयार, पैक और निर्यात किए जा सकते हैं । इन मदों का निर्यात बिना किसी मात्रा सम्बन्धी सीमा के किया जा सकता है ।

विवरण

पापड़ का निर्यात

मात्रा : मे० टन

मूल्य : लाख रु०

देश	1978-79 (अनन्तिम)		1979-80 (अनन्तिम)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5
आस्ट्रेलिया	47.4	5.47	14.5	1.86
बहरीन द्वीप	56.0	4.65	4.8	0.40
बेल्जियम	नगण्य	नगण्य	0.1	0.01
कनाडा	35.0	3.21	23.2	2.68
कैनेरी द्वीप	2.4	0.22	1.4	0.15
मिश्र अरब गणराज्य	0.2	0.02	—	—
इथोपिया	8.7	0.62	—	—
फिजी द्वीप	9.1	0.80	4.6	0.42
फ्रांस	1.8	0.23	3.2	0.38
एफ० गुयाना	0.2	0.04	—	—
जर्मन संघीय गणराज्य	0.2	0.02	0.4	0.04
घाना	0.2	0.03	—	—
हांगकांग	6.2	0.65	6.0	0.62
इजाराइल	0.2	0.02	0.2	0.02
आइवरी कोस्ट	0.1	0.01	—	—
कीनिया	7.7	0.78	6.8	0.81
कुवैत	34.6	3.01	40.0	3.42
लाइबीरिया	0.5	0.06	0.2	0.02
मलावी	2.0	0.22	—	—
मलयेशिया	111.3	8.29	28.5	2.45
मालदीव द्वीप	0.6	0.05	1.4	0.16
मारीशस	17.9	1.80	13.0	1.21
नेपाल	11.3	0.47	—	—

1	2	3	4	5
नीदरलैंड	1·1	0·10	0.5	0·05
न्यूजीलैंड	1·1	0·12	5·7	0·36
नाइजीरिया	10·5	1·04	6.5	1·49
ओमान	121.4	9·87	33·2	3·19
अन्य पूर्वी अफ्रीकी देश	2.0	0·22	16·6	1·96
पुर्तगाल	0.2	0.03	—	—
कतार	15.2	1.27	16.7	1.73
सऊदी अरब	19.3	1·86	17·0	1.68
सेचेलीज	1.0	0·11	0.8	0.09
सियेरा ल्योन	1·3	0.17	—	—
सिंगापुर	170·7	12·85	127·9	11.84
स्पेन	4·8	0.38	—	—
श्रीलंका	26.4	1·58	—	—
सुडान	3.2	0.37	—	—
संयुक्त अरब अमीरात	151.6	14·03	162·7	14.38
ब्रिटेन	831·3	59·54	808.8	69.49
संयुक्त राज्य अमरीका	96·2	8·58	100.8	10.85
यमन अरब गणराज्य	0.2	0.02	0.3	0.03
अन्य	—	—	2.8	0.26
योग	1811.1	142.81	1438.6	131·05

लौह-स्क्रैप निर्यात नीति

6448. **श्री राम स्वरूप राम** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्क्रैप उद्योग ने 1980-81 की लौह स्क्रैप निर्यात नीति के संबंध में निराशा व्यक्त की है ;

(ख) क्या यह सही है कि चालू नीति के अनुसार "हाई स्पीड" इस्पात स्क्रैप के निर्यात के सम्बन्ध में कुछ भ्रम है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार स्क्रैप उद्योग द्वारा परिवर्तन के बारे में दिये गये सुझाव पर अनुकूल रूप से विचार करने का है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) आयरन एंड स्टील स्क्रैप एसोसिएशन आफ इण्डिया ने अप्रैल, 1980 में फैरस-स्क्रैप कमेटी को एक अभ्यावेदन दिया था जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि हाई-स्पीड स्टील स्क्रैप को चालू वर्ष में की निर्यात नीति में मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन की मार्फत गुणावगुण के आधार पर निर्यात सूची में शामिल किया जाए ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) आयरन एण्ड स्टील स्क्रैप एसोसिएशन आफ इण्डिया से प्राप्त हुए सुझाव के आधार पर सरकार ने कुछ प्रकार का हाई-स्पीड स्टील स्क्रैप मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन की मार्फत निर्यात करने के लिए पहले ही अनुमति दे दी है ।

उत्तर प्रदेश में खनिजों के लिए सर्वेक्षण

6449. श्री जैनुल बशर : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिजों का पता लगाने के लिए उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले का सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) कौन-कौन से खनिज मिलने की संभावना हैं ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा मिर्जापुर जिले में की गई खोज के फलस्वरूप वहां पाए गए मुख्य खनिज भण्डार हैं—1173 मिलियन टन कोयला, 312 मिलियन टन चूना-पत्थर, जो मुख्यत: सीमेंट और बी० एफ० ग्रेड़ का है, 5.94 मि० टन एस०एम०एस० ग्रेड़ डोलोमाइट और 3.5 मि० टन चीनी-मिट्टी । इसके अलावा जंगल एरिया में चार प्रायमरी पाइप रॉक पाई गई हैं । यह पाइप रॉक हीरा-युक्त है ।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के लिये पूर्ण कालिक चेयरमैन की नियुक्ति

6450. श्री सूर्य नारायण सिंह : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने पूर्णकालिक चेयरमैन नियुक्त न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) राष्ट्रीय कपड़ा निगम के वर्तमान चेयरमैन को कार्य करते रहने की क्यों अनुमति दी गई है जबकि उसकी कार्यावधि बहुत पहले समाप्त हो गई है ; और

(ग) क्या यह सच है कि भत्तों के रूप में उस पर किया जा रहा व्यय पूर्णकालिक चेयरमैन के वेतन और भत्तों से अधिक है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) अंश-कालिक अध्यक्ष तथा पूर्ण-कालिक प्रबन्ध निदेशक का विद्यमान प्रबन्ध सन्तोपजनक रूप से कार्य कर रहा है।

(ख) वर्तमान अध्यक्ष का कार्यकाल आगामी आदेशों तक सार्वजनिक हित में जारी रखा गया है।

(ग) जी नहीं।

रबड़ का आयात

6451. श्री अमरसिंह वी० राठवा : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ का आयात किया जा रहा है ;

(ख) क्या इससे रबड़ उत्पादकों पर कोई प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) यदि हां, तो उत्पादकों की रक्षा के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) रबड़ की मांग तथा सप्लाई स्थिति की सावधानीपूर्वक समीक्षा करने पर रबड़ के आयात की अनुमति दी जाती है और आयात की मात्रा, मांग तथा सप्लाई के बीच के अन्तराल को पाटने के लिए न्यूनतम आवश्यकता तक सीमित होती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ताजमहल के बाहर वाहन खड़ा करने की मनाही

6452. श्री अमर राय प्रधान : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पर्यटक तथा अन्य बसों को ताजमहल के बाहर खड़े करने की अनुमति न देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) ताज महल, आगरा, के अग्र-प्रांगण में भीड़-भाड़ हटाने की दृष्टि से स्मारक के पश्चिमी दरवाजे के सामने पर्यटकों को पर्यटक कोचों से उतारने और वाहनों को शापिंग आर्केड के समीप खड़े करने की अनुमति दी गई है। पर्यटकों को पिक-अप करने के लिए एक सार्वजनिक संबोधन पद्धति (पब्लिक एड्रेस सिस्टम) के जरिए पर्यटक कोचों को बुलाया जा सकता है।

पर्यटक यातायात में वृद्धि हो जाने के कारण बड़ी संख्या में ताजमहल आने वाली बसों को मुख्य द्वार के सामने पार्क करना अब संभव नहीं रहा है।

कलकत्ता में मुख्य कार्यालय रखने वाली विभिन्न कम्पनियों पर देय कर की बकाया राशि

6453. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (एक) मैसर्स हिन्दुस्तान सेनीटरीवेयर एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, (दो) मैसर्स

हिन्दुस्तान नेशनल ग्लास मैन्यूफेक्चिरिंग कम्पनी लिमिटेड, (तीन) मैसर्स सोमानी पिल्किंगटन लिमिटेड और (चार) सोम प्लाम्बिंग फिक्चर्स लिमिटेड पर देय कर की बकाया राशि कितनी है ;

(ख) क्या ये सभी कम्पनियां सोमानी ग्रुप की है और इनका मुख्य कार्यालय कलकत्ता में हैं ; और

(ग) करों की इस बकाया राशि को वसूल करने अथवा कर अपवंचन के लिये इन कम्पनियों को दण्ड देने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) और (ग) 30 जून, 1980 की स्थिति के अनुसार, चार कम्पनियों में से प्रत्येक की तरफ आयकर मांगों की निम्नलिखित रकमें बकाया थीं :-

कम्पनी का नाम	बकाया मांग	विशेष
मैसर्स हिन्दुस्तान सैनिटरी वेयर एण्ड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	96,000 रु०	आयकर आयुक्त (अपील) ने अभी हाल ही में अपील का निपटान किया है । बकाया करों को वसूल करने के लिए कार्यवाही की जा रही है ।
मैसर्स हिन्दुस्तान नेशनल ग्लास मेन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड	52,000 रु०	आयकर अधिनियम की धारा 147(क) के अन्तर्गत पुनः कर-निर्धारण के आधार पर मांग जारी की गई अपील आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष विचाराधीन पड़ी है ।
मैसर्स सोमानी पिलकिंगटन लिमिटेड	कुछ नहीं	कोई कर-अपवंचन ध्यान में नहीं आया है ।
मैसर्स सोमा प्लंबिंग फिक्चर्स लिमिटेड	कुछ नहीं	कोई कर-अपवंचन ध्यान में नहीं आया है ।

मैसर्स हिन्दुस्तान सेनिटरी वेयर एण्ड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के मामले में, कर-निर्धारण वर्ष 1976-77 के कर-निर्धारण में जोड़ी गयी आय की आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा पुष्टि कर दी गयी है, परन्तु इस संबंध में आगे की गई अपील, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन पड़ी है । आयकर अधिनियम की धारा 271 (i) (ग) के अन्तर्गत आरम्भ की गई दंड लगाने की कार्यवाही भी विचाराधीन है । मैसर्स हिन्दुस्तान नेशनल ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड के मामले, में कर-निर्धारण वर्ष 1973-74 से 1976-77 तक के सम्बन्ध में घोषित आय में कुछ वृद्धि की गई है । इन कर-निर्धारणों के विरुद्ध अपीलें विचाराधीन हैं । आयकर अधिनियम की धारा 271 (i) (ग) के अन्तर्गत आरम्भ की गई दंड लगाने की कार्यवाही भी विचाराधीन हैं ।

(ख) प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित चार कम्पनियाँ एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 26 के अन्तर्गत परस्पर सम्बन्ध उपक्रमों के रूप में पंजीकृत हैं, परन्तु यह प्रश्न कि वे सभी सोमानी समूह द्वारा नियंत्रित हैं अथवा नहीं, कम्पनी कार्य विभाग के समक्ष विचाराधीन है। सभी चार कम्पनियों ने इस तर्क के आधार पर उक्त पंजीकरण को रद्द करने के लिए उल्लिखित विभाग से आवेदन किया है कि अन्य बातों के साथ-साथ एक बात यह भी है कि उनका नियंत्रण किसी समूह द्वारा नहीं किया जाता है। मेसर्स हिन्दुस्तान सैनिटरी वेयर एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड ने, सरकार के उस निर्णय के विरुद्ध, जो इसे जनवरी, 1979 में सूचित किया गया था, और जिसके जरिये एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 26 (3) के अन्तर्गत कम्पनी का पंजीकरण रद्द करने का आवेदन अस्वीकार कर दिया गया था। उच्चतम न्यायालय में एक सिविल अपील दायर की है, उक्त अपील अभी तक विचाराधीन है।

(एक) मेसर्स हिन्दुस्तान सेनिटरी वेयर एण्ड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, (दो) मेसर्स हिन्दुस्तान नेशनल ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड और (तीन) मेसर्स सोमानी पिल्किंगटन लिमिटेड के पंजीकृत कार्यालय कलकत्ता में स्थित हैं। मेसर्स सोमा प्लम्बिंग फिक्चर्स लिमिटेड में पंजीकृत कार्यालय बहादुरगढ़ (हरियाणा) में स्थित है।

उद्योगों को उचित मूल्यों पर धागे की उपलब्धता

6454. श्री भीखू राम जैन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि वह विस्कोज फिलामेंट धागे को अपने नियंत्रणाधीन लाये ताकि उद्योगों को धागा उचित मूल्यों पर उपलब्ध हो सके तथा बडे पैमाने पर सूती कपड़ा कारखानों को बन्द होने से रोका जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) पंजाब सरकार ने पहले केन्द्रीय सरकार से नायलन और विस्कोस धागे तथा विस्कोस फिलामेंट धागे के कीमत-निर्धारण और वितरण को नियंत्रित करने का अनुरोध किया था क्योंकि उस समय अमृतसर बाजार में इन धागों की सप्लाई कम थी और कीमतें ऊंची थीं। बताया जाता है कि पंजाब सरकार ने हाल ही में दोबारा इस विषय पर केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है और यह सुझाव दिया है कि अमृतसर में वार्प निटिंग उद्योग के सामने आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए वह कीमत-निर्धारण और वितरण को नियंत्रित करे।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्राप्त ऋण की वापसी अदायगी

6455. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से अब तक कितनी राशि के ऋण प्राप्त किये गये हैं ; और

(ख) प्रत्येक अवसर पर उक्त ऋण प्राप्त करने के क्या आधार हैं और वापस अदायगी की स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना और बातों के साथ-साथ मुद्रा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देने, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार और उसके संतुलित विकास को सुविधाजनक बनाने, सदस्यों को पर्याप्त संरक्षणों के अन्तर्गत कोष के सामान्य साधनों को अस्थायी तौर पर उपलब्ध कराके उनमें आत्मविश्वास जागृत करने तथा सदस्यों के अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान शेष के विसंतुलन की अवधि और मात्रा को कम करने के लिए की गई थी।

भारत ने 1947-48 और 1975-76 के बीच भुगतान शेष की आवश्यकताओं और निर्यात में हुई कमी को पूरा करने के लिए प्रतिपूरक वित्तपोषण सुविधा (कम्पेन्सेटरी फाइनेंसिंग फैसिलिटी) तेल सुविधा और सोना प्रारक्षित भंडार तथा ऋणों की किस्तों (क्रेडिट ट्रांशे) जैसी 186.45 करोड़ एस० डी० आर० (1283.05 करोड़ रुपये) के मूल्य की कोष की सुविधाओं का उपयोग किया। उपर्युक्त सभी निकासियों की पूरी तरह वापसी अदायगी कर दी गई है और अब इस संबंध में कोष की कोई देनदारी बकाया नहीं है।

छोटे उद्यमियों को ऋण सुविधाएं

6456. श्री नित्यानन्द मिश्र : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंक उड़ीसा में विशेष रूप से लघु उद्यमियों को, जिनके मामलों पर जिला औद्योगिक केन्द्रों द्वारा सिफारिश की गई है, ऋण सुविधायें देने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये निदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) जी, नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्हें उड़ीसा के लघु उद्यमियों से इस सम्बन्ध में कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कांडला हवाई अड्डे को विमान सेवा से जोड़ना

6457. डा० महिपत राय एम० मेहता : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के साथ हुए गत युद्ध के बाद से ही कांडला हवाई अड्डे को विमान सेवा असम्बद्ध कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इसे पुनः शुरू करने पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) कांडला की विमान सेवा को 1973 के अन्त में समाप्त कर दिया गया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जेट तथा टर्बो प्रॉप विमानों के वर्तमान समस्त विमान वेड़े के रूप से सेवा-रत होने के कारण इंडियन एयरलाइंस की कांडला के लिए विमान सेवा प्रारम्भ करने की कोई योजना नहीं है। साथ ही, भुज के जो कि दैनिक बोइंग-737 सेवा द्वारा जामनगर के मार्ग से बम्बई के साथ जुडा हुआ है कांडला के अत्यधिक निकट होने के कारण यह महसूस किया जाता है कि काँडला से तथा काँडला के लिए यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए भुज का विमान क्षेत्र हवाई प्रवेश द्वार का कार्य कर सकता है। तथापि, कांडला के लिये विमान सेवा पर तीसरी विमान सेवा के संदर्भ में, विचार किया जा सकता है। तीसरी विमान सेवा के बारे में एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

महाराष्ट्र और तमिल नाडु में कृषकों को दिए गए ऋणों को माफ किया जाना

6458. **श्री जार्ज फर्नान्डीस :**
प्रो० मधु दण्डवते :
श्री रामकृष्ण मोरे :
श्री नित्यानन्द मिश्र : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु की सरकारों द्वारा कृषकों को दिये गये ऋणों को माफ करने के सम्बन्ध में लिए गए निर्णयों का समर्थन करने के लिए अपनी अनिच्छा व्यक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय में क्या क्या उलझनें हैं ; और

(ग) इस बारे में भारत सरकार का क्या रवैया है ?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु की सरकारों द्वारा कृषकों को दिए गए सरकारी अल्पावधि ऋणों को माफ किये जाने सम्बन्धित निर्णय के बारे में अपने विचार आरक्षित रखे हैं। इस मामले पर भारतीय रिजर्व बैंक और महाराष्ट्र की सरकार के बीच बातचीत होती रही है।

(ख) महाराष्ट्र और तमिलनाडु की सरकारों के निर्णय का अखिल भारतीय स्तर पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, जैसे कि इस निर्णय से, वित्तीय संस्थाओं को कृषकों द्वारा ऋणों की वापसी अदायगी, वित्तिय संस्थाओं की स्थिति तथा इन संस्थाओं द्वारा कृषि क्षेत्र को दिये गए ऋण को पुन: उधार देने की योग्यता और राज्य सरकारों में अपने संसाधनों से ऐसी राहत देने की योग्यता से सम्बन्धित आम वातावरण पर प्रभाव पड़ेगा।

(ग) भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक बुरे मौसम की स्थिति, विशेषकर आवर्ती सूखा से प्रभावित कृषकों को ऋण राहत दिये जाने की आवश्यकता से पूरी तरह जागरूक हैं। महाराष्ट्र और तमिलनाडु की सरकारों द्वारा लिए गए निर्णय के दूरगामी प्रभावों पर भारत सरकार सावधानी पूर्वक विचार करना चाहती है।

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों को बोनस का भुगतान/अनुग्रह अदायगी

6459. **श्री मोहन लाल पटेल :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एयर इण्डिया और/अथवा इण्डियन एयरलाइन्स के किसी कर्मचारी वर्ग को बोनस का भुगतान किया है अथवा अनुग्रह अदायगी की है ;

(ख) यदि हां, तो कब और कितना भुगतान किया गया है और उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार 1980-1981 में अथवा निकट भविष्य में कर्मचारियों को बोनस देने अथवा अनुग्रह पूर्वक अदायगी करने का है ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ;

(ङ) क्या सरकार को गत पांच वर्षों के दौरान और 1 फरवरी, 1980 से 15 जुलाई, 1980 के बीच कर्मचारियों के प्रतिनिधियों, यूनियनों तथा संगठनों से इस तरह के भुगतान के बारे में पत्र, अभ्यावेदन अथवा मांगें प्राप्त हुई है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) सम्बन्धित कारपोरेशनों द्वारा सरकार की अनुमति से, एयर इंडिया के उन कर्मचारियों को जो कि बोनस अदायगी कानून के अन्तर्गत बोनस के पात्र हैं उत्पादकता से जुड़ा हुआ बोनस तथा इण्डियन एयरलाइन्स के 1600/- रुपए प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को उत्पादकता से जुड़ा हुआ बोनस अनुग्रह-राशि के रूप में प्रदान किया जाता है।

(ख) से (घ) एयर इंडिया में बोनस तथा इंडियन एयरलाइन्स में अनुग्रह-राशि के रूप में बोनस की अदायगी मान्यताप्राप्त संघों तथा संगठनों के साथ क्रमश: वर्ष 1978-79 से 1980-81 तक तथा वर्ष 1977-78 से 1980-81 तक के लिए किए गए समझौतों के अनुरूप की जाती है। इसके अनुसार एयर-इण्डिया ने वर्ष 1978-79 के लिए वेतन के 20% की दर से बोनस की अदायगी की है तथा इण्डियन एयरलाइन्स ने वर्ष 1977-78 तथा 1978-79 के लिए क्रमश: 18% तथा 19.5% की दर से अदायगी कर दी है।

(ङ) और (च) संघों/संगठनों तथा कर्मचारियों के समूहों द्वारा यह मांगे की जाती रही हैं कि उत्पादकता से जुड़ा हुआ बोनस 1600/- रु० प्रति माह से अधिक वेतन/पारिश्रमिक पाने वाले कर्मचारियों को भी दिया जाए। इस मांग को नहीं माना गया क्योंकि सरकार की नीति केवल 1600/- रु० प्रति माह तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को ही बोनस देने की है। इण्डियन एयरलाइन्स संघों द्वारा यह भी मांग की जाती रही है कि 1976-77 के लिए भी बोनस की अदायगी अनुग्रह-राशि के रूप में उन्हीं शर्तों पर की जाए जिन पर कि वर्ष 1977-78 से 1980-81 तक की अवधि के लिए सरकार ने उत्पादकता से जुड़ा हुआ बोनस मंजूर किया था। इसे सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया।

सोने और चांदी की तस्करी

6460. **रामजीभाई बी० मावाणी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान और 1 फरवरी, 1980 से 15 जुलाई, 1980 तक कितना सोना तथा चांदी तस्करी द्वारा देश में लाया गया ;

(ख) उसका अनुमानित मूल्य कितना है ;

(ग) उक्त अवधि में सोने और चांदी की कुल कितनी मात्रा पकड़ी गयी तथा उसका मूल्य कितना था और सरकार द्वारा निलामी के माध्यम से अथवा उसकी बिक्री द्वारा कितनी राशि वसूल की गयी ;

(घ) क्या आपातस्थिति को समाप्त करने तथा आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम तथा ऐसे अन्य नियमों, विनियमों तथा अधिनियमों में ढील दिये जाने से इन मदों की तस्करी बढ़ी है अथवा घटी है ; और

(ङ) क्या सरकार को पता है कि सौराष्ट्र-कच्छ तथा गुजरात के तटीय मार्गों के आस-पास चांदी, सोना तथा अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में तस्करी व्यापार बड़ी मात्रा में चल रहा है ; यदि हां, तो उसे रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) से (घ) देश में तस्कर-आयात किए गए अथवा देश से तस्कर-निर्यात किए गए सोने और चांदी की मात्रा और मूल्य का कोई अधिकृत अनुमान उपलब्ध नहीं है। सरकार के पास इस आशय की सूचना भी नहीं है कि आपात स्थिति को हटाने और आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम तथा विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम में ढ़ील दे देने से सोने और चांदी की तस्करी बढ़ी है अथवा कम हुई है।

(ग) सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पिछले पांच वर्षों में पकड़े गए सोने और चांदी की मात्रा तथा मूल्य निम्नलिखित है :—

	वर्ष	मात्रा (किलो ग्राम में)	मूल्य (लाख रुपयों में)
सोना	1975	134	68
	1976	173	85
	1977	267	162
	1978	220	152
	1979	134	136
	1980 (फरवरी से जून तक)	22 (लगभग)	30 (लगभग)
चांदी	1975	430	5.00
	1976	2253	27.50
	1977	110	1.30
	1978	642	9.00
	1979	5410	122.00
	1980 (फरवरी से जून तक)	12935 (लगभग)	397.00 (लगभग)

सरकार ने जब्तशुदा सोने और चांदी की नीलामी अथवा बिक्री करके जो रकम वसूल की है, उसके सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) जी, हां। पश्चिमी समुद्रतट पर तस्करी क्रियाकलापों को रोकने के लिए तस्करी निवारक उपाय सुदृढ़ किए जा रहे हैं। सीमा शुल्क निवारक और गुप्त सूचना कर्मचारियों की समुचित रूप से इधर-उधर तैनाती की गई है तथा उन्हें तस्करी निवारक उपकरण दिए गए हैं जिससे वे निषिद्ध माल का पता लगा कर उसे पकड़ सकें। गुप्त सूचना तथा जानकारी के शीघ्र और गुप्त प्रसारण हेतु पश्चिमी समुद्र तट पर बेतार संचार-व्यवस्था का जाल बिछा दिया गया है। तेज गति वाली नौकाओं से समुद्रीय गश्त लगाकर चौकसी रखी जाती है। समुद्रतटों को जाने वाली सड़कों पर चलने वाले वाहनों की जांच करने हेतु समुद्रतटीय गार्ड दल भी गठित किए गए हैं।

ईराक के लिये विमान सेवाओं की संख्या में वृद्धि

6461. **श्री जी० एम० बनातवाला :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईराक एयरवेज द्वारा दिल्ली से बगदाद तक सप्ताह में एक बार चलाई जाने वाली एक मात्र विमान सेवा और एयर इन्डिया द्वारा बम्बई से बगदाद तक चलाई जाने वाली दूसरी विमान सेवा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुये सरकार का विचार ईराक से विमान सेवाओं की संख्या में वृद्धि करने हेतु प्रस्ताव करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमनन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) ईराकी एयरवेज बी 747 विमान से बगदाद से दिल्ली तथा बम्बई के लिए एक-एक साप्ताहिक सेवा का परिचालन कर रही है। एयर इंडिया इस समय बम्बई से बगदाद के लिए एक साप्ताहिक बी–707 सेवा का तथा पट्टे पर लिए गए डी० सी०–8 विमान से बम्बई तथा बगदाद के बीच एक साप्ताहिक कार्गो सेवा का परिचालन कर रही है।

(ख) और (ग) ईराक सरकार ने भारत तथा ईराक के बीच ईराकी एयरवेज़ की सेवाओं की संख्या में वृद्धि कराने की दृष्टि से सरकारी स्तर की बातचीत करने का प्रस्ताव किया है। प्रस्तावित विचार-विमर्श जुलाई, 1980 में किया जाना था परन्तु ईराकी प्रतिनिधिमंडल के लिए जुलाई में विचार-विमर्श करना सम्भव नहीं हुआ और इसलिए बातचीत स्थगित पड़ी है।

नवम्बर, 1980 से, एयर इंडिया की बम्बई से बगदाद के लिये दो सेवाएं परिचालित करने की योजना है जिनमें से एक सेवा का परिचालन दिल्ली से होते हुए किया जाएगा।

औद्योगिक विकास बैंक द्वारा गैर सरकारी क्षेत्रों को दिये गये ऋण

6462. **श्री आर० आर० भोले :** क्या वित्त मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977 से 1979 तक की अवधि में औद्योगिक विकास बैंक ने विभिन्न गैर-सरकारी क्षेत्रों को कितनी धनराशि के ऋण दिये ;

(ख) विभिन्न गैर-सरकारी क्षेत्रों को, स्कीम तैयार हो जाने के बाद उदार शर्तों पर ऋण की कितनी राशि दी गई थी और उन में से कितनी धनराशि की वसूली हो गई है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) आई० आर० सी० आई० के माध्यम से रुग्ण मिलों को कितनी धनराशि के ऋण मंजूर किये गये थे और क्या धनराशि वास्तव में उस प्रयोजन पर खर्च की गई थी, जिसके लिए वह मंजूर की गई थी ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 1970-71 (जुलाई-जून) से 1978-79 (जुलाई-जून) तक के वर्षों के दौरान विभिन्न गैर-सरकारी क्षेत्रों के औद्योगिक एककों को 653.79 करोड़ रुपए की प्रत्यक्ष सहायता मंजूर की थी ।

(ख) फरवरी 1977 से जब सुलभ ऋण योजना शुरू हुई तब से लेकर 31 जुलाई, 1979 तक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने विभिन्न गैर-सरकारी क्षेत्रों के औद्योगिक प्रतिष्ठानों को 155.3 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की थी । इसमें से 38.7 करोड़ रुपए की सहायता का भुगतान कर दिया गया था । 31 मार्च, 1980 की स्थिति के अनुसार, इस योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त 10 कम्पनियों ने मूल और ब्याज की 71.01 लाख रुपए की रकम (मूल के रूप में 25 लाख रुपए और ब्याज के रूप में 46.01 लाख रुपए) की अदायगी करने में व्यतिक्रम किया था । यह व्यतिक्रम, एककों की वित्तीय स्थिति कमजोर होने, एककों के रुग्ण हो जाने, श्रमिक समस्यायें पैदा होने आदि के कारण हुए ।

(ग) 31 मार्च, 1980 की स्थिति के अनुसार, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम ने रुग्ण औद्योगिक एककों को कुल मिलाकर 79 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मंजूर की थी । भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम इस बात पर कड़ी नजर रखता है कि एककों को जिन विनिर्दिष्ट शीर्षों के अन्तर्गत सहायता मंजूर की गई है, वितरित राशियों का उनके द्वारा उन्हीं शीर्षों के अंतर्गत उपयोग किया जाय ।

इंजीनियरिंग उद्योग द्वारा ऋण का उपयोग

6463. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत चार वर्षों के दौरान इन्जीनियरिंग उद्योग ने उदार शर्तों के केवल 60 करोड़ रुपये के ऋणों का उपयोग किया है जबकि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा 300 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की गई थी ;

(ख) क्या सरकार ने इतनी अधिक धनराशि के उपयोग न किये जाने के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया है ;

(ग) क्या उद्योग ने स्थिति को सुधारने के लिये कुछ सुझाव दिये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इन पर विचार और निर्णय कर लिया है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) और (ख) यह सच नहीं है कि भारतीय विकास बैंक ने सुलभ ऋण योजना के अन्तर्गत इंजीनियरिंग उद्योग के लिए 300 करोड़ रुपए की राशियां आबंटित की हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इस योजना के अन्तर्गत इंजीनियरिंग उद्योग समेत किसी भी विशिष्ट उद्योग के लिए कोई विशेष प्रकार का आबंटन नहीं करता। फरवरी, 1977 से जब से यह योजना चालू हुई है, 31 मई, 1980 तक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई०एफ०सी०आई०) और भारतीय ऋण और निवेश निगम (आई०सी०आई०सी०आई०) के साथ मिलकर इस योजना के अन्तर्गत इन्जीनियरिंग उद्योग के 75 एककों को कुल मिलाकर 111.36 करोड़ रुपए के ऋण मंजूर किये हैं। इनमें से 48 एककों ने 33.16 करोड़ रुपए तक की सहायता प्रदान की है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता। हालांकि भारतीय इन्जीनियरिंग औद्योगिक संघ एसोसियेशन आफ इण्डियन इन्जीनियरिंग इंडस्ट्री) ने संस्थागत वित्त के कतिपय पहलुओं से संबंधित नीतियों और कार्य प्रणालियों के बारे में एक टिप्पणी भेजी थी। परन्तु उसने इन्जीनियरिंग उद्योग के द्वारा सहायता पाने के बारे में सुलभ ऋण योजना में कोई नीति विषयक परिवर्तन करने के लिए सुझाव नहीं दिया है।

औद्योगिक प्रदूषण के कारण वर्षा में कमी

6464. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक प्रदूषण में वृद्धि होने से वर्षा कम होती है तथा इसका विश्व की जलवायु पर गम्भीर प्रभाव पड़ सकता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई परीक्षण किये गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (ग) वर्षा पर औद्योगिक प्रदूषण के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए अनुसंधान-कार्य प्रगति पर है।

बुल्गारिया द्वारा उर्वरकों की पेशकश

6465. **श्री एस० एम० कृष्ण** :
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्री पी० एम० सईद : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुल्गारिया ने उर्वरकों के सम्बन्ध में भारत से कोई पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या बुल्गारिया के अधिकारियों के साथ इस बारे में कोई वार्ता भी हुई थी ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) मई 1980 में नई दिल्ली में भारत बल्गारियाई संयुक्त आयोग के बीच हुई बातचीत के दौरान बल्गारियाई प्रतिनिधि मंडल ने 1981-85 के दौरान भारत को प्रतिवर्ष 1,00,000 मे० टन यूरिया सप्लाई करने की पेशकश की है। सौदे को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के विभागीय फ्लैटों के दुरुपयोग के बारे में आयकर आयुक्त दिल्ली को पत्र

6466. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर आयुक्त, दिल्ली-1 को कालकाजी में दिल्ली विकास प्राधिकरण के विभागीय फ्लैटों के दुरुपयोग के बारे में दिनांक 23 मई, 1980 का पत्र संख्या संघ/मिसलेनियस कारेसपांडेंस/वाल,/80-81 प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या यह सच है कि बहुत से वरिष्ठ कर्मचारी आबंटन के लिए अपने अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं ; और

(ग) क्या उन कर्मचारियों को बेदखल करने के लिए, जो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, कोई कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) जी, हां।

(ख) जिन 32 अधिकारियों ने 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1981 तक की अवधि के दौरान कालकाजी विभागीय पूल के टाइप 'सी' फ्लैटस के आबंटन के लिए आवेदन किया है, उन में से 11 को अब तक आवास आबंटित किए जा चुके है। शेष अधिकारी अपनी बारी से आवास की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

(ग) जी, हां।

मद्रास में पालमोलीइन तेल का पकड़ा जाना

6467. **श्री एन० डेनिस** : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को तमिलनाडु पुलिस द्वारा जून, 1980 के उत्तरार्ध में मद्रास शहर में रोयापुरम और थिरयूवेलटियर में व्यापारियों से ढ़ाई करोड़ रुपए मूल्य का लगभग 13,497 बैरल पालमोलीइन तेल के पकड़े जाने की जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो तमिलनाडु में आवश्यक खाद्य उत्पादों की जमाखोरी का पता लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां। तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि 16-6-1980 को नागरिक पूर्ति (सी० आई डी०) मद्रास ने छापा मारा और

रोयापुरम तथा तिरयूवेलटियर में निर्धारित स्टाक सीमाओं के उल्लंघन पर 14,497 बैरल पामोलीयम तेल पकड़ा। जांच के दोरान, पामोलीयन की कुछ अतिरिक्त मात्रा भी पकड़ी गई। पकड़ी गई वस्तुओं का कुल मूल्य 2.64 करोड़ रुपए था।

(ख) राज्य सरकारों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत उनके द्वारा जारी किए गए लाइसेंसिग और जमाखोरी रोकने के सभी आदेशों को लागू करने का पूरा अधिकार है। इसलिए तमिलनाडु में व्यापारियों द्वारा जमा किए गए आवश्यक खाद्य पदार्थों का पता लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा सीधी कार्रवाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

गोवा में खनिजों पर आधारित उद्योग

6468. **श्रीमती संयोगिता राणे :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस तथ्य के बावजूद कि संघ क्षेत्र गोवा में लौह अयस्क तथा मैंगनीज जैसे महत्वपूर्ण खनिज खानों से निकाले जाते हैं, वहां खनिज पर आधारित कोई उद्योग नहीं है ;

(ख) खनिज संसाधनों पर आधारित उद्योगों की संभावनाओं का पता लगाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) लाभ की दृष्टि से महत्वपूर्ण खनिजों की खोज करने के लिये (गोआ में पाई जाने वाली लौह-अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क भी शामिल है) निम्नलिखित उद्योगों की स्थापना की गई है:—

1. पेले में 5.5 लाख टन वार्षिक क्षमता का लौह-अयस्क के पेलेट बनाने का कारखाना।
2. शिरोडा में मेसर्स मन्डोवी पेलेट्स लिमिटेड द्वारा लगाया गया 18 लाख टन वार्षिक क्षमता का लौह अयस्क के पैलेट बनाने का कारखाना।
3. कोर्टालिम में प्राकृतिक मैंगनीज डायक्साइड को प्रोसेस करने का कारखाना। इस कारखाने की वार्षिक क्षमता 1000 टन की है।
4. कोर्लिम उद्योग क्षेत्र में प्राकृतिक मैंगनीज डायक्साइड को प्रोसेस करने का कारखाना। इस कारखाने की वार्षिक क्षमता 600 टन है।
5. पोंडा के नकिट कुर्टी में पोटाशियम परमेंगनेट का कारखाना, जिसकी वार्षिक क्षमता 750 टन है।
6. कोर्लिम उद्योग क्षेत्र में विभिन्न खनिजों को प्रोसेस करने और पिसने का कारखाना, जिसकी वार्षिक क्षमता 3000 टन है।

(ख) तथा (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पर्यटन और नागर विमानन विभाग में बजट तथा लेखा अनुभाग बनाया जाना एवं उसके कृत्य

6469. श्री चन्द्रपाल शैलानी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन विभाग में 1978 में एक लेखा अधिकारी के अधीन एक बजट तथा लेखा अनुभाग बनाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो यह किस तारीख को बनाया गया था और पर्यटन विभाग में इस अनुभाग के कृत्य क्या हैं ;

(ग) इसके बनाए जाने के समय इसके लिये कुल कितने कर्मचारी मंजूर किए गए थे, उनके पदनाम एवं वेतनमान क्या हैं ; और

(घ) क्या बाद में इन मंजूर पदों में कोई परिवर्तन हुआ है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) जी, हां। काम के बटवारे को युक्तिसंगत बनाने के उद्देश्य से एक आंतरिक प्रशासनिक उपाय के तौर पर विभाग के कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या के अन्तर्गत 7 जुलाई, 1978 के एक आदेश द्वारा यह अनुभाग खोला गया था। इस अनुभाग को सौंपे गए कृत्य ये हैं — पर्यटन विभाग से संबंधित मांगों के बारे में कुल बजट कार्य और खर्च की प्रगति पर समुचित निगरानी रखना, लेखा-आपत्तियों के निपटान आदि।

(ग) अनुभाग के सृजन के समय अनुभाग के लिए निश्चित स्टाफ संख्या इस प्रकार थी :-

(1) सहायक निदेशक (650-1200 रु०)	—	1 पद
(2) सहायक (425-800 रु०)	—	1 पद
(3) लेखाकार (425-700 रु०)	—	1 पद
(4) अवर श्रेणी लिपिक (260-400 रु०)	—	2 पद

आंतरिक प्रबन्ध के तौर पर एक सहायक निदेशक के स्थान पर बजट और लेखा अनुभाग के प्रभारी के रूप में होटल प्रभाग के ऋण अधिकारी को तैनात किया गया था, जो भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग का, एस० ए० एस० अर्हता-प्राप्त अधिकारी था।

(घ) जबकि इस अनुभाग के लिए कर्मचारियों की निश्चित संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तथापि प्रशासनिक कारणों से इस समय एक लेखाकार के स्थान पर एक उच्च श्रेणी लिपिक कार्य कर रहा है।

सरायों के निर्माण में सहायता के लिये गठित गैर-सरकारी संगठन

6470. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों तथा पर्यटन केन्द्रों पर सरकारी सहायता के साथ

पर्यटकों, यात्रियों तथा तीर्थ यात्रियों के लिये सरायों का निर्माण करने के लिये एक गैर-सरकारी संगठन की स्थापना की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो संगठन के बारे में ब्यौरा क्या है और इसके द्वारा अब तक किये गये कार्य का सारांश क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) केन्द्रीय पर्यटन विभाग की पहल पर भारतीय यात्री आवास विकास समिति नामक एक समिति की स्थापना की गई है। यह समिति सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अधीन पंजीकृत की गई है। भारतीय यात्री आवास विकास समिति का मूल उद्देश्य धर्मशालाओं/ सरायों/मुसाफिरखानों के प्रबन्ध, रख-रखाव और निर्माण के लिए संस्थाओं और व्यक्तियों को ऋण और अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। जहां कहीं आवश्यक समझा जाएगा, वहां समिति इस प्रकार की स्थापनाओं का निर्माण भी करेगी। अपने कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए, समिति केन्द्रीय और राज्य सरकारों से अनुदान प्राप्त करेगी और दान द्वारा भी धन-राशि एकत्र करेगी।

समिति के संगम ज्ञापन, नियमों और विनियमों में यह व्यवस्था है कि समिति की एक कार्यकारी समिति होगी जिसमें अधिक से अधिक 21 सदस्य शामिल होंगे। पहली कार्यकारी समिति का जिसमें 10 संस्थापक सदस्य शामिल होंगे, कार्यकाल तीन वर्ष होगा और इस प्रकार की अनुवर्ती समितियों का कार्यकाल दो वर्ष होगा। नियमों और विनियमों में यह भी व्यवस्था की गई है कि इस समिति की कार्यकारी समिति के छः सदस्य सरकार द्वारा नामित किए जाएंगे।

वर्ष 1979-80 में केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने समिति को 5 लाख रुपए का तदर्थ अनुदान प्रदान किया था, जो उसके द्वारा प्रस्तुत 15 लाख रुपये के बजट पर आधारित था। हाल ही में अनुदान प्राप्त करने के पश्चात समिति ने शुरुआत के तौर पर उज्जैन में हाल के कुम्भ मेले में एक आवास और सहायता कैम्प स्थापित किया और अमरकंटक की यात्रा करने वाले तीर्थ-यात्रियों के लिए एक आवास यूनिट के निर्माण हेतु, रामकृष्ण मिशन, अमरकंटक (मध्य प्रदेश) को 50,000 रुपए का अनुदान मंजूर किया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में चलते-फिरते बैंक खोलना।

6471. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में चलते-फिरते बैंक खोलने का है कि ताकि *देश के भीतरी क्षेत्रों, विशेषकर पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आवश्यकताएं* पूरी की जा सकें ; और

(ख) यदि हां, तो यह योजना किस तारीख तक लागू किए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) और (ख) जिन केन्द्रों में आधारभूत सुविधाओं की कमी होने अथवा कारबार के लिए अपर्याप्त क्षमता होने के कारण पूर्णाकार शाखाएं नहीं खोली जा सकती उनमें बैंकिंग सुविधायें प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, जहां आवश्यक समझता है, वहां पहले ही बैंक की चलती-फिरती (मोबाइल) शाखाएं खोलने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को अनुमति दे रहा है।

व्यापार करार

6472. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने इस समय किन-किन देशों से व्यापार करार किए हुए हैं ;

(ख) क्या निकट भविष्य में अन्य देशों से भी ऐसे ही व्यापार-करार करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो किन-किन देशों से ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) फिलहाल भारत ने निम्नलिखित देशों से व्यापार करार किये हुए हैं :-

आस्ट्रेलिया, बर्मा, कोरिया गणराज्य, मंगोलिया, कोरिया लोक-तंत्रीय जनवादी गणराज्य, थाइलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपीन, जापान, वियतनाम, जर्मन संघीय, गणराज्य, फ्रांस, इटली, स्वीडन, फिनलैंड, स्पेन, यूनान, स्विटजरलैंड, आस्ट्रिया, पुर्तगाल, तुर्की, कुवैत, इराक, जोडर्न, सीरिया, यमन जनवादी लोकतंत्रीय गणराज्य, मिस्र अरब गणराज्य, सूडान, अल्जीरिया, लीबिया मराको, ट्यूनिशिया, केमेरुन, सेनेगल, ईरान, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, बंगलादेश, ब्राजील, चिली, कोलम्बिया, क्यूबा, पेरू, बल्गारिया, चैकोस्लोवाकिया, जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य हंगरी, पोलैंड, रूमानिया, सोवियत संघ तथा युगोस्लाविया।

(ख) तथा (ग) कीनिया, घाना, मोजम्बीक, लाइबेरिया, सोमालिया, मालदीव और अर्जनटीना के साथ व्यापार करार करने का प्रस्ताव हैं। वर्ष 1975 में पाकिस्तान के साथ सम्पन्न हुआ व्यापार करार 22-1-1978 को समाप्त हो गया। तब से पाकिस्तान के साथ एक नया व्यापार करार सम्पन्न करने के प्रयत्न जारी हैं। भारत तथा यमन अरब गणराज्य दोनों के प्रतिनिधियों द्वारा यमन अरब गणराज्य के साथ एक व्यापार करार पर आद्याक्षर हो चुके हैं परन्तु इस करार पर अभी औपचारिक रूप से हस्ताक्षर होने हैं।

बेलाडीला लौह अयस्क परियोजना में अनुसूचित जाति अनुसूचित/जनजाति के कर्मचारी

6473. **श्री लक्ष्मण कर्मा :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेलाडीला लौह अयस्क परियोजना में अब तक श्रेणीवार और ग्रेडवार अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के कितने कर्मचारी लगाये गये हैं ;

(ख) उक्त परियोजना में अनुजनजाति और अनुजाति के लिये कोटा भरने हेतु सम्बन्धित अधिकारी द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) लौह अयस्क में कुल कितने नैमितिक श्रमिक लगाये गये हैं ; और

(घ) नैमितिक श्रमिकों की भर्ती और उनको भुगतान करने हेतु किस एजेंसी की व्यवस्था की गई है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) बैलाडिला लौह-अयस्क परियोजनाओं में कार्य कर रहे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या का श्रेणीवार तथा ग्रेडवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

I. श्रेणीवार ग्रुपवार

श्रेणी/ग्रुप	बैलाडिला–5		बैलाडिला-14	
	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जनजातियां	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जन-जातियां
ए०	3	—	1	2
बी०	1	1	1	2
सी० (सफाई कर्मचारियों को छोडकर)	214	445	133	339
सफाई कर्मचारी	28	3	9	—
कुल	246	449	144	343

II. ग्रेड/वेतनमान के अनुसार

ग्रेड वेतनमान रुपए	बैला डिला -5		बैला डिली-14	
	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जन-जातियां	अनुसूचित जातियाँ	अनुसूचित जन-जातियां
1	2	3	4	5
1. 2250-2750	—	—	—	—
2. 2000-2500	—	—	—	—
3. 1800-2250	—	—	—	—
4. 1500-2000	1	—	—	—
5. 1300-1700	—	—	—	—
6. 1100-1600	—	—	—	—
7. 700-1300	2	—	1	2
8. 650-1200	—	—	—	1
9. 600-990	1	1	—	1
10. 590-950	—	—	1	—
11. 500-764	2	2	1	1

	1	2	3	4	5
12.	460-700	4	—	4	2
13.	415-631	2	2	3	3
14.	400-592	7	12	5	8
15.	385-553	2	4	3	—
16.	350-482	44	39	23	32
17.	325-433	55	101	36	65
18.	300-384	18	84	23	93
19.	290-338	108	204	44	135
	कुल	246	449	144	343

(ख) परियोजना के प्राधिकारियों द्वारा परियोजना में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित कोटे को भरने के लिए किए गए उपायों के बारे में नीचे बताया गया है :-

(1) रोजगार केन्द्रों को जारी की जाने वाली अधिसूचनाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के प्रत्याशियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या के बार में विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है ।

(2) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के प्रत्याशियों को अधिकाधिक अवसर देने के लिए उन्हें पद के लिए अपेक्षित योग्यताओं में विशेष छूट दी जाती है ।

(3) रोजगार केन्द्रों द्वारा भेजे गए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के प्रत्याशियों को साक्षात्कार के स्थान तक पहुंचने के लिए यात्रा खर्च दिया जाता है ।

(4) रिक्तियों की अधिसूचना को रोजगार के अलावा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के हितों का ध्यान रखने वाली एजेन्सियों को भी भेजी जाती है । जब भी कोई विज्ञापन जारी किया जाता है तो प्रेस को भेजने के साथ-साथ उसकी प्रतियां रोजगार केन्द्रों तथा देश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों की एजेन्सियों को भेजी जाती हैं ।

(5) विभागीय परीक्षाओं में उच्च पदों के लिए निर्धारित योग्यताओं में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के कर्मचारियों को निर्धारित स्टेन्डर्ड में छूट दी जाती है ।

(ग) बैलाडिला-5 में केवल 5 अनियत मजदूर कार्य कर रहे हैं । बैलाडिला-14 में कोई अनियत मजदूर नहीं हैं ।

(घ) अनियत मजदूरों की नियुक्ति तथा उन्हें मजदूरी का भुगतान विभाग द्वारा किया जाता है ।

बैलाडिला लौह अयस्क से अर्जित की गई विदेशी मुद्रा

6474. श्री लक्ष्मण कर्मा : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस मंत्रालय द्वारा बैलाडिला लौह अयस्क से प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है,

(ख) मध्य प्रदेश सरकार को उक्त लौह-अयस्क से अब तक प्रत्येक वर्ष कितनी-कितनी रायल्टी प्राप्त हुई है,

(ग) उक्त लौह अयस्क से प्राप्त हुए राजस्व में से केन्द्र और उस राज्य सरकार द्वारा उस क्षेत्र के आदिवासियों के विकास पर कितनी-कितनी राशियां खर्च की गई हैं, और

(घ) यदि नहीं, तो उसके लिए क्या वैकल्पिक प्रस्ताव बनाये गये हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : गत 10 वर्षों में बैलाडिला के लौह अयस्क से अर्जित की गई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	राशि करोड़ रुपए
1970-71	23.77
1971-72	25.72
1972-73	26.93
1973-74	35.10
1974-75	35.47
1975-76	51.26
1976-77	60.81
1977-78	76.59
1978-79	74.01
1979-80	71.29

(ख) गत 10 वर्षों में बैलाडिला लौह अयस्क परियोजना में मध्य प्रदेश सरकार को प्राप्त हुई रायल्टी का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

वर्ष	राशि (लाख रुपये)
1970-71	49.70
1971-72	60.58
1972-73	76.82
1973-74	81.29
1974-75	77.90
1975-76	99.17
1976-77	104.76
1977-78	130.48
1978-79	206.26
1979-80	211.13

(ग) और (घ) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

आयकर आयुक्त, दिल्ली के अधीन लेखाओं का रख-रखाव

6475. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आय-कर आयुक्त, दिल्ली के अधीन कार्य कर रहे अनेक डी० डी० ओ० स/आई० ए० सी० 'स' ने अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य बचत) अधिनियम, 1974 के अनुसार खाते/लेजरों को उचित प्रकार से रख-रखाव नहीं किया है ;

(ख) क्या दिनांक 1-9-1975 से 30-6-76 (पुराना) तक की अवधि का 'निल बिल" नहीं बनाया गया है और कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों में नहीं जमा किया गया है ;

(ग) क्या जुलाई, 1979 में भुगताई गई चौथी किस्त के ब्याज को कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों में जमा नहीं किया गया है ;

(घ) क्या अतिरिक्त महंगाई भत्ते की पहली, दूसरी किस्तों को अब तक जमा नहीं किया गया है और पुराने तथा नए खातों से कटौती के विवरण दिल्ली आय-कर विभाग के कर्मचारियों को नहीं दिए गए हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और बिल कब तक भेज दिया जाएगा तथा कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों में जमा कर दिया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) यदि कुल मिलाकर विचार किया जाय तो वैयक्तिक लेजर खाते, अतिरिक्त परिलब्धियां (अनिवार्य जमा) अधिनियम, 1974 के अनुसार रखे जा रहे हैं। खातों को अद्यतन बनाने के लिये हर संभव प्रयास किया जा रहा है। पुराने खाते के सम्बंध में सभी चार किस्तों की अदायगी. सभी कर्मचारियों/ अधिकारियों को की जा चुकी है । जुलाई अथवा अगस्त, 1980 में, पांचवी किस्त की अदायगी करने के उपाय किये जा रहे हैं ;

(ख) 1 सितम्बर 1975 से 30 जून 1976 तक के महंगाई भत्ते की रकम को कर्मचारियों की सामान्य भविष्य-निधि खाते में जमा करने के लिये सरकार के कोई अनुदेश नहीं हैं। तथापि, ये अनुदेश 1 अक्तूबर 1974 से 31 अगस्त 1975 तक की अवधि के अतिरिक्त महंगाई भत्ते की बकाया रकमों से सम्बन्धित हैं। यह कार्य पूरा हो चुका है।

(ग) ऐसा अधिकांश कर्मचारियों के मामले में किया जा चुका है। तथापि, सभी आहरण एवम् वितरण अधिकारियों से नवीनतम स्थिति का पता लगाया जा रहा है।

(घ) खातों को पूरी तरह तथा ठीक प्रकार से रखा जा रहा है और वे उन कर्मचारियों द्वारा, जो इसके बारे में जानने के इच्छुक हों, निरीक्षण के लिये हमेशा उपलब्ध रहते हैं। अलग अलग व्यक्तियों के सामान्य-भविष्य निधि खाते में जमा की गई नये खाते की रकम का ब्याज सहित, क्षेत्रीय लेखा अधिकारी द्वारा जारी किये जाने वाले सामान्य भविष्य-निधि खाते के वार्षिक विवरण-पत्र में दिखाया जाता है। जहां तक नये खाते की पहली और दूसरी किस्त का सम्बन्ध है, सभी आहरण एवम् वितरण अधिकारियों से स्थिति का पता लगाया जा रहा है।

(ङ) कुछ कठिनाइयों और सीमाओं के होते हुए भी, योजना की कार्यप्रणाली कार्यान्वित की जा रही है। उदाहरणार्थ, आहरण एवम् वितरण अधिकारियों के लिये यह एक अतिरिक्त

कार्य है । अ हरण एवम् वितरण अधिकारियों द्वारा प्रत्येक वर्ष समायोजन का जो कार्य पूरा किया जाना होता है उसमें अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण होते रहने के कारण बहुत समय लगता है ; और स्थानान्तरण पर तैनात नये पदधारी को कार्य समझने और उसके सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने में कठिनाई होती है । तथापि, कार्य तेजी से किया जा रहा है और आशा है कि वह 30 सितम्बर 1980 तक पूरा हो जायेगा ।

तैयार खाद्यान्न पदार्थों से होने वाली निर्यात आयात में कमी

6476. श्री जनार्दन पुजारी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1979-80 के दौरान तैयार खाद्यान्न पदार्थों से होने वाली निर्यात आय में कमी हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1978-79 और 1979-80 के दौरान कितने तैयार खाद्यान्न पदार्थों का निर्यात किया गया था और निर्यात में कमी के कारण क्या हैं ?

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) 1978-79 के अन्तिम आंकड़ों की तुलना में 1979-80 के दौरान हुए निर्यातों के अनन्तिम आंकड़े निर्यात आय में कमी दर्शाते हैं । किन्तु 1979-80 के निर्यात आंकड़ों को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद ही स्पष्ट स्थिति का पता चलेगा ।

(ख) निर्यात आंकड़े निम्नोक्त प्रकार हैं :-

	(करोड़ रु० में)
1978-79	138.01
1979-80	120.40 (अनन्तिम)

वर्ष 1979-80 के दौरान निर्यातों में मुख्य अड़चनें निम्नलिखित थीं :—

1) पैकिंग माल अर्थात् ओ टी एस डिब्बों की ऊंची लागत ;

2) चीनी की ऊंची लागत ;

3) बिजली की कमी ;

4) परिवहन लागत में वृद्धि ।

बड़े स्टाकयार्डों के लिए विकास योजना

6477. श्री जनार्दन पुजारी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बड़े स्टाकयार्डों के लिए कोई विकास योजना बनाई है, और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) स्टाकयार्डों में सुविधाएं उपलब्ध कराना उत्पादकों का उत्तरदायित्व है जिनसे आशा की जाती है कि वे समय-समय पर इन सुविधाओं की समीक्षा करें ।

बड़े औद्योगिक घरानों के सम्पर्क अधिकारियों के पालम हवाई अड्डे पर सीमाशुल्क कर्मचारियों के साथ संबंध

6478. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि बड़े औद्योगिक घरानों के सम्पर्क अधिकारियों ने अपने प्रमुखों के साथ न केवल पालम हवाई अड्डे पर सीमाशुल्क के प्रतिबंधित कक्षों में आने जाने के लिये, अपितु उन की सीमाशुल्क विभाग द्वारा निकासी को भी सुगम बनाने की दृष्टि से, हवाई अड्डे पर काम करने वाले सीमाशुल्क कर्मचारियों के साथ सम्पर्क स्थापित कर रखे हैं ;

(ख) क्या वे ऐसी निकासी के प्रबन्ध अग्रिम रूप से ही कर लेते हैं , और

(ग) यदि हां, तो उनका सीमाशुल्क कर्मचारियों को इस प्रकार के कदाचारों के बारे में चेतावनी देने और उनके कार्यकरण पर उच्चतर स्तरों पर नजर रखने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बारोत) : पालम हवाई अड्डे पर तैनात सीमाशुल्क के कुछेक कर्मचारियों के साथ कुछ लोगों की व्यक्तिगत जान-पहचान होने की संभावना को नामुमकिन तो नहीं माना जा सकता लेकिन किसी भी रिपोर्ट से यह पता नहीं लगता कि बड़े औद्योगिक घरानों के सम्पर्क-अधिकारी, पालम स्थित सीमाशुल्क वायुपत्तन कर्मचारियों के साथ संबंध कायम कर लेने में कामयाब हो गए हैं जिस की वजह से वे हवाई अड्डे के प्रतिबन्धित क्षेत्रों में प्रवेश करके अपने प्रमुखों के माल की सीमाशुल्क से आसानी से निकासी करवा सकते हैं अथवा यह कि वे साथ न लाए गए उनके असबाब की, सीमाशुल्क मान्डागार से निकासी के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं अथवा यह कि वे इस प्रकार की निकासियों का प्रबन्ध पहले से ही कर लेते हैं । यदि माननीय सदस्य के ध्यान में ऐसा कोई विशिष्ट मामला है और उसके बारे में जितना विवरण वे जानते हैं वह सूचित कर दें तो उस मामले की, समुचित उपचारी कार्यवाही अथवा यथावश्यक अन्य कोई कार्यवाही करने के लिए, जाँच की जा सकती है ।

(ग) ऐसे कदाचारों को रोकने के लिए सहायक सामान्य उपायों के ही अंग के रूप में प्रशासनिक तथा अन्य किस्म के उपयुक्त उपाय किए गए हैं । इन उपायों में, अन्य बातों के साथ, हवाई अड्डों पर उच्चतर स्तर के अधिकारियों द्वारा अधिक कड़ी निगरानी की व्यवस्था है ।

व्यापार मेलों में गाइडों की भर्ती

6479. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय और सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों द्वारा आयोजित विभिन्न राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में काम करने के लिए 'गाइड्स' की भर्ती की जाती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मेला गाइड़ों की भर्ती के लिए कोई उचित मानदण्ड विद्यमान नहीं हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पिछले व्यापार मेले के दौरान ऐसे साक्षातकारों के माध्यम

से गाइडों की भर्ती की गई थी, जिसमें प्रत्येक उम्मीदवार पर एक से लेकर दो मिनट तक का समय भी नहीं लगा था ;

(घ) क्या भविष्य में ऐसे अवसरों के लिए लिखित परीक्षाएं लेने, शैक्षिक और पाठ्य विषयेतर अर्हताएं जांचने और पैनल तैयार करने का विचार है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी, ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं। गाइडों की भर्ती के लिए उचित मानदण्ड का पालन किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शैक्षिक योग्यता, पिछला अनुभव, व्यक्तित्व, सामान्य ज्ञान आदि शामिल हैं।

(ग) पिछले व्यापार मेले के दौरान गाइडों का चयन एक समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया गया जिसका समय प्रत्येक उम्मीदवार की योग्यता पर निर्भर रहा ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

आभूषणों की तस्करी करने के संबंध में गिरफ्तारियां

6480. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1980 में 66 लाख रु० मूल्य के दुर्लभ आभूषणों को चोरी से देश के बाहर ले जाने के कथित आरोप में दो ब्रिटिश नागरिक गिरफ्तार किए गए थे ;

(ख) क्या बाद में उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या उन्होंने विचारण के लिए अदालत में पेश होने की घोषणा की है ;

(घ) यदि हां, तो गिरफ्तार किए गए नागरिकों के विवरण सहित उक्त घटना का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) से (ङ) जी, हां । 26 फरवरी, 1980 को दिल्ली हवाई पत्तन स्थित सीमाशुल्क अधिकारियों ने निकोलस मार्क शेरिडान और डेविड लेचलान फोर्बेस नामक दो ब्रिटिश राष्ट्रिकों को पकड़ा, जो हांग-कांग जा रहे थे, और जो सब मिलाकर लगभग 69.54 लाख रुपये मूल्य की सोने की छड़ें, चांदी और जड़ित जवाहिरात भारत से चोरी छिपे बाहर ले जाने की कोशिश में थे ।

दोनों यात्रियों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में रखा गया था। बाद में वे अदालत द्वारा जमानत पर छोड़ दिए गए । लेकिन चूंकि वे जमानत के बाद फरार हो गए थे इसलिए अदालत ने आदेश पारित करके प्रत्येक मामले में अभियुक्त के जमानतदार पर जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण तीस-तीस हजार रुपये का दण्ड लगाया ।

आगे जांच-पड़ताल की जा रही है ।

कर्नाटक में वनस्पति की कमी

6481. श्री एस० एम० कृष्ण : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में गत छः महीनों के दौरान वनस्पति की कमी रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राज्यों को वनस्पति की अतिरिक्त मात्रा आबंटित करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो कर्नाटक को वनस्पति की कितनी मात्रा आबंटित की जा रही है ?

नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं

(ख) व (ग) वनस्पति के वितरण पर कोई केन्द्रीकृत नियंत्रण न होने के कारण राज्य सरकारों को कोटा आवंटित करने का प्रश्न नहीं उठता । वनस्पति उत्पादक, परस्पर प्रतिस्पर्धी होने के कारण, विभिन्न राज्यों को मांग के अनुसार सारे देश में अपना उत्पादन पहुंचा रहे हैं । तथापि, कर्नाटक सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आर० बी० डी० ताड़ का तेल, जो वनस्पति का एक बेहतर विकल्प और खाना पकाने का पौष्टिक माध्यम है, देने का प्रस्ताव किया गया था, किन्तु उन्होंने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई ।

दिल्ली में विभिन्न बैंकों द्वारा संराशिकृत पेंशन को रोक लिया जाना ।

6482. श्री चन्द्रभाल मणि तिवारी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली/नई दिल्ली में विभिन्न बैंकों द्वारा नई दिल्ली राजकोष/दिल्ली राजकोष से उन्हें प्राप्त हुए राशिकृत पेंशन के आर्डर रोक लिए जाते हैं और वे संबंधित बैंकों को आर्डर रिलीज नहीं करते हैं जहां से पेंशनरों को राशि लेनी होती है ;

(ख) क्या यह सच है कि राजकोष द्वारा पेंशनरों को दिये जाने के लिए रिलीज की गई राशि बैंकों द्वारा प्रायः रोक ली जाती है और इसे वे ब्याज का लाभ उठाने के लिए अपने उपयोग में लेते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो बैंकों द्वारा पेंशन भोगियों को राशिकृत पेंशन और अन्य धनराशियों के लिये आदेश शीघ्र देने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) नियमों का अर्थ सही न लगाए जाने के परिणामस्वरूप नई दिल्ली में एक बैंक द्वारा पेंशन के संराशिकृत मूल्य की अदायगी में हुए विलम्ब का केवल एक मामला सरकार के ध्यान में लाया गया है । इस प्रकार दिल्ली/नई दिल्ली में विभिन्न बैंकों द्वारा इन अदायगियों को रोके रखने का कोई मामला नहीं है । तथापि, विलम्ब वाले मामलों में शीघ्र अदायगी करवाने के लिए उपयुक्त कार्रवाई कर दी गई है ।

(ख) पेंशन-भोगियों को देय अदायगियां शुरू में बैंकों द्वारा अपने ही नकद अधिशेष में से की जाती हैं और बाद में भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से उन्हें इस की प्रतिपूर्ति की जाती है । इस प्रकार पेंशन भोगियों को अदायगी के लिए राजकोष द्वारा रिलीज की गई धनराशि को बैंकों द्वारा रोके रखे जाने और उसे अपने लाभ तथा हित के लिए उपयोग में लाये जाने की कोई संभावना या अवसर नहीं है ।

(ग) : (क) और (ख) में बताए गए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, इस मामले में आगे और कार्रवाई की आवश्यकता नहीं दिखाई देती है ।

एल्यूमिनियम की आवश्यकता

6483. श्री आर० के० महालगी : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में सभी किस्मों के एल्यूमिनियम की उत्पादन क्षमता 3.4 लाख मीटरी टन प्रति वर्ष है ;

(ख) क्या वास्तव में क्षमता का उपयोग केवल 60 प्रतिशत होता है ;

(ग) क्या क्षमता के इस कम उपयोग का मुख्य कारण बिजली की अपर्याप्त सप्लाई है ;

(घ) क्या यह सच है कि उड़ीसा में हीराकुड प्रद्रावक की बिजली की सप्लाई पूरी तरह से बन्द कर दी गई थी ; यदि हां, तो यह स्थिति कितने महीने चलती रही ;

(ङ) देश में एल्यूमिनियम की माँग को पूरा करने के लिए सरकार का क्या अल्पावधि उपाय करने का विचार है ; और

(च) देश में वर्तमान तथा प्रस्तावित एल्यूमिनियम संयंत्रों को बिजली की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई करने के लिए सरकार का क्या दीर्घावधि उपाय करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) देश में एल्यूमिनियम उत्पादन की वार्षिक लाइसेंस क्षमता 321 हजार टन है ।

(ख) 1979-80 और 1980-81 (जून के अन्त तक) क्षमता उपयोग क्रमशः 60% और 45% था ।

(ग) जी हां ।

(घ) हीराकुड प्रदावक शतप्रतिशत बिजली कटौती के कारण 24-9-1979 से पूरी तरह से बन्द हो गया था । कुल आवश्यकता की एक-तिहाई बिजली मिलने पर इसे 1-2-1980 को पुनः चालू किया गया लेकिन बिजली सप्लाई रुक जाने पर 29-3-1980 से 15-6-1980 के दौरान उसे पुनः बन्द कर दिया गया ।

(ङ) और (च) भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लि० को पर्याप्त मात्रा में एल्यूमिनियम का आयात करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । संबंधित राज्य सरकारों को उच्च स्तर पर अनुरोध किया जाता है कि वे एल्यूमिनियम प्रद्रावकों की बिजली सप्लाई में प्राथमिकता दें । मानसून शुरू हो जाने के बाद से कुछ प्रद्रावकों को बिजली सप्लाई में काफी काफी सुधार हुआ है । दीर्घकालीन उपायों के रूप में, जहां कहीं आवश्यक और उचित होगा, सरकार गृहीत बिजली घर लगाने पर विचार करेगी ।

खनिज और धातु व्यापार निगम के पास पड़े हुए कच्चे माल का न उठाया जाना

6484. श्री एस० एम० कृष्ण : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास खनिज और धातु व्यापार निगम जैसी सारणीकृत एजेंसियों

के पास पड़े हुए आयातित कच्चे माल को व्यापार और उद्योग द्वारा न उठाए जाने के बारे में कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या वास्तविक उपयोगकर्ताओं को जारी किये जाने वाले आयात पुनर्भरण लाइसेंसों में कटौती करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) आयातित माल के न उठाए जाने के सम्बन्ध में सरकार के सामने कोई विशिष्ट प्रस्थापना नहीं है क्योंकि ये वाणिज्यक स्टाक हैं। तथापि, जब कभी किसी आयातित कच्चे माल का स्टाक अधिक हो जाता है तब आवेदन को बढ़ाकर तथा माल के अन्तर्वाह को विनियमित करके उचित कार्यवाही की जाती है।

(ख) तथा (ग) इस समय ऐसी कोई प्रस्थापना विचाराधीन नहीं है।

बनारसी साड़ी उद्योग का विकास

6485. श्री निहाल सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनारसी साड़ी उद्योग का गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है और क्या सरकार को बनारसी साड़ी कर्मकार संघ से इस बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) बनारसी साड़ी उद्योग में कितनी व्यक्ति लगे हुए हैं और सरकार इसके विकास के लिए क्या प्रयास कर रही है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) सरकार को बनारसी साड़ी उद्योग में किसी गंभीर संकट की जानकारी नहीं है। उसे उपरोक्त संबंध में बनारसी साड़ी कर्मकार संघ से कोई अभ्यावेदन भी प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) हथकरघा निदेशक, उत्तर प्रदेश से प्राप्त जानकारी के अनुसार, बनारसी साड़ी उद्योग लगभग 2 लाख व्यक्तियों को रोजगार देता है।

सरकार ने, बनारसी साड़ी उद्योग के विकास के लिए बहुत से उपाय आरम्भ किये हैं। समुचित कीमतों पर धागा सप्लाई करने के लिए तथा बुनकरों से तैयार माल खरीदने के लिए संस्थागत प्रबन्ध किये गए हैं। इसके अतिरिक्त, रेशम का बढ़िया माल तैयार करने के लिए सिंधोरा तथा बड़ागांव (वाराणसी) में 75-75 करघे वाले को मॉडल उत्पादन केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं। हथकरघा सहकारी क्षेत्र के लिए विभिन्न योजनाएं अर्थात् बुनकरों को शेयर पूंजी ऋण, प्राथमिक समितियों को सुदृढ़ करने के लिए शेयर पूंजी भागीदारी, शीर्ष समिति को सुदृढ़ करने के लिए शेयर पूंजी भागीदारी, वैतनिक सचिवों की नियुक्ति के लिए प्रबन्ध उत्पादन, तथा सहकारी क्षेत्र में बुनकरों के करघों का आधुनिकीकरण, बनारसी साड़ी उद्योग पर भी समान रूप से लागू होती हैं। प्रशिक्षण तथा तकनीकी सहायता के लिए वाराणसी में एक बुनकर सेवा केन्द्र और भारतीय हथकरघा प्रोद्योगिकी संस्थान है।

पूर्णिया जिले के किशनगंज में पटसन मिल लगाने की अनुमति न दिया जाना

6486. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम ने पूर्णिया जिले के किशनगंज में पटसन मिल लगाने का निर्णय लिया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इसके लिए अनुमति नहीं दी ; और

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) किशनगंज में एक पटसन मिल स्थापित करने के लिये दि बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन को 1973 में एक आशय-पत्र प्रदान किया गया था। उसकी वैधता को 9.6.1977 तक बढ़ाया गया था। निगम ने उपयुक्त वित्तीय सहयोगियों की कमी के कारण प्रगति करने के सम्बन्ध में अपनी अक्षमता की सूचना दी थी। मांग के रुख व कच्चे पटसन की उपलब्धता आदि को ध्यान में रखते हुए सितम्बर, 1977 में भारत सरकार ने आशय-पत्र धारकों को अपनी परियोजनाओं पर और आगे कार्यवाही न करने की सलाह दी थी।

कंट्रोल के कपड़े का निर्माण

6487. **श्री नवीन रवाणी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी क्षेत्र के मिलों तथा राष्ट्रीय कपड़ा निगम के मिलों के लिए 1979-80 के लिए कंट्रोल के कपड़े की कितनी मात्रा का लक्ष्य रखा गया था और दोनों द्वारा सैक्टर-वार वास्तव में कितना निर्माण किया गया ;

(ख) यदि गैर-सरकारी क्षेत्र ने निर्धारित मात्रा से कम निर्माण किया है तो राष्ट्रीय कपड़ा निगम पर पड़े भारी वित्तीय भार को देखते हुए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ; और

(ग) क्या सरकार के पास इस बात को देखने के लिये कोई जांच मशीनरी है कि सस्ता कपड़ा चोर बाजार में जाने की बजाए कमजोर वर्गों को बेचे जाने के लिए वास्तविक व्यापारियों को सप्लाई किया जाए ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) अक्तूबर, 78 से यथासंशोधित "कंट्रोल के कपड़े की योजना" के अन्तर्गत संगठित क्षेत्र में 400 मिलियन वर्गमीटर के समग्र उत्पादन की व्यवस्था है जिसमें से अधिकांश का उत्पादन एन० टी० सी० मिलों के जरिए कराया जा रहा है। अवशिष्ट मात्रा गैर-सरकारी क्षेत्र की ऐसी मिलों को आबंटित की जाती है जो कपड़े का उत्पादन करने की इच्छुक है और जिनका चयन उत्पादन लागत की निविदाओं के आधार पर वस्त्र आयुक्त द्वारा किया जाता है। 1979-80 के दौरान, एन० टी०सी० मिलों ने 251 मिलियन वर्गमीटर का और गैर-सरकारी क्षेत्र की मिलों ने 86 मिलियन

वर्गमीटर का उत्पादन किया। समग्र कमी वर्ष के दौरान बिजली उपलब्ध न होने की वजह से उत्पादन में अवरोधों के कारण हुई है। यह कहना ठीक नहीं है कि कंट्रोल के कपडे के उत्पादन से एन० टी० सी० पर भारी वित्तीय बोझ पड़ा है; बल्कि दूसरी ओर कुछ सीमा तक एन० टी० सी० की नकद हानियों को कंट्रोल के कपड़े की उत्पादन लागत की एन० टी० सी० को प्रतिपूर्ति करके कम कर दिया गया है।

(ग) कंट्रोल के कपडे के वितरण का दायित्व राज्य सरकारों का है। वितरण राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के तत्वावधान में सहकारी अभिकरणों के माध्यम से किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कपड़ा उन कमजोर वर्गों को पहुंचे जिनके लिए यह बनता है, राज्य सरकारों को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी कर दिये गए हैं। राज्य सरकार इन उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अधीन कपड़ा मिलों को घाटा

6488. **श्री एस० बी० सिदनाल :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अधीन कार्य कर रहे कपड़ा मिलों ने विगत वर्षों में निरन्तर घाटा दिखाया है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष प्रत्येक मिल में घाटे की स्थिति क्या रही ; और

(ग) उक्त घाटे के क्या कारण हैं और स्थिति में सुधार करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी नहीं। पिछले वर्षों के दौरान राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों के समग्र घाटे लगातार कम होते जा रहे हैं। तथापि 1979-80 में पावर न मिलने तथा श्रमिक अशांति के कारण काम के दिनों की हानि होने से इस प्रवृत्ति में मामूली सा परिवर्तन आया।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) इन घाटों के मुख्य कारण हैं; पुरानी मशीनें, अधिक श्रमिक, बिजली की कटौती तथा पावर की अनियमित स्थिति के कारण कारखाने की क्षमता का कम उपयोग। इन मिलों के कार्यकरण को सुधारने के लिए जो कुछ उपाय किये गये हैं और/अथवा किए जा रहे हैं वे निम्नोक्त प्रकार हैं :—

(1) मशीनों का आधुनिकीकरण,

(2) काम के भार तथा श्रमिक बल का सुव्यवस्थीकरण,

(3) केन्द्रीकृत आधार पर कच्चे माल की बल्क खरीद,

(4) उत्पादन के पैटर्न का विविधीकरण, तथा

(5) पावर की कमी को पूरा करने के लिए कुछ यूनिटों में डीजल जेनेरेटिंग सैटों की स्थापना।

मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए परिवहन की व्यवस्था

6489. श्री प्रताप भानु शर्मा : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कौन-कौन से महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्र हैं और सरकार द्वारा उनके विकास तथा पुनर्निर्माण पर प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च की जाती है ;

(ख) क्या इन ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा करने हेतु विदेशी और भारतीय पर्यटकों के लिए पर्यटक बसें और मोटर कारें पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में की गई व्यवस्था का पूर्ण ब्योरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) केन्द्रीय और राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में जिन प्रमुख पर्यटक केन्द्रों का विकास किया जा रहा है ; वे ये हैं—खजुराहो, सांची, मांडु, शिवपुरी, उज्जैन, ओरछा, चित्रकूट, भेड़ाघाट, बांधवगढ़, पचमढ़ी, कान्हा, बस्तर, ओंकारेश्वर और अमरकंटक ।

उपर्युक्त पर्यटक केन्द्रों के विकास पर 1977-78 और 1979-80 के बीच किया गया खर्च संलग्न विवरण में दर्शाया गया है ।

(ख) और (ग) कुछ पर्यटक केन्द्रों पर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध हैं । अन्य केन्द्रों पर भी पर्याप्त परिवहन सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं ।

भारत पर्यटन विकास निगम और मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा पर्यटक केन्द्रों पर निम्नलिखित परिवहन सुविधाएं प्रदान की गयी हैं ।

मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम

पर्यटक केन्द्र	जीप	कोच	ट्रैकर	एम्बैसेडर कार	लग्ज़री कार
कान्हा	4	1 (मिनी)	1	—	—
बांधवगढ़	2	—	—	—	—
खजुराहो	—	—	1	1	—
पचमढ़ी	—	1 (लग्ज़री) (यात्राकाल के दौरान उपलब्ध)	1	—	—
भारत पर्यटन विकास निगम					
इंदौर	—	1 (बड़ी)	—	—	2
जबलपुर	—	1 (मिनी)	—	—	2
खजराहो	—	—	—	—	2

विवरण

(आंकड़े रुपयों में)
(लाखों में)

क्रम संख्या	पर्यटक केन्द्र	केन्द्रीय सरकार	राज्य सरकार	भारत पर्यटन विकास निगम
1.	खजुराहो	4.55	23.39	15.99
2.	सांची	—	0.75	0.12
3.	मांडु	—	5.41	—
4.	शिवपुरी	—	3.16	—
5.	उज्जैन	—	2.05	—
6.	ओरछा	—	1.59	—
7.	चित्रकूट	—	1.81	—
8.	भेड़ाघाट	—	6.38	—
9.	बांधवगढ़	—	2.55	—
10.	पचमढ़ी	—	8.10	—
11.	कान्हा	12.80	15.71	—
12.	बस्तर	—	4.64	—
13.	ओंकारेश्वर	—	1.25	—
14.	अमरकंटक	—	0.61	—
15.	इंदौर	—	—	1.50

फेरोसिलिकोन तथा फेरोक्रोम का आयात

6490. डा० बी० वी० देसाई : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने इस्पात संयंत्रों की तत्काल आवश्यकताएं पूरी करने के लिए इस वर्ष प्राथमिकता के आधार पर फेरोसिलिकोन और फेरोक्रोम का निर्यात करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत इस्पात प्राधिकरण द्वारा इन मिश्र धातुओं का आयात करने का अनुरोध किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उनके अनुरोध पर सहमत हो गई है ;

(घ) इसमें से कुल कितना आयात किया जाएगा ; और

(ङ) किस देश से और किस शर्त पर आयात किया जाएगा ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) सेल ने वर्ष 1978-80 में 212,000 टन फेरा-सिलिकन तथा विभिन्न ग्रेडों का 2370 टन फेरा-क्रोम आयात करने के लिए सरकार से अनुमति मांगी थी। सरकार ने सेल को प्रथम खेप के रूप में 6000 टन फेरो-सिलिकन का आयात करने की अनुमति दे दी थी। वर्ष 1980-81 में और 6000 टन फेरो-सिलिकन का आयात करने की अनुमति दी गई है। इस प्रकार वर्ष 1979-80 और 1980-81 में कुल 12000 टन फेरा-सिलिकन का आयात किया जाएगा।

(ङ) सेल ने विश्व आधार पर निविदाएं आमंत्रित करके 6000 टन फेरा-सिलिकन आयात करने के लिए निम्नलिखित देशों को आर्डर दिए हैं :—

1. 3000 टन—ब्रिटेन

2. 3000 टन—अमेरीका

चूंकि उपर्युक्त मात्रा में से 900 टन फेरो-सिलिकन की सप्लाई समय पर नहीं की गई, अतः सेल ने नार्वे से 6000 टन फेरो-सिलिकन की दूसरी खेप का आर्डर देने के साथ-साथ 900 टन फेरो-सिलिकन के लिए भी आर्डर दे दिया था।

जहां तक फेरो-क्रोम का सम्बन्ध है, सेल द्वारा विश्व आधार पर निविदाएं आमंत्रित करके दिये गए आर्डरों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

किस्म	मात्रा	देश
एल० सी० फेरा क्रोम	850 टन	ब्रिटेन
ई० एल० सी० फेरा क्रोम	200 टन	अमरीका
फेरा क्रोम सिलिकन	270 टन	अमरीका

फेरो-सिलिकन तथा फेरो-क्रोम दोनों का आयात सेल द्वारा ऐसे सौदों के लिए अपनाई गई सामान्य शर्तों तथा प्रक्रियाओं के अनुसार किया गया है।

कोयम्बटूर को मुदरै और तिरची के साथ जोड़ने के लिये विमान-सम्पर्क

6491. **श्री ईरा मोहन** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयम्बटूर को मदुरै और तिरची के साथ वायु-मार्ग द्वारा जोड़ने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस मार्ग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कोयम्बटूर को मदुरै और तिरची के साथ शीघ्रातिशीघ्र वायु मार्ग द्वारा जोड़ने के लिये आवश्यक कार्यवाही करेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) टर्बो-प्रॉप विमानों की तंगी तथा परिचालनों की आर्थिक स्थिति को दृष्टि में रखते हुए, इंडियन एयरलाइंस अपने वर्तमान मार्ग-तंत्र में इस मार्ग को सम्मिलित करने पर विचार करने की स्थिति में नहीं है।

कोयम्बटूर में जनता होटल का निर्माण

6492. श्री ईरा मोहन : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटकों की सहायता के लिए कोयम्बटूर में एक जनता होटल का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि नहीं, तो वहां भारी संख्या में पर्यटकों के आगमन को देखते हुए क्या तमिलनाडू के इस औद्योगिक नगर कोयम्बटूर में तथा मदुरै और तिरची निजी जैसे अन्य नगरों में ऐसे होटल खोलने के लिये कोई कदम उठाने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) दिल्ली अशोक यात्री निवास, जो कि एक पायलेट प्रोजेक्ट है, के चालू किए जाने के पश्चात 2-3 वर्षों के परिचालन संबंधी परिणामों को देखने के बाद ही और अधिक यात्री निवासों (जनता होटलों) के निर्माण के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

संगठित क्षेत्र में मिल के कपड़े के उत्पादन में कमी

6493. श्री आर० के० महालगी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में निर्मित कुल कपड़े की तुलना में संगठित क्षेत्र में बने मिल के कपड़े के अंश में निरन्तर कमी हो रही है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान मिलों द्वारा बनाये गये सूती कपड़े के आंकड़े क्या हैं ;

(ग) क्या कपड़ा उद्योग को अन्य उद्योगों की तुलना में कम लाभ होता है ; और

(घ) क्या वर्ष 1978-79 में कपड़े और सूत पर वसूल किया गया केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लगभग 200.07 करोड़ रुपये था जो वर्ष 1970-71 के उत्पादन शुल्क की तुलना में 100 प्रतिशत अधिक था ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी हां। कपड़े i कुल उत्पादन में सभी कपड़े के मिल क्षेत्र के उत्पादन का प्रतिशतता अंश 1951 में 74.21 i गिर कर 1979 में 39.07 हो गया है।

(ख) पिछले वर्षों के दौरान मिल क्षेत्र द्वारा सूती कपड़े का उत्पादन निम्नोक्त प्रकार है :-

1977—	3223 मिलियन मीटर
1978—	3251 मिलियन मीटर
1979—	3206 मिलियन मीटर

(ग) अन्य उद्योगों की तुलना में सूती वस्त्र उद्योग की लाभप्रदता के आंकड़े वर्ष 1970-71 से 1975-76 तक के उपलब्ध हैं। उनसे पता चलता है कि सूती वस्त्र उद्योग की लाभप्रदता अन्य उद्योगों की तुलना में सामान्यत: कम है सिवाय वर्ष 1973-74 के जबकि यह अन्य उद्योगों की तुलना में मामूली अधिक थीं।

(घ) 1978-79 के दौरान सूती यार्न और सूती वस्त्रों पर एकत्रित उत्पादन राजस्व 191.23 करोड़ रु० था जबकि 1971-72 में 94.73 करोड़ रु० था। 1971-72 की अपेक्षा 1978-79 में सूती यार्न और वस्त्र के लिए उत्पादन राजस्व में वृद्धि की प्रतिशतता 101.87 प्रतिशत बैठती है। आधारभूत उत्पादन शुल्क के अलावा सूती वस्त्रों पर बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क भी लगता है चूंकि बिक्रीकर के स्थान पर अतिरिक्त शुल्क के संबंध में राजस्व प्राप्ति के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं अत: उपरोक्त आंकड़ों में अतिरिक्त शुल्क से एकत्रित राजस्व शामिल नहीं है।

महाराष्ट्र को आबंटित आवश्यक वस्तु

6494. श्री आर० के० महालगी : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से जून, 1980 के दौरान 1979 के इन्हीं महीनों की तुलना में महाराष्ट्र को कितने मीट्रिक टन लीटर (1) सीमेंट, (2) कोयला, (3) चीनी, (4) डीजल, (5) मिट्टी का तेल, (6) चावल, (7) गेहूं आबंटित किया गया ;

(ख) उन आवश्यक वस्तुओं की महाराष्ट्र की वास्तविक आवश्यकता कितनी है ; और

(ग) कमी को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही उपाय किये गये हैं।

नागरिक पूर्ति मन्त्री (विद्या चरण शुक्ल) : (क) व (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) यह कमी गेहूं तथा साफ्ट कोक के बारे में है ; गेहूं के बारे में यह कमी मार्च से जून, 1980 की अवधि की है। गेहूं का आवंटन 90,000 मी० टन से घटा कर 75,000 मी० टन प्रति मास किया गया था, क्योंकि सार्वजनिक वितरण के लिये गेहूं की मात्रा आबंटित मात्रा से कम उठाये जाने की सूचना मिली थी। साफ्ट कोक की कमी ढुलाई के लिए रेलवे वैगनों के उपलब्ध न होने के कारण हुई है और रेल मंत्रालय से महाराष्ट्र को साफ्ट कोक भेजने के लिये वैगन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

विवरण

जनवरी से जून, 1980 के दौरान, 1979 के इन्हीं महीनों की तुलना में महाराष्ट्र की सीमेंट, कोयला, चीनी, डीजल, मिट्टी के तेल, चावल और गेहूं की मांग और इनका किया गया आबंटन दर्शाने वाला विवरण ।

सीमेंट (मीटरी टनों में)

	मांग		आबंटन	
मास	1979	1980	1979	1980
जनवरी से मार्च	राज्य सरकार ने अपनी तिमाही आवश्यकता		550000	500600
अप्रैल से जून	का अनुमान 6,00,000 मीटरी टन लगाया है ।		554500	522600

चावल, गेहूं (मीटरी टनों में)

	चावल		गेहूं (पी॰ डी॰)		मिल्स		योग		चावल		गेहूं (पी॰ डी॰)		मिल्स		योग	
	1979–1980		79	80	79	80	79	80	79	80	79	80	79	80	79	80
जनवरी	35	40	35	70	40	50	110	160	35	40	35	70	40	50	110	162·7
फरवरी	35	45	40	75	40	50	115	170	35	45	40	75	40	50	115	170
मार्च	35	50	50	90	40	50	135	190	35	50	50	75	40	50	125	175
अप्रैल	35	50	50	90	45	50	130	190	35	50	50	75	45	50	130	175
मई	35	50	50	90	45	50	130	190	35	50	50	75	45	50	130	175
जून	35	50	50	90	45	50	130	190	35	50	50	75	45	50	130	175

कोयला (हजार मीटरी टनों में)

	मांग	प्रेषण	
	1980	1979	1980
जनवरी	7.9	5.2	1.6
फरवरी	7.9	3.2	0.1
मार्च	7.9	1.6	5.2
अप्रैल	7.9	2.8	4.3
मई	7.9	3.5	4.23
जून	7.9	उपलब्ध नहीं हैं।	

हाई स्पीड डीजल/मिट्टी का तेल (मीटरी टनों में)

	मांग				आबंटन			
मास	हा० स्पी० डी०		मिट्टी का तेल			हा० स्पी० डी०		मिट्टी का तेल
	1979	1980	79	80	1979	80	79	80
जनवरी	100000		70000		हाई स्पीड	98500	71654	69000
फरवरी	108500		—		डीजल के	101377	67128	67334
			—		मासिक			
मार्च	—		—		आबंटन की	120000	64351	71597
अप्रैल	130800		68000		प्रणाली केवल अक्तूबर	130800	57216	66029

मई	—	—	1979 में	120700	58476	64500
जून	—	—	शुरू की गयी थी।	107500	62317	62270

चीनी

17-7-1979 से चीनी पर आंशिक नियंत्रण लागू किए जाने पर, 16-8-78 को चीनी पर से नियंत्रण को हटाने से तत्काल पहले आंशिक नियंत्रण के अन्तर्गत उन्हें दिए जाने वाले कोटे के आधार पर लेवी चीनी का राज्यवार मासिक कोटा पुनः शुरू किया गया है। इस प्रकार महाराष्ट्र सरकार को उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरण के लिए जनवरी से जून, 1980 के दौरान 24,743 मीटरी टन लेवी चीनी का मासिक कोटा प्राप्त करती रही है। 1979 की इसी अवधि में, उस समय चीनी पर से नियंत्रण हटाने की नीति के लागू होने के कारण राज्यों को लेवी चीनी का कोई आबंटन नहीं किया गया।

जहां तक भाग (ख) और (ग) का संबंध है, 17-12-1979 से चीनी पर आंशिक नियंत्रण पुनः लागू किये जाने के पश्चात से महाराष्ट्र सरकार से 24,743 मीटरी टन चीनी के वर्तमान मासिक कोटा में वृद्धि करने के लिये कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

महाराष्ट्र के थाना जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना

6495. श्री आर० के० महालगी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थाना जिला (महाराष्ट्र) में आगामी दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखायें खोलने के लिए कोई योजना बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा और निर्धारित कार्यक्रम क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) और (ख) दिसम्बर 1979 के अंत की स्थिति के अनुसार थाणे जिला में वाणिज्यिक बैंकों की 85 ग्रामीण और 64 अर्ध शहरी शाखाओं के साथ बैंकिंग व्याप्ति प्रति 13,000 ग्रामीण/अर्ध शहरी लोगों के लिए एक शाखा बैठती है । इसलिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, वर्ष 1980-81 के लिए अपनी वर्तमान शाखा विस्तार नीति के अनुसार प्रति 20,000 ग्रामीण/अर्ध शहरी लोगों के लिए एक ग्रामीण/अर्ध शहरी शाखा खोलने के लिए अपनाए गए मानदंड के संदर्भ में यह कमी वाला जिला नहीं है । वर्ष 1979-81 के दौरान इस जिले में शाखा खोलने के लिए राज्य सरकार ने भी किसी केन्द्र के बारे में सुझाव नहीं दिया है ।

परन्तु, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि जून, 1980 के अंत की स्थिति के अनुसार, बैंकों के अपने अलग-अलग आवेदन पत्रों के आधार पर जारी किए गए छह लाइसेंस कार्यान्वयन के लिए विचाराधीन थे। वर्ष 1981 के समाप्त होने से पहले इन कार्यालयों के खोले जाने की सम्भावना है। इन लाइसेंसों से संबन्धित केन्द्रों के नाम नीचे दिए गए हैं :—

केन्द्र का नाम	नियतभागी बैंक का नाम	केन्द्र की श्रेणी
1. थाणे	बैंक आफ महाराष्ट्र	शहरी
2. थाणे	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	—तदैव—
3. थाणे	न्यू बैंक आफ इंडिया	—तदैव—
4. वाशी तूरभे (मैफको)	सिंडीकेट बैंक	ग्रामीण
5. कल्याण	—तदैव—	अर्ध शहरी
6. भिवंडी	यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि०	—तदैव

दक्षिण के औद्योगिक उपक्रमों में अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं और बैंकों द्वारा किया गया पूंजी निवेश

6496. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्री पी० एम० सईद :
श्री गुलाम रसूल कोचक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं और बैंकों ने जिन्होंने दक्षिण में कुछ ब

औद्योगिक उपक्रमों को कठिनाइयों से उबारने के लिए, करोड़ों रुपये की सार्वजनिक निधि का पूंजी निवेश किया है और उन्हें निरन्तर अपने पूंजी निवेश की सुरक्षा की आशंका है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन वित्तीय संस्थाओं का विचार उनमें से कुछ एककों, जिनका कार्य निष्पादन उनकी आशा के अनुरूप नहीं है, के कार्यकरण के बारे में बाहर की किसी परामर्शदात्री फर्म द्वारा स्वतंत्र जांच शुरू करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो किन-किन एककों के बारे में यह जांच करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पिघलाये जा सकने वाले स्क्रैप के आयात के लिये आर्क भट्टियों को दिये गये लाइसेंस

6497. श्री बनवारी लाल : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर्क भट्टियों को 1977-78 और 1978-79 के दौरान यूनिट-वार पिघलाई जाने वाले स्क्रैप की कितनी मात्रा आयात करने के लाइसेंस दिये गए थे ;

(ख) वर्ष 1977-78 और 1978-79 के दौरान यूनिट-वार पिघलाये जाने वाले स्क्रैप की कितनी मात्रा का आयात किया गया ; और

(ग) वर्ष 1980-81 के दौरान पिघलाए जाने वाले स्क्रैप की कितनी मात्रा के आयात के लिए लाइसेंस देने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) वर्ष 1977-78 में कोई आयात नहीं किया गया । वर्ष 1978-79 के दौरान यूनिट-वार आयात की मात्रा नीचे दी गई है :—

इकाई का नाम	मात्रा टनों में है
मेसर्स तमिलनाडू स्टील	8119
मेसर्स वृन्दावन एलायज	1461
मेसर्स मोरूका स्टील	4060
मेसर्स शीमोग स्टील	1461
मेसर्स कनारा स्टील	1218
मेसर्स मुकुन्द आयरन	11072
मेसर्स मुकुन्द आयरन	12000
मेसर्स महीन्द्रा यूजिन	3250
मेसर्स संघवी स्टील	1489

इकाई का नाम	मात्रा टनों में है
मेसर्स जेनिथ स्पेशल स्टील्स	1485
मेसर्स पीरामल स्टील	1485
मेसर्स बी० डी० स्टील कास्टींग्स	740
मेसर्स एम० पी० उद्योग, कानपुर	700
	48,540

(ग) वर्ष 1980-81 में किए जाने वाले आयात की मात्रा वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा माध्यम अभिकरणों के पास नीति/प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए पंजीकृत कराई गई मांग और कुछ सीमित सीधे आयात, जिसके लिए इस नीति के अन्तर्गत स्वीकृत दे दी गई है, पर निर्भर करेगी ।

ओ० जी० एल० के अंतर्गत मेल्टिंग स्क्रैप का आयात

6498. श्री बनवारी लाल : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेल्टिंग स्क्रैप का आयात ओ० जी० एल० के अंतर्गत है परन्तु इसे धातु स्क्रैप व्यापार निगम के माध्यम से किया जाता है,

(ख) यदि हां, तो आर्क फरनेसों को अलग-अलग आयात लाइसेंस दिए जाने तथा 1977-78 और 1978-79 के दौरान सीधा आयात करने की छूट दिये जाने के क्या कारण हैं, और

(ग) क्या यह समझते हुए कि सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए मेल्टिंग स्क्रैप के आयात का सारणीकरण समाप्त कर दिया गया है, चालू वित्त वर्ष के दौरान वही प्रक्रिया अपनाने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, नहीं । 1980-81 के लिए आयात नीति के अंतर्गत सभी ग्रेडों के स्टील मेल्टिंग स्क्रैप का आयात माध्यम अभिकरणों द्वारा करने की व्यवस्था है । लेकिन माध्यम अभिकरण के रूप में मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत इसका आयात कर सकता है ।

(ख) देश की विद्युत भट्टी इकाइयां एक कठिन दौर से गुजर रही थी और उनमें से कुछ तो बन्द हो गयी थीं । राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के हित में उन्हें पुनः चालू करने के लिए सरकार ने उन्हें कुछ रियायतें दी थीं । किए गए उपायों में एक उपाय फैरस मेल्टिंग स्क्रैप की देशीय आपूर्ति में वृद्धि करना था जो उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, लघु इस्पात कारखानों के उत्पादन का उच्च स्तर बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं था । समय बचाने तथा इस आशा से कि फैरस मेल्टिंग स्क्रैप की कुछ मात्रा आयात करने से अलग-अलग इकाइयों को प्रोत्साहन मिलेगा, इन इकाइयों को कुछ समय के लिए सीमित मात्रा में सीधे आयात करने के लिए तदर्थ आधार पर अनुमति प्रदान की गई थी । बाद में, सरकार द्वारा गठित समिति ने भी, जिसमें देशीय स्क्रैप

उद्योग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था, अपनी सिफारिश में इस नीति का समर्थन किया था और कहा था कि जब लघु इस्पात कारखानों का द्रव धातु का उत्पादन 17 लाख टन से अधिक हो जाये तो आयात की अनुमति दी जानी चाहिये।

(ग) जी, नहीं। वर्तमान पद्धति के अनुसार सभी लघु इस्पात कारखानों को फेरस मेल्टिंग स्क्रैप का सीधे आयात करने की अनुमति नहीं है। फिर भी ऊपर (ख) में उल्लिखित समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कुछ मात्रा में सीधे आयात करने की अनुमति दी गई है।

लौह स्क्रैप समिति का गठन

6499. श्री बनवारी लाल : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लौह स्क्रैप समिति का वर्तमान गठन क्या है और उसके सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या लौह और इस्पात (नियंत्रण आदेश, 1956) के अधीन गठित लौह स्क्रैप समिति में स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० और एम० एस० टी० सी० का प्रतिनिधित्व आवश्यक समझा गया था यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या लौह स्क्रैप समिति में आर्क भट्टियों को भी प्रतिनिधित्व देने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) लौह स्क्रैप समिति का गठन तथा उसके वर्तमान पदधारियों के नाम नीचे दिये गए हैं :—

	गठन	वर्तमान पदधारी का नाम
1.	लोहा और इस्पात नियंत्रक—अध्यक्ष	श्री पी० के सरकार
2.	संयुक्त सचिव, भारत सरकार, इस्पात विभाग—सदस्य	श्री द० दा० बोरवणकर
3.	संयुक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार इस्पात और खान विभाग—सदस्य	श्री रामस्वामी आर० अय्यर
4.	स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० द्वारा मनोनीत व्यक्ति—सदस्य	श्री एस० के० कश्यप
5.	अध्यक्ष—एवं—प्रबन्ध निदेशक, मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लि०—सदस्य	श्री रूप राय

(ख) और (ग) सेल का प्रतिनिधित्व इसलिए आवश्यक समझा गया था क्योंकि सरकारी क्षेत्र के अधिकांश इस्पात कारखाने, जिनसे लौह-स्क्रैप मिलता है, इसके नियंत्रण में हैं। मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन फैरस मेल्टिंग स्क्रैप के निर्यात तथा आयात के लिए माध्यम अभिकरण

है तथा पुराने जहाजों का भी आयात करता है और सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों से निकलने वाले स्क्रैप की बिक्री के लिए एजेंट का काम करता है, इसलिए इसका लघु इस्पात संयंत्रों तथा स्क्रैप एकत्र करने वाले/प्रोसेस करने वाले उद्योग से सम्पर्क है। इसलिए इस समिति में इसे प्रतिनिधित्व देना भी आवश्यक समझा गया। यह महसूस किया गया कि अन्य सभी सम्बन्धित हितों को प्रतिनिधित्व देना संभव न होगा क्योंकि एक को प्रतिनिधित्व देना और दूसरे को न देना ठीक न था। लेकिन लौह स्क्रैप समिति समय-समय पर सभी हितों के प्रतिनिधियों से मिलती रहती है और उनके साथ उनकी समस्या पर बातचीत करती है, उनके सुझाव मांगती है और आपस में विचार विनिमय करती है।

डुंगरपुर, राजस्थान में फ्लोरस्पार के भंडार

6500. **श्री भीखाभाई** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को डुंगरपुर जिले (राजस्थान) में नवागाँव, काहेला और हाथाई की कई पहाड़ियों में फ्लोरस्पार के काफी बड़े भंडारों के मौजूद होने की जानकारी है ;

(ख) क्या यह सच है कि अब तक आर० आई० एम० डी० ई० अथवा उसके उत्तराधिकारी राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, जयपुर द्वारा इसके लिए कोई विस्तृत अथवा तीव्र सर्वेक्षण नहीं किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का आधुनिकतम खुदाई उपकरणों से सज्जित सर्वेक्षण करने वालों के एक विशेष दल को वहां पर भेजने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) राजस्थान सरकार के खान और भूतत्व विभाग ने हाथाई और समोथा क्षेत्रों में तथा काहेला क्षेत्र के कुछ भागों में भूवैज्ञानिक मानचित्रण बनाने, खंदकें और गर्त्त निर्माण तथा समन्वेषी ड्रिलिंग का कार्य किया है। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम का नवागाँव और भाँवरिया-का-नाका निक्षेपों में ड्रिलिंग द्वारा आगे समन्वेषण करने का प्रस्ताव है। निगम ने काहेला भंडार के भूवैज्ञानिक मानचित्रण और काहेला तथा नवगांव में ग्रेड और निक्षेपों के मूल्यांकन के विशिष्ट ठेके भारतीय खान ब्यूरो और गवेषण निगम को सौंपे हैं।

बेरोजगार व्यक्तियों को बैंक सहायता

6501. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिवर्ष युवा बेरोजगार व्यक्तियों की सहायता करने के बारे में अलग-अलग बैंकों और शाखाओं के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) और (ख) बेरोजगार नवयुवक कृषि, लघु उद्योग, व्यावसायिक सेवाओं, खुदरा व्यापार, परिवहन आदि के क्षेत्रों में स्वनियोजन उद्यमों की स्थापना करने के लिए सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से बैंकों से अनुरोध करते हैं।

सरकार ने इस प्रकार के छोटे उद्यमों की नियोजन क्षमता को मान्यता दी है और इन्हें "प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अभी हाल में सरकारी क्षेत्र के बैंकों को यह परामर्श दिया गया है कि उन्हें प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दिये जाने वाले अग्रिमों को, वर्ष 1985 तक बढ़ाकर, अपने कुल अग्रिमों के 40 प्रतिशत तक पहुंचा देना चाहिए।

भारतीय रिजर्व बैंक ने भी सभी वाणिज्यिक बैंकों को परामर्श दिया है कि उन्हें 1978 को आधार अवधि मानकर, खासकर प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत प्रतिमास प्रति-शाखा के हिसाब से कम-से-कम दो अतिरिक्त ऋणकर्ताओं को ऋण प्रदान करने का लक्ष्य पूरा करना चाहिए।

आयकर विभाग में हैड-क्लर्कों और सुपरवाइजरों के पदों के स्थान पर निरीक्षकों के पद पर रखना

6502. श्री सोमजी भाई डामोर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वांचू समिति के प्रतिवेदन के पैरा 6.44 में की गई इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है कि आयकर विभाग में कर सहायकों का संवर्ग बताते समय हैड-क्लर्कों और सुपरवाइजरों के पदों के स्थान पर निरीक्षक (सुपरवीजन तथा फील्ड्स) रखे जाएं।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा किया गया निर्णय क्रियान्वित किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बारोत(: (क) सरकार ने वांचू समिति की रिपोर्ट के पैरा 6.44 में निहित सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

आयकर निरीक्षकों के पद पर पदोन्नति

6503. श्री सोमजी भाई डामोर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर विभाग में लगभग 5000 व्यक्ति विभागीय परीक्षा पास करने के बाद विगत कई वर्षों से आयकर निरीक्षक के पदों पर पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आयकर निरीक्षकों के पर्याप्त संख्या में पद बनाने का है ताकि पास होने वाले व्यक्तियों को एक न्यूनतम आवश्यकता वाली सूची पर तो लाया जा सके ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) तथा (ख) सूचना आयकर आयुक्तों से एकत्रित की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायेगी।

भारी इंजीनियरी निगम रांची, तथा अन्य सरकारी उद्यमों का बन्द किया जाना

6504. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो ने 1979 में यह सिफारिश की थी कि भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची तथा 26 अन्य सरकारी उद्यमों को बन्द कर दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उसके क्या विशिष्ट कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) और (ख) सरकारी उद्यम कार्यालय विभिन्न सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन की निरन्तर समीक्षा करता है और उनके उत्पादन, लाभकारिता एवं जनोपयोगिता के विषय में अध्ययन करता है। किन्तु, इस मंत्रालय ने 1979 में भारी इंजीनियरी निगम, रांची या सरकारी क्षेत्र के अन्य किसी उद्यम को बन्द करने का कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया था।

अभ्रक व्यापार निगम द्वारा अभ्रक के उपकरणों का निर्माण

6505. **श्री एन० ई० होरो** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभ्रक व्यापार निगम ने अभ्रक के उपकरणों और पुर्जों का निर्माण करने के लिए भारत से बाहर एक कारखाने की स्थापना की है ;

(ख) उनके द्वारा निर्मित किये जाने वाले उपकरण अर्थात् कडेसर, वाशर और डिस्क, शीट स्ट्रिप कट आदि क्या हैं,

(ग) गत पांच वर्षों में अभ्रक व्यापार निगम द्वारा निर्मित प्रत्येक अभ्रक उपकरण की निगम द्वारा भारत से बाहर निर्यात की गई मात्रा और मूल्य क्या हैं ;

(घ) अभ्रक व्यापार निगम द्वारा निर्मित अभ्रक के उपकरणों की भारत से किये जाने वाले कुल निर्यात की प्रतिशतता क्या है ; और

(ङ) क्या निगम का कार्य-निष्पादन कम हुआ है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी नहीं।

(ख) मिटको बहुत से विनिर्मित अभ्रक संघटकों का निर्यात कर रहा है जिसके अंतर्गत मोटे वर्गों में ये आते हैं ; कट माइका ब्लाक्स, कडेंसर फिलमस, कट प्लेट्स, पंचड पैकिंग प्लेट्स, पंचड ब्रिजेज, स्पेसर, ड्रिमर्स, ट्रांजिस्टर प्लेट्स, वाशर, डिस्कस तथा माइका फ्लेक्स/पाउडर।

(ग) विगत चार वर्षों में मिटको के विनिर्मित अभ्रक के समग्र निर्यात आंकड़े निम्नोक्त प्रकार हैं :—

वर्ष	मात्रा (मे० टन)	मूल्य (लाख रु०)
1976-77	1.16	37.22
1977-78	700.86	30.13
1978-79	6.53	18.89
1979-80	14.02	21.00

*(इसमें कम मूल्य तथा अधिक मूल्य की मदों के अलग अलग मिश्रण शामिल है)

(घ) तथा (ङ) मिटको विनिर्मित अभ्रक के कुल निर्यातों का लगभग 3.5 प्रतिशत निर्यात कर रहा है। मिटको ने इस क्षेत्र में केवल 1976 में प्रवेश किया और धीरे-धीरे वह सुस्थापित निर्यातकों की श्रेणी में पहुंच रहा है।

अभ्रक व्यापार निगम के कार्यकरण में हानि

6506. श्री एन० ई० होरो : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अभ्रक व्यापार निगम के रखरखाव और कार्यकरण से घाटा हो रहा है ;

(ख) 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले गत पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में कितना कितना घाटा हुआ है ; और

(ग) क्या अभ्रक व्यापार निगम के चलाए जाने पर हो रहे भारी घाटे को तथा निगम द्वारा किये गये अभ्रक के नगण्य निर्यात व्यापार को देखते हुए सरकार इसे बन्द करने के प्रश्न पर विचार कर रही है जिससे सरकारी निधि को भारी घाटा न हो ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी नहीं। मिटको ने जून 1974 में अस्तित्व में आने के समय से कोई हानि नहीं उठाई है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बैंकिंग सेवा आयोग के माध्यम से हिन्दी टाइपिस्टों/क्लर्कों की भर्ती

6507. श्री एन० ई० होरो : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंकिंग सेवा आयोग हिन्दी टाइपिस्टों अथवा हिन्दी क्लर्कों के लिए आवेदन-पत्र मांगते समय निर्धारित फार्म नहीं देता है और हिन्दी में प्रश्नों के उत्तर देने की सुविधाएं प्रदान नहीं करता है ;

(ख) क्या ऐसे उम्मीदवार भी जिन्होंने मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा हिन्दी लेकर उत्तीर्ण की है, बैंकिग सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में बैठ सकते हैं ;

(ग) क्या उत्तर देने के लिए प्रश्न पत्र भी हिन्दी में दिये जा रहे हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उनके मामले पर विचार करने तथा उन्हें परीक्षा में बैठने और प्रश्नों के उत्तर हिन्दी में देने की अनुमति देने का है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) हिन्दी टाइपिस्टों या हिन्दी लिपिकों सहित सभी पदों के लिए आवेदन पत्र मांगते समय बैंकिग सेवा भर्ती बोर्ड विज्ञापन में ही आवेदन पत्र का प्रारूप निर्धारित कर देते हैं तथा आमतौर पर हिन्दी भाषी क्षेत्रों में रहने वाले उम्मीदवारों से अपने आवेदन पत्र हिन्दी या अंग्रेजी में भरने की अपेक्षा की जाती है ।

(ख) वे उम्मीदवार भी, जिन्होंने मैट्रिक या इसके समतुल्य कोई परीक्षा हिन्दी में उत्तीर्ण की हो, आवेदन करने के पात्र होते हैं, बशर्ते कि उन्होंने परीक्षा में विज्ञापन में दी गई प्रतिशतता या श्रेणी प्राप्त की हो ।

(ग) और (घ) हिन्दी टाइपिस्टों तथा हिन्दी क्लर्कों सहित लिपिक पदों के लिए सभी उम्मीदवारों को एक सामान्य लिखित परीक्षा में बैठना पड़ता है जिसमें कि (i) वस्तुनिष्ठ (आब्जेक्टिव टाइप टैस्ट) परीक्षा ; तथा (ii) अंग्रेजी में विवरणात्मक (डेस्क्रिप्टिव) परीक्षाएं शामिल हैं। वस्तुनिष्ठ (आब्जेक्टिव) प्रकार की परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर किसी भी भाषा में लिखने नहीं होते बल्कि कई वैकल्पिक उत्तरों में से एक पर सही का निशान लगाना होता है । यद्यपि वस्तुनिष्ठ (आब्जेक्टिव टाइप) परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर हिन्दी में देने की कोई गुंजाइश नहीं है, फिर भी सरकार ने, हाल ही में बैंकिग सेवा भर्ती बोर्डों को निर्देश जारी किए हैं कि हिन्दी भाषी क्षेत्रों के लिए वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्र द्विभाषी रूप में तैयार किये जाने चाहिए । अंग्रेजी में ली जाने वाली विवरणात्मक परीक्षा का उद्देश्य, उम्मीदवारों की अंग्रेजी के ज्ञान को परखना है इसलिए इनके उत्तर अंग्रेजी में ही देना आवश्यक है । चूंकि बैंकों का अधिकतर कार्य अंग्रेजी में होता है इसलिए लिपिक पद के सभी उम्मीदवारों से अंग्रेजी का कार्यकारी ज्ञान रखने की अपेक्षा की जाती है । अलबत्ता, अंग्रेजी में ली गई विवरणात्मक प्रकार की परीक्षा केवल अर्हक (क्वालीफाइंग) परीक्षा है तथा इस प्रश्न पत्र में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किये गये अंकों का, उनकी योग्यताक्रम निर्धारण (मैरिट रेटिंग) पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ।

मैसर्स बारामाल्ट (आई) प्राइवेट लि० गुड़गांव द्वारा स्थापित संयंत्र और मशीनों का मूल्य

6508. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या वित्त मंत्री केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों द्वारा बारमाल्ट (आई) प्राईवेट लिमिटेड, गुड़गांव पर जुर्माना करने के बारे में 20 जून, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1496 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स बारमाल्ट (आई) प्रा० लि० गुड़गांव द्वारा स्थापित संयंत्र और मशीनों का मूल्य कम्पनी के वार्षिक तुलन-पत्र से मेल खाता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार तुलन-पत्र की एक प्रति प्राप्त करेगी तथा उसे सभा पटल पर रखेगी ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायगी ।

विश्व बैंक से प्राप्त ऋण का उपयोग

6509. श्री जितेन्द्र प्रसाद :

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों द्वारा विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं के लिए विश्व बैंक से लिए गए ऋण का अभी तक उपयोग नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक राज्य द्वारा कितना कितना ऋण लिया गया, किन किन योजनाओं/परियोजनाओं के लिए लिया गया, तथा गत दो वर्षों में कितनी राशि का उपयोग किया गया ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) विश्व बैंक समूह, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ तथा अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक शामिल हैं, भारत सरकार को ही सीधे ऋण/उधार देता है न कि राज्य सरकारों को । सहायता-प्राप्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान इन धनराशियों का उपयोग उधार अथवा ऋण करारों में दी गई शर्तों के अनुसार किया जाता है । आजकल बैंक के ऋण कार्यक्रम में सिचाई, कमान क्षेत्र विकास कृषि तथा ग्रामीण विकास पीने के पानी की पूर्ति आदि से सम्बन्धित अधिकाधिक परियोजनाओं को स्थान प्राप्त हो रहा है । इन परियोजनाओं में कई एजेंसियों का हाथ होता है और इनका भौगोलिक क्षेत्र भी काफी बड़ा होता है तथा स्वभावतः इनकी प्रगति भी धीमी होती है । प्रारम्भिक प्रयासों को जुटाने में प्रायः काफी अधिक समय की आवश्यकता होती है । इस परियोजनाओं के क्रियान्वयन की गति को बढ़ाने और उनकी प्रगति की बहुत बारीकी से समीक्षा तथा परिवीक्षा करने के लिए बहुत से उपाय किए गए हैं । इसके परिणामस्वरूप राज्यों के क्षेत्र की परियोजनाओं सहित सभी परियोजनाओं के मामलों में विश्व बैंक समूह से प्राप्त सहायता के संवितरण की राशि 1978-79 में 418.86 करोड़ रुपये से बढ़कर 1979-80 में 566.10 करोड़ रुपये (अनुमान) हो गई अर्थात् इससे गत वर्ष की तुलना में 35.15 प्रतिशत की वृद्धि का पता चलता है ।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें राज्यों के क्षेत्र की परियोजनाओं के संबंध में अपेक्षित ब्यौरे दिए गये हैं । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1204/80]

उत्तर प्रदेश में कुमाऊं की पहाड़ियों तथा वन क्षेत्र में पर्यटन की सुविधायें

6510. श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कुमाऊं की पहाड़ियों और वन क्षेत्र में पर्यटन की वर्तमान सुविधायें क्या हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार की इन क्षेत्रों में वर्तमान पर्यटन सुविधाओं में सुधार करने हेतु, कोई ठोस योजना है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या उत्तर प्रदेश में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कोई नया प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश, से प्राप्त सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) जी नहीं, क्योंकि संलग्न विवरण में दी गयी वर्तमान पर्यटक सुविधाओं में सुधार करने का कार्य राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

(ग) उत्तर प्रदेश के हिमालय क्षेत्र में यदि ट्रैकिंग को विकसित किया जाए, तो यह बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित कर सकता है। इस सम्बन्ध में राज्य के पर्यटक अधिकारियों से बातचीत की गयी है और उनके प्रस्तावों की प्रतीक्षा है।

विवरण

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों और वन क्षेत्रों में उपलब्ध सुविधाओं को दर्शाने वाला विवरण।

I. आवास सुविधाएं		बैड्स
1.	युवा होस्टल, नैनीताल	44
2.	लाग केबिन, नैनापीक	4
3.	पर्यटक गृह, काठगोदाम	8
4.	लाग केबिन, मनीला (अल्मोड़ा)	4
5.	पर्यटक विश्राम गृह, पिथौरागढ़	24
6.	यात्री छादक, श्रीनगर	158
7.	पर्यटक गृह, गौरीकुंड	30
8.	यात्री विश्राम गृह, केदारनाथ	72
9.	होटल हिमलोक, केदारनाथ	10
10.	पर्यटक विश्राम गृह, बद्रीनाथ	72
11.	होटल देवलोक, बद्रीनाथ	20
12.	पर्यटक विश्राम गृह, घंघरिया	8
13.	यात्री विश्राम गृह	72
14.	पर्यटक विश्राम गृह, नन्दप्रयाग	4
15.	यात्री विश्राम गृह, कर्णप्रयाग	72
16.	पर्यटक विश्राम गृह, ग्वालदम	4
17.	यात्री छादक, मुनी की रेती	148

18.	यात्री छादक, देवप्रयाग	44
19.	पर्यटक विश्राम गृह, उत्तरकाशी	16
20.	पर्यटक विश्राम गृह, चिनियासौर	50
21.	पर्यटक विश्राम गृह, गंगनानी	4
22.	पर्यटक गृह, उत्तरकाशी	100
23.	यात्री प्रतीक्षालय, लंका	100
24.	पर्यटक विश्राम गृह, गंगोत्री	8
25.	पर्यटक गृह, गंगोत्री	50
26.	पर्यटक विश्राम गृह, भगीरथी	100
27.	पर्यटक विश्राम गृह, बारकोट	4
28.	पर्यटक गृह, बारकोट	100
29.	पर्यटक विश्राम गृह, सयाना चट्टी	50
30.	पर्यटक विश्राम गृह, बीफ	50
31.	पर्यटक विश्राम गृह, सहस्त्र धारा	4
32.	पर्यटक गृह, कशीपुर	8
33.	पर्यटक गृह, डाकपत्थर	38
34.	हालीडे होम, अल्मोड़ा	40

II. उत्तर प्रदेश के वन क्षेत्र

कार्बेट नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, राजाजी विहार स्थल, गोविन्द विहार स्थल, रानीपुर बिहार स्थल, कटरनीया घाट, चिल्ला, चन्द्रप्रभा विहार स्थल और नन्दा देवी बिहार स्थल में वन विश्राम गृह के रूप में आवास उपलब्ध है।

III. दृश्यावलोकन सुविधाएं

गढ़वाल मंडल विकास निगम ऋषिकेश से निम्नलिखित कोच टूअर्स परिचालित करता है :—

i) यमनोत्री के लिए छः दिन का टूअर।

ii) बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए सात दिन का टूअर।

iii) बद्रीनाथ के लिए चार दिन का टूअर।

iv) यमनोत्री के लिए सात दिन का टूअर।

कुमाऊं मण्डल विकास निगम नैनीताल से निम्नलिखित कोच टूअर्स का आयोजन करता है :—

(एक) कौसानी के लिए दो दिन का टूअर।

(दो) बद्रीनाथ के लिए चार दिन का टूअर।

(तीन) कारबेट नेशनल पार्क के लिए दो दिन का टूअर।

(चार) कुमाऊं का तीन दिन का टूअर, जिसमें कौसानी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, रानीखेत और जागेशवर शामिल हैं।

निर्यात व्यापार के लिए "मिटको" पर किया जाने वाला व्यय

6511. श्री ए० के० राय : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि 4 करोड़ से 5 करोड़ रुपये तक के निर्यात व्यापार के लिए "मिटको" को चलाने का वार्षिक व्यय 50 लाख रुपये है और शेष 20 करोड़ रुपये के परिष्कृत अभ्रक का निर्यात बड़े निर्यात कर्ताओं द्वारा किया जाता है।

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : जी नहीं। अभ्रक व्यापार निगम का पिछले वर्ष का व्यवस्था व्यय 24.76 लाख रु० था। उस वर्ष में अभ्रक व्यापार निगम ने 6.39 करोड़ रु० मूल्य का अभ्रक निर्यात किया। वर्ष 1979-80 के दौरान अन्य निर्यातकों ने लगभग 15 करोड़ रु० मूल्य के अभ्रक का निर्यात किया।

बीमाविज्ञों की संख्या में कमी होना

6512. श्री के० मालन्ना : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत में आजकल बीमाविज्ञों की संख्या में कमी होती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो आजकल भारत में कुल कितने बीमाविज्ञ हैं और सरकार द्वारा बीमा-विज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(ग) ऐसे कालेजों अथवा संस्थानों की राज्य-वार संख्या क्या है, जहां यह विषय पढ़ाया जाता है ?

वित मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) जी, हां।

(ख) बीमांकक संस्थान, लन्दन (इंस्टिट्यूट आफ एक्चुअरीज) के सबसे हाल के उपलब्ध वर्ष बोध में दी गई सूची के अनुसार 31 जुलाई, 1979 को भारतीय पतों वाले बीमांककों में 109 अध्येता (फैलो) और 80 सहयोगी (एसोसिएट) थे।

बीमांककों की दीर्घावधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय साधारण बीमा निगम तथा उसकी सहायक कम्पनियों ने अपने कर्मचारियों में बीमांकिक अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं के अनुसार, बीमांकक संस्थान के पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले कर्मचारियों को उनके द्वारा संस्थान को

दिये जाने वाले अभिदान, बीमांकिक ट्यूशन पाठ्यक्रम की लागत और परीक्षा फीस की प्रतिपूर्ति की जाती है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने गणित की पृष्ठभूमि वाले बीमांकिक सहायक नियुक्त करने के लिए भी एक योजना बनाई है।

(ग) संस्थान का पाठ्यक्रम भारत में किसी कालेज अथवा संस्था में नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन संस्थान के पाठयक्रम के अन्तर्गत आने वाले कुछ सैद्धान्तित विषय जैसे प्रायिकता, सांख्यिकी, चक्रवृद्धि ब्याज और जीवन आकस्मिकताएं आदि भारत में कतिपय डिग्री पाठ्यक्रमों में शामिल किए गये हैं हालांकि इन पाठ्यक्रमों की विषय वस्तु अनिवार्यतः संस्थान के स्तर की नहीं होती।

कर्नाटक की यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए अधिक आवास सुविधाएं

6513. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितने भारतीय और विदेशी पर्यटकों ने कर्नाटक की यात्रा की है और देश के अन्य राज्यों की तुलना में इसका प्रतिशत क्या है ;

(ख) इस राज्य में, जहां ऐतिहासिक और प्राकृतिक सौंदर्य वाले स्थानों की बहुलता है, जो वनस्पति और जन्तु तथा आधुनिक इंजिनियरी और प्रौद्योगिकी में अनूठा है, अधिक आवास बनाने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ; और

(ग) कर्नाटक को पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में किए गए प्रावधान का ब्योरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) विदेशी पर्यटकों के सम्बन्ध में आंकड़े अखिल भारतीय आधार पर संकलित किये जाते हैं और न कि राज्य/केन्द्र-वार आधार पर। तथापि, 1976-77 के दौरान किए गए विदेशी पर्यटक सर्वेक्षण के अनुसार, सर्वेक्षण अवधि के दौरान कुल पर्यटक आगमन में से 8.84 प्रतिशत पर्यटक बंगलौर आए, जबकि 2.77 प्रतिशत पर्यटकों ने कर्नाटक में मैसूर की यात्रा की।

(ख) और (ग) आगामी पांच वर्षों के दौरान पर्यटकों के आगमन में दुगुनी वृद्धि को देखते हुए तदनुकूल सुविधाओं का बन्दोबस्त करने की दृष्टि से पर्यटन योजना पर पुनर्विचार किया जा रहा है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जिन उपायों पर विचार किया गया है उनमें ये शामिल हैं—(I) यात्रा परिपथों का पता लगाना तथा उनका विकास करना और (II) इन यात्रा परिपथों के साथ-साथ पड़ने वाले केन्द्रों पर पर्याप्त रूप से आधारित संरचनात्मक सुविधाओं की व्यवस्था करना। इस उद्देश्य के लिए राज्य पर्यटन अधिकारियों से बातचीत की गई थी। कर्नाटक सरकार के पर्यटन विभाग से विस्तृत प्रस्ताव हाल ही में प्राप्त हुए हैं और इनकी विस्तार से जांच की जानी है।

भारतीय अभ्रक व्यापार निगम द्वारा निर्यात विकास एजेंसियों की स्थापना किया जाना

6514. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय अभ्रक व्यापार निगम ने निर्यातकों की तरह क्रयादेश

प्राप्त करने के लिए विदेशों ने अपनी निर्यात विकास एजेंसियों की स्थापना के लिए कोई निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी ऐजेंसियों के कार्यालय अब तक किन देशों में खोले गये हैं और वहां पर नियुक्त किये गये अधिकारियों के नाम क्या हैं और इस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) विदेशों में मिटको के लिए निर्यात विकास एजेंसियां स्थापित करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है । तथापि, विदेशी उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा अधिक विदेशी मुद्रा कमाने के उद्देश्य से, माल गोदाम स्थापित करने का विनिश्चय किया गया है ।

मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लि० की एकमात्र विक्रेता एजेंट के रूप में नियुक्ति

6515. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० के कुछ इस्पात संयंत्रों ने अपने कुछ स्क्रैप मदों के निपटान के लिए मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लि० को एकमात्र विक्रेता एजेंट के रूप में नियुक्त किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस नियुक्ति के क्या कारण हैं, नियुक्ति की तारीख क्या है, किन श्रेणियों के स्क्रैप के लिए नियुक्ति की गई है, इनके द्वारा स्क्रैप की कितनी मात्रा का निपटान किया गया है और उसे कमीशन के रूप में आज तक कितनी धनराशि अदा की गई है ; और

(ग) क्या यह सच है कि मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन की एकमात्र विक्रेता एजेंट के रूप में नियुक्ति से पहले प्रत्येक इस्पात संयंत्र का अपना अलग स्क्रैप विभाग था जो ऐसी स्क्रैप का निपटान स्वयं करता था ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई और बोकारो के इस्पात कारखानों तथा इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी ने जो सभी स्टील आथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड की इकाइयां हैं, अपने मेल्टिंग स्क्रैप की कुछ श्रेणियों के निपटान के लिए जिनकी मात्रा अलग-अलग कारखानों में अलग-अलग है, मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड को एकमात्र विक्रेता एजेन्ट के रूप में नियुक्त किया था । जबकि पहले चार कारखानों ने इस वर्ष के लिए अपने करारों का नवीकरण कर दिया है, इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी ने अभी नवीकरण नहीं किया है ।

(ख) सर्वतोमुखी इस्पाप कारखाने स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि० (सेल) के प्रभाव हैं और मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड भी सेल की एक सहायक कम्पनी है जिसे स्क्रैप के बाजार के बारे में आवश्यक विशेषज्ञता तथा जानकारी प्राप्त है । अतः सेल के लिए अपने विभिन्न कारखानों में अधिकाधिक समन्वय स्थापित करने के लिए मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड की सेवाओं का अधिकाधिक उपयोग करना स्वभाविक है । मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड को

एकमात्र विक्रेता एजेंट नियुक्त करने की तारीख, उसके द्वारा निपटान किये गए स्क्रैप के ग्रेड तथा उनकी मात्रा और उसे दी गई कमीशन नीचे दी गई है :—

कारखाना	स्क्रैप का ग्रेड	नियुक्ति की तारीख
1	2	3
राउरकेला इस्पात कारखाना	(क) स्टील स्क्रैप 1. बिना प्रोसेस किए गए अस्वीकृत इस्पात पिण्ड 2. 105 टन से अधिक के इस्तेमाल किए गए अस्वीकृत स्टील रोल 3. मिल स्केल 4. स्टील स्कल (ख) आयरन स्क्रैप 1. इस्तेमाल किए गए/अस्वीकृत/बिना प्रोसेस किए गए पिण्ड मोल्डस (प्रत्येक नग का भार 15 टन तक) 2. इस्तेमाल की गई/अस्वीकृत/बिना प्रोसेस की गई/बाटम प्लेटें (प्रत्येक नग का भार 7 टन तक) 3. कास्ट आयरन स्कल स्क्रैप (प्रत्येक नग का भार 7 टन तक) 4. आधे टूटे हुए इन्गट मोल्ड/बाटम प्लेटें (प्रत्येक नग का भार 50 किलोग्राम से 2.5 टन तक) 5. टूटे हुए इन्गट मोल्ड/बाटम प्लेटें (50 किलोग्राम और उससे कम भार के) 6. फाउन्डरी से निकलने वाला स्क्रैप (प्रत्येक नग का भार 6 टन तक) 7. इस्तेमाल किए हुए/अस्वीकृत कास्ट आयरन रोल (दोनों श्रेणियां अर्थात प्रत्येक नग का भार 10 टन और उससे कम तथा 10 टन से अधिक) ।	1-4-78

1	2	3
	(ग) अन्य किस्म का स्क्रैप जो समय-समय पर दिया जाता है।	
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	1. अस्वीकृत इन्गट मोल्डस तथा बाटम प्लेटें (साईज-50 कि० ग्रा० तथा कम)	1-4-78
	2. प्रोसेस्ड रनर स्क्रैप (धमन भट्टी तथा फाउन्डरी)	
	3. बिना प्रोसेस किया गया रनर स्क्रैप (पी० सी० एम०)	
	4. प्रोसेस्ड आयरन स्क्रैप (साईज—7 टन और उससे कम)	
	5. सी० आई० लैडिल स्टील और मिक्सर स्पाउन्ट्	
	6. पी० सी० एम० शाट (सी० आई० (स्क्रैप	
	7. "ई" ग्रेड स्क्रैप	
	8. मिल स्केल स्क्रैप	
	9. आयरन रोल (अस्वीकृत/टूटे हुए)	
	10. स्टील रोल —तदैव— (10 मीटरी टन तथा उससे कम)	
	11. स्टील रोल (अस्वीकृत/टूटे हुए) (10 मीटरी टन से अधिक)	
	12. रोल स्पाइल क्लीन बन्डलों में	
	13. अधिक साइज वाला स्टील स्क्रैप	
	14. वेलन योग्य मिक्सड़ स्क्रैप (स्लीपर कटिंग्स/विलेट कास्टिंग/ड्राम आउट स्लीपर/राउन्ड कटिंग्स/स्लीपर आदि)	
	15. कच्चे लोहे के टुकड़े	
	16. स्लैग पॉट	
	17. इन्गट्स (एम० एस०/ओ० जी०/एच०सी० और स्क्रैप)	

1	2	3
	18. फ्लूटिड इन्गट (अस्वीकृत पूरे अथवा टूटे हुए भी शामिल हैं)	
	19. मर्चेन्ट मिल काबल/रोल स्पिल	
	20. स्केल्प कोबल (मिल के अन्दर से)	
	21. स्केल्प कोबल (स्केल्प मिल के बाहर से)	
	22. स्केल्प कोबल (मिल के अन्दर के शियर कास्टिंग)	
	23. अस्वीकृत एक्सिल ब्लूम	
	24. अस्वीकृत एक्सिल (पूरी लम्बाई के)	
	25. अस्वीकृत टूटे हुए एक्सिल/एक्सिल के किनारे	
	26. ब्लूम क्राप के सिरे	
भिलाई इस्पात कारखाना	1. धमन भट्टी का रनर स्क्रैप/पी०सी०एम०	1-4-78
	2. स्टील स्कल स्क्रैप	
बोकारो इस्पात कारखाना	1. पूरे बिना टूटे हुए इन्गट मोल्ड/बाटम प्लेट स्क्रैप	1-6-79
	2. अस्वीकृत/टूटे हुए इन्गट मोल्ड/बाटम प्लेट स्क्रैप	
	3. बिना प्रोसेस किया हुआ सी० आई० रनर स्क्रैप	
	4. सी० आई० फाउन्डरी का अस्वीकृत स्क्रैप	
	5. सी० आई० स्कल	
	6. पी० सी० एम० शाट्स	
	7. सी० आई० आयरन ब्लाक	
इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड	1. स्टील स्कल	3-5-77
	2. सी० आई० स्कल	
	3. रनर स्क्रैप	
	4. पानी से बुझाया गया स्लेग	

1	2	3
	5. बी० एफ० स्लेग	
	6. ब्लास्ट और स्लेग के टुकड़े	
	7. चादरों के किनारों की 2 इंच से कम की कतरने	
	8. एम० एस० बोरिंग्स	
	9. मिल स्केल	
	10. फ्लक्स स्किनिंग्स	
	11. जिन्क ड्रास	
	12. इन्गट मोल्ड	
	13. कास्ट आयरन फाउन्डरी	
	14. मोल्ड स्पलेशिंग्स	
	15. थिम्बिल स्कल	
	16. पिग मशीन स्क्रैप	
	17. बी० जी० फाइन्स (डस्ट)	
	18. विविध प्रकार की भिन्न-भिन्न अन्य मदें जिनमें इस्तेमाल किया हुआ/अस्वीकृत/खुली हुई मशीनें, संरचनात्मक भी शामिल हैं।	

निपटान किये गए स्क्रैप की मात्रा तथा दी गई कमीशन की राशि।

वर्ष	संयंत्रों से प्रेषित किए गए स्क्रैप और अन्य मदों की मात्रा	दी गई कमीशन
1977-78	125406 टन	1,26,940 रुपये
1978-79	444054 टन	19,72,650 रुपये
1979-80	438223 टन	35,03,006 रुपये
1980-81 (अप्रैल-मई)	71035 टन	—

(ग) कुछ इस्पात कारखानों के अपने स्क्रैप विभाग हैं। लेकिन मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड ने केवल मेल्टिंग स्क्रैप की कुछ मदों की बिक्री ही अपने हाथ में ली है और स्क्रैप की अन्य श्रेणियां तथा कुछ विविध मदों की बिक्री कारखाने स्वयं करते हैं। इसके अलावा जिन मदों की बिक्री मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लि० की मार्फत की जाती है उनके लिए भी कारखाने के अन्दर का काफी काम कारखाने के कर्मचारियों को ही करना पड़ता है।

विदेशी टूटे-फूटे जलयानों का आयात करके उनकी बिक्री से कमाया गया लाभ

6516. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978-79, 1979-80 के दौरान तथा वर्ष 1980-81 के पहले दो महीनों के दौरान विदेशी टूटे-फूटे जलयानों का आयात करके, उनकी बिक्री से कुल कितना लाभ कमाया गया,

(ख) आयातकर्त्ताओं (कैनेलाइजर) द्वारा इस लाभ में से कितनी धनराशि सेवा-प्राभर के निमित्त खर्च की गई और कितनी धनराशि इस प्रयोजन (शिप ब्रेकिंग) के लिए बनी विकास-निधि में जमा करवा दी गई है, और

(ग) विकास निधि में जमा करवाई गई धनराशि का किस प्रकार उपयोग किए जाने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) स्क्रैप के रूप में इस्तेमाल करने के लिए विदेशी ध्वज-पोतों की बिक्री पर कोई मुनाफा नहीं लिया जाता है । बिक्री से प्राप्त हुए मूल्य में से क्रय-मूल्य तथा माध्यम अभिकरण के सेवा-प्रभारों को निकाल कर, शेष राशि विकास-कोष में जमा कर दी जाती है । 1978-79 तथा 1979-80 के वर्षों में इस कोष में क्रमशः 16.51 लाख रुपये तथा 64.25 रुपये जमा कराए गए । वर्ष 1980-81 के पहले दो महीनों में इस कोष में 10.23 लाख रुपये जमा कराए गए । 1978-79, 1979-80 तथा 1980-81 के पहले दो महीनों में मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन ने सेवा-प्रभार के रूप में क्रमशः 2.37 लाख रुपये, 6.70 लाख रुपये तथा 1.68 लाख रुपये प्राप्त किए ।

(ग) फिलहाल यह प्रस्ताव है कि विकास-कोष का इस्तेमाल जहाज तोड़ने के लिए नई सुविधाओं की व्यवस्था करने तथा वर्तमान सुविधाओं का आधुनिकीकरण करने के लिए किया जाए ।

विदेशी झण्डे वाले स्क्रैप पोत का आयात करने की लागत

6517. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी झण्डे वाले स्क्रैप पोत का आयात करने की लागत भारतीय झण्डे वाले स्क्रैप पोत के आयात करने की लागत की तुलना में अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो इनके आयात की तुलनात्मक लागत कितनी है ; और

(ग) इन दोनों मामलों में आयात मूल्य का एक जैसा 4 प्रतिशत सेवा अधिभार लगाने की अनुमति क्यों दी गई है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : सरणीकरण अभिकरण के अनुसार विदेशी झण्डे वाले जहाजों को तोड़ने के उद्देश्य से उनका सरणीकरण करने में उनके लिए जितना काम अन्तर्ग्रस्त है वह अपेक्षाकृत अधिक है ।

(ख) तथा (ग) जहां तक भारतीय झंडे वाले जहाजों का संबंध है, सरणीकरण प्रमिकरण का सेवा प्रभार 1974 से 3 प्रतिशत था। विदेशी झंडे वाले जहाजों के मामले में सरणीकरण की लागत लगभग $3\frac{3}{4}$ प्रतिशत निकाली गई है। इसे तथा अन्य संबंधित कारकों को ध्यान में रखते हुए मार्च, 1979 में भारतीय एवं विदेशी झंडे वाले दोनों प्रकार के जहाजों के बारे में सेवा प्रभार के रूप में 4 प्रतिशत की समान दर निर्धारित की गई।

खराब, गंदे और फटे हुए करेंसी नोटों का परिचालन

6518. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है, कि हाल ही में बहुत से खराब, गन्दे और फटे हुए करेंसी नोट परिचालन में पाये गये है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ;

(ग) ऐसे नोटों को परिचालन से हटाने के लिये रिजर्व बैंक के क्या मानदण्ड हैं, और

(घ) सरकार का विचार परेशान लोगों की दिक्कत किस प्रकार दूर करने का है क्योंकि ऐसे नोट बाजार और दुकानों में स्वीकार नहीं किये जाते हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) जी, हां, हाल ही में देश के कुछ भागों में काफी बड़ी संख्या में मैले-कुचैले और कटे-फटे करेंसी नोट चलन में पाए गए हैं।

(ख) नए करेंसी नोंटों की इन विभिन्न कारणों से कम सप्लाई हुई, जैसे कि नए नोटों को जारी करने के लिए प्राधिकृत कुछ अभिकर्ता बैंकों में विरोध प्रदर्शनों का होना, रिजर्व बैंक के कार्यालयों में विरोध प्रदर्शनों का होना, भारत प्रतिभूति कारखाना, नासिक में लगभग 3 सप्ताह के लिए हड़ताल का होना और हाल ही के चुनावों के दौरान कुछ समय के लिए पुलिस सुरक्षा उपलब्ध न होना।

(ग) बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से ये स्थायी अनुदेश हैं कि वे जारी किए जा सकने वाले और जारी न किए जा सकने वाले नोटों को अलग अलग छांट लें और उन नोटों को छांट कर निकाल लिया करें जो बहुत ही मैले-कुचैले हों, जिन पर बहुत अधिक निशान या धब्बे पडे हों और जिन्हें चलन के लिए दुबारा जारी न किया जा सके। जनता से प्राप्त किए जाने वाले ऐसे नोटों की चलन के लिए दुबारा जारी नहीं किया जाता बल्कि उन्हें करेंसी नोटों के बक्सों में अलग से रखा जाता है और उसके बाद छह महीने में एक बार उनको भारतीय रिजर्व बैंक को वापस लौटाकर उनके बदले में नए नोट ले लिए जाते हैं।

(घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सभी शाखाएं बहुत ज्यादा मैले-कुचैले नोटों को बदलने के अलावा कुछ प्रकार के कटे-फटे नोटों को भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली के अन्तर्गत अदायगी के लिए भी स्वीकार करते हैं। इसके अतिरिक्त जिन क्षेत्रों से नोटों की कमी की सूचना मिलती है वहां तुरन्त नए नोट भेज दिए जाते हैं।

भारतीय आयतकों को हुई हानि

6519. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी पार्टियों द्वारा माल के भेजने में किये जाने वाले धोखे के कारण भारतीय आयातकों को आयात में अधिक हानि उठानी पड़ रही है ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय भ्रायातकों को वर्ष, 1978, 1979 भ्रौर 1980 (जून की समाप्ति तक) के दौरान कितनी हानि होने का अनुमान है ; भ्रौर

(ग) सरकार तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों ने इस बडे नुकसान को पूरा करने तथा आयातकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात भ्रौर खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) सरकार को कोई जानकारी नहीं हैं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

"फ्लाइट भ्रौर ड्यूटी टाइम" सीमाभ्रों का पालन करने के लिए एयरलाइनों के एक्जिक्यूटिव पाइलटों को भ्रनुदेश

6520. डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या पर्यटन भ्रौर नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशालय ने दोनों एयरलाइनों के एक्जिक्यूटिव पाइलटों को ये भ्रनुदेश दिए हैं कि वे "फ्लाइट भ्रौर ड्यूटी टाइम" सीमाभ्रों के निर्धारित मानदण्डों का कड़ाई से पालन करें ;

(ख) यदि हां, तो उनके क्रियान्वयन का ब्योरा क्या है ;

(ग) इस बारे में भ्राई० सी० पी० ए० की क्या सिफारिशें हैं : भ्रौर

(घ) विमानों भ्रौर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

पर्यटन भ्रौर नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भ्राई० सी० पी० ए० ने सिफारिश की है कि लाइन विमानचालकों पर लागू "उड़ान तथा ड्यूटी समय" परिसीमाओं का भ्रधिशासी विमानचालकों (Executive Pilots) द्वारा भी भ्रनुपालन किया जाना चाहिए।

(घ) उड़ान समय परिसीमाभ्रों को वायुयान नियम, 1937 के नियम 42-क में परिभाषित किया गया है। एयर कारपोरेशनों के किसी भी विमान चालक ने निर्धारित परिसीमाभ्रों का उल्लंघन नहीं किया है।

भ्रायकर विभाग में प्रधान लिपिक (हैड क्लर्क) के पद पर पदोन्नति

6521. डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या वित्त मन्त्री भ्रायकर विभाग में प्रधान लिपिक के पदों पर पदोन्नति के बारे में 13 जुलाई, 1979 के भ्रतारांकित प्रश्न संख्या 869 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग ने सलाह दी है कि भ्रायकर विभाग में प्रधान लिपिक (हैड क्लर्क) के पद पर पदोन्नति के लिये केवल कर सहायक के संवर्ग में वरिष्ठता को ही मान्यता दी जाये ;

(ख) क्या उपरोक्त भाग (क) के सम्बन्ध में आयकर कर्मचारी या महासंघ के साथ अभी तक कोई विचार विमर्श नहीं हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो गत एक वर्ष से विचार विमर्श न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार का विचार कार्मिक विभाग द्वारा दी गई सलाह को क्रियान्वित करने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो कब से ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) जी, नहीं।

(ख), (ग), (घ) तथा (ङ) इस मामले पर कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग और आयकर कर्मचारी संघ के साथ परामर्श करके विचार किया गया और यह निश्चय किया गया है कि कर-सहायकों को, उच्च श्रेणी लिपिक के ग्रेड में उनकी वरिष्ठता के आधार पर, पधान लिपिक के ग्रेड में पदोन्नति करने की वर्तमान पद्धति को जारी रखा जाय।

अभ्रक उद्योग के विकास के संबंध में तथ्य अन्वेषण समिति

6522. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अभ्रक उद्योग के वर्तमान विकास का मूल्यांकन करने के लिए तथा देश में अभ्रक उद्योग के विकास हेतु एक समयवद्ध कार्यक्रम तैयार करने के लिए दिनांक 20 मार्च, 1978 को एक तथ्य अन्वेषण समिति नियुक्त की थी, ताकि परिष्कृत अभ्रक नामक कच्चे अभ्रक की बजाय देश से केवल अभ्रक उत्पादों का ही निर्यात किया जाए ;

(ख) क्या सरकार ने कच्चे अभ्रक के उन निर्यातकों की समिति के सदस्य के रूप में नियुक्तियां की थीं, जो अभ्रक उद्योग के विकास में रुचि नहीं रखते थे ; और

(ग) क्या सरकार का इस महत्वपूर्ण और बहुमूल्य रिपोर्ट को तैयार करने के लिए ऐसे जानकार व्यक्तियों को सदस्यों के रूप में नियुक्त करके समिति का पुनर्गठन करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) सरकार ने 30 मार्च, 1978 को एक तथ्य अन्वेषण समिति नियुक्त की थी। समिति को देश में अभ्रक विनिर्माण उद्योग के विकास पर रिपोर्ट देनी है तथा अन्य अभ्रक आधारित उद्योगों के विकास कें लिए समय-बद्ध कार्यक्रम बनाना है।

(ख) तथा (ग) जी नहीं।

अभ्रक व्यापार निगम द्वारा एकल फर्म को निर्यात-व्यापार सौंपा जाना

6523. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 और 1978-79 में पृथक-पृथक रूप से, अभ्रक व्यापार निगम के एजेन्टों के रूप में कार्य करने वाली निर्यातकों की एक एकल फर्म को आबंटित किए गए ठेकों/निर्यात आदेशों का अधिकतम मूल्य क्या है ;

(ख) वर्ष 1974-75 और 1978-79 के प्रत्येक वर्ष में अभ्रक व्यापार निगम एजेंटों के रूप से भी कार्य करने वाली निर्यातकों की एक एकल फर्म को आवंटित किए गए ठेकों/निर्यात आदेशों का न्यूनतम मूल्य क्या है ;

(ग) क्या इस अवधि में अभ्रक व्यापार निगम के एजेन्टों के रूप में कार्य करने वाली निर्यातकों की एक एकल फर्म को सौंपे गए निर्यात व्यापार का अन्तर बढ़ गया है ; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या इस भारी अन्तर को कम करने के लिए कोई उपाय किए जाने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) भारतीय अभ्रक व्यापार निगम गैर-सरकारी निर्यातकों को निर्यात आदेशों का आबंटन नहीं करता है। विदेशी खरीदार लगभग 150 पंजीकृत निर्यात सदनों में से किन्हीं को भी अपना सप्लायर चुन सकते हैं। गैर-सरकारी क्षेत्र के इस व्यापार में खरीदार को सप्लाई का स्रोत चुनने की खुली छूट होने के कारण सबसे बड़े और सबसे छोटे व्यापारी के बीच वास्तव में बहुत बड़ा अन्तर है।

(घ) निर्यात संविदाओं में इस समय गैर-सरकारी निर्यातकों तथा मिटको का भाग 60:40 के अनुपात में हैं। मिटको के भाग की खरीद मुख्यतया उन कमजोर वर्गों से की जाती है जो निर्यातक नहीं हैं। कमजोर वर्गों से जितनी मात्रा उपलब्ध नहीं होती उसे मिटको 150 से भी अधिक पंजीकृत अभ्रक निर्यातकों से खुले बाजार में खरीदता है। 1974-75 में मिटको ने कमजोर वर्गों से 873 मे० टन और जो कमजोर वर्गों में नहीं आते उनसे केवल 368 मे० टन अभ्रक खरीदा। 1978-79 में मिटको ने कमजोर वर्गों से 2093 मे० टन और जो कमजोर वर्ग में नहीं आते उनसे 385 मे० टन अभ्रक खरीदा।

भवन निर्माण उद्योग में लगाये गये धन का निर्धारण

6524. श्रीमती प्रमिला दण्डवते : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भवन निर्माण सामग्री की कमी तथा इस्पात, सीमेंट और इमारती लकड़ी जैसी आवश्यक वस्तुओं के अधिक मूल्यों को देखते हुए भवन निर्माण सामग्री उद्योग में लगाये गये काले धन का कोई मूल्यांकन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन एयरलाइन्स और एयर इन्डिया के कर्मचारियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा

6525. श्रीमती प्रमिला दंडवते : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया के कर्मचारियों को प्रतिमास निःशुल्क यात्रा करने की अनुमति दी गई है ; और

(ख) क्या इस सुविधा का लाभ कर्मचारियों के संबंधियों द्वारा उठाया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) दोनों कारपोरेशनों के कर्मचारियों के सम्बन्धियों को कार्पोरेशनों के अपने अपने विनियमों के अनुसार निःशुल्क तथा रियायती दरों पर यात्रा की सुविधा प्रदान करने की अनुमति है।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया वाले गृहों को नैपथैलीन की सप्लाई

6526. **श्री जी० वाई कृष्णन :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सामान्यत: स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड ने नैपथेलीन का अपना समस्त उत्पादन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया गृहों को सप्लाई कर दिया है और उसने सहकारी क्षेत्र को इसकी कोई मात्रा सप्लाई नहीं की है,

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान अपनाई गई वितरण प्रक्रिया का ब्योरा क्या है, और

(ग) सहकारी क्षेत्र को इसकी सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार का विचार क्या उपाय करने का है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) यह सच नहीं है कि स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० ने नेप्थलीन का अपना समस्त उत्पादन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया गृहों को सप्लाई किया है। नेप्थलीन बहुत से उद्योगों के लिए आवश्यक रसायनों तथा मध्यवर्ती उत्पादों के लिए मूल कच्ची सामग्री है। अतः अधिकांशतः इसकी सप्लाई ऐसी उपभोक्ता इकाइयों को की जाती है जिनके पास इसे प्रोसेस करने की आवश्यक सुविधाएं हैं, चाहे वे किसी भी क्षेत्र में हों और सहकारी क्षेत्र को इसकी सप्लाई करने पर कोई रोक नहीं है, यदि इस क्षेत्र के किसी उद्योग ने इसकी मांग की हो। सच तो यह है कि पिछले दो वर्षों में लघु उद्योग क्षेत्र तथा तकनीकी विकास के महानिदेशालय की इकाइयों को समान रूप से नेप्थलीन की सप्लाई की गई है।

चूंकि नेप्थलीन का वर्तमान देशीय उत्पादन आवश्यकता से कम है इसलिए नेप्थलीन की कुछ मात्रा आयात की गई है और आयात की जा रही है। इस उपोत्पाद की बिक्री सेल के उत्पादों के बारे में व्यापार की सामान्य शर्तों के अनुसार की जाती है। नेप्थलीन की सप्लाई के लिए कम से कम आर्डर सड़क द्वारा 10 टन तथा रेल द्वारा एक वैगन के लिए लिया जाता है।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ के अंतर्गत
फार्मास्यूटिकल औषधियों का वर्गीकरण

6527. श्री रतन सिंह राजदा :

श्री चन्द्रभाई मणि तिवारी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वदेश में निर्मित "सिंगल" फार्मास्यूटिकल औषधि को भी केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ के मद 14 (ई) के अधीन वर्गीकृत किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत केवल पेटेन्ट, प्रोपराइटरी वाली औषधियां ही आती हैं ;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि मूल औषधियां कानूनी रूप से औषधियों की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आती हैं चाहे वे फार्मास्यूटिकल हों, पेटेन्ट हों या प्रोपराइटरी हों ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार कानूनों के किन उपबंधों के अन्तर्गत सिंगल फार्मास्यूटिकल मूल औषधियों को अब भी केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ की मद 14 (ई) के अन्तर्गत वर्गीकृत कर रही हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) जी, हां। लेकिन, एकल भेषजसंहितानुरूप तत्वों वाली भेषजसंहितानुरूप निर्मितियों को, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ की मद 14 (ङ) के अन्तर्गत उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पादन शुल्क से उस स्थिति में छूट प्राप्त है जब उनकी निकासी बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे रूप में की जाती है 'जो इस्तेमाल के लिए तैयार' नहीं हो, अर्थात, खुराक की मात्रा के रूप में नहीं है, और लेबल अथवा खुराक सम्बन्धी अन्य संकेतों, खाने या लगाने की विधि अथवा चिकित्सा सम्बन्धी किसी अन्य सूचना के बिना हो।

(ख) और (ग) सही कानूनी स्थिति यह है कि ब्रांड, नामों अथवा मार्कों के अन्तर्गत, जिनमें विनिर्माताओं के विशेष मार्कें, चिन्ह आदि शामिल हैं, बेची जाने वाली सभी भेषजसंहितानुरूप निर्मितियों पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, टैरिफ की मद 14 (ङ) के अन्तर्गत लगता है किन्तु केन्द्रीय उत्पादन शुल्क केवल ऐसी भेषजसंहितानुरूप निर्मितियों पर ही लगाया जाता है जो उपर्युक्त (क) में उल्लिखित छूट प्राप्त वर्ग में नहीं आतीं।

पटना में विमानों का रात को उतरना

6528. श्री रामविलास पासवान : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना और दिल्ली के बीच अतिरिक्त वायु-सेवा प्रदान किए जाने का कोई विचार है ; और

(ख) क्या पटना में रात के विमानों के उतरने की व्यवस्था किये जाने का विचार है ; और

(ग) क्या सरकार बिहार में पटना और रांची के अतिरिक्त अन्य स्थानों के लिए भी वायु-सेवा उपलब्ध करवाएगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, हां । 1 अगस्त, 1980 से इंडियन एयरलाइंस लखनऊ से होते हुए पटना तथा दिल्ली के बीच एक अतिरिक्त बी-737 सेवा परिचालित करेगी ।

(ख) जी, हां ,

(ग) मुजफ्फरपुर से होते हुए एक विमान सेवा-परिचालित करने के प्रस्ताव पर इंडियन एयरलाइंस सक्रिय रूप से विचार कर रही है । इस सम्बन्ध में कारपोरेशन द्वारा शीघ्र ही अन्तिम निर्णय लिए जाने की सम्भावना है । तीसरी विमान सेवा के संदर्भ में, जिसके बारे में एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, बिहार के कुछ अन्य स्थानों पर भी विचार किया जा सकता है ।

इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के "पक्षी से टकराये" विमान

6530. श्री आरिफ मोहम्मद खां :

श्री नवल किशोर शर्मा : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया के कितने विमान "पक्षियों से टकरा गये" थे और उससे कुल कितनी वित्तीय हानि हुई ;

(ख) विमानों को पक्षी संकट से बचाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार पर्यावरणीय समस्याओं का पता लगाने और हवाई-अड्डों के आस-पास सफाई रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए हवाई-अड्डा प्रबंधक समितियां गठित करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) :

(क) इंडियन एयरलाइंस

अवधि	पक्षियों से टकराने की घटनाओं की संख्या	वित्तीय क्षति (लाख रुपयों में)
1977-78	91	64.51
1978-79	107	152.10
1979-80	117	24.40
	एयर इंडिया	
1977-78	5	कुछ नहीं
1978-79	7	98.99
1979-80	11	28.45

(ख) सरकार अन्तर्राष्ट्रीय/ अंतर्देशीय विमान क्षेत्रों पर तथा उनके आस-पास पक्षियों के उत्पात को कम करने के लिए पर्यावरणीय प्रबंध एवं पक्षियों को तितर-बितर करने की तकनीक की पहले ही व्यवस्था कर चुकी है।

(ग) जी, हां।

हाल ही में राष्ट्रीयकृत हुये बैंकों द्वारा दिये गए ऋण

6531. श्री सतीश अग्रवाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि हाल ही में हुए छः बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पहले इनमें से कुछ बैंकों ने बिना उचित जमानत आदि लिए "अप्राप्य ऋण" दिये थे ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रत्येक बैंक के ऐसे हर एक मामले की जांच की है और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है कि सरकार के लिए वे "अप्राप्य रकम" साबित न हों ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीयकरण से पहले गैर सरकारी क्षेत्र के बैंकों के खिलाफ शिकायतों की जांच का काम या तो सीधे बैंकों से कराने के लिए अथवा अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से कराने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अपने हाथ में लेता था। जिन मामलों में आवश्यक समझा जाता था उनमें आरोपों की जांचपड़ताल करने के लिए रिजर्व बैंक अधिकारियों को तैनात करता था और इस प्रकार की जांचपड़ताल के निष्कर्षों के आधार पर बैंकों को उपयुक्त कारंवाई करने के लिए कहा जाता था।

बैंकों के लेखापरीक्षक स्वयं इस बात की संतुष्टि करते हैं कि बैंकों के आशोध्य ऋणों की राशियों को पूरा करने के लिए सन्तुलन-पत्र में पर्याप्त व्यवस्था है या नहीं। राष्ट्रीयकरण के बाद रिजर्व बैंक ने नये राष्ट्रीयकृत बैंकों की तेजी से जांच (स्क्रूटनी) की है। निरीक्षण रिपोर्टें अभी तैयार की जा रही हैं।

चाय उद्योग के लिए ऋण आयोजना

6532. श्री सतीश अग्रवाल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चाय बोर्ड ने चाय उद्योग के लिए ऋण आयोजन हेतु हाल ही में बैंकों की एक बैठक आयोजित की थी ;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में किस-किस क्षेत्र के लोगों ने हिस्सा लिया ;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ समय से बैंक चाय उद्योग को मंजूर ऋणों की अदायगी करने से पीछे हट रहे हैं ; और इसके कारण उद्योग को बहुत कठिनाई हो रही है ; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति को सुचारू बनाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां। चाय उद्योग की ऋण समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिए चाय बोर्ड ने 8-7-1980 को एक बैठक आयोजित की थी।

(ख) बैठक में चाय उद्योग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिसमें ये शामिल थे, उत्तर बंगाल लघु चाय उपजकर्ता एसोसियेशन, दी टी ट्रेड, वाणिज्यिक बैंक, असम सहकारी शीर्ष बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय (बैंकिंग प्रभाग) के अधिकारी।

(ग) सरकार को इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली फ्लाइंग क्लब को वित्तीय सहायता

6533. **श्री सतीश अग्रवाल :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार दिल्ली फ्लाइंग क्लब को कितनी सहायता देती है ;

(ख) क्या इस संगठन के प्रबंधक-मंडल में कोई सरकारी प्रतिनिधि भी है और यदि हां, तो किस पद पर ;

(ग) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें मिली हैं कि क्लब के प्रबंधक आरामतलब हो गए हैं और इसलिए पिछले दिनों प्रशासन, प्रशिक्षण और अनुशासन में अनेक अनियमितताएं हुई थीं ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस क्लबों के मामलों को सही रास्ते पर लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता आर्थिक सहायता के रूप में है जो 2000 घन्टे तक की गयी उड़ान के लिए 148/-रुपये प्रति घंटा तथा 2000 घंटे से ऊपर की गयी उड़ान के लिए 139/-रुपए प्रति घन्टा की दर से है।

(ख) जी, हां। नागर विमानन विभाग के दो अधिकारी क्लब की प्रबंध समिति के पदेन सदस्य हैं।

(ग) और (घ) क्लब के कुछ सदस्यों ने प्रबंध समिति के सदस्यों के हाल के चुनावों में अपनाई गयी प्रक्रिया एवं निधियों के कथित घपले तथा ग़बन के बारे में दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर किए गए एक मुकदमे में कुछ आरोप लगाये हैं। मामला न्यायाधीन है।

गैर-सरकारी क्षेत्र के मिलों द्वारा एक निश्चित प्रतिशतता में कंट्रोल के कपड़े का निर्माण

6534. **श्री के० ए० राजन :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वैच्छिक टेंडर प्रणाली के अन्तर्गत कंट्रोल के कपड़े का निर्माण करने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र के कपड़ा मिल आगे नहीं आये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या कंट्रोल के कपड़े की एक निश्चित प्रतिशत गैर-सरकारी क्षेत्र के मिलों द्वारा निर्मित किया जाना अनिवार्य करने के लिए सरकार की कोई योजना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो अन्तर को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी नहीं । 1 अक्तूबर, 1978 से प्रभावी संशोधित योजना के अन्तर्गत एन० टी० सी० मिलों से अधिकांश नियंत्रित कपड़ा तैयार करना अपेक्षित है और केवल शेष मात्राएं ही निजी क्षेत्र के मिलों को आबंटित की जाती हैं जो वस्त्र आयुक्त द्वारा निविदा प्रणाली के जरिये पेशकश तथा स्वीकृति पर आधारित होती है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

पर्यटन विकास के लिए केरल राज्य को आबन्टित धनराशि

6535. **श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटन विकास के लिए केरल राज्य को कुल कितनी धन राशि आबंटित की गई है ; और

(ख) क्या कुमराकम थेक्काडी और मुन्नार जैसे स्थानों के प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन आकर्षण को ध्यान में रखते हुए केरल में नए होटलों का निर्माण का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) क्या केरल में त्रिवेन्द्रम और कोचीन से विभिन्न पर्यटन केन्द्रों के लिए हेलीकाप्टर या छोटी विमान सेवाएं आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत पर्यटक केन्द्रों का विकास राज्य-वार या स्थान-वार आधार पर नहीं किया जाता । विभिन्न केन्द्रों पर स्कीमें अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने की संभाव्यता के आधार पर प्रारम्भ की जाती हैं और तदनुसार धन-राशि स्कीम-वार निर्धारित की जाती है । चालू वित्तीय वर्ष (1980-81) में विभाग कोवलम में समुद्र-तट सेवा केन्द्र से सम्बन्धित कार्य को पूरा करने के लिए 9.00 लाख रुपए खर्च करेगा, जिसके लिए 1978-79 में एक वित्तीय

मंजूरी जारी की गयी थी और भारत पर्यटन विकास निगम को 3.00 लाख रुपए अग्रिम के रूप में रिलीज किए गए थे।

(ख) कुमराकम, थेक्काडी और मुन्नार में केन्द्रीय सेक्टर के अंतर्गत सुविधाओं का विकास करने के फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, राज्य पर्यटक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ क्षेत्रीय आधार पर हाल ही में हुई बातचीत में उनसे यह अनुरोध किया गया था कि वे पर्यटक केन्द्रों के विकास की परस्पर प्राथमिकताओं का संकेत करते हुए यात्रा परिपथ संकल्पना के आधार पर पर्यटन विकास का एक ब्लू-प्रिंट तैयार करें। इसके पश्चात केन्द्रीय और राज्य सेक्टरों के अंतर्गत यात्रा परिपथों के साथ-साथ पड़ने वाले केन्द्रों पर पर्यटक आधारिक संरचना के विकास की जिम्मेदारियां सौंपी जायेंगी। पर्यटन विभाग, केरल सरकार, से अपेक्षित प्रस्तावों की प्रतीक्षा है।

(ग) जी, नहीं।

रबड़ उत्पादकों को राज सहायता की पूंजी दिया जाना

6537. श्री जार्ज जोसेफ मुन्डाकल : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार योजना के लिए राज-सहायता की पूंजी शीघ्र ही देने का है, ताकि रबड़ उत्पादक रोपाई के वर्तमान मौसम में उसका लाभ उठा सकें।

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : रबड़ बोर्ड द्वारा रबड़ के नए रोपण तथा पुनर्रोपण की गति को बढ़ाने के उद्देश्य से रबड़ बागान विकास योजना नाम से एक योजना प्रस्थापना की गई है जिसका कार्यान्वयन 1980-81 से 1984-85 तक पांच वर्षों की अवधि में किया जायेगा। योजना इस समय सरकार के विचाराधीन है।

कृषि पुनर्वित्त विकास निगम द्वारा दीर्घावधि कृषि ऋणों पर लिया जाने वाला ब्याज

6538. श्री जार्ज जोसफ मुन्डाकल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि पुनर्वित्त विकास निगम द्वारा दीर्घावधि कृषि ऋणों पर $10\frac{1}{2}$ प्रतिशत से 11 प्रतिशत ब्याज लिया जा रहा है,

(ख) जब विश्व बैंक द्वारा केवल .75 प्रतिशत दर पर ब्याज लिया जा रहा है तो कृषि पुनर्वित्त विकास निगम द्वारा लाभ की इतनी अधिक मात्रा रखने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या नारियल, रबड़ जैसी दीर्घावधि फसलों के लिए, जिनमें किसानों को आय प्राप्त करने के लिए 8 से 10 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, सरकार का विचार अधिक-से-अधिक 4 से 5 प्रतिशत तक ब्याज लेने का है?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) जी, नहीं। कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम पुनर्वित्त करने वाली एक संस्था है और यह किसानों को सीधे ऋण नहीं

देता। निगम, जिन दरों पर बैंकों को पुनर्वित्त उपलब्ध करता है वह नीचे दी गई हैं :—

(1) लघु सिंचाई/भूमि विकास	6.5 प्रतिशत
(2) विविधीकृत प्रायोजन :	
(क) छोटे किसान	6.5 प्रतिशत
(ख) अन्य	7.5 प्रतिशत

बैंक 3 प्रतिशत का मार्जिन रखते हैं और अन्तिम ऋणकर्ताओं से 9.5 प्रतिशत और 10.5 प्रतिशत की ब्याज लेते हैं।

(ख) भारत सरकार को विश्व बैंक से सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से जो ऋण मिलते हैं उन पर व्याज नहीं लगता परन्तु 3/4 प्रतिशत वार्षिक की दर से सेवा प्रभार लगता है। अनेक द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्रोतों से प्राप्त होने वाली विदेशी सहायता की शर्तों में पर्याप्त भिन्नता रहती है। केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर किये जाने वाले ऋणों पर व्याज की दरें देश में लिए गए ऋणों समेत केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न स्रोतों से लिए जाने वाले ऋणों की समग्र लागत को ध्यान में रख कर निर्धारित की जाती हैं।

(ग) कृषि ऋणकर्ताओं को दिये जाने वाले ऋणों पर बैंकों द्वारा व्याज-दर कम किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

इस्पात संयंत्रों का अपूर्ण निर्माण और विस्तार

6539. श्री निहाल सिंह : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ इस्पात संयंत्रों के निर्माण और विस्तार से सम्बन्धित कार्य धनराशियों की कमी के कारण अपूर्ण पड़े हैं,

(ख) यदि हां, तो उन इस्पात संयंत्रों के नाम क्या हैं और उनके लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है, और

(ग) इन संयंत्रों के कार्य को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

अशोक होटल के प्रबन्ध तथा रख रखाव में गिरावट

6540. श्री निहाल सिंह : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशोक होटल के रख-रखाव और प्रबन्ध में गत तीन वर्षों से गिरावट आ रही है और कुप्रबन्ध के कारण प्रतिदिन दो लाख रुपये का घाटा हो रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस समय अशोक होटल में केवल 10 से 20 प्रतिशत तक कमरे भरे रहते हैं जबकि अन्य होटलों में 80 से 90 प्रतिशत तक कमरे ग्राहकों से भरे होते हैं ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण है और होटल के कार्यकरण के संबंध में जांच करवाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(घ) अशोक होटल द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) कुल मिलाकर अशोक होटल का रख-रखाव और प्रबंध अपेक्षित स्तर का है। होटल प्रतिदिन 2 लाख रुपए की हानि नहीं उठा रहा है ; बल्कि इसके विपरीत, इसने पिछले तीन वर्षों के दौरान भारी लाभ अर्जित किया है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :—

वर्ष	अर्जित लाभ (कर से पूर्व) (रुपए लाखों में)
1977-78	154.54
1978-79	168.70
1979-80	155.50 (अनन्तिम)

(ख) जी, नहीं । 1977-78 और 1978-79 के दौरान अशोक होटल नई दिल्ली में कमरों की औसत आकुपैंसी क्रमशः 89% और 85% थी। जनवरी, 1980 में 104 कमरे जोड़ कर होटल की क्षमता में वृद्धि की गयी थी। चूंकि अतिरिक्त कमरे वर्ष के कुछ महीनों के लिए उपलब्ध थे, इसलिए, 1979-80 के दौरान आकुपैंसी 74% थी । इस आकुपैंसी की ओबराए इन्टरकाण्टीनेन्टल, मौर्य शेराटन और ताजमहल होटलों की क्रमशः 76.3%, 78.9% और 63.3% की आकुपैंसी से बहुत अनुकूल रूप में तुलना की जा सकती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान अशोक होटल द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा की राशि और अशोक होटल में सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के काउंटर पर भुनायी गयी विदेशी मुद्रा की राशि नीचे दर्शायी गई है :—

वर्ष	अशोक होटल द्वारा अर्जित	अशोक होटल में सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के काउंटर पर भुनायी गयी	जोड़
			(रुपए लाखों में)
1977-78	79.50	283.11	362.61
1978-79	77.15	329.43	406.58
1979-80	66.26	358.73	424.99

विदेश स्थित चाय केन्द्रों को गैर-सरकारी संस्थाओं को सौंपना

6541. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बोर्ड विदेश स्थित भारतीय चाय-केन्द्रों और संवर्धन यूनिटों को गैर सरकारी संस्थाओं को सौंपने का प्रयास कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) नहीं श्रीमान।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया नई दिल्ली में अधीनस्थ श्रेणी-4 के कर्मचारियों की नियुक्ति

6542. **श्री चन्द्र पाल शैलानी :** क्या वित्त मन्त्री स्टेट बैंक आफ इंडिया नई दिल्ली में अधीनस्थ श्रेणी-4 के कर्मचारियों की नियुक्ति के बारे में 13 जून, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 789 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधीनस्थ कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये तैयार की गई प्रतीक्षा सूची में योग्यतानुसार रखे गये व्यक्तियों का, जिनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोग भी शामिल हैं, पूर्ण ब्यौरा क्या है ;

(ख) कुल 70 व्यक्तियों में से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्तियों को नियुक्ति की पेशकश की गई है ;

(ग) प्रतीक्षा सूची में से पहली नियुक्ति किस तारीख को की गई ;

(घ) क्या सभी उम्मीदवारों को नियुक्तियों की पेशकश किये जाने तक इस प्रतीक्षा सूची को सक्रिय रखने का विचार है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) दिल्ली तथा नई दिल्ली क्षेत्रों के लिए, जून, 1979 में, भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली के स्थानीय मुख्य कार्यालय द्वारा, स्थायी पदों पर, अधीनस्थ कर्मचारियों के चयन के लिए आयोजित साक्षात्कार के आधार पर नियुक्त किये 70 उम्मीदवारों और प्रतीक्षा सूची में रखे गये 148 उम्मीदवारों में से 145 उम्मीदवार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजाति समुदायों के थे ।

(ख) जिन 70 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र भेजे गये हैं, उनमें से 30 उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के हैं ।

(ग) साउथ एक्सटेंशन भर्ती क्षेत्र के लिए, प्रतीक्षा सूची में से 3-11-79 को तथा चांदनी चौक क्षेत्र के लिए 18-10-79 को पहली नियुक्ति की गई थी ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) वर्तमान निर्देशों के अनुसार, प्रतीक्षा सूचियां, प्रतीक्षा सूची में से की गई पहली नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष के लिए या अगला साक्षात्कार आयोजित करने तक, जो भी इनमें से पहले तब तक के लिए, प्रभावी रहेंगी।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया नई दिल्ली में ग्रेड-2 के अधिकारी

6543. श्री चन्द्रपाल शैलानी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेट बैंक आफ इण्डिया, नई दिल्ली सर्कल में ग्रेड-2 के कुल कितने अधिकारी हैं और उनमें से कितने व्यक्ति अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हैं ;

(ख) क्या इस संवर्ग में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित कोटा पूरा हो गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो इनमें कमी रहने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस कमी को कब पूरा किये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) 31 दिसम्बर, 1979 की स्थिति के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक के नई दिल्ली सर्किल में ग्रेड-II अधिकारियों की कुल संख्या 1784 थी जिसमें से 18 अधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के हैं।

(ख), (ग) और (घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित रिक्त पदों को नहीं भरा जा सका क्योंकि परीक्षाएं देने के लिए इन जातियों के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं थे।

स्टेट बैंक आफ इन्डिया नई दिल्ली में क्लर्क संवर्ग से अधिकारी ग्रेड-II में पदोन्नति

6544. श्री चन्द्र पाल शैलानी : क्या वित्त मंत्री स्टेट बैंक आफ इन्डिया नई दिल्ली, में क्लर्क ग्रेड से अधिकारी ग्रेड-2 में पदोन्नति के बारे में 13 जून, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 790 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेट बैंक आफ इंडिया, कर्मचारी महासंघ तथा प्रबन्धकों के बीच हुये समझौते के उस मुख्य खंड का ब्यौरा क्या है जिसके परिणामस्वरूप क्लर्क संवर्ग से अधिकारी ग्रेड-2 संवर्ग में पदोन्नति के लिये प्रतीक्षा सूची तैयार की गई है ;

(ख) क्या उन उम्मीदवारों, जिन्होंने अधिकारी ग्रेड-2 में पदोन्नति हेतु लिखित परीक्षा दी थी, को ऐसी प्रतीक्षा सूची बनाये जाने के बारे में अग्रिम सूचना दे दी गई थी ;

(ग) क्या प्रतीक्षा सूची में रखे गये कर्मचारियों को वर्ष 1979 में जो-जो रिक्त पद थे, केवल उन्हीं पदों पर खपाया जायेगा ; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1979 में कितने पद थे तथा साक्षात्कार में कुल कितने उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया और पैनल में रखे गये उम्मीदवारों को परिणामों की घोषणा के समय खपाये न जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) 29 तथा 30 जून, 1979 को मद्रास में, भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधकों की इस महासंघ (फेडरेशन) के साथ हुई द्विपक्षीय बैठक में, उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची के मामले पर विचार विमर्श किया गया था। इस करार का ब्यौरा बैंक से प्राप्त किया जा रहा है तथा सदन के पटल पर रख दिया जायेगा।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रतीक्षा सूची में रखे गये कर्मचारियों को, वर्ष 1980 के लिए स्वीकृत पदों पर रखा जायेगा।

(घ) प्रधान कार्यालय द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के दिल्ली सर्किल को 1979 के दौरान 346 अधिकारियों को भर्ती करने/पदोन्नत करने की स्वीकृति दी गई थी। अधिकारी ग्रेड-II की परीक्षा के परिणाम की घोषणा के समय तक, भर्ती किए गए ग्रामीण विकास अधिकारियों, ग्रेड-I के अधिकारियों में स्थायी हुए प्रशिक्षण अधिकारियों और ग्रेड-1 के अधिकारियों में स्थाई हुए परिवीक्षा—अधिकारियों (प्रोवेशनरी आफीसर्स) के लिए व्यवस्था करने के बाद दिल्ली प्रधान कार्यालय के पास 270 अधिकारियों के स्वीकृत पद शेष थे। प्रतीक्षा सूची का प्रावधान रखते हुए, साक्षात्कार के समय 410 उम्मीदवारों को पदोन्नति के योग्य पाया गया। इनमें से अभी तक 277 उम्मीदवारों को उपलब्ध रिक्त स्थानों पर पदोन्नत कर दिया गया है।

देश में विद्युत आर्क भट्टियां

6545. श्री भोला राउत : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विद्युत-आर्क भट्टियों की कुल संख्या कितनी हैं और उन की अधिष्ठापित तथा संचालन क्षमता कितनी-कितनी है ;

(ख) इन विद्युत-आर्क भट्टियों में वर्ष 1975-76, 1976-77, 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान विक्रय योग्य इस्पात, मिश्र धातु और नरम इस्पात तथा मिश्रित इस्पात का उत्पाद कितना कितना हुआ है ; और

(ग) वर्ष 1980-81 के दौरान का उन के उत्पादन का लक्ष्य क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) इस समय देश में लाइसेंसीकृत विद्युत चाप भट्टियों की संख्या 147 है। इनकी वार्षिक स्थापित क्षमता 32 लाख टन तथा वार्षिक परिचालन क्षमता लगभग 30 लाख टन प्रतिवर्ष है।

(ख) विद्युत चाप भट्टियां इस्पात का उत्पादन मुख्यतः इस्पात पिण्ड/बिलेट के रूप में करती है। इन इकाइयों के उत्पादन में विविधता लाने के लिए इन इकाइयों को ढलवां इस्पात का उत्पादन करने की अनुमति दे दी गई है। विद्युत चाप भट्टियां विक्रय साधारण अथवा मिश्र इस्पात, जैसा कि आम बोल चाल की भाषा में कहा जाता है, तैयार नहीं करती है और न ही ये भट्टियां सामान्यतः ढलवें लोहे की वस्तुएं तैयार करती हैं, सिवाय उन मामलों के जिनमें इनको अपने उत्पादन में विविधता लाने के लिए ऐसा करने की अनुमति दी गई है। इन इकाइयों द्वारा

1975-76 से 1979-80 की अवधि में ढलवें इस्पात की वस्तुओं के उत्पादन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इस्पात पिण्ड और द्रव धातु के उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	इस्पात पिण्ड (लाख टनों में)	ढलवां इस्पात (द्रव धातु) (हजार टनों में)
1975-76	7.82	17.75
1976-77	9.95	13.29
1977-78	11.34	17.97
1978-79	16.57	19.50
1979-80	15.83	15.55

(ग) अनुमान हैं कि वर्ष 1980-81 में विद्युत चाप भट्टियों में इस्पात पिण्ड का उत्पादन 18 लाख टन होगा। यह अनुमान इस आधार पर लगाया गया है कि विद्युत चाप भट्टियों की बिजली तथा अन्य कच्चे माल की सम्पूर्ण आवश्यकता की पूर्ति की जाएगी।

गलन स्क्रैप (मेल्टिंग स्क्रैप) का आयात

6546. **श्री भोला राउत** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टूटे-फूटे जलपोतों के रूप में गलन स्क्रैप, मिश्रित इस्पात स्क्रैप और पुन: बेलनाकार बनाने योग्य स्क्रैप का आयात और गलन स्क्रैप का निर्यात किसी सरकारी संस्था के माध्यम से किया जाता है,

(ख) यदि हां, तो पुन: बेलनाकार बनाने योग्य स्क्रैप के आयात को किसी ऐसी संस्था के माध्यम से न किये जाने के क्या कारण हैं, और

(ग) "आर्क फरनेस" एककों को आयात लाइसेंस जारी करने और गलन स्क्रैप का सीधे ही आयात करने की अनुमति देने की क्या कारण थे ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : सभी श्रेणियों के गलन स्क्रैप तथा तोड़ने के लिए पुराने जहाजों, पोतों आदि का आयात तथा फैरस मेल्टिंग स्क्रैप का निर्यात मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड की मार्फत किया जाता है। वर्ष 1980-81 के लिए वर्तमान आयात नीति के अनुसार मेल्टिंग स्क्रैप को छोड़कर सभी ग्रेडों/किस्मों की मिश्र इस्पात के स्क्रैप के आयात पर प्रतिबन्ध है।

(ख) पुनर्बेलन मिलों (लघु क्षेत्र की पुनर्बेलन मिलें भी शामिल हैं) की क्षमता का उपयोग बहुत कम है। इसका एक कारण यह भी है कि कच्चे माल की उपलब्धि पर्याप्त नहीं है। वर्तमान आयात नीति में इस बात की व्यवस्था है कि वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) ओपिन जनरल लाइसेंस के अधीन कार्बन स्टील पुनर्बेलनयोग्य स्क्रैप का आयात कर सकते हैं ताकि इच्छुक पुनर्बेलन इकाइयां अपनी आवश्यकता के लिए पुनर्बेलन स्क्रैप का आयात कर सकें और इस प्रकार देश के पुनर्बेलन योग्य स्क्रैप की कुल उपलब्धि में कुछ वृद्धि कर सकें।

(ग) देश की विद्युत भट्टी इकाइयां एक कठिन दौर से गुजर रही थी और उनमें से कुछ तो बन्द भी हो गई थीं। राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के हित में उन्हें पुनः चालू करने के लिए सरकार ने उन्हें कुछ रियायतें दी थीं। किए गए उपायों में एक उपाय फैरस मेल्टिंग स्क्रैप की देशीय आपूर्ति में वृद्धि करना था जो उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, लघु इस्पात कारखानों के उत्पादन का उच्च-स्तर बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं था। समय बचाने तथा इस आशा से कि फैरस मेल्टिंग स्क्रैप की कुछ मात्रा आयात करने से अलग-अलग इकाइयों को प्रोत्साहन मिलेगा, इन इकाइयों को कुछ समय के लिए सीमित मात्रा में सीधे आयात करने के लिए तदर्थ आधार पर अनुमति प्रदान की गई थी। बाद में, सरकार द्वारा गठित समिति ने भी जिसमें देशीय स्क्रैप उद्योग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था, अपनी सिफारिश में इस नीति का समर्थन किया था और कहा था कि जब लघु इस्पात कारखानों का द्रव धातु का उत्पादन 17 लाख टन से अधिक हो जाय तो आयात की अनुमति दी जानी चाहिए।

गत दो वर्षों के दौरान हैलीपैडों का निर्माण

6547. श्री के० प्रधानी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत दो वर्षों के दौरान अनेक स्थानों पर कितने हैलीपैडों का निर्माण किया गया ;

(ख) इन हैलीपैडों के निर्माण पर कितनी राशि खर्च हुई ;

(ग) इन हैलीपैडों का निर्माण किन विशेष प्रयोजनों के लिये किया गया ; और

(घ) उन हवाई अड्डों के नाम क्या है जहां गत दो वर्षों के दौरान सुधार किये गये हैं और इस कार्य पर कितनी राशि खर्च हुई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चंद्राकर) : (क) और (ख) पिछले दो वर्षों में केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी भी हैलीपैड का निर्माण नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) विमान क्षेत्रों का विकास एक लगातार चलती रहने वाली प्रक्रिया है। अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्रों के विकास पर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किया गया कुल पूंजी व्यय (योजना) 1978-79 में 9.69 करोड़ रुपये तथा 1979-80 में 15.70 करोड़ रुपये था। नागर विमानन विभाग द्वारा घरेलू विमानक्षेत्रों के विकास पर किया गया व्यय 1978-79 में 8.69 करोड़ रुपये तथा 1979-80 में 12.89 करोड़ रुपए था।

घटिया किस्म के माल का निर्यात

6548. श्री के० प्रधानी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान घटिया किस्म के माल के निर्यात से सम्बन्धित मामले आए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वे कौन कौन सी पार्टियां है जिन्होंने ऐसा किया और सरकार द्वारा उन के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) कथित घटिया क्वालिटी के माल के निर्यात के कुछ मामलों की गत तीन वर्षों के दौरान रिपोर्ट मिली थी। घटिया माल के निर्यात की रिपोर्ट की जांच की जाती है और जहां ठीक पाया जाता है वहां आवश्यक कार्यवाही की जाती है जिसमें अभियोग चलाना भी शामिल है। चार निर्यातक फर्मों पर चीफ मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, कलकत्ता द्वारा निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण तथा निरीक्षण अधिनियम, 1963 के उपबधों के अधीन अभियोग चलाया गया और उन पर जुर्माना किया गया। एक निर्यातक फर्म पर निर्यात निरीक्षण परिषद् की सहमति से केन्द्रीय जांच ब्यूरो, मद्रास द्वारा अभियोग चलाया गया और इस फर्म पर चीफ मैट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट, मद्रास द्वारा जुर्माना किया गया। सीमाशुल्क विभाग द्वारा 33 निर्यातकों पर घटिया खेपें निर्यात करने का प्रयास करने के लिए जुर्माना किया गया है। इसके अलावा, कुछ मामलों में अभियोग चलाया गया है और मामले न्यायालयों में लम्बित हैं।

कृषक समुदाय से उत्पादन ऋणों की कालातीत राशियां

6549. **श्री के० प्रधानी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कृषक समुदाय और विशेष रूप से आदिवासियों के उत्पादन ऋणों की कालातीत राशियों में वृद्धि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन के लिए नये ऋण प्राप्त करने में होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या हैं ;

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सीधे मंजूर किये गये ऋणों की तुलना में किसानों को ग्राम स्तर पर प्राथमिक सहकारिताओं के माध्यम से ली जाने वाली ब्याज की औसत दर क्या है ; और

(घ) राष्ट्रीयकृत बैंकों के कुल ऋणों में से इसे बैंकों द्वारा कृषक समुदाय को दिए गए ऋणों की प्रतिशतता क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) जिस तरह के आंकडे मांगें गये हैं उस तरह के आंकड़े वाणिज्यिक बैंक इकट्ठा नही करते। पिछले तीन वर्षों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि को दिये गए ऋणों की अतिदेय (ओवरड्यू) रकमों की प्रतिशतता इस प्रकार है :-

जून, 1977	51.2
जून, 1978	49.8
जून, 1979	47.8

इन आंकड़ों को देखने से यह पता चलता है कि इन ऋणों की वसूली में मामूली सा सुधार हुआ है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को सलाह दी है कि वसूली कार्यक्रम हमेशा ही काफी लचीला होना चाहिए ताकि दैवी विपत्तियों तथा प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों में कृषि ऋणों की वसूली के कार्यक्रम को पुनः निर्धारित करने की अनुमति दी जा सके। तदनुसार, बैंक आमतौर पर वापसी अदायगी की अवधि बढ़ा देते हैं। अल्पावधिक ऋणों को मध्यावधिक ऋणों से रूपान्तरित कर देते हैं। इस प्रकार के मामलों में ऋणकर्ताओं को व्यतिक्रमी (डिफाल्टर) नहीं माना जाता और वे नए ऋण प्राप्त करने के पात्र हो जाते हैं।

(ग) ग्राम स्तर पर ऋणकर्त्ताओं से प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से तथा प्रत्यक्षतः वाणिज्यिक बैंकों द्वारा लिये जाने वाले ब्याज की दरें इस प्रकार हैं :—

(क) अल्पावधिक ऋण

(1) सहकारी समितियां —	13.5 प्रतिशत तक। अधिकांश राज्यों में दरें 11 से लेकर 13 प्रतिशत के बीच में हैं। कुछ राज्यों में छोटे किसानों के लिए आर्थिक — सहायताप्राप्त (सब्सीडाइज्ड) दरें हैं।
(2) वाणिज्यिक बैंक	छोटे किसानों के मामले में 2500 रुपए तक के ऋणों के सम्बन्ध में 11 प्रतिशत अन्य मामलों में अधिक से अधिक 15 अथवा 16 प्रतिशत तक।

(ख) सावधि ऋण

(1) सहकारी समितियां	अधिकांश राज्यों में मध्यावधिक ऋणों के लिए दरें सामान्यतः 11 से लेकर 13 प्रतिशत तक रहती हैं। कुछ राज्यों में छोटे किसानों के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त दरें हैं।
(2) वाणिज्यिक बैंक	उन सावधि ऋणों के लिए जिनकी परिपक्वता की अवधि तीन वर्षों से कम न हो।
(1) भूमि विकास/ लघु सिंचाई	9.5 प्रतिशत
(2) विविधीकृत प्रयोजन	
छोटे किसान	9.5 प्रतिशत
अन्य	10.5 प्रतिशत

(घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों (भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंकों समेत) द्वारा मंजूर किये गए कृषि ऋणों की प्रतिशतता जून, 1979 के अन्त में, (जो बिल्कुल हाल की उपलब्ध सूचना है) उनके द्वारा मंजूर किये गए कुल ऋणों का 13.2 प्रतिशत बैठती है।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के लिये ब्रिटेन की विकास योजना

6550. **श्री मोहम्मद असरार अहमद :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन इस्पात निगम (विदेश सेवायें) द्वारा ब्रिटेन की सरकार को तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के लिए एक विकास योजना तैयार की जा रही है ;

(ख) उक्त योजना कब तक तैयार हो जायेगी ;

(ग) मुख्य मुख्य बातों सहित योजना का पूरा ब्यौरा क्या है ;

(घ) यह योजना किस तारीख तक प्रारम्भ हो जायेगी ;

(ङ) इस पर कितनी धन-राशि व्यय होगी ; और

(च) भारत सरकार को इस से क्या लाभ होंगे ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : जी, हां ।

(ख) आशा है यह योजना अक्तूबर, 1980 के अन्त तक तैयार हो जायेगी ?

(ग) से (च) इनके बारे में तभी मालूम हो सकेगा जब प्रस्ताव तैयार कर लिए जाएंगे और सरकार को प्रस्तुत कर दिये जाएंगे और सरकार उन पर निर्णय ले लेगी ।

आयात और निर्यात वस्तुओं के सरणीकरण के लिये सर्विस प्रभार

6551. **श्री रामस्वरूप राम :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न आयात और निर्यात वस्तुओं/मदों के सारणीकरण के लिये सर्विस प्रभार का निर्णय करने के मानदंड क्या हैं ;

(ख) क्या जहाज मालिक/आयातित वस्तुओं के वास्तविक प्रयोक्ता का इस मामले में कोई अधिकार है ; और

(ग) क्या सरकार ने यह निर्धारित नहीं किया है कि सरणीकर्ता द्वारा लगाया गया सर्विस प्रभार अधिक नहीं होना चाहिये अपितु सरणीकर्ता द्वारा की गई वास्तविक सेवा के अनुरूप होना चाहिये ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : आयात/निर्यात की विभिन्न वस्तुओं के सेवा प्रभार सरणीकरण अभिकरणों द्वारा दी गई सेवाओं तथा उनके द्वारा किये गये व्यय/लागतों के विभिन्न तत्वों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किये जाते हैं ।

(ख) जी नहीं।

(ग) सेवा प्रभार निर्धारित करते समय, जो कि सरणीकरण अभिकरण द्वारा दी गई वास्तविक सेवा का अनुरूप होते है, वास्तविक उपयोक्ता को पड़ने वाली अन्तिम लागत और साथ ही अन्य स्रोतों से कच्चे माल की प्राप्यता को ध्यान में रखा जाता है ।

स्क्रैप के मूल्यों में कमी होना

6552. श्री राम स्वरूप राम : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में स्क्रैप के मूल्यों में हाल की अवधि में गिरावट आ रही है ;

(ख) क्या घरेलू स्क्रैप उद्योग स्रोतों ने चिन्ता व्यक्त की है कि भट्टियों द्वारा वैध आयात लाइसेन्सों पर स्क्रैप की भारी मात्रा का आयात किये जाने की सम्भावना है ;

(ग) क्या यह सच है कि आर्क-भट्टियों द्वारा बड़ी मात्रा में स्क्रैप के आयात से इससे घरेलू संचय में बाधा पहुंचेगी ; और

(घ) क्या सरकार स्क्रैप के निर्बाध निर्यात को अनुमति देगी ताकि घरेलू स्क्रैप उद्योग को स्क्रैप का संचय जारी रखने दिया जा सके ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) स्टील मेल्टिंग स्क्रैप के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में, विशेषत: अमेरिका में, जो इसका मुख्य निर्यातक है, पिछले कुछ महीनों में गिरावट आई थी। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से कीमतों में वृद्धि का रुख है।

(ख) जी, नहीं। देशीय स्क्रैप के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि के रुख से इस आशंका की कोई गुंजाइश नहीं है।

(ग) जी, नहीं। फेरस स्क्रैप उद्योग के कार्य-करण के सम्बन्ध में सरकार द्वारा गठित की गयी समिति ने, जिसमें स्क्रैप को एकत्रित करना/प्रोसेस करने वाले उद्योग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है, ने बताया है कि विद्युत भट्टियों में 17 लाख टन द्रव इस्पात का उत्पादन करने के लिए देशीय स्क्रैप पर्याप्त है और जब उत्पादन इस सीमा से अधिक बढ़ जाए तो इसका आयात किया जाए।

(घ) सरकार ने स्क्रैप की उन श्रेणियों का निर्यात करने की अनुमति दे दी है, जिनकी उपलब्धि देशीय आवश्यकता से फालतू है। सरकार ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि देशीय स्क्रैप उद्योग पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

बोकारो इस्पात संयंत्र की प्रगति

6553. श्री मूल चन्द डागा : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र ने परियोजना के अनुरूप प्रगति की है और यदि नहीं, तो इसके फलस्वरूप कितनी हानि हुई है, और

(ख) इस संयंत्र पर अब तक कितनी राशि का निवेश किया जा चुका है और वहां कुल कितने कर्मचारी तथा अफसर कार्यरत हैं और उन्हें कुल कितना वेतन दिया जाता है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) परियोजना रिपोर्ट के अनुसार पहले चरण में बोकारो इस्पात कारखाने का निर्माण 17 लाख टन वार्षिक क्षमता के लिए किया जाना था और फिर इसका 40 लाख टन तक विस्तार किया जाना था। अब दूसरे चरण के लिए कार्य हो रहा है और 25 लाख टन क्षमता प्राप्त की जा चुकी है। यह सच है कि निर्माण कार्य की प्रगति समय-सूची के अनुसार नहीं हुई है। यह अनुमान लगाना कठिन है कि निर्माण अनुसूची के अनुसार कार्य न हो सकने के कारण कितनी हानि हुई है।

(ख) 31-3-1980 तक बोकारो इस्पात कारखाने पर कुल पूंजी निवेश 1758.03 करोड़ रुपए के लगभग था। 31-3-1980 को कारखाने में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या नीचे दी गयी है :—

कार्यपालक	—	3,376
कर्मचारी	—	36,664
कुल		40,040

वर्ष 1979-80 में कर्मचारियों के वेतनमान तथा मजदूरी पर 46.50 करोड़ रुपए खर्च हुए थे।

खुदरा व्यापारियों के लिए चीनी तथा मिट्टी के तेल हेतु मंजूर किया गया कमीशन

6554. श्री मूल चन्द डागा : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे खुदरा व्यापारियों को उन स्थानों पर जहां उचित दर दुकानें नहीं खोली गई हैं और जहां पर सहकारी समितियां काम नहीं कर रही हैं ; चीनी बेचने के लिए प्रति बोरी और मिट्टी के तेल के (16 अथवा 18 लिटर) टीन बेचने पर कितना कमीशन दिया जाता है ;

(ख) क्या उन छोटे दुकानदारों के लिए इस कमीशन पर चीनी और मिट्टी के तेल का वितरण किया जाना सम्भव है ; और

(ग) क्या इन दुकानदारों को उपरोक्त कमीशन के अलावा परिवहन प्रभार भी अदा किये जाते हैं और यदि हां, तो उसका क्या आधार है ?

नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) राज्य सरकारों को लेवी-चीनी का आबंटन केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिक्री केन्द्रों के माध्यम से वितरित करने के लिए किया जाता है। इसलिए उचित दर की दुकानों के लाइसेंस धारियों के अलावा अन्य किसी खुदरा व्यापारी को कमीशन देने का प्रश्न ही नहीं उठता। मिट्टी के तेल के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कृषि सम्पत्ति पर धन कर लगाया जाना

6555. श्री मूल चन्द डागा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि सम्पत्ति पर धन-कर कब लगाया गया था और उससे प्रत्येक वर्ष में कितना राजस्व प्राप्त हुआ था तथा 1979-80 के दौरान कुल कितने व्यक्तियों से यह कर वसूल किया गया अथवा वसूल किया जाना था ; और

(ख) क्या यह सच है कि काला धन रखने वाले बहुत से व्यक्ति कृषि व्यवसाय अपना कर उस धन को उचित धन में बदलने में सफल हो जाते हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) कृषि सम्पत्ति पर धन-कर, कर निर्धारण वर्ष 1970-71 से लगाया गया था। उससे अर्जित राजस्व की रकम का वर्ष वार ब्यौरा निम्नानुसार है :

कर-निर्धारण वर्ष	रकम लाख रुपयों में
1970-71	3
1971-72	33
1972-73	55
1973-74	66
1974-75	71
1975-76	91
1976-77	78
1977-78	57
1978-79	89
1979-80	47

वर्ष 1979-80 के दौरान जिन निर्धारितियों के पास कृषि धन था उनकी कुल संख्या 17277 थी।

(ख) मंत्रालय के पास कोई ऐसा ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि बहुत से ऐसे व्यक्ति जिनके पास काला धन है, कृषि-कार्य आरम्भ करके उसे सफेद धन में परिवर्तित कर सकते हैं।

सरकार द्वारा अदा की जा रही पेंशन की राशि

6556. श्री मूल चन्द डागा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेंशन देने के लिए किन-किन बातों पर विचार किया जाता है और सरकार द्वारा पेंशन के रूप में हर साल राशि का भुगतान किया जा रहा है ; और

(ख) उन लोगों को पेंशन देने का क्या औचित्य है जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है अथवा जिनके पास अच्छी तरह अपना गुजारा करने के लिए पर्याप्त धन है जबकि दूसरी ओर इस देश में आज भी तीस करोड़ व्यक्ति गरीबी की रेखा से नीचे का जीवन बिता रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) सरकारी कर्मचारियों को पेंशन लम्बी तथा संतोषजनक सेवा को विचार में रखते हुए दी जाती है। वर्ष 1976-77, 1977-78 और 1978-79 के लिए पेंशन बिल निम्न प्रकार था :—

1976-77	186 करोड़ रुपये
1977-78	214 करोड़ रुपये
1978-79	258 करोड़ रुपये

(ख) स्थिर रोजगार में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए दो प्रकार के सामाजिक सुरक्षा लाभ है। औद्योगिक क्षेत्र में आमतौर पर अंशदायी भविष्यनिधि योजना है। सरकारी क्षेत्र में भी कुछ सरकारी कर्मचारी अंशदायी भविष्यनिधि के अन्तर्गत आते हैं, किन्तु उनमें से अधिकांश पेंशन योजना के अन्तर्गत आते हैं। ये सामाजिक सुरक्षा लाभ व्यक्ति जिसने अपने जीवन के महत्व-पूर्ण वर्ष नियोक्ता की सेवा में लगाए हैं, की वृद्धावस्था के लिए व्यवस्था करने के लिए होते हैं। ये अदायगियां सेवाकाल और उस वेतन स्तर से संबंधित होती हैं, जिस पर वह व्यक्ति सेवा निवृत्त होता है। पेंशन, अथवा यहां तक कि किसी कर्मचारी को देय वेतन का उस कर्मचारी की वैयाक्तिक वित्तीय स्थिति से कोई सम्बन्ध नहीं होता।

हीरों का निर्यात

6557. **श्री नवीन रवाणी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से हीरों के निर्यात के बारे में 1980-81 और उसके आगे क्या संभावनाएं हैं ; और

(ख) हीरा उद्योग को, विशेषत: गुजरात और बम्बई के हीरा उद्योग को बिना तराशे हीरों की सप्लाई के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) ऐसी संभावना है कि चालू वर्ष के दौरान हीरों के विश्व व्यापार में मंदी का प्रभाव भारत के हीरों के निर्यातों पर पड़ेगा।

भारतीय हीरों की मांग के 1981-82 में तथा उसके बाद बढ़ने की आशा है।

(ख) हीरा उद्योग का बिना तराशे हीरों की सप्लाई प्रतिपूर्ति आधार पर पंजीयित निर्यातकों को मुक्त रूप से की जाती है। डायमेंड ट्रेडिंग कम्पनी, लन्दन से माल प्राप्त करने के लिए अग्रदाय लाइसेंस भी दिये जा रहे हैं। इसके अलावा, बिना तराशे हीरे हिन्दुस्तान डायमंड कम्पनी लि० द्वारा भी भारतीय हीरा उद्योगों को सप्लाई किये जा रहे हैं। कम्पनी लाइसेंस धारियों को, खास तौर से, हीरे के लघु निर्यातकों को, जिसमें बम्बई तथा गुजरात के निर्यातक भी शामिल हैं, नियमित रूप से बिना तराशे हीरे सप्लाई कर रही है।

मुद्रास्फीति के दबाव को रोकना

6558. **श्री नवीन रवाणी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशों से राशियां भेजे जाने के कारण, विशेष रूप से केरल, गुजरात, पंजाब आदि में मुद्रास्फीति के दबाव और खपत-पद्धति में परिवर्तनों पर अंकुश रखने का है, यदि हां, तो किस प्रकार ; और

(ख) क्या इस बारे में सरकार के पास कोई योजना है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) चूंकि कुछ समय से विदेशी मुद्रा भंडार में कोई वृद्धि नहीं हुई है, इसलिए विदेशों से आने वाली रकमों के फलस्वरूप मुद्रास्फीति पर पड़ने वाले दबाव की संभावना बहरहाल काफी कम हो जाएगी। जहां तक उपभोग के स्वरूप में परिवर्तन का सम्बन्ध है विदेशों से आने वाली रकमों के उपयोग से उपभोग का पुराना निम्न स्तर ऊंचा हो सकता है जो स्वाभाविक भी है और कुछ हद तक वांछनीय भी।

(ख) सरकार ने इन रकमों को बैंकों में जमा कराये जाने अथवा इनका औद्योगिक उद्यमों में निवेश कराये जाने के लिए अनिवासी भारतीयों को प्रोत्साहन देने के विचार से कई उपाय किये हैं। उदाहरण के तौर पर अनिवासी भारतीय निवेश की गई पूंजी और अर्जित आय के प्रत्यावर्तन अधिकारों के बिना किसी भी औद्योगिक क्रियाकलाप के क्षेत्र में लगी किसी भी कम्पनी में निवेश कर सकते हैं। एक अन्य सुविधा है जिसमें चुने हुए उद्योगों में नई कम्पनियों के नए निर्गमों में 20 प्रतिशत राशि तक के प्रत्यावर्तन अधिकारों सहित पूँजी निवेश की अनुमति दी गई है। अनिवासी भारतीय उच्च प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों अथवा निर्यातोन्मुखी उद्यमों में लगी कम्पनियों में भी 74 प्रतिशत राशि तक के प्रत्यावर्तन अधिकारों सहित पूंजी निवेश कर सकते हैं।

दादरा और नगर हवेली के आदिवासी क्षेत्र पर्यटकों को सुविधायें

6559. **श्री छीतूभाई गामित :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में दादरा और नगर हवेली के आदिवासी क्षेत्र में पर्यटकों के लिये क्या सुविधायें उपलब्ध कराई गई हैं; और

(ख) क्या गैर-सरकारी होटल मालिकों को तथा नई सुविधायें उपलब्ध करने वाले अन्य लोगों को किसी तरह की सहायता दी जाती है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) दादरा और नागर हवेली के आदिवासी क्षेत्र में केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत कोई सुविधायें प्रदान नहीं की गई हैं।

(ख) होटलों के निर्माण में अभिरुचि रखने वाले गैर-सरकारी होटल-मालिकों तथा अन्य उद्यमियों को सरकार द्वारा दिये जा रहे आवश्यक प्रोत्साहनों के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है। प्रदत्त प्रोत्साहनों का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

होटल उद्योग के लिए प्रोत्साहन

1. प्राथमिकता अभिक्रिया

भारत सरकार द्वारा जारी किए गये एक सरकारी ज्ञापन के अनुसार होटल उद्योग की विभिन्न आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाता है। जब कभी सरकार द्वारा मान्यता–प्राप्त और अनुमोदित होटल उद्योग का कोई सदस्य विशेष या रियायती अभिक्रिया प्रदान करने के लिए नगरपालिका, राज्य, संघ के स्तर पर सरकार की किसी एजेन्सी अथवा अर्द्ध या क्वासी गोवर्नमेंट बोडी से अनुरोध करता है, तब उसके अनुरोध पर विचार किया जाता है जैसा कि ऐसे अन्य औद्योगिक क्रिया-कलापों पर विचार किया जाता है जिन्हें उच्च प्राथमिकता प्रदान की जाती है। ऐसे जिन पहलुओं पर विचार किया जाता है, वे ये हैं—वित्तीय सहायता, भवन-निर्माण की सामग्री प्राप्त करने में सहायता, प्रचार, संवर्धन और अनिवार्य आवश्यकताओं आदि का आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रदान करना।

(बो) कर में राहतें

1. टैक्स हॉलिडे

इस संबंध में निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर, अप्रैल, 1961 के पहले दिन के बाद कार्य प्रारम्भ करने वाले किसी अनुमोदित होटल के कारोबार से किसी भारतीय कम्पनी द्वारा अर्जित लाभों और अभिलाभों के बारे में निम्नलिखित सीमा तक आय-कर छूट प्राप्त है :—

(1) होटल जिन्होंने **1-4-1976** से पहले कार्य आरम्भ किया

(धारा. 80 जे) जिस वर्ष से होटल कार्य प्रारम्भ करता है उसी वर्ष से लेकर 5 वर्ष की अवधि के लिए होटल में लगाई गई पूंजी के 6% तक (दीर्घकालिक उधार और डिबेंचरों को छोड़कर)। कम्पनी द्वारा इस प्रकार छूट प्राप्त लाभों में से घोषित लाभांशों को शेयर धारकों के बारे में कर से छूट प्राप्त है।

(2) **31-3-1976** के बाद किन्तु **1-4-1981** से पहले कार्य आरम्भ करने वाले होटल

जिस वर्ष से होटल कार्य प्रारम्भ करता है, उस वर्ष से लेकर 5 वर्ष की अवधि के लिए होटल में लगाई गई पूंजी के $7\frac{1}{2}$% तक (दीर्घकालिक उधार और डिबेंचरों को छोड़कर)।

(2) पिछड़े क्षेत्रों में होटल :

(धारा 80 एच एच) निर्धारित शर्तों को पूरा करते हुए, ऐसे मामलों में जिनमें विनिर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में से किसी क्षेत्र में 31-12-1970 के बाद कार्य प्रारंभ करने वाले किसी होटल के कारोबार से अर्जित लाभ तथा अभिलाभ किसी निर्धारिती की सकल कुल आय में शामिल हैं, उन मामलों में निर्धारिती की कुल आय का परिकलन करते समय होटल की स्थापना से लेकर 10 कर निर्धारण वर्षों के लिए, इस प्रकार के लाभों तथा अभिलाभों में से उनके 20% के बराबर धन-राशि की कटौती करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि 31-12-1970 के बाद परन्तु 1-4-1973 से पूर्व कार्य प्रारम्भ करने वाले होटल के मामले में, 10 कर-निर्धारण वर्षों की संख्या में से 1-4-1974 से पूर्व समाप्त होने वाले कर-निर्धारण वर्षों की संख्या कम कर दी जाएगी।

(3) मूल्यह्रास :

धारा 32 (i) (v) ऐसे नए भवनों के मामलों में, जिनका निर्माण कार्य 31 मार्च, 1967 से पहले पूरा हो चुका है और जहां भवन एक भारतीय कम्पनी की मालकीयत है और इस कम्पनी द्वारा इसे होटल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है और ऐसा होटल उस समय के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है, पिछले वर्ष के लिए, जिसमें भवन का निर्माण कार्य पूरा हुआ, के बारे में प्रारम्भिक मूल्तह्रास के रूप में प्रथम वर्ष के लिए भवन के निर्माण की वास्तविक लागत की 25% की दर पर मूल्याह्रस देने की स्वीकृति प्रदान की गयी है अथवा यदि इस भवन का पिछले वर्ष के तत्काल अनुवर्ती वर्ष में एक होटल के रूप में पहले-पहल प्रयोग किया जाता हैं, तो मूल्यह्रास पिछले वर्ष के बारे में प्रदान किया जाएगा। मूल्यह्रास की संगणना के प्रयोजनार्थ भवन का डब्ल्यू० डी० वी० निर्धारित करते समय इस प्रकार के प्रारंभिक मूल्यह्रास को घटाया नहीं जाएगा (धारा32 (i) (v)। तथापि, प्रारम्भिक मूल्यह्रास सहित अनुज्ञेय कुल मूल्यह्रास प्रारम्भिक लागत से अधिक नहीं होगा।

यदि किसी कम्पनी, जो एक भारतीय कम्पनी है, द्वारा ऐसे परिसर में जिसका वह होटल के रूप में प्रयोग करती है, और जहां उस समय होटल सरकार द्वारा अनुमोदित है, संयंत्र और मशीनों को स्थापित करने के मामले में, सामान्य छूट की आधी राशि के बराबर मूल्यह्रास प्रदान करने की अनुमति दी जाएगी। इस उद्देश्य के लिए सामान्य छूट से तात्पर्य है, मूल्य-ह्रास छूट की राशि (अतिरिक्त मूल्यह्रास छूट या अतिरिक्त शिफ्ट मूल्यह्रास छूट को छोड़कर) जिसे आयकर नियमों के अधीन छूट माना जाता है। (भाग 1 परिशिष्ट 1की मद III (iii)।

(तीन) पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों के लिए केन्द्रीय पूंजी-निवेश आर्थिक सहायता स्कीम

1-1-1977 से, होटलों को केन्द्रीय पूंजी-निवेश आर्थिक सहायता प्राप्त करने का हकदार बना दिया गया है। आर्थिक सहायता की केवल अचल परिसंपत्तियों में किए गए पूंजी निवेश और न कि फर्नीचर, क्राकरी आदि जैसी चल परिसंपत्तियों के आधार पर संगणना की जाती है।

(चार) होटल निर्माण के लिए भूमि

प्लाट के प्रीमियम के पूरे मूल्य की अदायगी की बजाए वार्षिक ग्राउंड रेंट के आधार पर टेंडर मंगवा कर, दिल्ली क्षेत्र में सरकार के स्वामित्व वाली भूमि होटल निर्माण के लिए पट्टे पर दी जाती है।

गुजरात में लघु क्षेत्र को इस्पात की सप्लाई

6560. **श्री छीतूभाई गामित** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में लघु क्षेत्रों को वितरित किए जाने के लिए संबंधित संस्थानों को पिछले दो वर्षों के दौरान विक्रय योग्य इस्पात की कितनी मात्रा दी गयी है और उनके द्वारा वास्तव में कितनी मांग की गई थी ; और

(ख) क्या वितरण प्रणाली के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) 1978-79 तथा 1979-80 के वर्षों में गुजरात की लघु उद्योग इकाइयों को की गई विक्रेय इस्पात की सप्लाई के आंकड़े नीचे दिये गए हैं :—

(टनों में)

वर्ष	सप्लाई
1978-79	32,214
1979-80	44,559

मांग के राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

(ख) जहां आवश्यक समझा जाता है शिकायतें उत्पादकों या राज्य-सरकार के संबंधित अभिकरणों के पास उचित उपचारात्मक कार्यवाही हेतु भेजी जाती हैं ।

पश्चिम बंगाल आयकर विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी एसोसिएशन का ज्ञापन

6561. श्री नारायण चौबे :

श्री भोगेन्द्र झा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल आयकर विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी एसोसिएशन से 25 जून, 1980 को एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन में क्या मुख्य बातें दी गई हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार का भविष्य में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) पश्चिम बंगाल आयकर "श्रेणी (चार) कर्मचारी" संघ ने 23 जून 1980 का एक पत्र प्रस्तुत किया, जिसके साथ संघ के अनेक सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र भेजे गये, जिनमें 11 मांगों का उल्लेख किया गया है। आयकर आयुक्त पश्चिम बंगाल ने संघ का उक्त पत्र अपने 24 जून, 1980 के पत्र के साथ, आवश्यक कार्यवाही के लिए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को भेज दिया था।

(ख) संघ के सदस्यों की मांगें मुख्यतः, समूह 'घ' से अवर श्रेणी लिपिक के पद पर पदोन्नति की पद्धति ; समूह 'घ' में प्रवरण ग्रेड के सृजन रिकार्ड कीपरों को विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अग्रिम वेतनवृद्धि ; समूह 'घ' के पदों में 10 प्रतिशत की कटौती समाप्त करने ; अनियत कर्मचारियों को नियमित रोजगार पर लेने आदि के बारे में हैं ।

(ग) पश्चिम बंगाल आयकर श्रेणी iv कर्मचारी संघ एक स्थानीय संघ है । संघ द्वारा पेश की गई मांगें अखिल भारतीय महत्व का है । केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के ऐसे स्थायी अनुदेश है, जिनके अनुसार किसी स्थानीय संघ को अखिल भारतीय महत्व के मामले नहीं उठाने चाहिए और अपने आप को स्थानीय मामलों तक ही सीमित रखना चाहिए। अखिल भारतीय महत्व के

मामले मान्यताप्राप्त संघ, जो पहले ही इस विभाग में कार्य कर रहा है, अर्थात् आयकर कर्मचारी संघ उठाये जाने के लिए छोड़ दिये जाते हैं। वित्त मंत्रालय की विभागीय परिषद् में तथा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में भी इस संघ को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, इस स्थिति को देखते हुए, आयकर आयुक्त, कलकत्ता को सूचित किया गया है कि वे उक्त संघ का ध्यान ऊपर उल्लिखित दिनांक 15 फरवरी 1978 के स्थायी आदेशों की ओर दिलायें।

विदेशों में भारतीय कालीनों की मांग

6562. **श्री जैनुल बशर** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि विदेशी बाजार में भारतीय कालीनों की भारी मांग है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान हाथ से गांठ लगाकर बनाये गये कालीनों, नमदों आदि के निर्यात निम्नोक्त प्रकार हैं :—

	करोड़ रु०
1977-78	81.96
1978-79	99.37
1979-80	82.67 (अनन्तिम)

निर्यातों में अधिक ह्रास की प्रवृत्ति 1979-80 की अन्तिम तिमाही (अर्थात् जनवरी-मार्च, 1980) के निर्यातों से प्रकट होती है, जो 24 करोड़ रु० है जबकि 1978-79 की अंतिम तिमाही के दौरान 28.84 करोड़ रु० के निर्यात हुए थे।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों में गिरावट

6564. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों की राशि में जून, 1980 तक की अवधि के दौरान गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में भारी गिरावट आई है ;

(ख) यदि हां, तो अग्रिम बैंक ऋण की राशि में कितनी गिरावट आई है और उपभोक्ता-वार तत्संबंधी आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) उक्त भारी गिरावट के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) जी, नहीं। कुल मिलाकर, सरकारी क्षेत्र के बैंकों* की बकाया राशियां जो कि जून, 1979 के अन्तिम शुक्रवार को 17379.1 करोड़ रुपये थीं, बढ़कर जून 1980 के अन्तिम शुक्रवार तक 19854.7 करोड़ रुपये हो गयीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

*हाल ही में राष्ट्रीयकृत 6 बैंक भी शामिल हैं।

बैंक जमाराशियों पर बीमा योजना

6565. **श्री छोटूभाई गामित :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोगों की बैंक जमाराशियों पर आधारित बीमा योजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस बारे में जीवन बीमा निगम का विचार क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) और (ख) जीवन बीमा निगम ने 18 वर्ष और 49 वर्ष के बीच की आयु वाले बैंक खाताधारियों को उनके बैंक खातों में पड़ी बचतों के लिए सावधिक बीमा कवच प्रदान करने के विचार से 1971 में जमा राशि से जुड़ी बीमे की एक योजना शुरू की थी जिसकी शर्त यह थी कि खाताधारियों के बचत खातों में ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 500 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये की राशि बराबर बनी रहे । यह बीमा कवच 40 वर्ष तक की आयु के जमाकर्ताओं के बचत खातों की शेष राशि से दुगुनी के बराबर की राशि के लिए और 40 वर्ष की आयु से अधिक आयु के खाताधारी के बचत खाते की शेष राशि के बराबर की रकम के लिए दिया जाता था । यह योजना लोकप्रिय साबित नहीं हुई क्योंकि जमाकर्ता ब्याज की ऊंची दर प्राप्त करने के लिए अपनी बचतों को सावधि जमा राशियों के रूप में जमा करना बेहतर समझते थे और इस योजना के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों की संख्या नगण्य है । इन परिस्थितियों में जीवन बीमा निगम का इस समय इस किस्म की जमा से जुड़ी बीमे की योजना शुरू करने का कोई विचार नहीं है ।

कैप्रोलेक्टम आयात नीति में परिवर्तन

6566. **श्री छोटू भाई गामित :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कम्पनी ने केन्द्र सरकार को इस तरह का कोई अभ्यावेदन पेश किया है कि कैप्रोलेक्टम आयात नीति में परिवर्तन किया जाये ताकि महत्वपूर्ण संयंत्र को बन्द होने से बचाया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्योरा क्या है और इस बरे में सरकार का क्या विचार है ;

(ग) क्या वर्तमान नीति के कारण दस करोड़ रु० मूल्य का यह 4000 टन कच्ची सामग्री बिना बिके पड़ी हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) मै० गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कं० लि० ने अभिवेदन किया है कि चूंकि उनके व उस उद्योग के पास मौजूद स्टाक और 1980-81 के दौरान अनुमानित उत्पादन आन्तरिक मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त रहेगा, अत: और अधिक कैप्रोलेक्टम आयात करने की अनुमति न दी जाये ।

(ग) तथा (घ) कम्पनी के अनुसार 21-7-1980 को उन के पास 4,687 मे० टन० का स्टाक मौजूद था जिसका मूल्य उनके हिसाब के मुताबिक लगभग 10 करोड़ रु० होगा । उनके पास इतना स्टाक इकट्ठा हो जाने का कारण है उनकी ऊंची बिक्री कीमत ।

उत्तरी बंगाल और दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली

6567. श्री अमरराय प्रधान : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तरी बंगाल और दिल्ली के कुछ स्थानों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली बिगड़नी प्रारंभ हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इन राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये है ?

नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) व (ख) : जी नहीं, यह बात सही नहीं है कि उत्तरी बंगाल और दिल्ली के कुछ स्थानों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बिगाड़ आने लगा है। इस समय पश्चिम बंगाल तथा दिल्ली में क्रमश: 18,005 और 2,161 उचित दर की दुकानें कार्य कर रही हैं। जून के अन्तिम पखवाड़े तथा जुलाई, 1980 के पहले पखवाड़े में दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के कुछ कर्मचारियों द्वारा "धीरे काम करने" तथा "नियमानुसार काम करने" की तरकीबें अपनायी जाने के बावजूद भी इस प्रणाली को चालू रखने के लिए आवश्यक व्यवस्था की गई थी। उत्तरी बंगाल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिगड़ने के बारे में कोई सूचना नहीं मिली हैं।

विमानों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा की स्वीकृति

6568. श्री अमरराय प्रधान : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कम्पनियों तथा निजी व्यक्तियों को विमानों का आयात करने के लिए सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान विदेशी मुद्रा की कितनी राशि स्वीकृत की गई है आयात किये जाने वाले विमानों के नाम क्या हैं और वे किस किस देश से आयात किये गये हैं;

(ख) उन कम्पनियों अथवा व्यक्तियों के नाम क्या है जिन्हें इसकी अनुमति की गई थी; और

(ग) इन विमानों के आयात किये जाने के क्या कारण थे ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) सभी आयात लाइसेंसों तथा सीमाशुल्क निकासी परमिटों के ब्यौरे आयात व निर्यात के मुख्य नियंत्रक द्वारा प्रकाशित वीकली बुलेटिन आफ इम्पोर्ट लाइसेंसिग, एक्सपोर्ट लाइसेंसिग तथा इण्डस्ट्रियल लाइसेंसिग में दिए जाते हैं। इन बुलेटिनों की प्रतियां संसद पुस्तकालय को भेजी जाती हैं। वास्तविक आयातों के आंकड़े आयातकवार नहीं रखे जाते हैं ।

(ग) संबद्ध अवधियों में ऐसे मामले में हवाई जहाजों के आयात को अनुमति देने में अपनाई गई सामान्य नीति का उद्देश्य विदेशी मुद्रा को ध्यान में रखते हुए संस्थानों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों के कार्यों को सुकर बनाना था।

निर्यात नीति बनाते समय राज्यों के साथ परामर्श

6569. श्री चित्त महाटा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्यमंत्रियों ने केन्द्र से यह अनुरोध किया है कि निर्यात नीति बनाते समय राज्यों से परामर्श लिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) (क) : अभी तक किसी भी राज्य के मुख्य मंत्री से कोई ऐसा अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

एक लाख रुपये कम बकाया आयकर को बट्टे खाते डालना

6570. **श्री चित्त महाटा :**

श्री मोहम्मद असरार अहमद :

श्री मनफूल सिंह चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उन करादाताओं के बकाया आयकर को बट्टे खाते डालने का निर्णय किया है जिन्हें एक लाख रुपये और इससे कम राशि का भुगतान करना था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) जी, नहीं । तथापि, 31–3-1979 को 5 वर्षों से अधिक समय से बकाया पड़ी 200 रुपये तक की बकाया मांग की सभी प्रविष्टियों की समीक्षा करने तथा 'समाप्त हो गये मामलों में, एक साथ की जाने वाली कार्यवाही के रूप में ऐसी प्रविष्टियों को बट्टेखाते डालने के लिए फरवरी 1980 में अनुदेश जारी किये गये । मार्च 1980 तक की स्थिति के अनुसार, अनन्तिम आंकड़ों के आधार पर ऐसे मामलों में 1.44 करोड़ रुपये की रकम बट्टेखाते डाली गयी है ।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित किस्म के मामलों में वसूली की कार्यवाही को जारी रखना, इस तरह के मामलों में अन्तर्ग्रस्त श्रम की लागत तथा वसूली की अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए, उचित नहीं समझा गया ।

रिजर्व बैंक द्वारा किया गया ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण

6571. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस तथ्य का पता है कि अभी कुछ दिनों पहले तक भी रिजर्व बैंक अथवा राष्ट्रीयकृत बैंकों ने कोई ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण नहीं किया है :

(ख) क्या इन्हें इस तथ्य का भी पता है कि पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में, बैंकों के अभाव का लाभ उठाते हुए कदाचारी व्यापारी सट्टेबाज और जमाखोर उत्पादकों को अपने उत्पादन को अत्यधिक कम मूल्य पर बेचने के लिये बाध्य कर रहे हैं : और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति को बदलने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री श्री मगनभाई बारोत : (क) भारतीय रिजर्व बैंक प्रत्येक दस वर्ष के बाद ग्रमीण ऋण सर्वेक्षण करता है । ऐसे ही तीन सर्वेक्षण, 1950-51, 1960-61 तथा 1970-71 के वर्षों को आधार मानकर अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित किये गये हैं ।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (नेशनल सेम्पल सर्वे) के 36वें चक्र के एक भाग के रूप में वर्ष 1981 में पूरे देश में सर्वेक्षण करने की तैयारियां जोरों पर हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (नेशनल सेम्पल सर्वे आर्गेनाइजेशन) द्वारा गठित कार्यकारी दल द्वारा विस्तृत योजना तैयार की जा रही है।

(ख) और (ग) : जहां तक कटाई के तुरन्त बाद उत्पादकों द्वारा अपने कृषि उत्पादनों को कम दामों पर बेचने की मजबूरी को रोकने का सम्बन्ध है, सहकारी समितियां अपने सदस्यों को गिरवी ऋण (प्लेज लोन) जारी करती हैं ताकि मूल्य बढ़ने की संभावना में वे अपने उत्पादनों का भंडार रोके रख सकें। रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को यह निर्देश भी दिये हैं कि किसानों को दिये जाने वाले 2.500/- तक के ऋणों के वसूली की निर्धारित तारीख को फसल की कटाई के तीन महीने बाद तक के लिये स्थगित कर दिया जाये। इसके अलावा, वाणिज्यिक बैंकों की नयी लाइसेंसिंग नीति के अंतर्गत, पश्चिम बंगाल सरकार के परामर्श से राज्य के ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 785 अतिरिक्त बैंक शाखाएं खोलने के लिए योजनाएं बनाई गई है और बनाई जा रही हैं ताकि प्रति बैंक जनसंख्या औसत, राष्ट्रीय औसत के बराबर हो जाये। राज्य सरकार ने अभी तक अतिरिक्त शाखाएं खोलने के लिए 732 स्थानों का सुझाव दिया है। इनमें से 426 स्थानों के लिए प्राधिकार पत्र पहले ही जारी कर दिये गये हैं।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत विमको द्वारा अपनी विदेशी साम्य पूंजी का कम किया जाना :

6572. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमको मल्टी नेशनल कारपोरेशन द्वारा नियन्त्रित कम्पनी है ;

(ख) यदि हां, तो इस कम्पनी ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत अपनी विदेशी साम्य पूंजी में कमी कर दी है ;

(ग) यदि हां, तो कमी करने से पूर्व और कमी करने के बाद इसकी शेयर धारिता के ढांचे का ब्यौरा क्या है ;

(घ) यदि (ख) का उत्तर नकारात्मक है, तो इसकी वर्तमान शेयरधारिता के ढांचे का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत इस कम्पनी द्वारा अपनी विदेशी साम्य पूंजी को कम न किये जाने के कारण क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) जी नहीं। 1977 से पहले "विमको" एक विदेशी सहायक कम्पनी थी किन्तु इस समय यह कम्पनी एक ऐसी कम्पनी है जिसमें स्वीडन की स्वीडिश मैच कम्पनी के केवल 39.551 प्रतिशत शेयर हैं।

(ख) जी हां।

(ग) एक विवरण संलग्न है, जिसमें जानकारी दी गई है।

(घ) तथा (ङ) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

विवरण

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत शेयरधारिता को कम करने से पूर्व तथा शेयरधारिता को कम करने के बाद विमको की शेयरधारिता का विवरण।

	शेयरधारिता कम करने के पूर्व		शेयरधारिता कम करते के पश्चात	
	शेयरों की संख्या	प्रतिशत	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
1) अनिवासी				
(क) फर्में, कम्पनियां और अन्य संस्थाएं/निकाय	2,47,508	50.001	33,37,580	39.551
(ख) व्यक्ति*	3,221	0.650	36,330	0.431
2) निवासी				
(क) फर्में, कम्पनियां और अन्य संस्थाएं/निकाय	1,30,122	26.288	17,93,410	21.252
(ख) व्यक्ति	1,14,149	23.061	32,82,680	38.766
जोड़	4,95,000	100.00	84,50,000	100.00

कम्पनी ने वर्ष 1977 की अन्तिम तिमाही में शेयरधारिता में कमी की।

* प्रेषणाओं से भिन्न आधार पर अनिवासी भारतीयों द्वारा धारित।

मैसर्स एसक्वायर वी डियो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कसेट्स का निर्यात

6573. श्री नवीन रवाणी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स एसक्वायर वी डियो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड "यौन के लिए योगाभ्यास" के 1900 से अधिक केसेटों की खेप निर्यात करने के लिए 60 रुपये प्रति वी डियो कैसेट की मूल्य की वसूली सुनिश्चित करने से इन्कार कर रहा है।

(ख) यदि हां, तो सांताक्रुज इलक्ट्रानिक्स एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बोर्ड ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या सीमाशुल्क विभाग ने प्रति कैसेट 35 रुपये की खेप का पहले निकास किया था;

(घ) अब फैन्सी प्रोसेसिंग चार्ज के लिये प्रति कैसेट 60 रुपये मांगने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस कम्पनी ने पहले कितने कैसेट निर्यात किये थे ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) से (ङ) : विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत, माल के पूरे निर्यात-मूल्य विषयक घोषणा के सत्यापन की जिम्मेदारी सीमा शुल्क प्राधिकारियों की है । उक्त काम के सम्बन्ध में हांग-कांग के खरीदार के साथ हुए करार के मुताबिक, मैसर्स एसक्यायर वी डियो सर्विसेज लिमिटेड द्वारा तीन घंटे वाली प्रति कैसेट के लिए 100 रुपये और एक-एक घंटे वाली प्रति कैसेट के लिए 60 रु० के हिसाब से रिकार्डिंग व्यय वसूल किया जाना था ।

मई 1980 में, मूल्य के सत्यापन किए जाने तक, सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने, फर्म द्वारा बन्धपत्र निष्पादित कर दिये जाने के बाद, "यौन के लिए योगाभ्यास" शीर्षक वाली एक-एक घंटे की अवधि की, 35 रु० प्रति कैसेट के हिसाब से 3890 वी डियो कैसेटों के निर्यात की अनन्तिम अनुमति प्रदान की थी ।

जून, 1980 में "यौन के लिए योगाभ्यास" शीर्षक वाली 35 रु० प्रति कैसेट के हिसाब से 1978 और वी डियो कैसेटों के निर्यात की, सहायक सीमा शुल्क समाहर्ता द्वारा इस आधार पर अनुमति नहीं दी गई थी कि हांग-कांग की फर्म द्वारा मांगी गई मूल्य-घटौती केवल एक-एक घंटे की अवधि वाली गीतावली के सम्बन्ध में थी और यह कि योग के सम्बन्ध में दो फिल्में प्राप्त करने के लिए उक्त फर्म द्वारा अदा किया गया 3,37,500 रुपये का रायल्टी व्यय वी डियो कैसेटों की प्रक्रिया-लागत में नहीं दिखाया गया था ।

पुराने पेंशनभोगियों को रियायतें

6574. श्री अर्जुन सेठी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता और लोकदल सरकारों ने पुराने पेंशनभोगियों की कोई नई रियायत मंजूर किये बिना नये पेंशनभोगियों के लिए बहुत उदार रियायतें दी हैं ; और

(ख) क्या पुराने पेंशनभोगियों को कुछ तदर्थ वृद्धि देकर उनके मामले पर सहानुभूति-पूर्वक विचार किया जायेगा ताकि पुराने और नये पेंशनभोगियों के साथ एक जैसा बरताव किया जा सके ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) मार्च, 1977 से दिसम्बर, 1979 के बीच सेवा-निवृत्त होने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को दी गई विभिन्न छूटें निम्न प्रकार हैं :-

(एक) मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान से परिवार पेंशन के एवज में 2 महीने की परिलब्धियों की कटौती को 22 सितम्बर, 1977 से समाप्त कर दिया गया ।

(दो) 26 दिसम्बर, 1977 से बिना डाक्टरी-प्रमाण-पत्र के संराशिकरण ।

(तीन) 30 सितम्बर, 1977 से सेवा-निवृत्ति की तारीख को उपयोग न की गई अर्जित छुट्टियों का नकद भुगतान ।

(चार) 30-9-77 से सेवा-निवृत्ति लाभों के प्रयोजन के लिए वेतन में 272 के सूचकांक स्तर तक महंगाई भत्ते का विलयन।

(पांच) 31 मार्च, 1979 से पेंशन में स्लैब पद्धति की लागू की गई जिसके अन्तर्गत काफ़ी संख्या में कर्मचारियों को औसत परिलब्धियों के आधे के बराबर पेंशन मिल जाती है।

(ख) सेवा-निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी की पेंशन सेवा-निवृत्त होने की तारीख को लागू नियमों के संदर्भ में निर्धारित की जाती है। सामान्य नीति निर्दिष्ट तारीखों में पेंशन नियमों में परिवर्तन/सुधार से सम्बन्धित है। अतः विभिन्न तारीखों को सेवा-निवृत्त होने वाले व्यक्तियों के सेवा-निवृत्त लाभों में विषमता होना निश्चित है। परन्तु 1-1-1973 से पूर्व के पेंशनभोगियों को 1-1-1973 से 15 रुपये से लेकर 35 रुपये तक प्रति मास की तदर्थ राहत दी गई और इसके अतिरिक्त, इन्हें तीसरे वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार ग्रेडिड राहत भी दी गई।

स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० कलकत्ता के केन्द्रीय विपणन संगठन में कार्य करने वाले कर्मचारी

6575. श्री राम विलास पासवान : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि०, कलकत्ता के केन्द्रीय विपणन संगठन में कितने गैर-कार्यकारी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और कितने कर्मचारियों को 1 अप्रैल, 1976 के बाद से वर्ष-वार कार्यकारी संवर्ग (नौवहन) में पदोन्नत किया गया है,

(ख) उपरोक्त में से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विभागीय कर्मचारियों के लिए आरक्षित कितने रिक्त स्थानों को इन श्रेणियों के कर्मचारियों को पदोन्नत कर के भरा गया है,

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों में से कितने स्थानों का आरक्षण केन्द्रीय विपणन संगठन, सेल, कलकत्ता के प्रबन्धकों द्वारा समाप्त कर दिया गया है और इसके क्या कारण हैं, और

(घ) क्या इन आरक्षणों को समाप्त करते समय प्रबन्धकों ने इस बारे में कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 25 सितम्बर, 1976 में दी गई प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया था ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम में अनु० जाति/अनु० जनजाति के कर्मचारियों की सहायक लेखा प्रबन्धकों के रूप में पदोन्नति

6576. श्री राम विलास पासवान : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनिज तथा धातु व्यापार निगम में कितने कार्यालय प्रबन्धकों (लेखा) की 1 अप्रैल, 1978 से सहायक लेखा प्रबन्धकों के संवर्ग में पदोन्नति की गई ;

(ख) इसमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए कितने पद आरक्षित किये गये और इस संख्या पर वास्तव में कितने कर्मचारियों की पदोन्नति की गई; और

(ग) खनिज तथा धातु व्यापार निगम, नई दिल्ली के प्रबन्धक द्वारा आरक्षित रिक्त स्थान भरने के लिये क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी : (क) 1-4-1980 से आज तक 26 कार्यालय प्रबन्धकों (लेखा) की सहायक लेखा प्रबन्धकों के संवर्ग में पदोन्नति की गई है ।

(ख) सरकारी अनुदेशों के अनुसार 26 में से 4 पद अनुसूचित जाति और 2 पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थे । तथापि, इन आरक्षित पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का कोई भी कर्मचारी पदोन्नत नहीं किया जा सका क्योंकि उनमें से कोई भी उसके लिए पात्र नहीं था जिसका कारण यह था कि उनमें से किसी ने भी कार्यालय प्रबन्धक (लेखा) के संवर्ग में तीन वर्ष की सेवा पूरी नहीं की थी जोकि नियमों के अनुसार सहायक लेखा प्रबन्धक के संवर्ग में पदोन्नति के लिए जरूरी है ।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाये गये हैं कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की नियमों के अनुसार, उनके लिए आरक्षित विभिन्न रिक्तियों पर पदोन्नति की जाए ।

चीन द्वारा विश्व बाजार में पटसन का व्यापार किया जाना

6577. श्री के० ए० राजन : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन विश्व बाजार में बड़े पैमाने पर पटसन का व्यापार करने लग गया है तथा भारतीय उत्पाद का प्रमुख प्रतियोगी बन गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और पटसन के उत्पादों के लिए विश्व के बाजारों में हमारा अंश बनाये रखने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) चीन कच्चे पटसन और साथ ही पटसन माल के अपने उत्पादन में वृद्धि करता रहा है । श्रीलंका, यूरोपीय आर्थिक समुदाय और जापान को चीन से निर्यातों के बारे में रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं । विशिष्ट ब्यौरे तत्काल उपलब्ध नहीं है । हमारा विचार है कि विश्व बाजार में अपने भाग को न केवल

बनाए रखने, बल्कि साथ ही उसमें सुधार लाने के लिए भी एक जोरदार निर्यात संवर्धन अभियान चलाया जाए।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता

6578. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :

श्री नित्यानन्द मिश्र :

श्री माधव राव सिंधिया :

श्री बागुन सुम्बरुई : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मूल्य सूचक, अंकों में वृद्धि के अनुसार अतिरिक्त महंगाई भत्ते की एक अन्य किस्त जुलाई, 1980 से देय हो गई है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने महंगाई भत्ते की इस किस्त की सरकारी कर्मचारियों को अदायगी के आदेश अभी नहीं दिए हैं; यदि हां, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या मूल्य सूचक अंकों के आधार पर अतिरिक्त महंगाई भत्ता जितना और जब भी देय होता है सरकारी कर्मचारियों को वास्तव में 3-6 महीने बीतने के बाद दिया जाता है; यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार है कि अतिरिक्त महंगाई भत्ता जैसे ही देय हो उसका सरकारी कर्मचारियों को भुगतान कर दिया जाए जैसा कि बैंक कर्मचारियों के मामले में किया जाता है और यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) यह बात कि क्या अतिरिक्त महंगाई भत्ते की एक और किस्त 1-7-1980 से विचार करने योग्य हो गई है, जून, 1980 से सम्बन्धित सूचकांक आंकड़े श्रम कार्यालय से लगभग अगस्त, 1980 के मध्य तक प्राप्त होने के पश्चात् ही स्पष्ट होगी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संकलन के लिए अपेक्षित आंकड़े एकत्र करने तथा उन पर कार्यवाही करने में समय लग जाने के कारण किसी विशेष महीने से सम्बन्धित सूचकांक आंकड़े केवल दूसरे अनुवर्ती महीने में ही प्राप्त होते हैं। आंकड़ों के प्राप्त होने पर यदि यह पाया जाता है कि उक्त महीने से सम्बन्धित 12 महीने के सूचकांक औसत के आधार पर महंगाई भत्ते की एक और किस्त विचार करने योग्य हो गयी है तो यथासम्भव शीघ्र इस मामले पर निर्णय लेने के लिए कार्यवाही शुरू की जाती है।

(घ) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली महंगाई भत्ते की प्रत्येक किस्त की लागत 62 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष आती है। इसलिए बैंक कर्मचारियों के मामले के विपरीत केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के मामले में महंगाई भत्ते की कोई किस्त विचार करने योग्य होने पर, अन्य बातों के साथ-साथ देश में आर्थिक स्थिति तथा सरकार की बजट व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हर बार निर्णय लेना पड़ता है।

हवाई अड्डों पर कार्य कर रहे विभिन्न श्रेणी के कर्मचारी

6579. श्री मोहन लाल पटेल : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एयर इण्डिया और इंडियन एयरलाइन्स के विभिन्न हवाई अड्डों और प्रतिष्ठान तथा प्रशासन में विभिन्न श्रेणियों के स्थायी नैमित्तिक अथवा अस्थायी कर्मचारियों की संख्या कितनी है और उसका ब्योरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

खाद्य तेल का आयात और निर्यात

6580. श्री मोहन लाल पटेल : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और 1 फरवरी, 1980 से 31 जून, 1980 के दौरान राज्य व्यापार निगम सहित ऐसी गैर-सरकारी और अन्य एजेंसियों का ब्योरा क्या है जिनके माध्यम से खाद्य तेल आयात किया गया है और निर्यात किया गया है ;

(ख) इसका किन दरों पर आयात और वितरण किया गया है ; और

(ग) देश में इस समय इसकी प्रचलित बाजार दर क्या है और इन मूल्यों को कम करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ।

नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) 2.12.78 से खाद्य तेलों का आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकृत किया गया है । इसके अलावा राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड भी उपहार-स्वरूप खाद्य तेलों की कुछ मात्रा का आयात कर रहा है । इसके अतिरिक्त, 1979-80 के दौरान खाद्य तेलों के आयात को मार्गीकृत किये जाने से पहले की गई वचनबद्धताओं के प्रति कुछ निजी पार्टियों द्वारा भी खाद्य तेलों की कुछ मात्रा आयात की गई है ।

गत तीन वर्षों तथा 1.2.80 से 30.6.80 की अवधि के दौरान राज्य व्यापार निगम द्वारा खाद्य तेलों की निम्नलिखित मात्रा आयात की गई है :—

1977-78	5.68 लाख मीटरी टन
1978-79	5.71 लाख मीटरी टन
1979-80	10.39 लाख मीटरी टन
1.2.80 से 30.6.80	5.73 लाख मीटरी टन

गत तीन वर्षों के दौरान खाद्य तेलों के किये गये निर्यात का ब्योरा नीचे दिया गया है :-

1977-78 — 482 मीटरी टन

1978-79 — 2442 मीटरी टन

1979-80 — 7997 मीटरी टन (जुलाई, 1979 तक)

आयातित तेल के मूल्यों में आयात किए जाने वाले खाद्य तेल की किस्म पर निर्भर करते हुए समय-समय पर कमी-वेशी होती रही है। ये मूल्य सामान्यत: 4100/- रु० से 5665/- रु० प्रति मीटरी टन के बीच रहे हैं। (यह मानते हुए कि 1 अमरीकी डालर=8.00 रु०)।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए सप्लाई किये जाने वाले आयातित तैल के मौजूदा निर्गम मूल्य इस प्रकार हैं :—

1. कच्चा रेपसीड तेल	6300/- रु० प्रति मी० टन
2. परिष्कृत रेपसीड तैल (टीन में)	8000/- रु० प्रति मी० टन
3. आर० बी० डी० ताड़ का तेल/ पामोलियन (थोक में)	6400/- रु० प्रति मी० टन
4. आर० बी० डी० ताड़ का तेल/ पामोलियन (टीन में)	7750/- रु० प्रति मी० टन

वनस्पति उद्योग को तेल की आपूर्ति हेतु मौजूदा निर्गम मूल्य इस प्रकार है :—

सोयाबीन का तेल	—	7210/- रु० प्रति मी० टन
रेपसीड का तेल	—	7210/- रु० प्रति मी० टन
कच्चा ताड़ का तेल	—	7060/- रु० प्रति मी० टन

हाल के बाजार-भाव आम तौर पर इस प्रकार बताए गए हैं :—

मूंगफली का तेल	—	10.93 रु० से 11.00 रु० प्रति कि० ग्रा०
सरसों का तेल	—	11.80 रु० प्रति किलोग्राम
तिल का तेल	—	12.50 रु० प्रति किलोग्राम

राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित खाद्य तेल राज्यों/संघशासित क्षेत्रों की सरकारों को निर्धारित मूल्यों पर निर्मुक्त किये जाते हैं, जो बाद में थोड़े बहुत समायोजन के बाद अन्तिम खुदरा मूल्य निर्धारित करते हैं।

आयातित खाद्य तेलों के प्रचलित खुदरा मूल्य सामान्यत: इस प्रकार हैं :—

पामोलियन तथा आर० बी० डी० ताड़ का तेल	8.25 रु० प्रति कि० ग्राम
परिष्कृत रेपसीड तेल	8.50 रु० प्रति कि० ग्राम

बाजार भावों को कम करने के लिए जो उपाय किये गये हैं उनमें ये शामिल हैं :— सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्य तेलों का अधिक मात्रा में वितरण करना, दालें, खाने योग्य तिलहन तथा खाने योग्य तेल (भण्डारण नियंत्रण) आदेश, 1977 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबंधों को लागू करना। इसके अलावा, कृषि विभाग द्वारा तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक कार्यवाही योजना भी शुरू की गई है। इसी प्रकार, वनस्पति का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी कार्यवाही की जा रही है।

गुजरात में आयकर छापे

6581. श्री मोहन लाल पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में गुजरात के विभिन्न भागों में आयकर तथा ऐसे ही अन्य विभागों ने कुछ छापे मारे थे ;

(ख) यदि हां, तो 1 फरवरी, 1980 से 15 जुलाई, 1980 के दौरान मारे गए ऐसे छापों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उक्त छापे मारने के क्या कारण थे और उनके क्या परिणाम निकले ;

(घ) इनमें अन्तर्ग्रस्त बड़े-बड़े उद्योग पतियों, व्यापारियों आदि के नाम क्या हैं ;

(ङ) उनमें से कितने व्यक्तियों को अब तक जेल भेजा जा चुका है अथवा जुर्माना किया गया है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(च) कितने व्यक्तियों के विरुद्ध मामले चल रहे हैं और उन मामलों का ब्यौरा क्या है ;

(छ) क्या सरकार को मालूम है कि ये व्यक्ति इन मामलों को समाप्त कराने तथा उन्हें मिले दण्ड को रद्द कराने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग कर रहे हैं ; और

(ज) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) जी, हां ।

(ख) 1 फरवरी, 1980 से 30 जून, 1980 तक की अवधि में आयकर विभाग ने 138 तलाशियां लीं । उपर्युक्त तलाशियों में, पकड़ी गयीं परिसम्पत्तियों का मूल्य, लगभग 22.50 लाख रु० है ।

(ग) अधिकारियों ने छापे छिपायी गयी उस आय/धन का पता लगाने के लिए मारे जिसके बारे में अधिकारियों का ऐसा विश्वास था कि उसका पता विभाग के पास उपलब्ध अन्य किसी भी उपाय से नहीं लग सकता ।

(घ) जिन कर-निर्धारितियों की तलाशियां ली गयीं उनके नामों का ब्यौरा देने में काफी समय और श्रम लगेगा । तथापि, यदि माननीय सदस्य किसी तलाशी विशेष के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना चाहें, तो वह उन्हें भेज दी जायगी ।

(ङ) तथा (च) इन मामलों की जांच की जा रही है ।

(छ) तथा (ज) सभी मामलों में कार्रवाई, कानून के मुताबिक की जाएगी ।

किराये की दरों में वृद्धि के बाद से यात्री यातायात में कमी

6582. श्री मोहन लाल पटेल : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विमानों के किराये में हाल ही में हुई वृद्धि के बाद से सवारी यातायात में काफी कमी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात को देखते हुए सरकार का विचार किराये में कमी करने का है ;

(ग) देश के विभिन्न मार्गों पर 1.1.1980 से 30.6.1980 तक विभिन्न विमानों की सवारी क्षमता क्या थी और किराये में वृद्धि के बाद क्या क्षमता है , और

(घ) उपरोक्त अवधि के दौरान यात्रा करने वाले यात्रियों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) अभी इतने जल्दी यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि इंडियन एयरलाइंस द्वारा ईंधन अधिभार (fuel surcharge) लगाने से यातायात के स्वरूप पर क्या प्रभाव पड़ा है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है :—

अवधि (1980)	वाहित यात्रियों की संख्या (लाख में)	सिस्टम सीट फैक्टर
जनवरी	4.24	65.6
फरवरी	4.20	67.4
मार्च	4.48	67.8
अप्रैल	4.47	69.4
मई	4.69	68.5
जून	4.22	67.8

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए नया वेतन आयोग

6583. **श्री बागुन सुम्बरुई :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति तथा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को हर दो महीने बाद महंगाई भत्ते की किस्त देय हो जाने को देखते हुए सरकार का विचार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतनमानों के पुनरीक्षण के लिए नये वेतन आयोग का गठन करने का है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) तीसरे वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट के अध्याय 55 के पैरा 16 में सिफारिश की थी कि मूल्य स्तर 12 महीने के औसत सूचकांक 272 (1960=100) अंकों से बढ़ जाने पर,

सरकार को स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए और निर्णय करना चाहिए कि क्या महंगाई भत्ता योजना को और आगे बढ़ाया जाए अथवा वेतनमानों को ही संशोधित किया जाए। मूल्य स्तर के उक्त सीमा से ऊपर होने पर सरकार ने स्थिति की समीक्षा की और यह निर्णय किया कि महंगाई भत्ता योजना को जारी रखा जाए।

भारत में 'पीसकोर' के कार्य

6584. श्री चिन्तामणि जैना : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी अन्य देश ने भारत में 'पीसकोर' के कार्यों को पुनः आरम्भ करने के बारे में भारत सरकार से बातचीत की है ; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं और इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) जी नहीं। लोक सभा में दिनांक 20.7.1978 को अतारांकित प्रश्न संख्या 787 का उत्तर दिए जाने के बाद से (जिसकी प्रति विवरण के रूप में सभापटल पर रख दी गई है) कोई नई घटना नहीं हुई है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

विवरण

~~लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 787~~

~~जिसका उत्तर 20 जुलाई, 1978 को दिया जाने वाला है~~

भारत में अमरीकी शांति सेना (कोर) की पुनःस्थापना

श्री सी० के० चन्द्रप्पण : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका के सामने भारत में अमरीकी शांति सेना (अमेरिकन पीस कोर) को पुनःस्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या इस विषय पर दोनों सरकारों के बीच कोई बातचीत हुई थी ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क), (ख) और (ग) भारत में अकरीकी शांति सेना की पुनःस्थापना की संभावना के संबंध में भारत सरकार को अनौपचारिक रूप से सूचना दी गई थी। किन्तु सरकार इस प्रस्ताव पर सक्रिय रूप में विचार नहीं कर रही है।

प्रगति मैदान में दो बडे हालों का निर्माण करना

6585. श्री दयाराम शाक्य : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि व्यापार मेला प्राधिकरण ने भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार

मेले के लिये प्रगति मैदान में दो बड़े हालों के निर्माण के लिए मंजूरी दी थी और निदेशक मंडल की अनुमति के बिना और टेंडर आमंत्रित किये बिना वास्तुविदों की नियुक्ति की थी ;

(ख) उनकी अनमानित लागत क्या है ;

(ग) क्या व्यापार मेला प्राधिकरण तथा वास्तुविदों के बीच उक्त हालों के निर्माण के लिये किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किये गये थे ;

(घ) क्या अप्रैल 1979 में एक हाल का निर्माण रोक दिया गया था और इस हाल के निर्माण की लागत की वास्तुविद को अदायगी नहीं की गई थी ; और

(ङ) उक्त हालों के निर्माण की अनुमानित लागत क्या है और व्यापार मेला प्राधिकरण को सरकार की अनुमति के बिना कितना व्यय करने की अनुमति के बिना कितना व्यय करने की अनुमति है और उक्त सीमा से बढ़कर निर्माण कार्य आरम्भ करने और इस बारे में औपचारिकताओं को पूरा न करने के लिये सम्बद्ध अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) सरकार का अनुमोदन प्राप्त करके प्रगति मैदान में केवल एक हाल के निर्माण के लिए अनुमति दी गई थी । सीमित प्रतियोगिता आधार पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा पांच अग्रगण्य वास्तुविदों से उनके विचार मांगे गए थे जो संरचना तथा प्रगति मैदान की भूमि स्थिति से अवगत थे। अन्त में यह निर्णय किया गया कि लगभग 99 लाख रु० की लागत पर हाल का निर्माण किया जाए।

(ग) भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण तथा वास्तुविद के बीच एक विधिवत करार किया गया था ।

(घ) उपरोक्त (क) तथा (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण को 15 लाख रु० की लागत तक की महत्वपूर्ण परियोजनाओं के निर्माण करने का अधिकार है । चूंकि इस हाल के निर्माण की लागत 15 लाख रु० से अधिक थी अतः परियोजना का निर्माण करने से पहले सरकार का विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त किया गया ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

ऊन तथा ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद का वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन, पटसन (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1961 के अन्तर्गत अधिसूचना तथा निर्यात ऋण तथा गारन्टी निगम लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1978 के कार्यकरण की समीक्षा

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) ऊन तथा ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् के वर्ष 1977-78 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखे। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1191/80]

(2) पटसन (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश, 1961 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० आ० 550 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) को एक प्रति जो दिनांक 16 जुलाई, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उन न्यूनतम कीमतों के संबंध में हैं जिन पर अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में उल्लिखित विभिन्न किस्मों एवं श्रेणियों के कच्चे पाट तथा मेस्ता का जुलाई, 1980 से जून, 1981 मौसम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्देशीय बाजारों में क्रय अथवा विक्रय किया जायेगा। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 1192/80]

(3) निर्यात ऋण तथा गारन्टी निगम लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1978 के कार्यकरण की सरकार द्वारा *समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1193/80]

(व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, सेवा व्यवस्था का प्रश्न है। ऐसी हालत में जबकि कोई मंत्री प्रश्न का उत्तर देने के लिये न हो, तो सदन को स्थगित करना चाहिये और प्रधान मंत्री जी को पहले इस सदन के अन्दर आकर कारण बताना चाहिए कि क्या कारण था जिसकी वजह से मंत्री जी नहीं आये.......(व्यवधान) यह सदन का अपमान है...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना निर्णय पहले ही दे चुका हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम पूछेंगे। करेंगे।

कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

निर्माण और आवास मंत्री (श्री जी० सी० सेठी) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कम्पनी (निक्षेप स्वीकृति) चौथा संशोधन नियम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) को एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ जो दिनांक 18 जुलाई, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 435 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1194/80]

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है। एक तो भागलपुर जिले में कटोरिया गांव के निकट 6 लोगों को कामरिया लोगों ने हत्या कर दी और पटना में कंकड बाग कालोनी में 4 मजदूर बिजली से मारे गये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब बहुत हो गया। श्री ए० पी० शर्मा।

*निर्यात ऋण तथा गारन्टी निगम लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1978 का वार्षिक प्रतिवेदन 14 मार्च, 1980 को सभा पटल पर रखा गया था।

रेल सुरक्षा आयोग, लखनऊ के वर्ष 1977-78 का कार्यकरण सम्बन्धी प्रतिवेदन

नौवहन और परिवहन तथा पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा): मैं रेल सुरक्षा आयोग, लखनऊ के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण संबंधी प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1195/80]

श्री धनिक लाल मण्डल (झंझारपुर) : उनके क्वेश्चन का क्या हुआ ?...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है कृपया बैठ जाइये ।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है ।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमने इसे नोट कर लिया है । हम कुछ करेंगे ।

आयकर अधिनियम और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना तथा दिल्ली वित्तीय निगम के लेखाओं सम्बन्धी प्रतिवेदन

वित्त मंत्री (श्री आर वेंकटरामन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत आयकर (पांचवां संशोधन) नियम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की प्रति, जो दिनांक 24 जुलाई, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 562 (ङ) में प्रकाशित हुए थे । [ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 1196/80]

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सातवां संशोधन) नियम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 19 जुलाई, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 749 में प्रकाशित हुए थे । [ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 1197/80]

(3) राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37 की उपधारा (7) के अंतर्गत दिल्ली वित्तीय निगम के वर्ष 1978-79 के लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । [ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1198/80]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

29 जुलाई, 1980 को भूकम्प के कारण हुई जन–धन की हानि का समाचार

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत (अल्मोड़ा) : मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर कृषि मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"29 जुलाई, 1980 को भूकम्प के कारण देश के कुछ भागों में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में हुई जन-धन की हानि का समाचार तथा प्रभावित व्यक्तियों को राहत देने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : जैसाकि पांच में से मैं भी एक हूं इसलिए मंत्री महोदय द्वारा उत्तर दिये जाने से पूर्व मैं कुछ कहना चाहूंगा। हम में से अधिकांश व्यक्तियों ने वास्तव में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री को ध्यानाकर्षण की सूचना दी है। हम भूकम्प के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित बहुत से प्रश्न उठाना चाहते हैं। मैं नहीं जानता कि कृषि मन्त्री उसका उत्तर देने के लिए किस प्रकार सक्षम है।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

कृषि और ग्रामीण पुर्नानिर्माण मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : अगर बिजली गिरेगी तो एग्रीकल्चर पर असर पड़ेगा।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं मानता हूं कि आपको सभी विभागों का ज्ञान है।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : जब बाढ़ आई, तो मैंने जवाब दिया। जब सूखा पड़ा, तो मैंने जवाब दिया, पहाड़ गिरा तो मैंने जवाब दिया, धरती हिलती है, तो मैं जवाब दूंगा, बिजली गिरेगी तो मैं जवाब दूंगा।

श्री फूल चन्द वर्मा (शाजापुर) : अगर सरकार गिरेगी, तो कौन जवाब देगा।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : सरकार गिरेगी नहीं जब तक आप रहेंगे। ...(व्यवधान)...

प्रो० मधु दण्डवते : मैं स्वीकार करता हूं कि सामूहिक उत्तरदायित्व है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

कृषि मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : दिनांक 29 जुलाई, 1980 को लगभग 8.30 बजे सांय दिल्ली में भूचाल का झटका महसूस किया गया था। दिल्ली की वेधशाला में स्थित भूचाल सूचक यंत्र से पता चला कि यह भूचाल अपने मूल रूप में क्षति पहुंचाने वाला था। यह राजधानी से 380 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिमी नेपाल में 29° उत्तरी अक्षांश और 81° पश्चिमी देशान्तर के आसपास पाया गया था। यह भूचाल 'रिचटर स्केल' पर 6.5 के वेग से रजिस्टर किया गया। इस प्रकार की गति का भूचाल अपने उपरिकेन्द्र के आस-पास क्षति पहूंचाने वाला होता है। इस भूचाल के आने से पहले कुछ प्रमुख झटके भी आये थे जिनमें से एक झटके को 29 जुलाई, 1980 को लगभग 6.00 बजे शाम दिल्ली में महसूस किया गया था और जिसका वेग कम था। इस भूचाल के बाद अनेक झटके आये जो अभी जारी हैं। बाद वाले यह झटके समय व्यतीत होने के साथ-साथ अपने आप समाप्त हो जायेंगे। जैसा कि भारत मौसम-विज्ञान विभाग द्वारा सलाह दी गई है, उत्तर प्रदेश सरकार को तदनुसार सूचित कर दिया गया है।

2. उपलब्ध समाचारों के अनुसार इस भूचाल को विशाल भूभाग अर्थात् अमृतसर, जयपुर, ग्वालियर, वाराणसी, और काठमाण्डू तक महसूस किया गया था। पुछताछ करने पर जिला मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ ने 31 जुलाई, 1980 को 6.00 बजे सायं, अर्थात्, पिछली रात फोन पर सूचना दी कि मकानों के गिरने से छः व्यक्तियों के मारे जाने और तेरह व्यक्तियों के घायल होने का समाचार है तथा 300 से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हो गये हैं।

आज सुबह हमें उत्तर प्रदेश से एक और तार मिला है। मैं आपकी अनुमति से यह तार पढ़ूंगा जिसमें प्राप्य नवीनतम जानकारी दी गई है।

"भूकम्प के कारण हुई क्षति के बारे में टेलीफोन पर हुई बातचीत का अवलोकन कीजिए, अब तक केवल पिथौरागढ़ और चमोली से समाचर मिला है, पिथौरागढ़ ने टेलीफोन पर तेरह मौतों, चालीस घायलों और दो सौ अस्सी मकानों के क्षतिग्रस्त होने के बारे में बताया। चमोली से प्राप्त सूचनाएं अपूर्ण हैं। बद्रीनाथ और गैरसाईं में कुछ मकान नष्ट हो गये हैं। ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है। सहायता दी जा रही है।"

यह वह नवीनतम जानकारी है जो हमें प्राप्त हुई है। दूरस्थ क्षेत्रों से और सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है। राज्य सरकार के अधिकारी अपने नियमों के अनुसार मृतक और घायल व्यक्तियों तथा जिनके घर क्षतिग्रस्त हुए हैं उनके परिवारों को निःशुल्क राहत प्रदान कर रहे हैं। प्रधान मन्त्री ने अमूल्य जीवन की हानि होने पर गम्भीर चिंता व्यक्त की है तथा प्रत्येक मृतक परिवार के लिए 2500 रुपये की और नि:शुल्क राहत देने का आदेश दिया है।

3. मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के मुख्य सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ टेलीफोन पर सम्पर्क किया गया था परन्तु इन राज्यों से किसी क्षति अथवा जन-धन की किसी हानि का समाचार नहीं मिला।

4. पश्चिमी नेपाल-भारत सीमा क्षेत्र, जहां भूकम्प आया, भूकम्प की दृष्टि से हिमालय की सक्रिय पट्टी का भाग है। पिछले समय में यह विशेष क्षेत्र भूकम्प से अधिक प्रभावित हो रहा है। इस क्षेत्र में पिछले वर्षों में आये बहुत से भूकम्पों में से पिथौरागढ़ जिले में धारचूला में 28 अगस्त, 1916 को आये 7.5 के वेग के भूकम्प और हाल ही में 27 जून, 1966 को 'रिचटर स्केल' पर 6.2 के वेग के भूकम्प का उल्लेख किया जा सकता है। इन भूकम्पों के कारण काफी क्षति भी हुई है।

5. इस क्षेत्र के नजदीक कुछ असम अक्षीय परतों के टूट जाने और हिमालय की तलहटी के इर्द-गिर्द कमजोर क्षेत्रों में भूमि के नीचे जमा मिट्टी की कम्पन के कारण भूकम्प आते हैं। पिछली अर्द्ध शताब्दी के दौरान देखे गये इन कमजोर क्षेत्रों' के रुख से मालूम होता है कि यह क्षेत्र भूकम्प की दृष्टि से सक्रिय रहेगा और इस क्षेत्र में' यदा-कदा मामूली से लेकर साधारण वेग के भूकम्प आते रहेंगे।

6. इस समय उसी ढंग से भूकम्प के आने की पूर्व सूचना देना संभव नहीं है, जिस ढंग से मौसम की गतिविधि के बारे में सूचना दी जाती है। तथापि, भूकम्प-विज्ञान सम्बन्धी वेधशालाओं से प्राप्त हुए रिकार्ड से भारतीय-मौसम-विज्ञान विभाग द्वारा भूकम्पों के सम्बन्ध में बनाये गये मानचित्रण से देश में भूकम्प प्रवण क्षेत्रों का निर्धारण किया जा सका है।

7. राज्य सरकारों ने समुद्री-तूफान, बाढ़ तथा भूकम्प जैसी प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न होने वाली स्थितियों का सामना करने के लिये जिला अधिकारियों को स्थायी आदेश जारी किए हैं। केन्द्रीय सरकार ने भी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राहत सम्बन्धी नियमावली के बारे में मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं। प्रशासन तथा भूकम्प जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की सहायता करने हेतु होम गार्डों और असैनिक रक्षा संगठनों के भी देश व्यापी संगठन हैं। चूंकि भूकम्पों की पूर्व-सूचना नहीं दी जा सकती है इसलिये अल्पावधि-आधार पर

तैयारी की गुंजाइश सीमित है । राज्य सरकारों के पास राहत और बचाव कार्यों पर तुरन्त खर्च करने के लिये मार्जिन धनराशि उपलब्ध होती है । उत्तर प्रदेश के मामले में मार्जिन धनराशि हाल ही में 2.18 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10.80 करोड़ रुपये कर दी गयी थी । यदि राज्य सरकारी स्थिति से निपटने के लिये अपने संसाधनों को अपर्याप्त पाएं तो वे केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता की मांग कर सकती हैं । भूकम्प के मामले में उनको उपलब्ध मार्जिन धनराशि के अतिरिक्त व्यय के 75 प्रतिशत तक सीधे योजनेतर अनुदान के रूप में केन्द्रीय सहायता दी जा सकती है । अभी तक किसी भी राज्य सरकार ने भूचाल के आने पर केन्द्रीय सरकार से राहत सम्बन्धी सहायता की कोई मांग नहीं की है ।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत : मंत्री महोदय के माध्यम से पहले तो मैं इन्दिरा जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कल जब हम लोगों ने उन से प्रार्थना की थी कि कुछ आर्थिक सहायता भूकम्प पीड़ितों को दी जाए ढाई हजार के करीब भूकम्प पीड़ितों को देने की बात स्वीकार कर ली थी और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने, मुझे जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार पांच लाख रुपया भूकम्प पीड़ितों के लिए मंजूर किया ।

मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं । उन्होंने पैरा चार और पांच में स्वीकार किया है कि हिमालयन रिजन की तलहटी में कुछ अवशेषों के जमा होने से उसका बैलेंस बिगड जाता है । मैं जानना चाहता हूं कि इन अवशेषों के जमा होने का कौन सा कारण है ? वे अवशेष हिमालय की तलहटी में जमा होते हैं, इस प्रश्न पर सरकार ने क्या विचार किया है ? जैसा मैं समझता हूं हिमालयन रिजन में जिस को ट्रिकेट एरिया कहा जाता है, नेपाल का, तिब्बत का और हिन्दुस्तान का, इस रिजन में बहुधा भूकम्प आते रहते हैं । इस रिजन के संदर्भ में भूगर्भशास्त्रियों की राय यह है कि हिमालय पहले समुद्र हुआ करता था और अभ्यान्तरिक क्रियाओं के कारण हिमालय के रूप में परिवर्तित हुआ है । जहां तक हिमालय में वनस्पतियों का सम्बन्ध है, लगातार देश की स्वतंत्रता के बाद ऐसा देखने में आया है कि हमारी स्टेट गवर्नमैंट्स ने फारेस्ट्स की अच्छी तरह से सम्भाल नहीं की है और उनका रुख जो है वह कमर्शियलाइज्ड रहा है, बड़ा व्यापारिक रहा है और उन्होंने इन जंगलों को बुरी तरह से काटा है । साथ साथ जो हमारे गांवों में रहने वाले लोग होते हैं, जो जंगलों में जुडे होते थे और जंगलों की पहले रक्षा करते थे उस तरह से वे नहीं करते हैं । उनके जो हक और हकूक 1928 के एक एग्रीमेंट के तहत हैं । क्या इसकी वजह यह नहीं है कि उनको बढाया नहीं गया है ? जन संख्या इतनी बढ़ गई है लेकिन हकूक नहीं बढ़ाए गए हैं । इसलिए क्या यह वजह नहीं है कि गाँव वाले भी अब फारेस्ट्स से उस हद तक अपने आप को अटैच्ड नहीं कर पाते हैं ? जंगलों के कटान से जब वर्षा होती है तो जो ऊपर की सायल होती है वह बह कर नदियों की तलहटी में आ जाती है, गंगा यमुना तथा दूसरी नदियों की तलहटी में आ जाती है ।

पी डब्ल्यू डी द्वारा सड़कें बनाई जाती हैं । वे बम्बई प्लान के आधार पर बनाई जाती हैं । उस में कटिंग करके सड़क को निकालते हैं, बीवार के आधार पर नहीं निकालते हैं । उसकी वजह से भू—क्षरण होता है । क्या यह भी एक कारण नहीं है कि सारी मिट्टी खिसक खिसक कर हिमालय की तलहटी में जमा होती जा रही है ? मैं कृषि मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हिमालय के रिजन में स्टेट गवर्नमेंट्स का जो कमर्शियलाइज्ड एटीट्यूड हो गया है, उससे उनको

वह छुटकारा दिलाने की कोशिश करेंगे और क्या कोई लेजिस्लेशन इसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी ताकि बुरी तरह से जो जंगलों को काटा जा रहा है वह रुक सकें ?

मुझे जानकारी मिली है कि नन्दा देवी और कंचन प्रभा के जो पहाड़ हैं, जो चोटियां हैं, दस फीट के करीब उनकी हाइट कम हो गई है। उनकी तलहटी में पहले तो बारह महीने बर्फ जमी रहती थी। अब ऊंची से ऊंची नन्दा देवी की चोटियां जो हैं गर्मियों और बरसात की ऋतुओं में उन पर बर्फ जमी नहीं रहती है और इस कारण से गंगा और यमुना नदियों में क्योंकि ये बर्फानी नदियां हैं, इन में जहां वर्ष भर बराबर पानी भरा रहता था वहां वह अब घट गया है। सिकियांग, ह्वांगों, यांकी सिकियांग नदियां जो चीन में बहती है और तिब्बत से निकलती हैं, उनका जल स्तर पहले की अपेक्षा बढ़ गया है। क्या इसका कारण भी यह नहीं है कि हमने जंगल जो बादलों को खींचते थे, उन को काटा है ? उसके कारण मानसून हिमालय को पार कर के सीधे तिब्बत के पठार में चला जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए केंन्द्रीय सरकार इस बात पर विचार करे कि किस तरीके से उस रिजन के जंगलों को कटने से बचाया जाये। आज नीलम ग्लैशियर और पिंडारी ग्लैशियर, जिन्हें टूरिस्ट्स देखने के लिए जाते हैं, सूख रहे हैं। इस प्रकार सब पहाड़ों में बहुत खतरनाक स्थिति पैदा हो रही है। क्या केन्द्रीय सरकार कोई ऐसा बिल लायेगी, जिसके अनुसार वनों के रख-रखाव के काम को प्रान्तों की सरकारों के बजाय केन्द्रीय सरकार करे ?

हिमालय को बराबर लूटा-खसूटा जा रहा है। वहां पर चूना, खड़िया और मैग्नीसाइट के खनन का काम बहुत बुरी तरह से चल रहा है, जिसके लिए डायनामाइट से विस्फोट किये जाते हैं। जहां तक मेरी धारणा है, इसका प्रभाव भी वहां की आभ्यंतरिक क्रियाओं पर पड़ता है। उसकी वजह से हिमालयन रिजन का बैलेंस खराब हो रहा है। 1947 के बाद पिथौड़ागढ़ के धाराचुला क्षेत्र में, जो कि नेपाल से लगा हुआ है, और नेपाल के क्षेत्र में, कम से कम दस बार भूकम्प आ चुके हैं। नेपाल में भी कई बार जन-धन की बहुत हानि हुई हैं। इस बार नेपाल में हिन्दुस्तान की अपेक्षा ज्यादा हानि हुई है। नेपाल में भी बहुत बुरी तरह से जंगल कट रहे हैं। खनन के द्वारा हिमालयन रिजन की बनावट को बिगाड़ा जा रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि इसको रोकने के लिए क्या केन्द्रीय सरकार कोई कानून बनायेगी।

सारे देश के जल-वायु और पर्यावरण पर हिमालयन रिजन का बड़ा प्रभाव है। हम देखते हैं कि हमारे देश की जल-वायु में भी परिवर्तन हो रहा है। इस परिवर्तन को रोकने के लिए क्या केन्द्रीय सरकार कोई काम्प्रिहेंसिव प्लानिंग करने की दृष्टि से एक पृथक मंत्रालय या देख-रेख करने वाली संस्था बनायेगी, ताकि हिमालयन रिजन के पर्यावरण को बिगड़ने से रोका जा सके और वातावरण को यथास्थिति में बनाये रखा जा सके ?

मंत्री महोदय ने मीटियरालोजिकल डिपार्टमेंट का ज़िक्र किया है। पहले एक अर्थक्वेक प्रिडिक्शन प्रोग्राम को लागू करने की बात कही गई थी। उन्होंने स्वीकार किया है कि धाराचुला में बराबर भूकम्प आते रहे हैं। तो फिर सरकार ने अभी तक वहां पर कोई अर्थक्वेक प्रिडिक्शन सेंटर स्थापित क्यों नहीं किया है ? यह सेंटर कहीं भी लगाया जाता, ताकि वहां के लोगों को इस बारे में जानकारी दी जा सकती। क्या मंत्री महोदय भविष्य में कहीं भी कोई अर्थक्वेक प्रिडिक्शन सेंटर खोलने पर, विशेषकर ट्रिकेट पर, जहां तिब्बत, नेपाल और भारत की सीमा मिलती है, विचार करेंगे ?

इस एरिया में एक-मंजिला मकान बने हुए हैं। उनकी भी क्षति हो रही है। मन्त्री महोदय यह स्पष्ट करने की कृपा करें कि उस एरिया में भूकम्प से जन-धन की क्षति कम से कम हो, क्या इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार या केन्द्रीय सरकार कोई प्रोग्राम बनायेगी ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : डिपुटी स्पीकर साहब, जैसा कि मैंने पहले बताया है, पिथौड़ागढ़ के इलाके में पहले भी ज़लज़ले आते रहे हैं। सरकार को अच्छी तरह से इल्म है कि वहां कभी भी ज़लज़ले की वजह ले दुर्घटनायें हो सकती हैं। इसलिए लोगों को समझाने के लिए जो कुछ भी हो सकता है, वह किया जा रहा है। लोगों को भी मालूम है कि ये इलाके ऐसे हैं, जहां कभी भी नुकसान हो सकता है। मैं आनरेबल मेम्बर की इस बात से सहमत नहीं हूँ कि सड़कों के बनने से या बर्फ की वजह से या पहाड़ के फिसलने से या जंगलों के कटने से भी भूचाल आ सकते हैं ······ (व्यवधान)······

मैं ऐसा नहीं समझता। यह राय का मामला है परन्तु मैं इस विषय के बारे में विशेषज्ञ नहीं हूं।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत : बाह्य क्रियाओं का असर आन्तरिक क्रियाओं पर भी पड़ता है।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : जलजले आते हैं जमीन के अन्दर जो पिघला हुआ माद्दा है वह पिघला हुआ माद्दा ईरप्ट होता है तो पहाड़ बनते हैं, कहीं झीलें बनती हैं, उसकी वजह से जमीन में फाल्ट्स पैदा होते हैं, रिफ्ट हो जाती है। कभी यह सारा जमीन के ऊपर जितना हिस्सा है, जितना क्रस्ट है यह एक था किसी जमाने में, फिर कई कांटीनेंट्स अलग अलग बन गए और कुछ फाल्ट्स उसमें पैदा हो गए। तो जमीन के अन्दर जो पिघला हुआ माद्दा है उसकी वजह से जो मूवमेंट्स होती हैं और उन रिफ्ट्स के अन्दर जब हलचल पैदा होती है तो उसकी वजह से जलजले आते हैं जैसा कि एक्सपर्ट्स का कहना है। बहरहाल जंगलों के मुतालिक तो हमारी पहले ही नीति है कि कम से कम कटने पायें और पहाड़ों पर एकोलाजिकल बैलेंस कायम रखा जाय। वह एक दूसरा सबजेक्ट है।

इस इलाके के अन्दर पिथौरागढ़ में भी हमने एक परमानेंट स्टेशन कायम रखने की मंजूरी दी है। ······(व्यवधान)······ अभी दी है, डेट तो मैं फिर बता दूंगा। आप को दूँगा। जितना मैं बता रहा हूं वही सुन लीजिए, उतना ही काफी होना चाहिए आपके लिए। उतने से ही तसल्ली कीजिए। अभी इस इलाके में तीन मोबाइल सिज़्मोग्राफ भेजे गए हैं पिथौरागढ़ में ताकि आइन्दा और खतरा हो जलजले का तो वह पहले से कुछ पता चल जाय। लेकिन अभी तक कोई ऐसा फूलप्रूफ मैथड दुनिया में नहीं निकला है जिससे कि जलजले का पहले से ज्ञान हो जाय। कहीं भी कामयाबी पूरे तौर पर हासिल नहीं हुई है।

जहां तक हमारे देश का ताल्लुक है डिपार्टमेंट आफ साइंस ऐंड टेक्नोलाजी की तरफ से जैसा मैंने कहा, 18 आबजर्वेटरी इस हिमालयन रीजन में कायम करने का प्लान है इस सारे इलाके में जिसमें जलजले आने का खतरा हो सकता है ताकि अगर कभी खतरा हो तो इसकी जानकारी वक्त पर मिलती रहे।

हमारी कुछ यूनिवर्सिटीज भी इसमें रिसर्च कर रही हैं जैसे रुड़की यूनिवर्सिटी है, जियो-फिजिकल लैबोरेटरी हैदराबाद की है, वहां भी रिसर्च होता है और कुछ और यूनिवर्सिटीज भी इस बारे में रिसर्च कर रही हैं। तो जहां तक बन पड़ता है सरकार का इस तरफ पूरा ध्यान है और कोशिश की जा रही है कि लोगों को इन आफतों से नुकसान न होने दिया जाय।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत : मैंने अर्ज़ किया था कि इस एरिया में बराबर भूकम्प आते रहते हैं, वहां मकान वगैरह एक मंजिले हैं लेकिन इसके बावजूद भी वहां लोगों को बहुत क्षति पहुँचती रही है। तो इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश की सरकार को कोई कार्यवाही करने के लिए कहेंगे जिसमें लकड़ी के मकान बनाने के लिए वहां उनको वह प्रोत्साहन दें और उसके लिए सहायता दें।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : आनरेबल मेम्बर के सुझाव पर जरूर अमल किया जायगा। उत्तर प्रदेश सरकार को भी हम कहेंगे कि जहां इस किस्म की मुसीबत आ चुकी है कई बार पहले, वहां उन लोगों को समझाया जाय कि वह हल्की छत के मकान बनाएं।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत : इस सन्दर्भ में उनको सहायता भी दें क्योंकि बिना सरकारी सहायता के वे नहीं बना सकते।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : सहायता न तो पक्के मकानों के लिए दी जाती है न कच्चे मकान के लिए दी जाती है और लकड़ी के मकान तो और भी आसानी से बनाए जा सकते हैं। अगर वे पक्के मकान बना सकते हैं तो लकड़ी के हल्के मकान भी बना सकते हैं बगैर सहायता के। सहायता मकानों के लिए अलग स्कीम में दी जाती है। इस बारे में मैं अभी कुछ भी वादा नहीं कर सकता।

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमन् मंत्री महोदय ने सही पैराग्राफ-6 में सही कहा है कि इस समय भूचालों के बारे में भविष्यवाणी करना संभव नहीं है जैसा कि हम मौसम के बारे में कर सकते हैं। यह सही बात है। कठिनाई यह है कि भूचाल मापक यन्त्र की सहायता से तो बस इतना हो सकता है कि जब भूचाल आये तो आप उसकी शक्ति का पता कर सकते हैं और उक्त अंकन की सहायता से आप उसके केन्द्र का तथा सर्वाधिक हलचल के स्थान का पता कर सकते हैं; और इसीलिए, इस संदर्भ में मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात का पता लगाया है कि आज देश में तथा देश के आस-पास भूचाल के ऐसे कितने केन्द्र (ऐपीसेंटर) जहां पहले भूचाल आ चुके हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वर्ष 1949 से 1980 तक दिल्ली में ही 30 बार भूचाल के झटके आ चुके है। इसका कारण यह है कि उक्त भूचाल का केन्द्र बिंदू कहीं समीप ही है। 29 जुलाई को एक भूचाल आया तो उसका केन्द्र बिंदू तिब्बत-नेपाल तथा भारत तीनों देशों की सीमा पर कहीं था। और इसके फलस्वरूप उक्त बिन्दु के समीपवर्ती सभी स्थान पर काफी हलचल हुई थी।

यह सच है कि मरने वालों की संख्या अधिक नहीं है क्योंकि विगत काल में विश्व के विभिन्न भागों में 25 से 30 हजार बल्कि 8 लाख तक लोग मरे हैं, परन्तु फिर भी मरने वालों की संख्या से तो भूचाल की शक्ति का अनुमान नहीं किया जाता। जैसाकि उन्होंने ठीक ही कहा 29 जुलाई को उक्त शक्ति रिचटर स्केल पर 6.5 थी और इससे पूर्व 1960 में यह अंक 7 था।

अतः वर्ष 1960 के बाद, यह सबसे बड़ा झटका था जो दिल्ली उत्तर प्रदेश तथा समीपवर्ती क्षेत्रों में आया था। अतः मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह कोई शोध करने का प्रयास करेंगे जैसा कि अमरीका तथा रूस जैसे देशों में किया जा रहा है हालांकि वे अभी तक इसमें सफल नहीं हुए हैं जिसके द्वारा न केवल भूचाल की शक्ति का माप किया जा सके बल्कि उसके आने के बारे में पूर्वानुमान भी हो सके।

कभी-कभी यह झूट आतंक पैदा कर दिया जाता है कि कुछ बांधों के दबाव के कारण भूचाल के झटके आते हैं परन्तु वस्तुतः भूचाल पृथ्वी के गर्भ में 30-40 मील नीचे होते हैं जहां पर तापमान 2200 डिग्री फार्नहाईट होता है और वहां से यह झटके विभिन्न दिशाओं में फैलते हैं। यह सच है कि जहां जहां भूचाल पहली बार आये है उनका पूर्वानुमान नहीं किया जा सका। उदाहरणार्थ जब जापान में पहली बार एक बड़ा भूचाल आया तो इसका पूर्वानुमान नहीं हो सका था परन्तु एक बार जहां भूचाल आ जाता है उन स्थानों पर बार-बार भूचाल आ सकता है। अतः देश के विभिन्न भागों में तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में भूचालों के केन्द्र बिन्दुओं का पता लगाने हेतु उचित सर्वेक्षण अवश्य किया जाना चाहिए ताकि आप उन क्षेत्रों का निश्चय कर सकें जहां भूचालों का प्रभाव पड़ सकता है और आप आवश्यक सुरक्षा उपाय कर सकें।

पहले के वक्तव्य में यह कहा गया था कि पिथौरागढ़ में तीन मौतें हुई थी परन्तु प्राप्त हुए नवीनतम तार में यह संख्या 13 बताई गई है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या किसी रेलगाड़ी को भी आघात पहुंचा है, क्या फसलों अथवा भवनों को भी क्षति हुई हैं, और क्या वह फसल बीमा अथवा किसी अन्य प्रकार की बीमा योजना आरंभ करेंगे ताकि उनमें उक्त क्षतियों के लिए भी पूर्ति की व्यवस्था हो? भूचालों के कारण, न केवल इसी भूचाल के कारण बल्कि आगे आ सकने वाले भूचालों के कारण, यदि रेल पटरियों को क्षति पहुंचती है—रेलवे तो जैसाकि पंडित जी ने बताया— पहले 273 करोड़ रुपये मूल्य का सामाजिक दायित्व वहन कर रहा है—रेलवे पर और अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ना चाहिए। अतः इसके लिए आकस्मिक आवश्यकता की निधि की व्यवस्था भी की जानी चाहिये।

मैं कुछ और बातें भी उठाना चाहूंगा। जहां तक इस भूचाल का संबंध है इस समय तो उसे रोकने के उपाय किये नहीं जा सकते। परन्तु ऐसा कोई कानून बनाना तो संभव होगा जिसके द्वारा एक ऐसा विशेष विभाग बनाया जा सके जो प्रभावित क्षेत्रों में शोध करने तथा सुविधायें पहुंचाने पर विचार कर सके?

डा० कर्ण सिंह : इण्डिया मैट्रोलोजीकल डिपार्टमेंट तो पहले से ही है।

प्रो० मधु दण्डवते : वह काफी नहीं है। मैं यह जानता हूं। उदाहरणार्थ, भूकम्प विभाग मोसम विज्ञान विभाग का ही एक भाग है। परन्तु मैं तो यह सुझाव दे रहा हूँ कि क्योंकि भारत के अनेक भाग इस समय भूचाल-उन्मुख हो गये हैं, क्या सरकार ऐसा कोई पृथक विभाग स्थापित करेगी जो यह पता लगाये कि वस्तुतः सामग्री, फसलों, भवनों आदि की कितनी क्षति पहुंची है और यह देखे कि उनके लिए राहत-उपाय समुचित ढंग से किये जायें। मैं कुछ विशिष्ट प्रश्न पूछे हैं और मुझे आशा है कि मंत्री से मुझे उनकी विशिष्ट रूप से उत्तर भी मिलेंगे।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : मैं प्रो० मधु दण्डवते का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कई अच्छे सुझाव दिये हैं। उन्हें भूचालों तथा उनके द्वारा होने वाली क्षति के स्वरूप एवम उन्हें रोकने के

उपायों की काफी जानकारी प्रतीत होती है। यह विशिष्ट प्रस्ताव तो मगर उस भूकम्प के बारे में है जो गत मास की 29 तारीख को आया था। जैसा कि मैंने पहले ही बताया हम भूचाल का केन्द्र बिन्दु पिथौरागढ़ से केवल 80 किलोमीटर दूर एक स्थान था।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आप मुझे दोबारा हस्तक्षेप करने की अनुमति देंगे क्यों कि मैं एक अन्य प्रश्न भूल गया जोकि हम झटके के बारे में बहुत वैक है। डा० एच. एन. चौधरी निदेशक भूकम्प मिलान, मौसम विभाग, ने पहले ही कहा है—यह समाचार पत्रों में भी आ चुका है—कि 29 जुलाई के इस भूकम्प के उपरान्त के झटके बाद में भी पूरे एक मास तक आते रहेंगे। यही वक्तव्य प्रकाशित हुआ है।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : मैं स्वयं ही कहा है कि इसका प्रभाव जारी रहने की संभावना है। इसी प्रयोजन के लिए उस क्षेत्र में भूकम्प मापक चलते फिरते एकक पहले ही भेजे जा चुके हैं जिससे कि भविष्य में होने वाली ऐसी संभावनाओं पर नजर रखी जा सके। जैसा कि मैंने कहा, इसका केन्द्र बिन्दु नेपाल में सिलगिरी के स्थान पर था जो पिथौरागढ़ से केवल 80 कि. मीटर दूर है। देश में भूचालों से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों को पांच खण्डों बांटा गया है। एक केन्द्र दक्कन के बीच है दूसरा और आगे उत्तर में जो कि अरावली पहाड़ियों के साथ है, तीसरा सतपुड़ा में और चौथा कच्छ में है। परन्तु सबसे अधिक प्रभावित होने वाला पांचवां खण्ड हिमालय पर्वत माला के बीच है जिसका नाम श्री रावत ने भी लिया है। मौसम विभाग ने 24 स्थाई भूकम्पीय प्रयोगशालायें तथा 16 विशेष प्रयोगशालायें स्थापित की है। इन 40 में से 19 तो हिमालय पर्वत मालाओं में हैं। हम इस क्षेत्र पर विशेष निगाह रखे हुए हैं। यह सुझाव कि एक अलग विभाग होना चाहिए जो यह सलाह दे कि कैसे मकान बनाये जायें विचारणीय है। मेरे विचार में ऐसी सलाह देने में हम समर्थ हैं। वर्तमान विभागों में कार्यरत हमारे इंजीनियर यह कार्य सरलता से कर सकते हैं। यह जो सुझाव दिया गया है कि उस क्षेत्र में फसलों तथा रेल-पटरियों को क्षति हुई होगी। हमें रेल-पटरियों की क्षति के बारे में कोई समाचार नहीं मिले हैं और माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे कि भूचालों से फसलों को तो कम से कम हानि होती है। बड़े बड़े भवनों तथा भारी निर्माणों को ही सामान्यतः हानि पहुंचती है। भूचालों से फसलों को कोई क्षति नहीं होती है।

हम निश्चय ही उन सभी सुझावों पर विचार करेंगे जो माननीय सदस्य ने दिये हैं और हम यह कोशिश करेंगे कि भूकम्पों के रिकार्ड करने की वर्तमान पद्धति में सुधार हो और आगे आने वाले भूकम्पों का पूर्वानुमान किया जा सके।

*प्रश्नकाल के दौरान अनुपस्थित रहने पर मन्त्री द्वारा क्षमा याचना

नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : श्रीमन्, मैं अपने से प्रश्न पूछे जाने के समय अपनी अनुपस्थिति के लिए बिना शर्त क्षमा याचना करना चाहता हूं और सभापीठ एवं माननीय सदस्यों को हुई असुविधा के लिए भारी खेद व्यक्त करता हूं।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : व्यवस्था के प्रश्न पर। मैंने नियम 223 के अधीन इस सम्बन्ध में एक प्रश्न कर दिया है और आपने उसका सभा में ज़िक्र नहीं किया है।

*कृपया लोक सभा वाद-विवाद दिनांक 1-8-80 का भाग एक देखें।

उपाध्यक्ष महोदय : यह विचाराधीन है। इस बीच मंत्री महोदय ने क्षमा मांग ली है। सद् पुरुष के नाते आपको उक्त क्षमायाचना पर सहमत होना चाहिए।

अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले की
ओर ध्यान दिलाना—जारी

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : उपाध्यक्ष महोदय मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है :—

"तथापि इस समय भूचालों के आने के बारे में पूर्वानुमान लगाना सम्भव नहीं है जैसा कि मौसम के बारे में किया जा सकता है।"

हमारे देश का आधे से अधिक भाग सामान्य से लेकर भीषण भूचालों से प्रभावित होता है। यह सब कुछ राजनैतिक भूचालों के अलावा हैं जो कि कभी भी आ सकते हैं।

वर्ष 1934 में बिहार में, 1950 में आसाम में और 1967 में कोयाना में आये भीषण भूचालों ने हमें अत्याधिक आतंकित किया था। हमें मन्त्री महोदय ने बताया है कि भारत-तिब्बत-नेपाल सीमा पर भी बार-बार भूचाल आते रहते हैं। जब यह स्थिति है तो मैं कृषि मन्त्री से जानना चाहूंगा कि क्या वर्ष 1980 में बड़े भूकम्प आने का पूर्वानुमान नहीं किया गया था। आपको याद होगा कि 16 फरवरी, 1980 को सूर्य ग्रहण हुआ था। इसकी ओर सारी दुनिया का ध्यान गया। उस समय यह आशंका व्यक्त की गई थी कि सूर्य ग्रहण के बाद भारी भूकम्प भी आयेंगे। सौभाग्य से ऐसे भीषण भूकम्प तो आये नहीं परन्तु इनके बारे में भविष्यवाणी जरूर की गई थी कि ये भूकम्प असहनीय है। भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग के डाक्टर एस० एन० शाह ने कहा था "कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक अत्यन्त शक्तिशाली भूकम्प कभी भी आ सकता है।" इन हालात में, हमें मालूम होना चाहिए कि क्या ऐसे बड़े पूर्वानुमानों पर अनुवर्ती कार्यवाही की गई थी, क्या उन्हें गम्भीरता दे दिया गया था, क्या कोई तैयारी कार्यक्रम तैयार किया गया था और क्या सम्भावित क्षति की पूर्ति के लिये कोई आकस्मिक योजना तैयार की गई थी? सबसे पहले मैं तो इस पहलू पर मन्त्री महोदय से स्पष्टीकरण चाहूंगा।

हमारे विभाग की गंभीर अक्षमताएं प्रकाश में आई हैं। इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश के जिस जिले की हम बात कर रहे हैं, उस सारे जिले में छः बार भूचाल आया—पहली बार शाम 6.00 बजे फिर 8.20 बजे, 8.26 बजे, 8.30 बजे और उसके बाद प्रातः 12-15 बजे और 6.30 बजे। हमें आगे सूचना मिली है—यदि हमारी बात सही न हो, तो कृपया वह ठीक कर सकते हैं—कि भूचाल इतना जोरदार था कि दिल्ली में बारह में से ग्यारह भूकम्प लेखी यंत्र बेकार हो गए और केवल एक ही यंत्र ठीक रह गया; और भूकम्प रिकार्ड करने वाले इस एकमात्र यन्त्र के कार्य में भी पन्द्रह मिनट तक विघ्न पड़ता रहा।

यदि स्थिति यह है, तो क्या माननीय मंत्री हमें बतलाएंगे कि भूचाल की भविष्यवाणी करने वाले इन यंत्रों में सुधार करने तथा उन्हें कारगर बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? उक्त विभाग को और सुदृढ़ बनाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ताकि यह अपना कार्य करने में समर्थ हो सके?

अब मैं राहत देने के प्रश्न पर आता हूं। यह एक महत्वपूर्ण विषय है। हमें बताया गया है कि राज्य सरकार इसकी जांच कर रही है और हम अपने प्रधान मन्त्री का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने प्रति परिवार 2500/- रुपए की अतिरिक्त सहायता की घोषणा की है। यह सहायता प्रति परिवार है ; इसे 'प्रति मृतक' के हिसाब से क्यों न दिया जाए ? धनराशि भी अपर्याप्त है। तुलना के उद्देश्य से, मैं आपका ध्यान कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में उत्तरकाशी में हुए भूस्खलन की ओर दिलाना चाहता हूं जहां दी गई राहत दुर्भाग्यवश मारे गए व्यक्तियों की संख्या के अनुसार थी, हालांकि वहां भी राहत प्रत्येक परिवार की दर पर दी गई थी। उदाहरण के लिए, जिस परिवार के दो सदस्य मारे गए, उस परिवार को 3000/- रु० दिए गए और जिस परिवार में दो से अधिक व्यक्ति मारे गए, उसे 5000/- रु० दिए गए थे। अब, जो पहली बात मैं कहना चाहता हूं वह इस अपर्याप्त राशि के बारे में है। उन्हें इस राशि को विमान और रेल दुर्घटनाओं के शिकार हुए व्यक्तियों के परिवारों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति के बराबर करने पर विचार करना चाहिए। इस प्रश्न पर यहां पहले भी विचार किया जा चुका है कि आखिर मानव जीवन के मामलों में इस तरह का भेदभाव क्यों ? दूसरी बात यह है कि परिवारों के मामलों में भी, यह राहत 'प्रति परिवार' के बजाय प्रति मृतक' के अनुसार दी जा सकती है।

एक दूसरा प्रश्न मकानों का है। हमें बतलाया गया है कि लगभग 3000 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। क्या सरकार इन मकानों के पुनर्निर्माण के लिए कुछ राज सहायता देगी ?

अंत में, एक बात और कहना चाहूंगा जो सम्पूर्ण मानव त्रासदी के प्रति सरकार के रवैए के बारे में है। यह त्रासदी अर्थात् दुखद घटना 29 जुलाई को हुई और विवरण के पहले पृष्ठ में ही हमें बतलाया गया है कि जिला मजिस्ट्रेट से पूछ-ताछ की गई और उसने 31 जुलाई, 1980 को सायं 6.00 बजे फोन पर सूचना दी। यह दुखद घटना होती है 29 जुलाई को, और सरकार निष्क्रिय बनी रहती है। महोदय, जब हम आपकी अनुमति से कोई ध्यान आकर्षण प्रस्ताव अथवा कोई प्रस्ताव पेश करते हैं, तब जिला मजिस्ट्रेट से फोन पर सम्पर्क किया जाता है और वह 31 जुलाई को सूचना देता है। अभी भी, अन्तरंग भागों से काफी कुछ सूचना उपलब्ध नहीं है। मैं केवल यही चाहता हूं कि सरकार इतनी मन्द गति से कार्य न करे······

उपाध्यक्ष महोदय : आप यह कह कर समाप्त कर सकते हैं कि भूचाल का आप पर क्या प्रभाव हुआ।

श्री जी० एम० बनातवाला : सारा राष्ट्र प्रभावित है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपने भूचाल महसूस किया ?

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं सरकार से सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं कि इस तरह की मानवीय त्रासदी के मामलों में उस्तैदी से कार्यवाही की जाए।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : सबसे पहले तो मैं मकानों की संख्या के बारे में माननीय सदस्य की बात को सही करना चाहूंगा। मैंने मुख्य विवरण में, जो पहले प्रस्तुत किया गया था, यह सूचना दी थी कि 300 मकानों को क्षति पहुंची है······

एक माननीय सदस्य : 3,000 नहीं ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : 3,000 नहीं। हमें प्राप्त हुए तार के अनुसार···मैंने तार को दोबारा पढ़ा है—, नवीनतम सूचना यह थी कि 280 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं ······

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : यह अन्तिम सूचना नहीं हो सकती। आपने स्वयं कहा है कि अन्तिम सूचना अभी आनी है।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : आपको ऐसी आशंका क्यों है कि क्षति अधिक हुई होगी ? मैं पहले ही कह चुका हूं कि सारे हिमालय क्षेत्र के साथ-साथ 19 वेधशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं और सरकार को इस बात का पता है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में भूचाल आने का सबसे अधिक खतरा रहता है। जोरहट वेधशाला में कुछ वैज्ञानिकों ने 1977 में भविष्यवाणी की थी कि वर्ष 1980 में उस क्षेत्र में गंभीर भूचाल आने की संभावना है। और वही हुआ है। अतः हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान और भविष्य कथन के मामले में काफी अच्छा ज्ञान रखते हैं। यह इसी तथ्य से देखा जा सकता है। और तत्कालीन असम सरकार को भारत सरकार ने चेतावनी दे दी थी। 1979 में ही उन्हें कह दिया गया था कि वे संभाव्य घटना के लिए तैयार रहें, और किसी भी तरह की आपात स्थिति का मुकाबला करने के लिए कुछ योजनाएं तैयार की गई थीं। ऐसा नहीं है कि सरकार इस तरफ आंखें बन्द किए हुए हैं अथवा हमारे वैज्ञानिकों को भूचालों के बारे में कुछ पता नहीं है। इस तरह की धारणा नहीं होनी चाहिए······

श्री जी० एम० बनातवाला : जब वैज्ञानिकों ने आपकी मदद की, तो आपने क्या तैयारी की ? आपने स्वयं को तैयार क्यों नहीं किया ? प्रश्न इसी बात का है।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : वैज्ञानिक तो हमें केवल सूचना देते हैं और फिर जो कुछ करते हैं हमीं कहते हैं, वैज्ञानिक नहीं।

श्री नारायण चौबे : आपने क्या किया ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : हमने असम सरकार को चेतावनी दे दी। कार्यवाही की योजना तैयार की गई। लेकिन भाग्य की बात है कि ऐसी कोई गम्भीर बात नहीं हुई जिससे कि हम उस योजना का उपयोग कर पाते। हम तैयार हैं। और यदि वहां कोई बिजली गिरने वाली हो, तो मैं एक और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए तैयार रहूँगा। आप हमेशा यही क्यों सोचते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है और कुछ विपक्षी सदस्यों से माँग करने पर ही सरकार जागती है ?

प्रो० मधु दण्डवते ने मुझसे पूछा कि भविष्यवाणी कैसे की गई। श्री बनातवाला पहले ही यह सवाल उठा चुके हैं। मैं यह नहीं कहता कि मैं कोई विशेषज्ञ हूं, लेकिन विशेषज्ञों से जो भी सूचना मुझे मिली है, उसके अनुसार पांच ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हम काम करने का प्रयत्न करते हैं, ताकि भूचालों के बारे में कुछ अग्रिम सूचना मिल सके। एक क्षेत्र तो भूकम्पों की जानकारी और पहले समय में जो भूकम्प आए हैं उनका क्या पैटर्न रहा है उससे सम्बन्धित है। उससे हमें कुछ पता चल सकता है। इसके बाद, भू-भौतिकी का विषय आता है जिसमें भूमि-धाराओं आदि की चुंबकीय तीव्रता और गुरुत्व के बारे में जानकारी शामिल है। फिर, लघु भूमि बिरूपणों की माप; जहां कहीं ये पाए जाते हैं, खराबियों को मापा जाता है और उनका पता लगाया जाता है। इनके

बाद, बड़े भूकम्पों से पहले कुओं और भूमि-जल के उतार-चढ़ाव से होने वाले रेडान उत्सर्जन का अध्ययन किया जाता है, इन से कुछ भविष्यवाणियां की जा सकती हैं। फिर, पशुओं के असामान्य व्यवहार और अन्य अनुभवाधित प्रेक्षणों का अध्ययन किया जाता है—क्योंकि चीन जैसे कुछ देशों ने इसकी आजमाइश की है। आपको मालूम होना चाहिए कि पशुओं के व्यवहार से उन्होंने भूकम्पों की भविष्यवाणी करने का प्रयत्न किया और एक बार तो यह सोचा गया कि यह दोषरहित तरीका सिद्ध होगा लेकिन वह भी पूर्णतया सही नहीं पाया गया क्योंकि उसके शीघ्र बाद ही, 1976 में, चीन में बड़ा भयंकर भूकम्प आया जिसके लिए वे पहले से तैयार नहीं थे और लाखों व्यक्ति मारे गये। जैसा कि मैं अपने वक्तव्य में पहले कह चुका हूं, प्रकृति के सारे रहस्यों की जानकारी प्राप्त कर सकना बड़ा कठिन है। हम केवल यही कर सकते हैं कि उनका सामना करने के लिए तैयार रहें।

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : शोकसंतप्त परिवारों को अपनी सहानुभूति व्यक्त करने और प्रत्येक परिवार को 2500/-रु० की तत्काल सहायता मंजूर करने के लिए भी मैं अपने प्रधान मन्त्री का बहुत ही आभारी हूँ। लेकिन इस संदर्भ में, माननीय मंत्री से मैं यह जानना चाहूंगा कि सदन में जैसी सूचना दी गई थी, जो लोग मारे गये हैं क्या उन सभी के परिवारों को राहत पहुंचाने का कार्य किया जाएगा तथा सहायता दी जाएगी। मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में यह भी कहा है कि अतिरिक्त सूचना एकत्र की जा रही है। अतः, यदि कुछ और लोगों की मृत्यु होने का पता चलता है, तो मैं चाहूँगा कि उन्हें राहत पहुंचाई जाए।

डा० एच० एम० चौधरी, भूकम्प विज्ञान निदेशक, मौसम विभाग ने कहा है कि इस तरह के भूकम्प एक माह तक महसूस किये जाते रहेंगे। इस टिप्पणी का समर्थन करते हुए, मैं मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि आजके 'इण्डियन एक्सप्रेस' जैसे समाचार पत्रों में, नेपाल में भूकम्प के कारण लगभग 100 व्यक्तियों की मृत्यु होने का समाचार छपा है। माननीय मन्त्री ने कहा है कि आवश्यक उपाय किये जाते हैं और किए जाने वाले हैं। लेकिन, क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या मौसम-विज्ञान विभाग द्वारा इस तरह की भविष्यवाणी एक घटा पहले की जा सकती है या नहीं ? इस भूकम्प के कारणों के बारे में जानकारी हासिल करते समय, एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के साथ हुई मेरी चर्चा के दौरान – मैं उनका नाम बताना नहीं चाहता क्योंकि वह सरकारी कर्मचारी हैं—वह मुझे बता रहे थे कि भूकम्पों का एक और बड़ा कारण है हमारी बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की वजह से गाद जमा होना क्योंकि पानी के नीचे इनका निर्माण कार्य वर्षों से चल रहा होता है। वास्तव में, मैं मंत्री महोदय से यह पता लगाने का निवेदन करूंगा कि यह भी एक कारण है या नहीं। यदि ऐसा है, तो मैं चाहूँगा कि सिंचाई विभाग से कहा जाए कि वे गाद निकालने का काम नियमित रूप से करें और परियोजना क्षेत्रों में वृक्षारोपण भी कराएं।

प्रो० मधु दण्डवते ने फसल बीमा के बारे में पूछा था······

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने जो कहा, वह न दोहराएं। आप अपना प्रश्न पूछें।

श्री चिन्तामणि जेना : माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में सदन को यह सूचना दी है कि 280 मकान गिर गये हैं। मेरे विचार में इनमें से किसी भी मकान का बीमा नहीं हुआ था। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस बात पर विचार करें कि जिन क्षेत्रों में भूकम्प का

खतरा रहता है, क्या वहां स्थित मकानों का बीमा किया जा सकता है या नहीं। कृपया इस पर विचार किया जाए।

अन्त में, महोदय, अपने अनुभव से, मैं यह कहूंगा कि उसी दिन, अर्थात् 29 तारीख से दी मेरा टेलीफोन खराब था। कल शाम कोई इसे ठीक किया गया। जब मैंने टेलीफोन प्राधिकारियों से पूछ-ताछ की, तो डाक विभाग के कुछ कर्मचारियों द्वारा मुझे बताया गया कि भूकम्प के कारण, भूमिगत टेलीफोन तारों में गड़बड़ी हो गई और इसीलिए मेरा टेलीफोन तथा बहुत से अन्य व्यक्तियों के टेलीफोन तीन दिन तक खराब रहे। अतः, माननीय मन्त्री को यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए। यदि भूकम्प की तीव्रता के कारण सभी टेलीफोन खराब हो जाएं, तो आपको अंतरंग भागों से सूचना कैसे मिल सकती है? इसलिए, कृपया इस पहलू पर भी विचार किया जाए।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : जहां तक टेलीफोनों का सम्बन्ध है, यदि उनकी मरम्मत नहीं की गई है तो आप अन्वाघात की प्रतीक्षा नहीं करनी पडेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, हमारे टेलीफोन खराब करने के लिए, किसी भूकम्प की जरूरत नहीं है। (व्यवधान)

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : भूकम्प के कारण टेलिफोन खराब हो जाते हैं। पर्याप्त सहायता न दिए जाने के बारे में सदस्य महोदय ने जो चिंता व्यक्त की है, उसमें मैं भी उनका भागीदार हूँ। लेकिन, हमारी कठिनाई यह है कि इस तरह के मामलों में, भारत सरकार किसी दर पर मुआवजा देने का दायित्व अपने ऊपर नहीं ले सकती। आप कृपया इस बात से भी सहमत होंगे कि जानहानि के लिए पूरी क्षति पूर्ति देना संभव नहीं है। लोगों को, परिवार के लम्बे समय तक दुख भोगना पड़ता है। सरकार से आशा की जाती है कि अनुग्रहपूर्वक अनुदानों के रूप में ही क्षति पूर्ति की उचित राशि दी जाए क्योंकि इसकी तत्काल आवश्यकता होती है। उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा कर रही है। क्षतिग्रस्त मकानों के लिए भी, मुझे बताया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार, अनुदान के रूप में, प्रत्येक मकान के लिए 800 रु० देगी।

भारत सरकार ने भी, प्रधान मन्त्री के आदेशों पर, प्रत्येक परिवार को 2,500 रु० की अनुग्रहपूर्वक अदायगी की है। इसी से पता चलता है कि पीड़ितों के साथ हमारी गहरी सहानुभूति है। लेकिन इन दैवी प्रकोपों को रेल दुर्घटनाओं अथवा विमान दुर्घटनाओं के बराबर समझना और रेल विभाग द्वारा जो मुआवजा दिया जाता है उसके मुताबिक मुआवजा देना सम्भव नहीं होगा। आखिरकार, जो लोग भारत सरकार की रेल गाड़ियों में यात्रा करते हैं सरकार उनके लिए जिम्मेदार है, और जो यात्री इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमानों द्वारा यात्रा करते हैं, उनका एक तरह से बीमा होता है। लेकिन इस तरह की विपदाओं के लिए, सरकार ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं उठा सकती कि जो भी क्षति हो और जानहानि हो उसके लिए मुआवजा दिया जाए।

जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, नदियों में गाद जमा होने और वनरोपण का भूकम्पों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन, सम्भवतः बड़े बांधों पर इसका यदा-कदा कुछ असर हो सकता है। जैसाकि प्रो० दण्डवते ने कहा, यदि पानी कुछेक किलोमीटर तक भूमि की सतह में

रिस-रिस कर बहुत गहरे तक पहुंच जाए, जहां बहुत गर्मी होती है—वहां जो कुछ भी है वह लावे की तरह का है—और, यदि पानी उससे मिल जाए, तो वहां भाप बन सकती है और गड़बड़ी उत्पन्न हो सकती है। और कुछ परिस्थितियों में, उसी के कारण कुछ स्थानों पर भूकम्प आ सकते हैं। लेकिन, आमतौर पर, इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

पहले से यह बताना सम्भव नहीं है कि क्या इन क्षेत्रों में अन्वाघात होंगे अर्थात् बाद के झटके महसूस किए जाएंगे; मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हमें ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए और शुभ कामना करनी चाहिए। मुझे आशा है कि अब और कोई विपत्ति नहीं आएगी और जो क्षति हो चुकी है वह उतनी ही रहेगी और ईश्वर इस देश के लोगों को भूकम्प के कारण कोई और दुख नहीं देगा।

श्री चिरंजी लाल शर्मा (करनाल) : महोदय; इस तथ्य को देखते हुए कि भूकम्प मानव जाति के लिए एक गुरुतर चुनौती है और देश के विभिन्न भागों में भूकम्प आते हैं, भूकम्प पर विश्व सम्मेलन हो चुके हैं। मैं केवल दो प्रश्न पूछना चाहूँगा। एक तो यह है कि क्या सरकार देश में भूकम्प इन्जीनियरी आरम्भ करने की वांछनीयता पर विचार करेगी; और दूसरा यह कि क्या ऊंची-ऊंची इमारतों पर भूकम्प रिकार्ड करने वाले उपकरण लगाए जाएंगे?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : महोदय, मैं सदन को पहले ही सूचित कर चुका हूं कि हमारे यहां देश भर में करीब चालीस वेधशालाएं हैं और उनमें यह काम हो रहा है। यदि कोई और जरूरत हो तथा कोई क्षेत्र शेष रह गया हो, तो विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग उसकी देखभाल करेगा।

मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य का भूकम्प इंजीनियरी से क्या तात्पर्य है। लेकिन मैं सरकार से इस पहलू पर विचार करने के लिए अवश्य कहूँगा और यदि किसी इन्जीनियरिंग विभाग को अथवा इन्जीनियरों में किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता हुई तो हम जो कुछ भी कर सकते हैं करेंगे। जहां तक मुझे मालूम है, रुड़की विश्वविद्यालय में, भूकम्प इन्जीनियरी पहले से ही वहां के पाठ्यक्रम में शामिल है। यदि रुड़की में पर्याप्त शिक्षा नहीं दी जाती है और वह शिक्षा उन छात्रों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती है जो भूकम्प इन्जीनियरी में अध्ययन करना चाहते हैं, तो इसे अन्य विश्वविद्यालयों में आरम्भ करने पर भी विचार किया जा सकता है।

सभा का कार्य

गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया): श्रीमान, आपकी अनुमति से मैं श्री भीष्म नारायण सिंह की ओर से घोषणा करता हूँ कि 4 अगस्त, 1980 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य किया जायेगा :—

(1) आज की कार्य-सूची से आगे ले जाये गये सरकारी कार्य के किसी भी मद पर विचार।

(2) विचार तथा पास किया जाना :—

(क) ब्रह्मपुत्र बोर्ड विधेयक, 1980।

(ख) प्रादेशिक सेना (संशोधन) विधेयक, 1980।

(ग) डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन विधेयक, 1980।

(3) सामान और सीमाशुल्क की दरों संबंधी अधिसूचना में रूपभेद के लिए प्रस्ताव पर विचार।

(4) विचार तथा पास किया जाना :—

(क) दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1980।

(ख) कर्ण पटह और कर्ण अस्थि (चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए उपयोग का प्राधिकार) विधेयक, 1980।

(ग) दिल्ली नगरपालिका विधि (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 1980।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि केरल में लगातार तेजी से बिगड़ती हुई स्थिति के बारे में एक वक्तव्य देने की आवश्यकता है। अभी हाल ही में केवल दो दिन पहले वहां मलप्पुरम कलक्टरी में शान्त प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई गई थी। वहां केरल सरकार की भाषा-विरोधी और फारसी विरोधी नीति के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था। इन प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई गई थी। कुछ मारे गये थे और उनमें से बहुत बड़ी संख्या में घायल हुए थे। सरकार की नीतियों के खिलाफ शान्तिपूर्ण प्रदर्शन करने के इन लोगों के अधिकार को दबाने का राज्य सरकार का दृष्टिकोण संविधान का सरासर उल्लंघन है......

उपाध्यक्ष महोदय : जो बातें आपने कही हैं वे बिल्कुल स्पष्ट हैं। आप उनको पढ़ सकते हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला : मेरा दूसरा मुद्दा यह है। मैंने नियम 189 के अधीन एक प्रस्ताव दिया है। इसे स्वीकार कर लिया गया है और इसे संख्या 146 दी गयी है। इसमें अल्पसंख्यक आयोग के पहले वार्षिक प्रतिवेदन पर कार्यवाही ज्ञापन सहित, जिसे सदन के पटल पर रखा गया है, विचार किया जाना है। सरकार को आगे आना चाहिए और अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए अविलम्ब एक विधेयक लाना चाहिए। इसे सिद्धान्त रूप में सरकार पहले ही स्वीकार कर चुकी है। इस-लिए इस बारे में अब विलम्ब नहीं होना चाहिए।

मेरा अगला मुद्दा यह है : जनता पार्टी की युवा विंग ने हाल ही में कुछ कार्यक्रमों की घोषणा की है और इसने कहा है कि यह पुलिस कार्मिकों द्वारा किये गये इन तथा-कथित अपराधों की जांच के लिए गैर-सरकारी जासूसों और सुरक्षा सलाहकारों को लगा रही है। महोदय, इस घोषणा के बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। एक ऐसा व्यक्ति मैं हूं जो यह नहीं कहेगा कि पुलिस ने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है। लेकिन तो भी, पुलिस द्वारा किये गये अपराधों की जांच के काम पर गैर-सरकारी जासूसों और सुरक्षा सलाहकारों को लगाने से अपराधों को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किये जाने और पुलिस पर दबाव डाले जाने की संभावना है। सरकार को इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अपनी पांचों बातें पूरी कर ली हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैंने केवल चार चीजें दी हैं। मेरी चौथी बात अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन के लिए व्यापक कानून बनाने की आवश्यकता है ताकि उसका प्रभावकारी प्रबंध मुसलमानों के हाथ में रहे और उसके अल्पसंख्यक स्वरूप के अनुरूप उसे स्वायत्तता दी जा सके। इस समय एक सरकारी विधेयक है लेकिन यह बहुत अपर्याप्त है। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री रामावतार शास्त्री कृपया संक्षेप में बोलिये।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष जी, मैंने तीन मुद्दों का जिक्र करके आपको पत्र लिखा है। पहला मुद्दा यह है कि वैद्यनाथ धाम जाने वाले कुछ कावंरियों ने भागलपुर जिले के कटोरिया के निकट एक गांव में हमला करके 6 व्यक्तियों की हत्या कर दी और गांव को जला दिया। उन्हें वैद्यनाथ धाम जाकर पूजा करने की पूरी आजादी है लेकिन किसी की हत्या करने की उन्हें कोई आजादी नहीं थी। लेकिन यह किया गया। इसके अलावा पटना शहर में कंकड़बाग कालोनी के इलाके में चार बिजली मजदूरों की दिन दहाड़े लोमहर्षक और नृशंस हत्यायें कर दी गई। इसी तरह की और भी हत्यायें हो रही हैं। ठीक है, इसका सम्बन्ध राज्य से है लेकिन राज्यों में सभी जगह असेम्बली नहीं चल रही है, बिहार में नहीं चल रही है और जब वह न चले तो आप कम से कम बयान दिलवा सकते हैं, यदि आप बहस नहीं करवा सकते। इसलिए मैं चाहता हूं इस पर सरकार बयान दे।

जहां तक दूसरे मुद्दे का सम्बन्ध है; मैंने कल भी जिक्र किया था कि सिंदरी खाद कारखाने को स्क्रैप कहकर चार करोड़ रुपए में उसका आक्शन किया गया है। इसके लिए किसी से इजाजत नहीं ली गई है। जब हम और आप सभी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे उस बीच में बोर्ड आफ डायरेक्टर्स ने ऐसा फैसला कर लिया। यह बहुत पुराना कारखाना है जिसका उद्घाटन पं० जवाहर लाल नेहरू जी ने 1951 में किया था। पब्लिक सैक्टर का बहुत ही प्रसिद्ध कारखाना था, उसकी स्थिति इस प्रकार की होती जा रही है। वहां कोयला ज्यादा से ज्यादा मिल रहा है, उसको हटाकर के तुल के सहारे एक नया खाद का कारखाना बनाया गया है, जो तेल के सहारे चलेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कैसी सरकार की नीति है? इस सिलसिले में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक बहस होनी चाहिए, चाहे आप उसको नियम 193 के अन्तर्गत कराइए या और किसी नियम के तहत कराइए, लेकिन इस पर बहस जरूर होनी चाहिए, क्यों कि पूरे देश के लोगों में इस बात की चिन्ता है कि आपकी सरकार सरकारी कारखानों के साथ इस तरह से व्यवहार कर रही है।

आखिरी मेरा सवाल दिल्ली के बारे में है, जो कि यूनिवर्सिटी कालेज आफ मैडिकल साइसेंस के छात्रों की समस्या से संबंधित है। स्वास्थ्य मत्रालय के साथ उस कालेज के छात्रों ने 6 अप्रैल, 1979 को, संभवतः उस समय जनता पार्टी की सरकार थी, एक समझौता किया था। उस समय उनकी हड़ताल चल रही थी। उस समझौते में तय हुआ था कि उनके लिए आवास की व्यवस्था की जाएगी और उनकी दूसरी समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकाला गया है। जिस मकान में उनको रहने की इजाजत दी गई है, उसमें भी 21 जुलाई को एक कमरे की छत गिर गई। संयोग से कोई छात्र घायल नहीं हुआ और न मरा। वहां की यह हालत है कि एक जंगल सा बना हुआ है और उस इलाके में सांप निकलते हैं। इस बारे में हम चाहते हैं कि संबंधित मंत्री महोदय बयान दें।

सी० पी० डब्ल्यू० डी० के बारे में आप जानते हैं कि वे किस तरह के मकान बनाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आवास मंत्री या स्वास्थ्य मंत्री, दोनों में से कोई इस का खुलासा करते हुए जवाब दें और इन्तजाम करें, ताकि छात्रों के जीवन पर कोई खतरा पैदा न हो सके।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं 3 मुद्दों का सुझाव दूंगा जिन पर सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए।

पहला, इलाहाबाद (उच्च न्यायालय के वकीलों ने पहले ही अपने संकल्प के जरिए केन्द्रीय विधि मंत्री द्वारा संसद में न्यायाधीश श्रीवास्तव के संबंध में दिए गये वक्तव्य पर गहरा दुःख प्रकट किया है और उस वक्तव्य को राजनीति से प्रेरित बताया है और उसमें न्यायाधीश श्रीवास्तव के चरित्र पर जो आरोप लगाये गये हैं वे मिथ्या और निराधार हैं क्योंकि उनके अनुसार उनका चरित्र बेदाग और न्यायिक औचित्यपूर्ण रहा है।

मेरा दूसरा मुद्दा अमरीका के दोनों सदनों द्वारा दिखाई गई हिचकिचाहट के बारे में है जब अमरीकी सरकार ने तारापुर परमाणु संयंत्र के लिए आवश्यक परमाणु ईंधन की सप्लाई के लिए स्पष्ट मंजूरी दे दी है। इसलिए, हमें यह जानना चाहिए कि ईंधन के हमारे अपने वैकल्पिक साधनों पर निर्भर करने की भारत की आत्मनिर्भर क्षमतायें क्या हैं।

मेरा तीसरा मुद्दा यह है कि भूतपूर्व संसद सदस्य और केन्द्रीय मंत्री श्री राज नारायण ने बागपत कांड के संबंध में 3 अगस्त, 1980 से आमरण अनशन करने की घोषणा की है और इस विषय पर दलगत भावना से ऊपर उठकर विचार करने की आवश्यकता है। एक दिन प्रधानमंत्री ने इस सदन में ठीक ही कहा था कि यह एक ऐसा मामला है जिसे दलीय मामला नहीं बनाया जाना चाहिए और इस मामले में हमें दलगत भावना से ऊपर उठना चाहिए। सामाजिक संस्थाओं को यह मामला उठाना चाहिए, जनमत का निर्माण करना चाहिए और इसलिए, मेरा विचार है कि हमें इस प्रकार कार्य करना चाहिए कि श्री राजनारायण को आमरण अनशन करके शारीरिक यातना न भोगनी पड़े। मैं इस मंच से श्री राजनारायण से यह अपील करूंगा कि वह व्यक्तिगत रूप से कार्य न करें "और दोनों" सदनों के सदस्यों के सामूहिक सहयोग द्वारा हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि महिलाओं पर अत्याचार की समस्याओं को समाप्त किया जावे।

प्रो० रूप चन्द पाल (हुगली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं 4 अगस्त, 1980 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह की कार्य सूची में बहस के लिए निम्नलिखित तात्कालिक महत्व के विषयों को शामिल करने का सुझाव देता हूं।

पहला मुद्दा जिस पर मैं चाहूंगा कि इस सदन में विचार किया जाये वह औद्योगिक और अन्य कामगारों के बोनस का प्रश्न है। क्योंकि, महोदय, जैसा आप जानते हैं हमारे देश के अधिकांश लोगों के वार्षिक त्यौहारों का समय नजदीक ही हैं और बोनस तथा उसके आधार पर न्यूनतम बोनस की दर के निर्धारण के बारे में सरकार की नीति की घोषणा में अब और विलम्ब नहीं होना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है क्योंकि और अधिक विलम्ब से पहले से ही जटिल बनी हुई स्थिति और जटिल हो सकती है।

दूसरे, मैं चाहता हूं कि अगले सप्ताह के कार्य में आकाशवाणी और दूरदर्शन को बोनस देने के प्रश्न पर विचार किया जाये। जैसा कि आप जानते हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के

कर्मचारी बोनस की अपनी उचित मांग को पूरा करने के लिए बहुत लम्बे समय से आन्दोलन करते आ रहे हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन के कर्मचारियों को बोनस देने के संबंध में कई घोषणायें की जा चुकी हैं लेकिन आकाशवाणी और दूरदर्शन के कर्मचारियों की उचित मांगों को पूरी करने के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। जैसा कि आज के कुछ समाचार पत्रों में छपा है······

उपाध्यक्ष महोदय : आकाशवाणी को दिए जाने वाले बोनस के बारे में आपको विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। यह एक राष्ट्रीय नीति है।

प्रो० रूप चन्द पाल : जैसा आज कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के कर्मचारियों ने अपनी बोनस की मांग पूरी न किए जाने पर विरोध प्रदर्शन के रूप में कल अपना वेतन लेने से इन्कार कर दिया। इसके अलावा, यह भी समाचार मिला है कि इन कर्मचारियों ने मांग पूरी न होने पर आन्दोलन को तीव्र करने का निर्णय लिया है। इस मामले को लिया जाये।

श्री आर० के० महालगी (ठाणे) : मैं चाहूंगा कि अगले सप्ताह तात्कालिक सार्वजनिक महत्व के निम्नलिखित मामले पर विचार किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन ?

श्री आर० के० महालगी (ठाणे) : नहीं। "विश्व के विभिन्न देशों से भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पानी की तरह रुपया आ रहा है। विभिन्न विश्वस्त सूत्रों से यह प्रतीत होता है कि अक्तूबर 1979 से मार्च 1980 के बीच विदेशों से 40 लाख रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है * *

उपाध्यक्ष महोदय : आप कोई विषय शामिल कराना चाहते हैं। आप इसके विस्तार में नहीं जा सकते। मैं आपको इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

श्री आर० के० महालगी : नहीं, नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने कहा कि 40 लाख रु० दिया गया है ; और आप कोई जांच या वैसी कोई अन्य चीज चाहते हैं ; विस्तृत ब्यौरा नहीं। इसकी अनुमति नहीं दी जाती है। जब आप किसी विषय को शामिल करने के लिए कह रहे हैं तो आप ऐसा भाषण नहीं दे सकते। यह ठीक नहीं है। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। आप कृपया यह कहिये कि उस विषय को क्यों शामिल कर लिया जाये और न कि विस्तृत ब्यौरा। आपने यह बताया कि किसी चर्च से कुछ धन राशि प्राप्त हुई थी आदि-आदि। यह ठीक नहीं है। यह किसी विधेयक पर बहस नहीं हो रही है।

श्री आर० के० महालगी : अब मुश्किल से तीन चार लाइनें और हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, आप ब्यौरे नहीं दे सकते ?

श्री आर के० महालगी : मैं ब्यौरा नहीं दे रहा हूं। मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं कि इस विषय को अगले सप्ताह के कार्य में क्यों शामिल किया जाना चाहिए।

** उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस मंच को इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल मत कीजिए यह केवल किसी विषय को शामिल किए जाने के लिए है।

श्री आर० के० महालगी : इतनी बातें कही जा रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कुछ आरोप लगा रहे हैं।

श्री आर० के० महालगी : कोई आरोप नहीं। मुझे स्थिति की गंभीरता को इस सदन के समक्ष लाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं, उसे सदन के समक्ष नहीं रखा जा सकता। आपको इसे लिखित रूप में अध्यक्ष महोदय को देना चाहिए। केवल तभी इस पर विचार किया जायेगा। कृपया कोई आरोप न लगाइये। मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। आप मदवार पढ़िये। मैं आपको विस्तार में जाने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री आर० के० महालगी : मैं सदन के समक्ष केवल एक मद रख रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उस मद के बारे में कह चुके हैं।

श्री आर० के० महालगी : "......फेडरल बैंक ने शिलांग में एक शाखा खोली है। यह एक गैर-सरकारी प्राइवेट बैंक है......"

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्या मद शामिल कराना चाहते हैं ?

श्री आर के० महालगी : वही चीज जिस पर चर्चा होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। यह एक या दो वाक्यों में होना चाहिए। मैं आपको इस पर भाषण देने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री आर० के० महालगी : मैं भाषण नहीं दे रहा हूं। बहुत से व्यक्ति वक्तव्य दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप वक्तव्य नहीं दे रहे ?

श्री आर० के० महालगी : मैं निवेदन कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया यह बताइये कि आप क्या मुद्दा शामिल करवाना चाहते हैं ?

श्री आर० के० महालगी : मैंने वही बताया है।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा मुद्दा शामिल नहीं किया जा सकता।

श्री आर० के० महालगी : मैं चाहता हूं कि सरकार अगले सप्ताह सदन में एक वक्तव्य दें।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइये।

श्री आर० के० महालगी : मैं नहीं समझ पा रहा कि मेरा अनावश्यक विरोध क्यों किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : तब आप मुख्य विषय पर आइये। कृपया आप बताइये कि आप क्या मुद्दा शामिल कराना चाहते हैं ?

श्री आर० के० महालगी : पिछली बार भी जब मैं एक विशेष वक्तव्य दे रहा था तो उपाध्यक्ष महोदय ने मेरा विरोध किया था।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, यह सही नहीं है।

श्री आर० के० महालगी : इस बार भी वही हो रहा है। मैं इसे समझ नहीं पा रहा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप नियमों का पालन करें। (व्यवधान) मुझे खेद है.........

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : अनावश्यक रूप से समय बर्बाद किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको वह वक्तव्य पढ़ने की अनुमति नहीं दूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : मैं आपसे सहमत हूँ कि बहस नहीं होनी चाहिए लेकिन उन्हें यह बताने दिया जाये कि वह वास्तव में क्या......

श्री आर० के० महालगी : मैं वही कर रहा हूं और वही बता रहा हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह एक वक्तव्य पढ़ रहा है।

श्री आर० के० महालगी : ...."पृथकवादी और अलगाववादी तत्व इस क्षेत्र में चिन्ताजनक ढंग से अपनी कार्यवाही कर रहे हैं।"

गृह मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया) : जब सदस्य कुछ कह रहे हों तो मैं बीच में व्यवधान नहीं डालना चाहता। एक नोटिस जारी किया गया है कि केवल मुद्दे बताये जायें ताकि सदन का समय नष्ट न हो।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं वही बता रहा हूं। वैसा ही किया जाना चाहिए।

श्री आर० के० महालगी : यदि हर सदस्य उल्लिखित मुद्दों पर लगातार कई घन्टे तक बोलेगा तो उसको अन्तिम रूप कैसे दिया जाएगा ?

श्री० आर के० महालगी : मैं केवल मुद्दा रख रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप किसी के विरुद्ध कुछ आरोप लगा रहे हैं। उसका उत्तर देने के लिए कोई मंत्री नहीं है। यह रिकार्ड में आ जाएगा।

श्री आर० के० महालगी : मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह संसद के रिकार्ड में आ जाएगा और कोई भी मन्त्री इसका उत्तर नहीं दे पाएगा। कोई आरोप मत लगाइये।

श्री ग्रार० के० महालगी : मैं एक विशेष मुद्दे को ग्रगले सप्ताह के कार्य में शामिल करना चाहता हूँ। बस केवल इतना ही। पूर्वोत्तर क्षेत्र में पृथकवादी ग्रौर ग्रलगाववादी तत्व चिन्ता-जनक रूप से कार्यवाही कर रहे हैं। सारे मामले की पूरी जांच करने की ग्रावश्यकता है। **

इसलिए मैं सरकार से यह ग्राग्रह करूंगा कि इस कार्य की पूरी ग्रौर तत्काल जांच करवाएं ग्रौर ग्रगले सप्ताह के दौरान सदन में इस बारे में एक वक्तव्य दें। पिछली बार भी ग्रापने मुझे रोका था ग्रौर इस बार भी ग्रापने वैसा ही किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं किसी पर भी आपत्ति नहीं करता।

श्री ग्रार० के० महालगी : तब ग्राप मेरे वक्तव्य देने पर ग्रापत्ति क्यों कर रहे हैं। मुझे यही शिकायत है।

श्री निरेन घोष (दमदम) : मैं चाहता हूं कि ग्रगले सप्ताह के वाद-विवाद में ग्रसम को शामिल किया जाए क्योंकि जो भी वक्तव्य दिया गया है उसे सुन्दर ढ़ंग से ग्रस्पष्ट बनाया गया है। मुझे विश्वास नहीं है कि ग्रल्पसख्यकों के ग्रधिकारों की रक्षा की जाएगी ग्रौर विच्छेदन वर्ष, वर्ष 1971, जिस पर लगभग ग्राम सहमति हो गई थी को भी माना जाएगा या नहीं।

यदि ऐसा हुग्रा तो इसके भयंकर परिणाम होंगे। बिना ग्रधिक विस्तार में गये हमें स बारे में कुछ चर्चा करनी चाहिए।

दूसरे, हमारे देश के सैनिक ढांचे के बारे में ग्राम वाद-विवाद होना चाहिए क्योंकि ब तक तथाकथित सैनिक नस्लें हैं ; राजपूत रेजीमेंट, डोगरा रेजीमेंट, यह रेजीमेंट ग्रौर वह रेजीमेंट हैं। यदि इन रेजीमेंटों को वरकरार रखा जाना है तो ग्रन्य राज्यों के नामों पर भी नये रेजीमेंट बनाए जाने चाहिए ग्रन्यथा यह पक्षपातपूर्ण होगा। कम से कम 22-30 प्रतिशत भर्ती देश के एक विशेष भाग पंजाब, हरियाणा ग्रौर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होती है। यह देश की राष्ट्रीय एकता के प्रतिकूल है। इस बारे में बहस होनी चाहिए।

इसके बाद झाड़खण्ड ग्रान्दोलन के बारे में बहस होनी चाहिए क्योंकि यदि इस आंदोलन के जनतांत्रिक तत्व को नहीं देखा जाएगा तो यह दूसरे ग्रसम में बदल सकता है। बिहार राज्य के भीतर क्षेत्रीय स्वायत्तता या ऐसी कोई चीज होनी चाहिए ताकि उनके ग्रधिकारों की रक्षा हो सके।

बेरोजगारी की समस्या भयंकर रूप ले रही है। यह ग्रब भी जारी है। वे दस वर्ष चाहते थे। यह ग्रभी भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस समस्या को सुलझाने के लिए नीति निर्देशक सिद्धान्त ग्रादि भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यह उपहासास्पद है। इसका विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

इसके बाद हमारी 90 प्रतिशत जनता के उपभोग के लिए दस ग्रथवा बारह सामान्य उपभोक्ता वस्तुएं हैं ग्रौर काफी समय पहले श्री मोहन धारिया ने इसी बात पर त्यागपत्र दे दिया था, एक मन्त्री के रूप में उन्होंने इसको क्रियान्वित करने का प्रयास किया था ग्रौर उसके लिए

**ग्रध्यक्षपीठ के ग्रादेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

कुछ योजनायें बनाई थीं। वर्तमान शासन में तो ऐसा आभास होता है कि इसे ताक पर रख दिया गया है। इसमें कम से कम 16 करोड़ की जनता पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है; पूरे देश में उचित दर की दुकानों के माध्यम से समान मूल्य होने ही चाहिए।

खाद्य स्थिति पर भी विचार अवश्य किया जाना चाहिए।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : डिप्टी स्पीकर साहब, यह बेकवर्डक्लासिज की जो प्रोब्लम है यह बहुत लम्बे अर्से से है और इसको बराबर टाला जा रहा है। रिजर्वेशन के बारे में संविधान के अनुच्छेद 15 (4) और 16 (4) में जो प्रावधान है उसके मुताबिक रिजर्वेशन की समस्या पर, बेकवर्डक्लासिज की समस्या पर यहां पर चर्चा होनी चाहिए और इस बारे में कोई व्यवस्था होनी चाहिए।

इस के अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनोरिटी करेक्टर बहाल करने में भी बहुत बड़ा विलम्ब हो चुका है। इस के बारे में भी हमें कोई व्यवस्था जल्दी ही करनी चाहिए। उस पर जल्दी से जल्दी यहां डिसकस कर के उसको माइनोरिटी करेक्टर देना चाहिए।

पुलिस के बढ़ते हुए अत्याचार, औरतों और हरिजनों पर होने वाले अत्याचार बराबर बढ़ रहे हैं जिनमें कोई कमी नहीं आ रही है। उनके बारे में सारे देश की, इस लोक सभा पर, इस सदन पर निगाह है कि इनको कैसे रोका जाता है। पूरा भारत इनको देख रहा है लेकिन हम उनका कोई समाधान नहीं कर पा रहे हैं। अखबारों को या उनकी आवाज को दबा देने से इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकलेगा। इनका समाधान निकलना चाहिए और इन पर चर्चा होनी चाहिए।

मुझे यह भी कहना है कि न्याय व्यवस्था के प्रति लोगों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। लिटिगेशंस में ही प्रोब्लम नहीं आ रही है बल्कि लोग यह समझ रहे हैं कि हमें सही तरीके से न्याय नहीं मिल सकता है। विशेष रूप से इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो व्यवस्था है उसके बारे में भी मैं कहना चाहता हूँ कि वहां पर जातिवाद, कास्टिज्म चल रहा है। जिस तरह से वहां पर यतीमखाना चल रहा है उस पर भी कोई चर्चा होनी चाहिए।

बाढ़ से भी लोग पीड़ित हैं; मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि बाढ़ों में या फ्लड्स में जो नाविक, मल्लाह काम करते हैं, जो करोड़ों और लाखों लोगों के जीवन को नावों से बचाते है और लोगों को जीवन दान देते हैं उनकी एक सेना बननी चाहिए।

इस के अलावा देश में बढ़ती हुई समस्याओं को ले कर के, महिलाओं पर अत्याचारों को ले कर के माननीय राज नारायण जी तीन अगस्त से भूख हड़ताल करने जा रहे हैं। इस पर भी देश का ध्यान जा रहा है। इस समस्या पर विशेष रूप से अगले सप्ताह चर्चा और विचार होना चाहिए।

मैं यह भी कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट सर्विस में लोगों की जिन्दगी के साथ मजाक हो रहा है। दो-दो, तीन-तीन सालों तक लोग टेम्परेरी रखे जाते हैं और पैसा ले कर के रखे जाते हैं। इलाहाबाद में और दूसरी जगहों पर एक मेहतर, स्वीपर की नौकरी पर भी दो-दो हजार रुपया रिश्वत का लेकर के लोग रखे जाते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि हिन्दुस्तान में जहां कहीं भी चाहे गवर्नमेंट सर्विस में या कारखानों में भी लोग नौकरी पर रखे जाए उन्हें पहले दिन से ही परमानेंट

कर देना चाहिए। अगर किसी का काम ठीक न पाया जाए तो उसे नौकरी से अलग कर दिया जाए। इससे एक बहुत बड़ी समस्या का हल हो जाएगा।

आजकल स्कूलों में दाखिले की सब से बड़ी समस्या पैदा हो गयी है। बच्चे दाखिलों के लिए घूम रहे हैं। दाखिलों में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और जातिवाद बढ़ गया है और सारी चीजें बढ गई हैं। एक तरफ विद्यार्थियों के दाखिले की समस्या है, दूसरी तरफ अस्पतालों के हमारे डाक्टरों की समस्या है जो कि हड़ताल पर हैं। डाक्टरों की जो हड़ताल चल रही है उससे लोगों का जनजीवन संकट में है, लोग बहुत ही परेशान हैं। सैकड़ों मरीजों को दाखिला और इलाज नहीं मिल रहा है। इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। ये ही बातें कहते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री विजय-कुमार यादव (नालन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तीन आइटम्स के बारे में कहना है कि इन पर अगले सप्ताह विचार किया जाए।

पहली आइटम है कि 30 लाख बीड़ी मजदूर पूरे देश में हैं। इनका यूनिफार्म वेतन नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : "बीड़ी मजदूरों" के विषय में कुछ विधान बनाया जा रहा है।

श्री विजय कुमार यादव : जहां कहीं भी मिनिमम वेजिज हैं वहां पर महिलाओं को मिनिमम वेज नहीं मिलता है। जितना वेतन मर्द को मिलता है उसका एक-तिहाई वेतन ही महिला को मिलता है। दूसरी बात यह है कि कई सूबों में कई वर्षों से मिनिमम वेज का फिक्सेसन नहीं हुआ है। किसी भी राज्य में बीड़ी मजदूरों को बोनस नहीं दिया जाता है। बीड़ी मजदूरों को कार्ड नहीं दिया जाता है। उनका वेल्फेयर फण्ड भी एडीक्वेट नहीं है जिससे कि उनके रहने के मकान का, मेडिकल फेसिलिटीज और स्कालरशिप का मामला तय हो सके। उनकी पेंशन की भी कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए बीड़ी मजदूरों की कंडीशंस पर और उनके उपायों पर भी विचार होना चाहिए।

अनएम्प्लाएमेंट के बारे में हमारे साथी ने सवाल कर दिया है इसलिए इस बारे में मैं नहीं कहना चाहता।

आखिरी बात यह है कि पूरे मुल्क में करप्शन बहुत बडे पैमाने पर फैला हुआ है। यह टाप टू बोटम, नीचे से ले कर ऊपर तक फैला हुआ है। यह करप्शन अफसरों तक ही नहीं है कहीं कहीं मिनिस्टरों के अन्दर भी है। यह समाज का एक बहुत बड़ा कोढ़ है। इसको भी अगले सप्ताह के एजेण्डे में जोड़ा जाए।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते (बम्बई उत्तर मध्य) : मेरी प्रार्थना है कि आने वाले सप्ताह में तीन आइटम्ज जो मैं बताने जा रही हूं उन पर डिसकशन करने का हम को अवसर दिया जाना चाहिये।

दिल्ली से ले कर सभी जगह दूर दूर तक आज जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वह बिल्कुल ठप्प हो गया है। लोगों को चीनी नहीं मिल रही है और जो चीजें मिलती हैं बहुत ही गन्दी मिलती हैं। बम्बई में 1974 में हम लोगों ने कचरा तुला आन्दोलन चलाया था। क्या आप चाहते हैं कि उसी तरह का आन्दोलन यहां भी चलाया जाए? वैसी परिस्थितियां शायद हमारे

देश में पैदा हो गई हैं। आज दिल्ली में गेहूं बहुत ही गन्दा मिल रहा है। मुझे भी गेहूं और चीनी बहुत ही गन्दी राशन में मिली है। आज चीनी खुले बाजार में नौ रुपये किलो लोगों को लेनी पड़ रही है। प्रान्तों में किसान आन्दोलन हो रहे हैं। कर्नाटक में कितने ही लोग जो आन्दोलन वहां चल रहा है उस में घायल हो गए हैं और कुछ मारे भी गए हैं। इस वास्ते मैं चाहती हूं कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर चर्चा करने का मौका हम को दिया जाना चाहिये।

फरीदाबाद में बैंगल फैक्ट्रीज को कोयला नहीं मिल रहा है इसलिए वहां इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं और फैक्ट्रियां बन्द हो गई हैं। एक प्रोप्राइटर जिस को एमरजेंसी में मीसा के अन्दर गिरफ्तार किया गया था कोल की ब्लैकमार्किटिंग करने के लिए या दूसरी करप्शन के लिए उसको 88 वैगन कोयला दे दिया गया है और पचास प्रतिशत उसकी मांग का उसको और मिल जाने की सम्भावना है। लेकिन बाकी फैक्ट्री वालों को नहीं मिला है और उन में काम करने वाले मजदूर बेरोजगार है। इस पर भी बहस करने का मौका मिलना चाहिये।

नागपुर में वैस्टर्न कोल फील्ड्स में स्ट्राइक चल रही है। वहां कोयले का प्रोडक्शन गिर रहा है। वहां करप्शन है। इनक्वायरी इस्टीट्यूट की गई है। उसके बारे में भी चर्चा का मौका दिया जाना चाहिये।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जो दो बातें मैंने आपको लिखी थी उनकी अविलम्बनीयता का उल्लेख दो सदस्यों द्वारा पहले ही कर लिया गया है। महोदय, सदन तथा आप भी इस बात से सहमत होंगे कि जो अत्यावश्यक विषय है वह है आसाम की स्थिति के बारे में। गृह मंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया है, जहां तक समझौते के लिए शान्तिपूर्ण बातचीत पर जोर दिया गया है, मैं इस वक्तव्य का स्वागत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप महसूस करते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में आसाम समस्या पर विचार-विमर्श करना उपयुक्त है ?

श्री चित्त बसु : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे आपसे ऐसे उत्तर की आशा बिल्कुल नहीं थी।

श्री चित्त बसु : मैंने गृह मंत्री द्वारा आसाम के विषय में दिए गये वक्तव्य पर चर्चा करने की मांग का एक प्रस्ताव दिया हुआ है। चर्चा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह कहा गया है कि मणिपुर के मुख्य मंत्री श्री दोरेन्द्र सिंह तथा अखिल आसाम विद्यार्थी संगठन और गण संग्राम परिषद् के बीच कुछ समझौता हो गया है। मुझे सरकार से सम्बन्धित कुछ प्रमुख श्रोतों से पता चला है कि समझौते में एक यह बात भी सम्मिलित की गई है जिसमें लगभग यह तय किया गया है कि वर्ष 1961 को आधार वर्ष के रूप में लिया जाना चाहिए जिससे कि लगभग 30 लाख भाषाई अल्प संख्यक अथवा धार्मिक अल्पसंख्यकों को मताधिकार से वंचित होना अथवा राज्य से बाहर जाना पड़ेगा। इसलिए यह राष्ट्र के लिए एक बड़ी समस्या हो जाएगी। यह देश की एकता और अखण्डता के लिए खतरा पैदा कर देगा। इसलिए इन सब सम्भाव्यताओं को देखते हुए जो कि आसाम और दूसरी जगहों की जनता के दिलों में काफी परेशानियां तथा विवाद पैदा कर सकती हैं, मैं समझता हूं कि समझौते के लिए विचार-विमर्श

का एक व्यापक सूत्र तैयार करना आवश्यक है ताकि उस सूत्र के परिणामों से उत्पन्न स्थिति को लोग समझ सकें।

दूसरे में मैं कहना चाहता हूँ कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली लगभग ठप्प हो गई है। कठोर शब्दों के प्रयोग के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत सरकार को लिखा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जो चावल और अन्य उपभोक्ता वस्तुएं दी जा रही थीं वे लगभग बन्द कर दी गई हैं। इसलिए मैं इसे आपके ध्यान में ला रहा हूं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक ऐसे समय में ठप्प सी हो गई है जबकि चावलों के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। सरकार कीमतों को कम करने की इच्छुक है। माननीय वित्त मंत्री जी ने भी इस आशय का एक वक्तव्य दिया है। नागरिक पूर्ति मंत्री ने भी दूसरे सदन में एक वक्तव्य दिया है कि उनका वर्तमान कानून की कमियों को दूर करने के लिए कानूनों में कुछ संशोधन करने का विचार है। दूसरी ओर सरकार कीमतों में कमी करने के लिए इच्छुक है और इसके लिए उनके पास कुछ प्रस्ताव भी आ गये हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली लगभग ठप्प होने की स्थिति में हैं। इसलिए यह भी जनता के हित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इन दो विशिष्ठ मामलों को कार्यवाही सूची में सम्मिलित करने की बात मान जायेंगे।

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि अगले सप्ताह की कार्य-सूची में बाढ़ पर बहस को शामिल किया जाये। आज बाढ़ से आसाम, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल और कई अन्य राज्य प्रभावित हैं। यह निर्विवाद बात है कि बाढ़ की स्थिति पर लोक सभा में बहस होनी चाहिए और इस विषय को कार्य-सूची में रखना चाहिए।

सरकार की ओर से गन्ने की कीमत का कोई ऐलान नहीं हुआ है। आप जानते हैं कि देश में चीनी का उत्पादन घटा है और यह समस्या बनी हुई है। गन्ने के किसानों को लाभकारी मूल्य मिल सकें, इसके लिए इस विषय पर लोक सभा में बहस होनी चाहिए।

जूट कारपोरेशन आफ़ इंडिया ने एक तरह से अपना काम बन्द कर दिया है और जूट पैदा करने वाले किसानों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में राज्य सभा में बहस हुई है। हम चाहेंगे कि लोक सभा में भी जूट कारपोरेशन के फ़ंक्शनिंग पर बहस हो, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि जूट कारपोरेशन क्यों नहीं जूट खरीद रही है, जिससे किसानों को लाभ हो सके।

उत्तर प्रदेश में पदरौना का बांध टूट गया है, जिससे उत्तर प्रदेश में देवरिया ही नहीं, बल्कि बिहार के पूर्वी और पश्चिमी चम्पारण जिले प्रभावित हुए हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि यह बांध क्यों टूटा, इस पर इस सदन में बहस होनी चाहिए।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : मैंने बोनस का विशेष उल्लेख किया है। मेरे साथी ने भी इसका उल्लेख किया है। हमने समाचार पत्रों में एक समाचार देखा है और हमें डर है कि सरकार की बोनस को तदर्थ आधार पर थोड़ा-थोड़ा करके देने की योजना है। सरकार इस समय बहुमत में है। इस समय कोई तदर्थ सरकार नहीं है। उन्हें त्यौहारों से पूर्व ही उचित आधार पर एक बोनस नीति बनानी चाहिए और न कि तदर्थ रूप में।

18 जून 1980 को, जब वित्त मंत्री ने अपना बजट प्रस्ताव सभा पटल पर रखा तब सरकारी ओर से मेजों को थप-थपाकर उसका स्वागत किया गया। परन्तु जरा कर्नाटक की स्थिति तो देखिए जहां कि मूल्य-वृद्धि पर एक आन्दोलन चलाया जा रहा है जिसमें दर्जनों व्यक्ति मारे जा चुके हैं। मैं इस पर सदन में चर्चा करना चाहता हूँ।

अमरीकी सरकार आणुविक ईंधन को देने में असफल रही है। यह बात प्रोफेसर दंडवते द्वारा पहले ही उठा ली गई है। इसलिए मुझे इसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

सियालदाह मण्डल में रेल गाड़ियों की सेवा बहुत ही अनियमित है। वहां रोज ही मार-पीट हो रही है। गाड़ियां ठीक समय पर नहीं चल रही हैं। महोदय, यह आपके मद्रास में नहीं हो रहा है अपितु यह कलकत्ता में हो रहा है। केवल सियालदाह से ही पांच लाख व्यक्ति रोज आते और जाते हैं। विशेष रूप से सियालदाह और हावड़ा स्टेशनों पर हमेशा ही लाठी चार्ज हो रहा है तथा आंसू गैस का प्रयोग किया जा रहा है। इस स्थिति पर अवश्य ही चर्चा की जानी चाहिए।

हमने ऐसे समाचार पढ़े हैं कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस (आई) पार्टी ने यह शपथ खाई है कि 9 अगस्त से वे पश्चिम बंगाल से वाम-पन्थी सरकार को हटाने की मांग करते हुए एक आन्दोलन करेंगे। 9 अगस्त 1942, को महात्मा गांधी जी ने "भारत छोड़ो" आन्दोलन का आह्वान किया था। 9 अगस्त को पश्चिम बंगाल के कांग्रेस (आई०) के अध्यक्ष श्री अजित पंजा ने "वामपन्थी सरकार बंगाल छोड़ो" का नारा लगाया है। मुझे इस बात की आशंका है कि क्या श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व वाली भारत सरकार इस प्रकार के आन्दोलन को चलते रहने की अनुमति देगी ? यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है और इस पर चर्चा अवश्य होनी चाहिए।

अन्त में, एक अमरीकी फर्म मैकडोनल डगलस द्वारा भारतीय अधिकारियों को खरीदने के लिए भारत में कथित 1000 डौलर की अवैध अदायगी जिससे कि वे अपने हवाई जहाजों को बेच सके के विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार आया है। मैं चाहता हूं कि हमारी चर्चा में इसको भी स्थान दिया जाना चाहिए। अमरीकी साम्राज्यवादियों की बहुत जोर की महत्वाकांक्षा है। वे हमारे अधिकारियों को खरीदने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वे अपने जहाजों को बेच सकें।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : हमारे उपाध्यक्ष महोदय एक बहुत ही सुन्दर तथा हंसमुख व्यक्ति हैं जो सदन को प्रसन्नचित्त बनाये रखते हैं।

एक माननीय सदस्य : वे आप पर एक दोषारोपण कर रहे हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : वे आपकी प्रशंसा कर रहे हैं।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : वे स्नेहसिक्त हैं, बहुत ही सुन्दर हैं, सदैव हंसमुख रहते हैं तथा हास परिहास वाले व्यक्ति हैं। मैं सदस्यों द्वारा जो बातें उठाई गई हैं उन्हें विभिन्न सम्बन्धित मंत्रालयों तक पहुंचा दूंगा।

कार्य मंत्रणा समिति

सातवां प्रतिवेदन

श्री पी वेंकट सुब्बया : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्यमंत्रणा समिति के सातवें प्रतिवेदन से जो 31 जुलाई 1980 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है" ।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मैंने संशोधन के लिए नोटिस दे रखा है, मैं प्रस्ताव करता हूं :

(एक) "कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : कि प्रतिवेदन में युवकों की लगातार बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या तथा बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था किए जाने के प्रश्न पर चर्चा करने के लिए कोई समय नहीं रखा गया हैं;

(दो) कि प्रतिवेदन में छठी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किये जाने वाले विचारों पर चर्चा करने के लिए कोई समय नहीं दिया गया है;

(तीन) सभा प्रतिवेदन से असहमति प्रकट करती है और उसे पुर्नविचार किये जाने के लिए समिति को पुनः भेजती है" । जैसेकि माननीय मंत्री जी जानते हैं इस प्रश्न को पहले भी कई बार उठाया जा चुका है । मैं कहना चाहूंगा कि सरकार तथा सदन दोनों को ही इस समस्या को गम्भीर रूप में लेना चाहिए क्योंकि सम्पूर्ण देश की नौजवान पीढ़ी में पहले ही असन्तोष व्याप्त हो चुका है । 150 लाख शिक्षित नवयुवक रोजगार कार्यालयों में पहले से ही पंजीकृत हैं । हमारे कई लड़के तथा लड़कियां जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के गांवों में रह रहे हैं तथा जो समाज के कमजोर वर्गों के हैं, यह भी नहीं जानते हैं कि किस प्रकार से रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण कराया जाता है । इसलिए मेरा अनुमान तो यह है कि शिक्षित बेरोजगारों की संख्या यदि अधिक नहीं तो लगभग 200 लाख अवश्य है । यदि हम देश के अशिक्षित लोगों को भी इसमें लेते हैं तो यह संख्या 1,000 लाख तक पहुँच सकती है । यह एक बहुत ही गम्भीर स्थिति है ।

आजकल के जमाने में अधिकांश देश, और यहां तक कि विकसित देश भी चाहे वे समाजवादी राष्ट्र हों अथवा पूंजीवादी हों, नवयुवकों की मांगों तथा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रभावी उपाय कर रहे हैं, अमरीका में बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है क्योंकि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है । समाजवादी देशों में अपनी सम्पूर्ण योजना क्रियाओं को फिर से नया रूप दे दिया है ताकि बेरोजगारी न रहने पावे, यूरोप में स्केन्डिनेवियन देशों जैसे अनेक देश बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं । ब्रिटेन में बेरोजगारी भत्ते के रूप में 1,200 रुपये से लेकर 1,800 रु० तक के बराबर राशि दी जा रही है ।

त्रिपुरा में क्या हो रहा है ? सारा ही आन्दोलन मूल रूप से एक आर्थिक आन्दोलन है और उसे जन जातीय युवकों द्वारा चलाया जा रहा हैं । आसाम में क्या हो रहा है ? पूरा

आन्दोलन नवयुवकों के हाथ में है, वहां की प्रमुख समस्या आर्थिक रूप से पिछड़ापन है, बेरोजगार नवयुवकों में असन्तोष फैलता जा रहा है क्योंकि उनके पास भविष्य के लिए कोई आशा नहीं है। इस सदन को इस प्रश्न पर गम्भीर रूप से विचार करना ही चाहिए और इस पर चर्चा की जानी चाहिए।

इस विषय पर मेरा गैर-सरकारी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। मैं चाहता हूँ कि इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

मेरा प्रस्ताव यह है कि सरकार को कम से कम 5 रु० प्रतिदिन के हिसाब से 150 रु० प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिए जाने के लिए अवश्य ही सहमत हो जाना चाहिए। यह कोई ऐसी बहुत बड़ी राशि नहीं है जिसका कि संकल्प में वास्तव में प्रस्ताव किया गया है और सरकार को सम्पूर्ण देश में लाखों नव युवकों को देने के लिए धन की व्यवस्था करनी ही चाहिए।

महोदय, आप अपने राज्य को ही ले लें। तमिलनाडु में आप जानते ही हैं कि लगभग प्रत्येक परिवार में बेरोजगार युवक हैं। शासक दल ने, मैं समझता हूं, लगभग दस वर्ष पूर्व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया था... यदि मैं भूला नहीं हूं तो यह पटना के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र की बात है कि प्रत्येक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार दिया जायेगा और इस देश में तो लाखों परिवार ऐसे हैं जिनका कि एक भी सदस्य रोजगार पर नहीं लगा है। यह एक गम्भीर स्थिति है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि यह सदन इस पर चर्चा करे।

दूसरे, योजना का प्रश्न है। अब योजनाएं बन कहां रही है ? मैं जानना चाहूंगा कि छठी पंचवर्षीय योजना कहां है ? योजना मंत्री बिना योजना के बैठे हैं। आखिर यह देश बिना किसी प्रकार की योजना के इस प्रकार की ढुल-मुल नीति से कितने समय तक चलता रहेगा। मेरे विचार से इस देश में योजना को विदा कर दिया गया है। यह एक गम्भीर स्थिति है। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने यह विचार व्यक्त किया था कि जब तक हम योजनाबद्ध अर्थ व्यवस्था के अनुरूप नहीं चलते हैं तब तक भारत गरीबी और बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं कर सकता, तब तक भारत आधुनिक सुदृढ़ राष्ट्र नहीं बन सकता है। अब तो पूरी संकल्पना को ही ठोकर मार दी गई है। हम बिना किसी प्रकार की योजना के इधर-उधर भटक रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि प्रारूप को दिए जाने से पूर्व इस सदन को इस पर चर्चा करने का अवसर अवश्य ही मिलना चाहिए कि योजना में योजना को पुनर्स्थिति निर्धारण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों, सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार, आधारभूत उद्योगों, बेरोजगारी को समाप्त करने तथा कृषि और दूसरे कार्यों के लिए कितना-कितना धन निर्धारित करने के सम्बन्ध में किन-किन विचारों को शामिल किया जाय। महोदय, मैं समझता हूं कि इस पर इस सदन में चर्चा किये जाने की आवश्यकता है और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि केवल कल ही योजना मंत्री जी ने दूसरे सदन अर्थात राज्य सभा में एक वक्तव्य दिया है कि 3100 लाख व्यक्ति गरीबी की सीमा रेखा से नीचे रह रहे हैं। अब इस संख्या में वृद्धि होती जा रही है और इसलिए मैं कहूंगा कि योजना पर चर्चा की जानी आवश्यक है। (व्यवधान) मेरा यही संशोधन है। श्री शर्मा इसलिए मैं संशोधन पर बोल रहा हूं।

इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस सदन को छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल किये जाने

वाले विचारों पर अवश्य ही चर्चा करनी चाहिए क्योंकि यही सबसे लम्बा सत्र है। यदि हम इस पर इस सत्र के समाप्त होने से पहले ही चर्चा कर लें तो वह और भी अच्छा होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक हो चुकी है। वित्त आयोग ने अपनी रिपार्ट प्रस्तुत कर दी है। इसलिए योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद् को भी सदस्यों के विचारों से अवगत होने दीजिए। जब वे इस सदन में चर्चा के लिए प्रारूप पेश करेंगे तो इन विचारों को भी ध्यान में रख लिया जायेगा इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री पी० वेंकटसुब्बैया : महोदय, श्री चन्द्रजीत यादव एक बहुत ही जानकार तथा अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं और वे कांग्रेस पार्टी के महा सचिव भी रह चुके हैं। वे समस्याओं तथा इन सभी अन्य बातों को अच्छी तरह से जानते हैं।

श्रीमन्, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक प्रत्येक सप्ताह होती है। इसमें सभी दलों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। उसमें कोई अलग मत होने का अवसर नहीं आया। व्यापक मतैक्य होता है। कल हमारी बैठक हुई थी और श्री चन्द्रजीत यादव का प्रतिनिधि भी इसमें उपस्थित था और हमने श्री धनिक लाल मंडल और श्री मधु दंडवते द्वारा पेश किये जाने वाले गैर-सरकारी संकल्प पर यथासम्भव काफी समय लगाया था। समय को ध्यान में रखते हुए इन सभी बातों पर विचार किया गया है। जो कुछ भी यह किया गया है यह सर्वसम्मति से किया गया है और इसमें किसी मतभेद के लिए कोई अवसर नहीं था। अतः मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वह इस पर जोर न दें और कार्य मंत्रणा समिति के इस प्रतिवेदन को स्वीकृत होने दें।

श्री चन्द्रजीत यादव : आपकी कार्य मंत्रणा समिति की दोबारा बैठक हो रही है जैसा कि मुझे माननीय अध्यक्ष महोदय ने बताया है। क्या आप उसमें इन बातों पर विचार करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह सदन चाहती है कि यह संशोधन वापस लिया जाये।

अनेक माननीय सदस्य । जी हां।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के सातवें प्रतिवेदन से जो 31 जुलाई, 1980 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद उस्मान आरिफ) : श्री पी०सी० सेठी की ओर से मैं प्रस्तावित करता हूं कि दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली किराया नियन्त्रण अधिनियम, 1958 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।

कर्ण पटह और कर्ण अस्थि (चिकित्सीय प्रयोजनों के लिये उपयोग का प्राधिकार) विधेयक

शिक्षा तथा स्वास्थ्य और समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मृत व्यक्तियों के कर्णों का चिकित्सीय प्रयोजन के लिये उपयोग का और उससे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मृत व्यक्तियों के कर्णों का चिकित्सीय प्रयोजन के लिए उपयोग का और उसमें सम्बन्धित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री बी० शंकरानन्द : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) विभागीय स्टाम्प विक्रेता संघ के प्रतिनिधियों द्वारा आमरण अनशन की धमकी देने का समाचार

श्री बापूसाहिब परुलेकर (रत्नगिरी) : देश में डाक तथा तार विभाग के विभागीय स्टाम्प विक्रेता कई वर्षों से मांग कर रहे हैं कि स्टाम्प विक्रेताओं को, जो एक स्वतंत्र संवर्ग है, पदोन्नति के कोई अवसर न होने के कारण 20 प्रतिशत पदोन्नतियाँ दी जाये जैसा कि अन्य सभी संवर्गों के सम्बन्ध में किया जाता है । स्टाम्प विक्रेताओं के संघ ने भी यह मांग की है कि उनके वेतनमानों में संशोधन करके इसे पोस्टल एसिस्टेंटों के बराबर कर दिया जाये, उनके समय में सुधार किया जाये और स्टाम्प विक्रेता संवर्ग की सीधी भर्ती की जाये । अधिकारियों ने उन्हें बार-बार यह कहा है कि उनकी समस्याएं हल की जायेंगी और उनकी मांग स्वीकार की जायेगी । चूंकि उनकी मांगें नहीं मानी गई थीं इसलिए संघ ने 11-11-79 से 14-11-79 तक विरोध के रूप में अनशन किया था और उस समय संघ को आश्वासन दिया गया था कि यह समस्या

निकट भविष्य में हल कर दी जायेगी। लेकिन खेद की बात है कि यह समस्या अभी तक हल नहीं हुई है।

चूंकि उनकी समस्याएं हल नहीं की गई, इसलिए उनके संघ ने अब संघ के प्रतिनिधियों को 4 अगस्त, 1980 से जी० पी० ओ०, बम्बई के सामने आमरण अनशन करने की अनुमति देने का निर्णय किया है। इसके अनुसार संघ ने दिनांक 15-7-80 के एक अभ्यावेदन द्वारा केन्द्रीय संचार मंत्री को सूचना दी थी।

इसलिए मैं केन्द्रीय संचार मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह शीघ्र ही बातचीत करके उनकी न्यायोचित मांगों के बारे में समझौता करें और संघ के प्रतिनिधियों द्वारा 4 अगस्त, 1980 से शुरू किए जाने वाले आमरण अनशन को रोकें।

(दो) बुरहानपुर से दिल्ली को केलों को रेल द्वारा परिवहन में विलम्ब के समाचार

श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर (खंडवा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर रेल मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :

बुरहानपुर, जो महाराष्ट्र के जलगांव जिले, केला उत्पादक क्षेत्र से लगता है, से रेल की वैगन (केले से भरी) दिल्ली जल्दी नहीं पहुँचती है। केले के किसानों को केला खराब होने से कम भाव मिलते हैं।

(तीन) तमिलनाडु की औषध निर्माता कम्पनियों को लेवी दर पर चीनी सप्लाई करने की आवश्यकता

श्री एस० ए० दोराई सेबस्तियन (करूर) : तमिलनाडु में औषध कम्पनियों द्वारा चीनी पर आधारित शर्बत तथा तरल पेय पदार्थों का उत्पादन बिल्कुल ठप्प हो गया है क्योंकि सरकार ने उन्हें लेवी दर पर चीनी सप्लाई नहीं की है। राज्य सरकार ने औषध एककों को अनुमति दी थी कि वे अन्तरिम व्यवस्था के रूप में 5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर से नागरिक पूर्ति निगम से चीनी लें। लेकिन निगम के पास चीनी का स्टाक उपलब्ध न होने के कारण इसे भी बन्द कर दिया गया है। औषध कम्पनियों के लिए खुले बाजार से 7.50 रुपए प्रति किलोग्राम पर चीनी खरीदना मुश्किल हो रहा है क्योंकि वे चीनी के मूल्य की वृद्धि के साथ फार्मूलेशनों के मूल्य में वृद्धि नहीं कर सकते हैं। तमिलनाडु औषध उद्योग को प्रति माह 2800 बोरी चीनी की आवश्यकता होती है। चूंकि खुले बाजार में पिछले 3 महीनों में चीनी की कीमतें तिगुनी बढ़ गई है, ऐसी स्थिति में इन कम्पनियों के लिए यह फार्मूलेशन तैयार करना लाभप्रद नहीं रहा।

औषध उद्योग ने लेवी दर पर चीनी उपलब्ध करने के लिए केन्द्रीय सरकार को कई अभ्यावेदन दिये हैं। लेकिन केन्द्रीय सरकार ने अभी तक इन अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की है। मैं माननीय कृषि मंत्री से इस बारे में एक वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं।

(चार) राजस्थान के जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर स्टेशनों के कतिपय दल सेवाएं पुनः चालू करने की आवश्यकता

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, मैं नियम सं० 377 के अन्तर्गत निम्नलिखित विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :—

राजस्थान प्रान्त के सीमावर्ती क्षेत्र में बाड़मेर से जोधपुर, जोधपुर से बाड़मेर, जैसलमेर से जोधपुर और जोधपुर से जैसलमेर की रात्रि रेल सेवाओं को रेल्वे विभाग और रेल्वे बोर्ड द्वारा कोयले की कमी बताते हुए एक सप्ताह से बन्द किये जाने से बाड़मेर, जैसलमेर एवं जोधपुर जिले के मुसाफिरों को बड़े कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। उनके आवागमन में बड़ी बाधायें उपस्थित हो रही हैं।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें भी बहुत कम चलती हैं और रात्रि को बस सेवा नहीं चलती, जिसके कारण संकट दुगना हो गया है।

रेल्वे बोर्ड जब कभी कोयले की कमी होती है, इन्हीं रात्रि सेवाओं को बन्द करता है और इस प्रकार इन क्षेत्रों की बराबर अवहेलना की जा रही है, जिस के कारण बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों की जनता में घोर असंतोष है।

अतः रेलवे बोर्ड एवं रेलवे विभाग उपरोक्त वर्णित रात्रि सेवाओं को तुरन्त शुरू करे और आइन्दा कोयले की कमी होने पर भी इन पिछड़े सीमावर्ती क्षेत्रों की रेलवे सेवाओं को बन्द न करे।

(पांच) अखिल भारतीय कृषक संघ की गेहूं, धान, गन्ने आदि के मूल्यों में वृद्धि करने की मांग

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति जी, मैं नियम संख्या 377 के अन्तर्गत निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं।

भारतीय किसानों को तेंतीस वर्ष की आजादी के बाद भी कभी सूखे और कभी बाढ़ के प्रकोप का शिकार होना पड़ता है। जो किसान सम्पूर्ण देश का अन्नदाता हो, वही नाना प्रकार के अभावों का शिकार बने, यह अजीब विडम्बना है। आज किसानों की स्थिति सब से दयनीय है। कड़ी मेहनत के बाद वे जो अनाज और नकदी फसल पैदा करते हैं, पूंजीवादी लूट के चलते उन का उचित मूल्य उन्हें नहीं मिल पाता। दूसरी ओर वे जो औद्योगिक सामान खरीदते हैं उन्हें उन का अत्यधिक मूल्य चुकाना पड़ता है। इस प्रकार किसानों की दोहरी लूट जारी है। इधर खादों और डीज़ल के मूल्यों में वृद्धि कर सरकार ने उन्हें और भी पामाल कर दिया है।

गत वर्ष सूखे के चलते चार हजार करोड़ रुपये का नुकसान किसानों को हुआ है। कृषि एवं औद्योगिक सामानों की कीमतों के बीच खाई बढ़ जाने के फलस्वरूप किसानों को 5000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त नुकसान हुआ है। इसके अलावा बाजार में कपास, जूट, रबड़, कोको, काजू आदि नकदी फसलों की कृत्रिम कमी दिखा कर उन का आयात किया जा रहा है, जिस से किसान और भी लुट जायेंगे। जूट एवं कपास उत्पादक किसानों की मांग है कि उन के जमा स्टाक का निर्यात किया जाय।

उत्पादन लागत में वृद्धि को देखते हुए अखिल भारतीय किसान सभा ने मांग की है कि गेहूं का मूल्य 140 रु० क्विंटल, धान की कीमत 130 रु० क्विन्टल, गन्ने की कीमत 21 रु० क्विंटल, जूट व मूंगफली की कीमत 300 रु० क्विंटल, कपास की कीमत 500 रु० से 1000 रु० क्विंटल, तम्बाकू की कीमत 1000 रु० क्विंटल, आलू की कीमत 75 रु० क्विंटल, प्याज की कीमत 75 रु० से 100 रु० प्रति क्विंटल तथा नारियल की कीमत 1000 प्रति हजार निर्धारित की जाए।

अगर किसानों के प्रति सरकार की जरा भी हमदर्दी हो तो उसे इन मांगों को अविलम्ब स्वीकार कर लेना चाहिए।

(छः) राजस्थान में खरीफ की फसल को कीड़ा लगने से बचाने की आवश्यकता

श्री दौलत राम सारण (चुरू) : सभापति महोदय, मैं नियम सं० 377 के तेहत निम्न-लिखित अविलम्बनीय लोक-महत्व के प्रश्न की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :-

राजस्थान के चुरू, झुंझनु, सीकर, नागौर, जालोर, जयपुर आदि जिलों में कातरा और सफेद लट से खरीफ की फसल को भारी खतरा हो गया है। इन क्षेत्रों में गत वर्ष सूखे के कारण भयंकर अकाल था। कुछ स्थानों में गत दो वर्ष से कातरा फसल खा रहा है। किसानों की माली हालत बहुत खराब हो चुकी है। बड़ी मुश्किल से कर्ज ले कर काश्त की हुई फसल को कातरा और सफेद लट ने नष्ट करना शुरू कर दिया है। सरकार की ओर से इतने बड़े व्यापक क्षेत्र में फसल पर आये संकट से किसानों को बचाने के लिए कोई विशेष और उपयुक्त कारगर कदम दिखाई नहीं देते। इस से किसानों में बड़ी चिन्ता और भय का वातावरण है। इन क्षेत्रों के सार्व-जनिक कार्यकर्ताओं, विभिन्न संस्थाओं ने फसल को इन कीड़ों के विनाश से बचाने के लिए जोर-दार मांग की है और किसानों पर आये हुए संकट के प्रति चिन्ता जाहिर की है। अगर शीघ्र युद्धस्तर पर व्यवस्था नहीं की गई तो बोयी हुई फसल और बोई जाने वाली फसल कातरा और सफेद लट नष्ट कर देंगे। इससे किसान बर्बाद हो जाएगा। अन्न उत्पादन की भारी हानि होगी और पिछड़ा हुआ राजस्थान प्रदेश आर्थिक दृष्टि से और पिछड़ जाएगा।

अतः कृषि मन्त्री जी का इस गम्भीर संकट में विशेष व्यवस्था करके किसानों की फसल बचाने की ओर ध्यान आकृष्ट करता हूं।

(सात) रमजान और रक्षा बन्धन के त्यौहारों के लिए मध्य प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में चीनी, गेहूं आदि की सप्लाई

श्री सत्यनारायण जाटिया (उज्जैन) : सभापति महोदय, खुले बाजार में शक्कर और उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य तेजी से बढ़ रहे हैं। रमजान और रक्षा बन्धन के त्यौहारों के लिए शक्कर उपलब्ध कराना निहायत जरूरी है। मध्य प्रदेश में कन्ट्रोल की राशन की दुकानों से गेहूं का वितरण अनियमित हो रहा है। भारतीय खाद्य निगम के पास स्टाक की स्थिति दयनीय है। इस के कारण गरीब और मेहनतकश लोग परेशान हैं। खाद्य तेलों में मूंगफली का तेल 12 रुपये और सरसों का तेल 14 रुपये प्रति किलो की ऊंचाई को छू गया है। दालें और सब्जियां महंगी हो गयी हैं।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि रमजान और रक्षाबन्धन के त्योहारों पर अतिरिक्त शक्कर का कोटा स्वीकृत करें तथा मध्य प्रदेश की लापता 40 हजार मीट्रिक टन शक्कर का शीघ्र पता लगाकर पिछले बकाया के रूप में उपभोक्ताओं को सस्ते भाव पर उपलब्ध करावें तथा राशन की दुकानों पर निर्धारित मात्रा का खाद्यान्न दिया जाये जिस से बढ़ती हुई महंगाई से त्रस्त जनता को राहत मिले ।

(आठ) दक्षिणी राज्यों में पैदा की जाने वाली अच्छे किस्म की कपास के लिये लाभकारी मूल्य

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : सभापति महोदय, मैं एतत द्वारा माननीय कृषि मंत्री का ध्यान दक्षिणांचल स्थित कपास उत्पादन करने वाले किसानों के शोषण की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । उस क्षेत्र के किसान 'सुविन' नामक एक सर्वोत्तम किस्म की कपास काफी मात्रा में उत्पन्न करते हैं, परन्तु वे क्रेता कपास मिलों के सुनियोजित षडयंत्र का शिकार हो रहे हैं । विदित हुआ है कि इस षडयंत्र के परिणामस्वरूप केवल आन्ध्र प्रदेश एवं तमिलनाडू में ही 'सुविन' किस्म की क्रमशः लगभग दस हजार एवं चार हज़ार बेलस कपास किसानों के पास अभी तक पड़ी हुई है और उसका विक्रय नहीं हो पा रहा है । यह स्थिति जानबूझ कर इसलिये पैदा की जा रही है, जिससे किसान अपने उत्पादन को कम मूल्य पर बेचने के लिए बाध्य हो जायें । वर्तमान बाजार मूल्य पर इस की कीमत लगभग सात करोड़ रुपये हो सकती है ।

'सुविन' किस्म की कपास का जनन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के क्षेत्रीय केन्द्र कोयम्बटूर द्वारा किया गया था और 1972 से सफलतापूर्वक इसकी खेती की जाती रही है । यह भारत में सर्वोत्तम किस्म की कपास मानी जाती है । इसके जनन के उपलक्ष्य में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि वैज्ञानिकों को केन्द्रीय सरकार द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। इस कपास के रेशे गुणात्मक दृष्टि से सबसे अच्छे माने जाते हैं (मूल्य संबंधी विवाद उत्पन्न करके कुछ स्थानीय संगठन किसानों की दशा दयनीय बना रहे हैं । यह भी आशंका व्यक्त की गई है कि चन्द स्वार्थी तत्व इस उन्नतशील जाति की कपास के बीज का संग्रह करके सामान्य किसानों को इसके उत्पादन लाभ से वंचित करना चाहते हैं । यह और भी खेद का विषय है कि भारत में अभी तक कोई अधिकृत मूल्य निर्धारन संस्था नहीं है, जो उत्पादन व्यय एवं अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए इस कपास का विक्रय मूल्य निर्धारित कर सके जिससे किसान इस प्रकार के उत्पीड़न से मुक्ति पा सकें ।

मैं माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस संबंध में तत्काल वास्तविकता का पता लगाया जाये और समस्या का निदान निकाला जाये । किसान अनिश्चित वातावरण में अनुकूल प्रतिकूल वाह्ययावरण में कठिन परिश्रम करके अपनी उपज उत्पन्न करता है। उसकी गाढ़ी कमाई का उचित मूल्यांकन हो, यह सरकार का उत्तरदायित्व है । इन किसानों को समुचित मूल्य मिलने से कृषि वैज्ञानिकों को भी फसलों की उन्नतिशील जातियों के जनन में प्रोत्साहन मिलेगा। हमारे यहां भी कपास के मूल्य-निर्धारण के लिये एक अधिकारिक संस्था शीघ्र स्थापित हो । इस ओर भी माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान जाना चाहिये ।

(नौ) पंजाब के तरनतारन स्थित भारतीय खाद्य निगम गोदामों में उर्वरक से चावल के विषाक्त हो जाने का समाचार

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : माननीय सभापति जी, नियम 377 के अन्तर्गत मैं इस बहुत ही गंभीर प्रश्न की ओर माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

फरवरी, 1976 में भारतीय खाद्य निगम की ओर से 35 लाख रुपये से भी अधिक मूल्य का चावल पंजाब के तरनतारन गोदाम में रखा गया। चावल के साथ रासायनिक उर्वरक भी उसी गोदाम में रख दिया गया। किसी अधिकारी ने कुछ दिनों के बाद कहा कि खाद और चावल दोनों एक साथ एक ही गोदाम में रखना वैज्ञानिक सिद्धांतों के विपरीत है। इस चेतावनी को कई बार दोहराया गया और कहा गया कि उर्वरक को तत्काल इस गोदाम से निकाल कर बाहर कर देना चाहिये क्योंकि उर्वरक से उत्पन्न गर्मी के कारण चावल नष्ट हो जायेगा। इस सब के बावजूद जून, 1979 तक उर्वरक को उक्त गोदाम से नहीं निकाला गया। परिणामस्वरूप चावल पूरी तरह नष्ट हो गया है और वह मनुष्य के खाने योग्य नहीं रह गया है। इस प्रकार की रिपोर्ट चावल की वैज्ञानिक जांच करने के बाद प्राप्त हुई है। किन्तु पंजाब सरकार के अधिकारी अन्यत्र जांच करा कर उसे अच्छा चावल करार देना चाहते हैं। अत: भारत सरकार के कृषि मंत्रालय को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए जिस से विषैला चावल लोगों को खाने हेतु न दिया जा सके और अपराधियों को दंडित किया जाए।

(दस) राज्य सरकार की भाषा संबंधी नीति के विरुद्ध केरल में व्याप्त रोष के समाचार

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : श्रीमान्, केरल राज्य में गम्भीर स्थिति विद्यमान है। वहां पर सरकार की भाषा नीति के विरुद्ध व्यापक रूप से असंतोष है। मालापुरम की कलेक्टरेट पर शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने बिना किसी उत्तेजना की बात के गोली चलायी जिसके परिणामस्वरूप कुछ व्यक्ति मारे गये अन्य गम्भीर रूप से घायल हुए। मालापुरम, कोजीकोड़, त्रिचूर और अन्य कई जिलों में शिक्षण संस्थायें बन्द कर दी गई हैं।

बिगड़ती हुई स्थिति और सांवैधानिक तन्त्र की असफलता के मामले में केन्द्रीय सरकार द्वारा जांच किये जाने की आवश्यकता है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस बारे में पूरी तरह से जांच करे और सदन में एक वक्तव्य दे।

रेलवे अभिसमय समिति के बारे में संकल्प

सभापति महोदय : यहां पर दो रिजोल्युशन हैं, दोनों एक ही प्रकार के हैं, उन्हें साथ साथ ले लेते हैं।

रेल मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"(एक) कि यह सभा संकल्प करती है कि रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व में देय लाभांश की वर्तमान दर का तथा सामान्य वित्त की तुलना में रेल वित्त तथा अन्य संगत मामलों का पुनर्विलोकन करने तथा इस संबंध में सिफारिश करने के लिये इस सभा के 12 सदस्यों की एक संसदीय समिति नियुक्त की जाये जिसका नाम निर्देशन अध्यक्ष द्वारा किया जाये;

(दो) कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व में देय लाभांश की वर्तमान दर का तथा सामान्य वित्त की तुलना में रेल वित्त और अन्य संगत मामलों का पुनर्विलोकन करने तथा इस संबंध में सिफारिशें करने के लिये बनायी जाने वाली संसदीय समिति में राज्य सभा के 6 सदस्यों को

सम्मिलित करने के लिये सहमत हो और इस प्रकार नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नामों की सूचना इस सभा को दे।"

श्रीमान्, जैसे कि आपको पता है रेलवे वित्त के सामान्य राजस्व से अलग किये जाने के बाद से सामान्य राजस्व और रेल वित्त के बीच पारस्परिक सम्बद्धता क्रमिक रेलवे अभिसमय समितियों की सिफारिशों के आधार पर विनियमित हुई है।

इन समितियों के सम्मुख प्रमुख कार्य सामान्य राजस्व द्वारा रेल उपक्रम को उपलब्ध कराई गई पूंजी पर, कुछ निर्धारित राहतों के अध्यधीन रहते हुए, रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर की सिफारिशें करना रहा है। 1979-80 की अवधि से आगे के लिये विधिवत् स्वीकृत सिफ़ारिशें नहीं थीं, क्योंकि अगस्त, 1979 में लोक सभा के विघटन के साथ-साथ 1977 की समिति पदासीन नहीं रही थी, अतः 1980-81 के लिये बजट उसी आधार पर तैयार किया गया जिसकी कि समिति ने वर्ष 1979-80 के लिये सिफारिश की थी और संसद ने उस की स्वीकृति दी थी। इसलिये अब यह आवश्यक हो गया है कि एक नई रेलवे अभिसमय समिति की शीघ्र स्थापना की जाए जो कि सम्पूर्ण छठी पंचवर्षीय योजनावधि (1980-81 से 1984-85 तक) के लिये सामान्य राजस्व को देय लाभांश तथा अन्य आनुषंगिक मामलों के बारे में अपनी सिफारिश करें।

इस उद्देश्य के साथ मैं ये संकल्प सभा के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : श्रीमान्, मैं आशा करता हूं कि रेलवे विभाग के प्रभारी माननीय मंत्री महोदय मुझ से सहमत होंगे और इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनायेंगे। वह देश के वरिष्ठतम संसदविज्ञों में से एक है और इसलिये मैं ये बातें उनके सामने रखता हूं।

रेलवे अभिसमय समिति की स्थापना की जानी चाहिये क्योंकि यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है और इसके विचार-विमर्श रेलवे के लिये अत्यन्त उपयोगी हैं। लेकिन देश में हमारी रेलों की हालत जैसी कि इस समय स्थिति है और मंत्री महोदय इस बारे में अन्यों से अधिक जानते है, अत्यन्त असंतोषजनक है। रेलों की असंतोषजनक दशा का कारण इसका पुराना होना नहीं है अपितु इसका कारण लापरवाही और रेलवे विभाग की उदासीनता है। सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मैं सुझाव देता हूं—मैं रेल मंत्री, युवा उप रेल मंत्री और रेलवे के प्रभारी अन्य राज्य मंत्री को सलाह नहीं दे सकता—कि वे कृपया कभी स्थानीय रेलगाड़ियों के द्वितीय श्रेणी के डिब्बे में यात्रा करें और वास्तव में उन्हें तभी पता चलेगा कि रेलों में क्या हो रहा है। मुझे सियालदह डिवीजन में रेलों में दयनीय दशा का उल्लेख करना चाहिये। यदि कोई व्यक्ति सियालदह में लगभग शाम के पांच बजे अथवा छह बजे यात्रा करे जो उस क्षेत्र का नहीं हो तो वह व्यक्ति डिब्बों में चढ़ने वाले प्रतीक्षा कर रहे यात्रियों की संख्या और उतरने वाले यात्रियों की संख्या को देखकर घबरा जायेगा। जब रेलगाड़ी सियालदह अथवा हावड़ा में पहुंचती है तो गाड़ी से उतरने वाले और गाड़ी में चढ़ने वाले व्यक्तियों के बीच बहुत संघर्ष होता है। सियालदह से बोनगांव तक यात्रा करने में दम घुटता है। हमें जो आशंका थी वास्तव में वही हुआ है। गाड़ियां समय पर नहीं चलती है; घोषणायें होती है कि यह रेलगाड़ी प्लेटफार्म संख्या आठ की बजाए प्लेटफार्म संख्या सात पर आयेगी फिर लोग प्लेटफार्म संख्या 8 पर जाते हैं, रेलगाड़ियां चल नहीं रही, लाठी

प्रहार होते है, आंसू गैस छोड़ी जाती है और मारपीट की घटनाएं होती हैं। ऐसी घटनाएं प्रति-दिन होती हैं। मैं मंत्री महोदय से यह सुनिश्चित करने के लिये अनुरोध करूंगा कि सियालदह और हावड़ा स्थिति में सुधार हो।

सभापति महोदय : श्री चौबे, क्या यह सब प्रासंगिक है ?

श्री नारायण चौबे : रेलवे संकटग्रस्त है। उनको अधिक धन की आवश्यकता है। सामान्य राजस्व में अंशदान देना हमारा कर्तव्य है परन्तु इस समय रेलवे की स्थिति ऐसी है कि सामान्य राजस्व में अंशदान देना हमारा कर्त्तव्य है परन्तु इस समय रेलवे की स्थिति ऐसी है कि हमें सामान्य राजस्व से रेलवे को अधिक धनराशि देने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय : मैं आप से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप प्रासंगिक बात कीजिये।

श्री नारायण चौबे : मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह खड़गपुर-भदरा सेक्शन की समस्याओं पर ध्यान दें। दक्षिण पूर्व रेलवे का यह सबसे अधिक उपेक्षित सेक्शन है। इस सेक्शन पर कम से कम एक तेज गाड़ी, एक एक्सप्रेस गाड़ी चलाई जानी चाहिये। मैंने संसद में एक प्रश्न उठाया था और उसका उत्तर नकारात्मक दिया गया था, वह हावड़ा-खड़गपुर सेक्शन के बारे में था। खड़गपुर एक सेक्शन है जहां चार दिशाओं से लाइनें आती हैं : मद्रास-खड़गपुर दोहरी लाइन ; खड़गपुर-बम्बई दोहरी लाइन ; खड़गपुर-गोमो दोहरी लाइन ; खड़गपुर की 6 लाइनें आती हैं परन्तु हावड़ा और खड़गपुर के बीच तीन तीन लाइनें हैं, पांसकुरा से हावड़ा तक एक और खड़गपुर से पांसकुरा तक केवल दो लाइनें। इस प्रकार खड़गपुर और पांसकुरा के बीच बाधा पड़ जाती है। इसलिये खड़गपुर और पांसपुरा के बीच तीसरी लाइन बनाई जानी चाहिये।

सभापति महोदय : मेरे विचार में यह प्रसंग से बिल्कुल भिन्न बातें हैं।

श्री नारायण चौबे : एक अन्य बात जिसकी ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि एक महीने या दो महीने अथवा चार महीने तक भी मार्ग में पड़ने वाले स्टेशनों पर रेक खड़े रखे जाते हैं ; वे खड़गपुर वर्कशाप में प्रवेश करने की प्रतीक्षा में रहते हैं ; खड़गपुर यार्ड में उनके लिये स्थान नहीं होता, अतः वे बालीचक, कुलगाचिया और बीरसिवपुर जैसे स्टेशनों पर खड़े रहते हैं और रेक्स में से सभी वस्तुएं चोरी चली जाती हैं। रेलवे सुरक्षा बल के लोगों की आलोचना की जाती है। आम लोगों का यह कहना है कि राहजनी करने वाले चोरों को लाभ पहुंचाने के लिये वे वहां पर खड़े रखे जाते हैं। इन बातों की जांच की जानी चाहिये। इसलिये खड़गपुर वर्कशाप में कैरिज शाप की क्षमता बढ़ाई जानी चाहिये। अन्यथा खड़गपुर वर्कशाप को जाने वाले सभी रेक और वैगन वर्कशाप के बाहर खड़े रहेंगे और रेक्स की सभी वस्तुएं चोरी चली जायेंगी।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसाकि हमारे माननीय रेल मंत्री ने कहा है, हमारे पास रेलवे में 8,000 भाप के इंजन हैं। भाप के इंजनों का उत्पादन बन्द हो गया है और भाप के इन्जनों के कलपुर्जों का उत्पादन भी बन्द हो गया है। दक्षिण पूर्वी रेलवे में एच० एम० तथा एच० एम० एस० भाप इंजनों के पी० ओ० एच० बनाने भी बन्द कर दिये गये हैं। परन्तु उनका

उपयोग किया जा रहा है। वह भयानक, अवैज्ञानिक व असुरक्षित व्यवस्था है। मेरा सुझाव यह है कि जब तक रेलवे में भाप इन्जनों का प्रचलन है, उनके फालतू पुर्जे बनाने का प्रयास करता रहना चाहिये जिससे पी० ओ० एच० तथा अन्य प्रकार की मरम्मत की जा सके। परन्तु इस प्रकार की व्यवस्था के बिना ही भाप के इन्जन लाइनों पर चल रहे हैं। यह दुर्घटनाओं का जोखिम उठाने वाली बात है। यह उचित नहीं है।

एक अन्य बात मैं रेलवे कालोनियों के बारे में कहना चाहता हूँ ....

सभापति महोदय : यदि आप इसी प्रकार चलते रहे ....

श्री नारायण चौबे : मैं दस मिनट में समाप्त कर दूंगा।

सभापति महोदय : यह बात नहीं है। यदि आप इसी प्रकार की बातें कहते रहे तो अन्य सदस्य कहेंगे कि मैंने इस पर आपत्ति क्यों नहीं की। आप प्रासंगिक बोलिये।

श्री नारायण चौबे : यह प्रासंगिक बात है। हमें अधिक धनराशि की आवश्यकता है।

सभापति महोदय : यह बिल्कुल भिन्न बात है।

श्री नारायण चौबे : महोदय रेलवे कालोनियों में घोर अव्यवस्था है। मैं खड़गपुर की बात करता हूं जो भारत में रेलवे कालोनियों में सबसे बड़ी है। वहाँ अराजकता है। कुछ धन उपलब्ध कराना चाहिये ताकि कुछ व्यवस्था की जा सके। सभापति महोदय, आप यह सुनकर चकित हो जायेंगे कि रेलवे कालोनी में पांच वर्ष तक नालियां साफ नहीं की गईं। यह स्थिति है। यदि इस मामले को उठाया जाता है तो वे कहते हैं कि धन उपलब्ध नहीं है। वे नालियां साफ करने के लिये नैमित्तिक श्रमिक नियुक्त नहीं कर सकते।

मैं एक अन्य बात कहना चाहूंगा। मुझे पता है कि माननीय रेल मंत्री रेलवे बोर्ड के विघटन पर सहमत नहीं होंगे। रेलवे बोर्ड रहे परन्तु वह कम से कम काम तो ठीक ढंग से करे। रेलवे बोर्ड में इतना अधिक विलम्ब होता है कि आदमी ऊब जाता है। रेल केन्द्रों से एक मामला महीनों तक पड़ा रहता है और उसका कोई उत्तर नहीं दिया जाता और यह खेद की बात है कि हमें सभी कामों के लिये माननीय रेल मंत्री या उप मंत्री अथवा राज्य मंत्री के पास जाना पड़ता है। इसका क्या कारण है? यह स्थिति रेलवे बोर्ड की असफलता और रेलवे बोर्ड में विलम्ब के कारण उत्पन्न होती है।

रेल मन्त्री ने रेल बजट पर बोलते हुए बताया है कि सेवा-निवृत्ति के तीन दिन के भीतर रेल कर्मचारी को अपना उपदान तथा पेंशन सम्बंधी लाभ मिल जायेंगे और उसकी पेंशन को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा। मुझे बताया गया है कि ऐसी बात नहीं है और मेरा अनुरोध है कि इस मामले की जांच की जानी चाहिये।

एक अन्य बात मैं चिकित्सा अधिकारियों के बारे में कहना चाहता हूं। अन्य अधिकारियों की तुलना में रेलवे के चिकित्सा अधिकारियों को अनेक लाभों से वंचित रखा जाता है। यद्यपि अन्य अधिकारियों के वेतनमान दो या तीन बार पुनरीक्षित किये जा चुके हैं, रेलवे के चिकित्सा अधिकारियों के वेतनमानों में कोई फेर बदल नहीं किया गया और यद्यपि रेल मंत्री ने वचन दिया है कि इन मामलों की जांच की जायेगी और यह वचन फरवरी 1980 में

दिया गया था, परन्तु इनकी कोई जांच नहीं की गई। मेरा सुझाव है कि यह काम करना चाहिये। अन्त में मैं कहना चाहता हूं : आपको पता है कि लोको रनिंग स्टाफ ऐसोसिएशन के सदस्यों ने उत्तर रेलवे में स्वत: हड़ताल की थी। यहां पर माननीय रेल मन्त्री द्वारा हस्तक्षेप किये जाने पर हड़ताल समाप्त की गई थी और यद्यपि उन्होंने वचन दिया था कि लोको रनिंग स्टाफ ऐसोसिएशन के किसी भी सदस्य को तंग परेशान नहीं किया जायेगा, उन्हें अब भी तंग परेशान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मैं रेल मन्त्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्तियों को तंग परेशान किया गया है और अब भी किया जा रहा है जिनका लोको रनिंग विभाग के साथ अथवा हड़ताल के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। उन्हें सुनिश्चित करना चाहिये कि कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच अच्छे और मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हों और उनके द्वारा दिये गये सभी वचन पूरे किये जायें और ऐसे कर्मचारियों का उत्पीड़न समाप्त किया जाये जिनका हड़ताल के साथ कोई सम्बन्ध नहीं था। हड़ताल करने वाले कर्मचारियों के प्रति भी उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिये जैसाकि उन्होंने इस सभा में वचन दिया था।

इन शब्दों के साथ मैं उनके कथन का समर्थन करता हूं। रेलवे अभिसमय समिति का गठन किया जाना चाहिये और उनको काम करना चाहिये तथा रेल कर्मचारियों की भलाई करनी चाहिये। रेलवे को न केवल लाभांश देते रहना चाहिये बल्कि संकटग्रस्त रेलवे को 2-3 वर्ष तक सामान्य राजस्व में कुछ भी अंशदान नहीं करने देना चाहिये। बल्कि उनको सामान्य राजस्व से अधिक धन दिया जाना चाहिये ताकि वे स्वस्थ ढंग से काम कर सकें और राष्ट्र की उचित सेवा कर सके तथा लाभ अर्जित कर सके और हमें लाभांश का भुगतान कर सकें।

श्री कमलापति त्रिपाठी : आपका धन्यवाद।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : हम पंडित कमलापति त्रिपाठी के बहुत आभारी हैं जिनके नेतृत्व में रेलवे गत 6-7 महीनों से विभिन्न दिशाओं में काफी सुधार करने का प्रयत्न कर रहा है। मन्त्री महोदय ने कहा है कि रेलवे अभिसमय समिति इस बात पर ब्यौरेवार विचार करेगी कि रेलवे द्वारा लाभांश का भुगतान किस प्रकार किया जाना चाहिये। यहां पर मैं रेलवे के सामने आने वाली कठिनाइयों की ओर रेल मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं और उनकी जांच की जानी चाहिये।

हम सर्वप्रथम माल परिवहन पर विचार करेंगे। हम पहला यातायात का अनुमान लगाते हैं और फिर पूंजी निवेश करते हैं ताकि रेल डिब्बों की स्थिति में सुधार हो और लाइन की क्षमता बढ़े और यह सुनिश्चित करने के लिए पूंजी निवेश किया जाय कि माल जिसका अनुमान लगाया जाता है, ले जाया जाय। यहां मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि हम आंकड़ों पर विचार करें। वर्ष 1950-51 में माल परिवहन 995 लाख टन था। 1955-56 से वह 1140 लाख टन था और वर्ष 1960-61 में वह 1542 लाख टन तक पहुंच गया और वर्ष 1965-66 में वह 2030 लाख टन हो गया। वर्ष 1968-69 में वह बढ़कर 2040 लाख टन हो गया। वर्ष 1966-67 में वह 1966 लाख टन था।

महोदय, आपको पता चलेगा कि यदि हम अबंटन और वास्तविक स्थिति का विश्लेषण करे, जहां तक माल परिवहन का संबंध है, वह उपलब्धियों के अनुरूप नहीं है। आपको यह भी पता चलेगा कि पिछले-से-पिछले वर्ष माल परिवहन में 30 लाख टन की कमी हो गई थी।

मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि समिति इस बात की जांच करना चाहेगी कि हमारे पास जितने रेल डिब्बे हैं अथवा रेल लाइनों की क्षमता है, उसका पूरा उपयोग किया जाना चाहिये। हमारे पास जितनी रेल लाइन क्षमता अथवा रेल डिब्बे हैं हम माल परिवहन 2800 लाख टन से 2900 लाख टन तक ले जाने के सक्षम होना चाहिये। हम प्रति वर्ष अधिक-से-अधिक 2400-2450 लाख टन की ढुलाई कर पाते हैं। रेलवे में प्रतिवर्ष लगायेगा 600 करोड़ रुपये का पूंजीनिवेश किया जाता है। हम अधिक-से-अधिक धन देते हैं ताकि हमारे पास माल परिवहन हो जिससे हम अपनी लाइन क्षमता को बढ़ा सकें। जितनी भी उपलब्धियां हो रही हैं वे पूंजी निवेश की दृष्टि से पर्याप्त नहीं हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए रेलवे में अनावश्यक रूप से अधिक पूंजीनिवेश नहीं करना चाहिये। यदि हमारे पास 2800 से 2900 लाख टन माल की ढुलाई के लिए पर्याप्त रेल डिब्बे हैं और पर्याप्त लाइन क्षमता है तो हमें रेलवे में अधिक पूंजी लगाने की क्या आवश्यकता है ?

यह बात समझ में आती है कि हमें रेलवे में सुविधायें बढ़ानी होंगी। हमें युक्तिसंगत तरीके से विचार करना चाहिए ताकि हम सामान्य राजस्व से ऋण लेकर अनावश्यक रूप से रेलवे में न लगायें। विकास निधि व राजस्व आरक्षित निधि के अधीन रेलवे की सामान्य राजस्व को कर्जदारी 1973-74 के अन्त में 208.01 करोड़, वर्ष 1976-77 के अन्त में 462 करोड़ रुपये की हो गई ; वर्ष 1977-78 में यह 479 करोड़ रुपये तक पहुँच गई। अब समय आ गया है जब हमें सुनिश्चित करना होगा कि रेलवे अनावश्यक रूप से सामान्य राजस्व से ऋण न ले। ऋण बढ़ना ही नहीं जाना चाहिये। उनको अपने आंतरिक साधनों से पर्याप्त धन जुटाना चाहिये। हम अधिक-से-अधिक पूंजी लगाते चले जा रहे हैं। रेलवे में कुल पूंजीनिवेश 32,000 करोड़ रुपए का है। रेलवे सबसे बड़ा उपक्रम है।

श्री कमलापति त्रिपाठी : आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ब्याजदेय पूंजी 5,023.92 करोड़ रुपये हैं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मैं रेलवे में कुल पूंजीनिवेश के बारे में बोल रहा हूं। ब्याजदेय पूंजी रेलवे की आस्तियों में कुल पूंजी निवेश से भिन्न है।

श्री कमलापति त्रिपाठी : इस समय हमने सामान्य राजस्व में 4,136 करोड़ रुपये का अंशदान किया हुआ है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मुझे इसकी जानकारी है, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि इन सभी आस्तियों में कुल पूंजीनिवेश और ब्याजदेय पूंजी 000 करोड़ रुपये हैं। पूंजी अधिक लगाये जाने के कारण योजना प्रतियोजना ब्याजदेय पूंजी में भी वृद्धि होती जा रही है। हमें कोई सीमा निर्धारित करनी चाहिये। सन् 2000 तक हमें इस समस्या से निपटने के लिए कई नए कदम उठाने होंगे। मुझे इन सब बातों का पता है। हमने रेलवे मालभाड़ा जांच समिति प्रतिवेदन का भी अध्ययन किया है। उसका अध्ययन बहुत रुचिकर था। मैं मंत्री महोदय के समक्ष कहना चाहूंगा कि रेल यातायात टन-किलोमीटर के रूप में 5 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ता रहा है। परन्तु कुल मात्रा में परिवहन का भाग वर्ष 1950-51 में 81% से कम हो कर वर्ष 1960-61 में 72% रह गया है और इसके बाद वर्ष 1961 से वह लगभग 65-67 प्रतिशत तक स्थिर हो गया है। फिर आप समझ सकते हैं कि वर्ष 1950-51 से जब उसका भाग

81 प्रतिशत था बाद में 67 प्रतिशत हो गया है जो वर्ष 1961 के बाद से स्थिर हो गया है।

महोदय, मुझे रेलवे को अधिक धन देने से कभी भी कोई आपत्ति नहीं। मैं अधिक धन देने के पक्ष में हूं परन्तु चूंकि यह सबसे बड़ा उपक्रम हैं, इसकी वित्त व्यवस्था पर नज़र रखनी चाहिये। हमें पता है कि 700 किलोमीटर की औसत लीड पर सड़क परिवहन द्वारा लगभग 300 लाख टन माल की ढुलाई की जा रही है। महोदय, जब डीज़ल की गम्भीर समस्या है तो क्या हम सड़क परिवहन द्वारा 700 किलोमीटर दूरी तक कोयले की ढुलाई के बारे में सोच सकते हैं। सड़क परिवहन 60,70 या 100 किलोमीटर तक ढुलाई कर सकता है परन्तु इससे अधिक दूरी तक की जाने वाली ढुलाई की ज़िम्मेदारी रेलवे पर होनी चाहिये। इस पर विचार करना होगा। आजकल रेलवे के डीज़ल की खपत प्रति वर्ष लगभग 134 करोड़ रुपये की है। यह मज़ाक की बात नहीं है।

श्री कमलापति त्रिपाठी : समूची खपत का यह केवल 10 प्रतिशत है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : इंधन की लागत का यह 10 प्रतिशत है परन्तु इंधन का बिल बढ़ता जा रहा है।

श्री कमलापति त्रिपाठी : अन्य लोगों की खपत 90 प्रतिशत है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्योंकि रेलवे इस माल की ढुलाई करने में समर्थ नहीं है अतः इसकी ढुलाई सड़क परिवहन द्वारा की जा रही है और इसके परिणामस्वरूप सड़क परिवहन की डीजल की खपत अधिक है। अतः यदि रेलवे अधिनियम यातायात का भार संभाल ले तो सड़क परिवहन में डीज़ल की खपत कम हो जायेगी। इस मामले की जांच देने की आवश्यकता है।

महोदय, मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि रेलवे विभाग ने मितव्ययिता पर विचार किया है तथा अधिकाधिक विद्युतीकरण किया है किन्तु 1961 के बाद रेल विद्युतीकरण के कार्य में प्रगति कम हुई है। इसकी गणना की गई है कि इंजनों की प्रति किलो मीटर रखरखाव सम्बन्धी औसत लागत इस प्रकार है। स्टीम इंजन पर 3.016 रुपये लागत आती है, डीजल पर 1.23 से 2.04 रुपये और बिजली के इंजन पर 1.44 से 2.33 रुपये लागत आती हैं। डीजल की समस्या को ध्यान में रखते हुये तथा स्टीम इंजनों को समाप्त करने के निर्णय को देखते हुये हमें अधिक से अधिक विद्युतीकरण करना होगा। मैं इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि बिजली की खपत के मामले में हाल में रेलवे भाड़ा नाम समिति ने, जो उसकी काम करने के लिये नियुक्त की गई थी, यह कहा है कि बिजली की खपत के मामले में भी पूर्व रेलवे में बिजली की खपत केवल 31.3 कि० वा० है जबकि मध्य रेलवे में 43 कि० वा० खपत हैं। उन्होंने यह सुझाव दिया है कि बिजली की खपत में कमी की जानी चाहिये तथा 14 प्रतिशत से कम करके 10 प्रतिशत करनी चाहिये।

इसी प्रकार, दक्षिण-पूर्व रेलवे में लुब्रीकेटिंग तेल की खपत 1.33 लीटर है जबकि पूर्व रेलवे में यह सर्वाधिक हैं तथा 2.43 लीटर है। समिति ने सुझाव दिया है कि इसमें भी मितव्यायिता की जानी चाहिये। सुझाव यह है कि 14 प्रतिशत ईंधन लागत में इस प्रकार मितव्ययिता की जानी चाहिये कि यह कम होकर ईंधन लागत 10 प्रतिशत हो जायेगी। मंत्री महोदय ने सभा को अभी यह बताया है कि आगामी 20 वर्षों में रेलवे विभाग देश में बड़ी विकास योजनाएं

आरम्भ करेगा । रेलों की कार्यकुशलता बनाये रखने के लिये अधिकाधिक धनराशि की आवश्यकता है । उनका आधुनिकीकरण किया जाना है । हमें विभिन्न रेलवे जोनों में विद्यमान 'आपरेटिंग' अनुपात पर निर्णय करना है । पूर्व रेलवे जोन को छोड़कर सभी जोनों में यह 83 प्रतिशत से 97 प्रतिशत तक है। केवल पूर्व रेलवे जोन ही एक ऐसी जोन है जो लाभ पहुँचा रही है। अन्य रेलवे जोनों में 'आपरेटिंग' लागत अनुपात में वृद्धि हो रही है । 98 प्रतिशत आपरेटिंग लागत के साथ भारतीय रेलवे में कैसे विकास किया जा सकता है तथा विकास कार्य आरम्भ किया जा सकता है? अतः यह महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनकी जाँच की जाती है । यह सिद्धांत कि रेलवे विभाग सामान्य राजस्व से अधिकाधिक धनराशि उधार लेता रहे, अत्यधिक समय तक नहीं रहना चाहिये । रेलवे से स्वयं इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये कि उनकी आय में अधिकाधिक सुधार हो जिससे वे अपने विकास कार्यों का स्वयं वित्तपोषण कर सकें । कल न सही चाहे आगामी 10 वर्षों में हो सके किन्तु हमें इसमें बहुत से सुधारों की आशा है । सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा उपक्रम होने के नाते उन्हें सामान्य राजस्व में अधिकाधिक योगदान देना चाहिये । विश्व के अन्य देशों की रेलवे प्रणाली के साथ तुलना करने पर हमें ज्ञात होता है कि वे भी लाभप्रद नहीं है । किन्तु जहां तक हमारी रेलों का सम्बन्ध हैं उनके ऊपर भी सामाजिक दायित्व हैं । मैं रेलवे विभाग के कर्मचारियों और मजदूरों से बधाई देता हूं जो रेलों के कार्यकरण में सुधार करने का प्रयत्न कर रहे हैं । मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि उन्होंने इन सभी पहलुओं की ओर ध्यान दिया है तथा मुझे विश्वास है कि वह भारतीय रेलों के कार्यकरण में आई बाधाओं को दूर करेंगे तथा रेलवे के खर्च में अधिक से अधिक मितव्ययित तथा आगामी 10 वर्षों अथवा 18 वर्षों में कार्यकरण में सुधार करेंगे जिससे भारतीय रेलें अपनी आन्तरिक क्षमता पर अधिकाधिक विश्वास कर सकें । इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

श्री शिवकुमार सिंह ठाकुर (खंडवा) : सभापति जी, हमारे पूजनीय रेल मंत्री जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, मैं इसका समर्थन करता हूँ ।

माननीय सभापति जी, रेल द्वारा हमारे ट्रांसपोर्ट, हमारे यातायात और सारे हिन्दुस्तान को जोड़ने का जो काम हो रहा है, वह रेलों का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है । आज देश की करोड़ों रुपये की सम्पत्ति रेलों में लगी है, जो भारतीय जनता की सम्पत्ति है और उस से हम आय कमा रहे हैं । इसलिये जो आय रेल-उपक्रम कमा रहा है, जो लाभांश उसे मिल रहा है, उस में से सामान्य राजस्व को जो धन दिया जाना चाहिए, वह एक बहुत महत्वपूर्ण, सोच-समझकर और गंभीरता से जांच करके तय करने का प्रश्न है, इसके लिये आवश्यक है कि लोक सभा के 12 सदस्य और राज्य सभा के 6 सदस्य लिये जांय और वह समिति देखे कि जो लाभांश रेलवे ने प्राप्त किया है, वह बराबर लोगों की भलाई के लिये बांटा जा रहा है ।

मैं रेल मंत्री जी का अपनी ओर से बहुत आभारी हूं—हमारे यहां के केले के व्यवसायी और किसानों ने जो मांग की थी कि रेल्वे ने केले का जो फ्रेट बढ़ा दिया था, उसको वापस लिया जाय, उन्होंने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर के उसे फिर से विद्-ड्रो किया है । इस से किसानों को आगे बढ़ने का मौका मिला है ।

आज भी नियम 377 के अन्तर्गत मैंने यह प्रश्न उठाया है, और माननीय रेल मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि रेलवे वेगन जो आ रहे हैं वे काफी देर से दिल्ली में

पहुंचते हैं और उस की वजह से काफी केला किसानों का सड़ जाता है और हर वैगन में किसानों को, दो-तीन हजार रुपये का नुकसान होता है। एक वैगन में 10, 11 हजार रुपये के केले होते हैं और 120 वैगन रोज आते हैं। इस तरह से बुरहानपुर, जलगांव और भुसावल से जो केला आता हैं, वहां के किसानों को लगभग साढ़े तीन लाख और चार लाख रुपये का नुकसान हो रहा है। मैं आपके माध्यम से रेलवे मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे सम्बन्धित अधिकारियों को विशेष आदेश दें कि रेलवे के वैगन ठीक समय पर यहां पहुंचें। मैं आशा करता हूं कि इस तरह के निर्देश मंत्री जी अधिकारियों को देंगे।

एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज रेलवे को बिना टिकट यात्रा से काफी नुकसान हो रहा है। जहां देखो, जिधर देखो और चाहें किसी भी डिवीजन में देखों, आज यह एक तरह का फैशन हो गया है कि हमारे जो युवक कालेजों में पढ़ते हैं या जो कर्मचरी प्रशासन में सेवा करते हैं, ऐसा लगता है कि टिकट लेकर चलना उनको बुरा लगता है। वे बिना टिकट यात्रा करते हैं। उनके साथ आपको सख्ती से पेश आना चाहिए क्योंकि अगर आप खाली बिना टिकट यात्रा को ही कन्ट्रोल कर लेते हैं, तो उस से देश को काफी बड़े नुकसान से बचाया जा सकता है। मैं रेल मन्त्री जी से यह प्रार्थना करता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट्स के जो होम मिनिस्टर्स हैं, उनसे बात कर के उन को यह कहें कि वे ऐसे निर्देश दें कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए और रेलों में जो पिलफेरेज होता है, लीकेज होता है, उसको बन्द किया जाए।

एक बात और है। हमारे रेलवे के प्रतिष्ठान विदेशों में हैं। वे केवल नाम के लिए हैं और उन का कोई काम वहां पर नहीं है। मैं रेल मन्त्री जी से प्रार्थना करता हूं कि उन प्रतिष्ठानों को बन्द किया जाए और विदेशों में जो उन पर पैसा नष्ट हो रहा है, उस पर रोक लगाई जाए। एक बात यह भी है कि एक तरफ तो हमारे यहां वेगनों की शार्टेज है और दूसरी तरफ हम विदेशों को, लीबिया, सीरिया और ईरान को वेगन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह कहां का न्याय है। जब प्रश्न पूछते हैं कि उद्योग क्यों बन्द है तो कहा जाता है कि वेगनों की कमी है। इस तरह से हमारे यहां जो उद्योग है उनको वेगन नहीं मिलते हैं। सीमेंट भेजने के लिए वेगन नहीं मिल रहे हैं, कोयला भेजने के लिए वेगन नहीं मिल रहे हैं और दूसरे पदार्थों को भेजने के लिए वेगन नहीं मिल रहे हैं। हम जो नए सदस्य आये हैं, जो अभी यहां कुछ सीख रहे हैं, हमारी समझ में यह बात नहीं आती है कि एक तरफ तो हमारी यहां रेल वेगनों की शार्टेज है और दूसरी तरफ हम रेल वेगनों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए मेरा कहना है कि इन रेल वेगनों को बाहर एक्सपोर्ट करना बन्द किया जाए ताकि हम अपने यहां की आवश्यकता की पूर्ति कर पाएं। तो मैं यह सोचता हूँ कि आज जो तकलीफ है चाहे डिस्ट्रीब्यूशन की तकलीफ हो, चाहे कीमतें बढ़ने और महंगाई की तकलीफ हो, चाहे पेट्रोल और डीजल की शार्टेज की तकलीफ हो, रेलवे की वेगनों की कमी का उनमें एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर वेगनों की कमी दूर हो जाए, तो ये तकलीफें काफी हद तक दूर हो सकती हैं।

मैं रेल मन्त्री जी से खंडुवा से दोहद लाइन के लिए विनम्रतापूर्वक और आग्रहपूर्वक प्रार्थना करता हूं क्योंकि हम ने लोगों से इस के लिए वायदा किया था। जब हम नए नए चुन कर आए, तो हम ने बहुत जोरों से अपनी कांस्टीटुयेन्सी के लोगों से कहा था कि हम आपके यहां रेलवे लाइन लायेंगे। खंडुवा से दोहद रेलवे लाइन के लिए बराबर माँग होती रही है और मैं यह कहूंगा

कि कम से कम आप सर्वे इसका करा लें। मैं यह नहीं कहता कि इसको आप इस समय मंजूर कर दें लेकिन बजट में सर्वे के लिए तो प्रावधान कर दें क्योंकि खंडुवा, खारगोन और धार ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं और यहां पर फोरेस्ट प्रोड्यूस बहुत होती है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं, मिनरल्स हैं और इस के साथ ही साथ आपकी नर्मदा योजना भी है, नर्मदा वेल्ट में करोड़ों रुपयों का इस्पात और सीमेंट लाने के लिए आप को रेलवे ट्रेक्ट ले जाना ही पड़ेगा, रेलवे लाइन डालनी ही पड़ेगी। जब ऐसी बात है तो क्यों नहीं आप खंडुवा से दोहद या खंडुवा से छोटा उदयपुर तक लाइन ले जाते, जो कि मध्य प्रदेश और गुजरात को जोड़ेगी। उस का कम से कम आप सर्वे तो करा ही लीजिए।

मैं रेलवे बजट पर ज्यादा नहीं बोल पाया था। इसलिए मुझे थोड़ा सा समय बोलने के लिए दीजिए। पूना से जो झेलम एक्सप्रेस आती है, उसको आप बुरहानपुर पर रुकवाइए।

सभापति महोदय : टाइम आप को मिलेगा लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि आप विषय पर बोलें। टाइम की कमी नहीं है।

श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर : झेलम एक्सप्रेस को आप बुरहानपुर रुकवाइए। इसी तरह से जो बम्बई-लखनऊ एक्सप्रेस है, उस को हरसूद पर रुकवाने के आदेश आप दीजिए। इसके लिए वहां की जनता ने शासन से मांग की है। वे कुछ नहीं कर पाये, हम ने कहा कि हम कर पायेंगे। मुझे अपने रेल मन्त्री महोदय पर पूरा हक है और विश्वास है कि व हमारी बात को टालेंगे नहीं और इसके लिए अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे।

सभापति महोदय, कहीं कहीं सूखा पड़ता है, कहीं कहीं बाढें आती हैं। उन स्थानों पर अनाज पहुंचाने के लिए रैलवे की ओर से छूट दी जाती है ताकि बाढ़ से पीड़ित और सूखे से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचायी जा सके। यह जो 12 सदस्यों की कमेटी बनायी जा रही है, इसको भी बहुत ही गभीरता से इस प्रश्न पर विचार कर के कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कि हमारे देश के सूखे से प्रभावित और बाढ़ से पीड़ित क्षेत्रों को राहत के नाम पर हमारी अधिकारीगण गड़बड़ी न करें। मैं यह नहीं कहता कि हमारे सभी अधिकारी गड़बड़ करते हैं लेकिन एक मछली भी सारे तालाब को गंदा कर देती है। इसलिए ऐसा न हो कि राहत पहुंचाने के नाम पर गड़बड़ी हो और जो हमारा असल मकसद है वह पूरा न हो।

रेलवे में हमारा 4-5 हजार करोड़ का लाभाँश होता है। उसका हम अधिक से अधिक और सही जगह पर उपयोग कर सकें, इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय रेल मन्त्री जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री हरिकेश बहादूर (गोरखपुर) : माननीय सभापति जी, आदरणीय रेल मंत्री जी का मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने रेलवे कन्वेंशन कमेटी बनाने का प्रस्ताव सदन के समक्ष पेश किया है। मैं इसका समर्थन करता हूं। लेकिन कुछ बातें भी साथ साथ मैं कहना आवश्यक समझता हूं।

मान्यवर, हमारा रेल विभाग हमारे देश का बहुत बड़ा सार्वजनिक उद्योग है और इसमें जो मुनाफा होता है या घाटा होता है वह हमारे देश की पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। इसलिए देश का हर नागरिक यह चाहता है कि हमारी रेलें घाटे में न चलें बल्कि वे मुनाफे में चलें। जनता पार्टी की सरकार ने अपने शासन काल में तीन बजट पेश किये और तीनों में मुनाफा

दिखाया। अभी जो रेल बजट पेश किया गया उसमें घाटा दिखाया गया है और इसके साथ ही दूसरी श्रेणी में जो यात्री यात्रा करते हैं, जो नागरिक यात्रा करते हैं उनका किराया भी बढ़ा दिया गया है। इस से हमारे देश के लोगों पर एक प्रकार का संकट आया है। इस के साथ ही रेल भाड़े में भी वृद्धि की गयी है। उस से भी चीजों के दामों के बढ़ने में सहायता मिली है। अगर हमें रेलों को आर्थिक विपन्नता से मुक्त करना है तो सब से पहले हमें इन्हें भ्रष्टाचार से मुक्त करना होगा और इनकी दक्षता और कार्यकुशलता को बढ़ाना होगा। केवल रेल भाड़े के बढ़ा देने से या यात्री भाडे को बढ़ा देने से हम रेल विभाग के घाटे को दूर नहीं कर सकते और उसे मुनाफे में नहीं बदल सकते। इन बातों की तरफ, मेरा ख्याल है कि हमारे परमादरणीय पंडित जी ध्यान देंगे और दे भी रहे होंगे।

मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। आज हमारी गाड़ियां समय पर नहीं चलती हैं। गाड़ियों का समय से चलना सुनिश्चित किया जाए और उनमें लोगों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जाए। इस से रेलों के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ेगा। खास तौर से हमारी रेल गाड़ियों में सामान की भयंकर चोरी और डकैती होती है। इसलिए लोग अपना सामान रेलों के माध्यम से न भेज कर ट्रक वगैरह: के माध्यम से भेजना पसंद करते हैं। इस कारण भी रेलों में घाटा होता है। अगर रेलों में सुरक्षा की समुचित व्यवस्था हो जाए तो यह घाटा दूर करने में मदद मिलेगी। इस से रेलों के प्रति लोगों में विश्वास बढ़ेगा और वे अपना सामान रेलों से भेजेंगे जिससे रेलों को मुनाफा होगा।

रिजर्वेशन में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार है, मेरा ख्याल है कि उसे रेल मंत्री महोदय अच्छी तरह से जानते होंगे। इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए जितनी भी कोशिशें आज तक की गयी हैं वे सभी कोशिशें नाकामयाब रही हैं। यह भ्रष्टाचार बराबर बढ़ता ही जा रहा है। आज भी रेलों में सीटें खाली रहती हैं लेकिन रिजर्वेशन काउंटर पर कह दिया जाता है कि रिजर्वेशन उपलब्ध नहीं है। नतीजा यह होता है कि जो यात्री यात्रा करना चाहते हैं उनको तो रिजर्वेशन मिलता नहीं और बहुत से दूसरे लोग भ्रष्टाचार कर के यात्रा करना चाहते हैं जिसमें आपके रेल कर्मचारी भी शामिल होते हैं। ऐसे लोगों को यात्रा का अवसर मिल जाता है। इस प्रकार रिजर्वेशन में जो भ्रष्टाचार है यह भी रेलों की अर्थ व्यवस्था के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। इस में सुधार लाना बहुत जरूरी है।

इस समय करोड़ों रुपये प्रति वर्ष रेलवे को क्लेम्ज के तौर पर लोगों को देने पड़ते हैं। यह सामान वगैरह जो गायब हो जाता है उसके देने पड़ते हैं। इस में भी बहुत भ्रष्टाचार है। लोग थोड़े पैसे का सामान होता है और ज्यादा पैसे का बताते हैं। रेल अधिकारी उन से मिल कर ज्यादा पैसा उनको दिलाने की कोशिश भी करते हैं और कमीशन भी इस में खाने वाले खाते हैं। इस चीज को भी रोकने की कोशिश होनी चाहिए और माल चोरी न हो इसकी कोशिश भी की जानी चाहिये। इससे आपकी रेलों की अर्थ व्यवस्था मजबूत होगी और घाटे का बजट जो पेश होता है इसको रोकने में मदद मिलेगी।

माननीय पाणिग्रही जी ने रेलों के इलैक्ट्रिफिकेशन की बात कही है। हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में डीजल के दाम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और एक समय आने वाला है कि जो पूरा पैट्रोलियम का रिजर्व है वह ही दुनिया से खत्म हो जाएगा। ऐसी अवस्था में अन्य

ट्रांस्पोर्ट साधनों के साथ साथ रेलें भी जो डीजल पर आधारित हैं उन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। इस वास्ते रेलों के इलेक्ट्रीफिकेशन करने की आवश्यकता निर्विवाद रूप से हमारे सामने आ कर खड़ी हो गई है। इस वास्ते इस ओर भी आपको ध्यान देना चाहिये और रेलों की कार्य कुशलता को बढ़ाना चाहिये। इससे रेलों की आप्रेटिंग कास्ट भी कम होगी।

अब मैं मांग के तौर पर दो तीन बातें कहना चाहता हूं। बाराबंकी से समस्तीपुर तक की मीटर गेज लाइन का ब्राड गेज में कनवर्शन हो रहा है इसको अति शीघ्र पूरा किया जाना चाहिये। इस समय लोगों को बड़ी परेशानी होती है। बिहार की तरफ से दिल्ली आने वाले यात्रियो को जगह जगह इसकी वजह से गाड़ियां बदलनी पड़ती हैं। इससे उनको काफी कठिनाई होती है। जनता को सुविधा देने के लिए यह लाइन जो नार्थ ईस्टर्न रेलवे की मुख्य लाइन होगी, जल्दी से जल्दी मीटर गेज से ब्राड गेज में परिवर्तित कर दी जानी चाहिये। इससे लोगों को बहुत लाभ होगा। कई कठिताइयां हैं तथा उन कठिनाइयों को केवल तभी दूर किया जा सकता है जब इसी लाइन को मीटर गेज से बड़ी लाइन में बदल दिया जाये। कई वर्षों से मैं इसीलिये मंत्री महोदय से निवेदन करता रहा हूँ? इससे पूर्व प्रो० मधु दण्डवते रेल मंत्री थे। मैंने इस समय इनसे भी अनुरोध किया था। मैं इसी बात से माननीय रेल मंत्री पंडित कमलापति त्रिपाठी के समक्ष भी दोहरा रहा हूं।

क्लास 3 और क्लास चार के जो कर्मचारी हैं उनके वास्ते प्रोमोशन के चांस बढ़ाए जाने चाहिए। बहुत से लोग जो किसी खास श्रेणी में नौकरी पाते हैं वे उसी में रिटायर हो जाते हैं। अगर उनके वास्ते प्रोमोशन के अवसर बढ़ाए जाएं तो मैं समझता हूं कि लोगों को लाभ होगा। कर्मचारियों के हित में और स्वयं रेलवे के हित में इस कार्य को करना भी आवश्यक प्रतीत होता है।

कैज्युअल लेबर के रेग्युलराइजेशन के बारे में, आकस्मिक मजदूरों की नियमितिकरण के बारे में माननीय मंत्री जी का जो वक्तव्य रहा है वह बहुत ही सराहनीय रहा है। मैं सादर उन से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस कार्य को जितनी जल्दी हो सके किया जाए ताकि बहुत से आकस्मिक मजदूर जो बहुत दिनों से, दस दस और बारह बारह साल से काम कर रहे हैं और जिन को आज तक रेग्युलराइज नहीं किया गया है उनको रेग्युलराइज किया जा सके। उनके जीवन में एक स्थायित्व इससे आएगा, उनको सुरक्षा मिलेगी। इस वास्ते इस ओर भी आपका अविलम्ब ध्यान जाना चाहिये।

उत्तर पूर्वी भाग में आज जो आन्दोलन चल रहे हैं उसका एक मुख्य कारण यह है कि वहां आर्थिक संकट है और यह आर्थिक संकट तभी दूर हो सकता है जब वहां रेलवे लाइनों का विकास किया जाए और उद्योगों को बढ़ाया जाए, सड़कों का विकास किया जाए, उनका विस्तार किया जाए। कुछ काम तो समय समय पर होते रहते हैं। जहां तक रेलों का सम्बन्ध है मैं यही कहूंगा कि मंत्री महोदय उत्तर पूर्वी भाग के लिए उसके विकास के लिए अधिक से अधिक रेलवे निर्माण के कार्यों को कराने की कृपा करें और इस काम के लिए प्लानिंग कमिशन से जो भी आर्थिक सहायता लेने की आवश्यकता हो उसके लिए जोरदार प्रयास करें। श्री नारायण दत्त तिवारी जी योजना मंत्री है। वह पंडित जी से काफी सहयोग कर सकते हैं। उन से सहयोग ले कर भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से का विकास रेलों के मामले में तथा अन्य मामलों में तेजी के साथ करने की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूं कि इस ओर भी आप विशेष ध्यान देंगे।

श्री कमलापति त्रिपाठी : यह सोमवार तक जारी क्यों रहे ? हम आज ही समाप्त करते हैं। यदि दो घंटों के लिए कोई वक्ता नहीं है तो हम सोमवार तक प्रतीक्षा क्यों करें ?

सभापति महोदय : 3 बजे हम गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार करेंगे और पांच मिनट भी नहीं है।

श्री कमला पति त्रिपाठी : मेरे विचार से श्री बनातवाला पांच मिनट से अधिक समय नहीं लेंगे और वह संगत बातें ही कहेंगे।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : माननीय मंत्री पण्डित कमलापति त्रिपाठी के नेतृत्व में रेलवे के कार्यकरण में सुधार के लिए गम्भीर प्रयास किये जा रहे हैं। मैं उनकी भलाई की कामना करता हूं तथा आशा करता हूं कि उन्हें रेल कर्मचारियों सहित सम्पूर्ण राष्ट्र का सहयोग मिलेगा।

रेलवे में पूंजी निवेश सामान्य खजाने से किया जाता है तथा रेलवे विभाग एक विशेष दर से वार्षिक लाभांश देता है। मन्त्री महोदय द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव में यही माँगा गया है। गत कुछ वर्षों के दौरान हुए समिति के कार्य क्षेत्र और कार्यकरण में परिवर्तन हुआ है। यह अच्छी बात है कि यह समिति और प्राय: सम्पूर्ण रेलवे प्रशासन के कार्यकरण पर निगरानी रखने का कार्य करती है तथा मुझे आशा है यह जारी रहेगा। यह समिति एक तदर्थ समिति है। मैं चाहता हूं कि यह स्थायी समिति पैराग्राफ बन जाए। समिति के समक्ष बहुत बड़ा कार्य है आस्थगित लाभांश के भुगतान दायित्व का प्रश्न है। हम देखते हैं कि लाभांश की दर निर्धारित की जाती है किन्तु रेलवे विभाग प्रतिवर्ष अपनी आय से सम्पूर्ण लाभांश की राशि का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है तथा इस राशि को आस्थगित लाभांश देयता माना जाता है। आस्थगित लाभांश देय राशि 1978-79 में बढ़कर 120.21 करोड़ रुपये हो गयी। 1979-80 के पुनरीक्षित प्राक्कलन में यह राशि बढ़कर 162.31 करोड़ रुपये हो गई और 1980-81 के बजट प्राक्कलन में यह राशि 200.41 करोड़ रुपये है। अतः मैं चाहता हूं कि यह समिति इस विशेष कार्य पर विचार करें तथा लाभांश की दर निर्धारित करते समय उन्हें इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या रेलवे विभाग अपने संशोधनों से आवश्यक दायित्वों को पूरा कर सकता है। हम देखते हैं कि स्थिति बहुत कठिन है। आप और राजस्व के प्रश्न को देखिये। हम देखते हैं कि यातायात से कुल आय 1977-78 में 373.49 करोड़ रुपये से घट कर 1978-79 में 283.49 करोड़ रुपये रह गई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इसी प्रकार कुल राजस्व 1977-78 में 352.79 करोड़ रुपयों से घट कर 1978-79 में 260.82 करोड़ रह गया। कुल आय की तुलना में कार्य व्यय की प्रतिशतता 1977-78 में 82.99 से बढ़कर 1978-79 में 87.54 हो गई है। अतः हमें इस ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए। विद्युतीकरण को देखिये। इससे लागत कम होगी। इस मामले में केरल की सहायता की जानी चाहिए क्योंकि सरकार आवश्यक बिजली सप्लाई करने को तैयार है।

रेलवे लोक उपयोगिता सेवा है। सामाजिक दायित्वों के कारण भारी घाटा है। 1979-80 बजट प्राक्कलनों में यह घाटा 243.69 करोड़ रुपये है। पश्चिम यूरोप एशिया में रेलवे द्वारा

सामाजिक भार नहीं उठाया जाता । यह सम्बद्ध सरकारों के सामान्य राजस्व द्वारा उठाया जाता है । अतः मुझे आशा है कि यह समिति उस मुद्दे पर भी विचार करेगी ।

मैं यह कहकर अपना भाषण समाप्त करता हूं कि समिति को लाभांश की दर सम्बन्धी मामले तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। वरन प्रशासन सम्बन्धी समस्याओं, श्रमिकों सम्बन्धी समस्याओं और रेल उपभोक्ताओं की समस्याओं पर भी गहराई से विचार करना चाहिए ।

श्री कमलापति त्रिपाठी : उन्हें अपने कार्य क्षेत्र से अलग नहीं जाना चाहिए । उन्हें रेलवे वित्त तक ही सीमित रहना चाहिए ।

श्री जी० एम० बनातवाला : इन सभी उपायों से वित्त की स्थिति सुधरेगी । इन सिफारिशों से रेलवे के वित्त में वृद्धि होगी । अभी हाल ही में...

श्री कमलापति त्रिपाठी : इस समिति का मूल्य सामान्य राजस्व में अदा की जाने वाली लाभांश की राशि को तय करना होगा । साथ ही रेलवे वित्त में बचत करने का प्रश्न भी है । इन्हें उसके दायरे से बाहर नहीं जाना चाहिए ।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं इस से सहमत हूं । रेलवे के उस वित्त पर विचार करने के लिये उससे सम्बन्धित कई पहलुओं पर विचार करना पड़ेगा । उदाहरणार्थ विभिन्न सुझावों के बारे में हमारे पास समिति का अत्यन्त उपयोगी मौका प्रतिवेदन-1977 भी है । ऐसा प्रतिवेदन सभा के सामने आते रहना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं रेल संगठन, जो एक बहुत बड़ा संगठन है, के लिए शुभ कामनाएं व्यक्त करता हूँ । मुझे आशा है कि इस बारे में यहां पर भी विभिन्न मुद्दे उठाये गये हैं उन पर उचित ढंग में और गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाएगा ।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पकों सम्बन्धी समिति

सातवां प्रतिवेदन

श्री एस० टी० कादरी (शिमोगा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

> "कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों व सदस्यों सम्बन्धी समिति के सातवें प्रतिवेदन से, जो कि सभा में 30 जुलाई, 1980 को पेश किया गया था, सहमत है ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों व सदस्यों सम्बन्धी समिति के सातवें प्रतिवेदन से, जो कि सभा में 30 जुलाई, 1980 को पेश किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

रेलवे अभिसमय समिति

सदस्य के बारे में संकल्प

रेल मन्त्री (श्री कमला पति त्रिपाठी) : मेरे संकल्प का क्या हुआ ?

उपाध्यक्ष महोदय : हम सोमवार को उस पर विचार करेंगे।

श्री कमला पति त्रिपाठी : क्या हमें बेकार में ही सोमवार तक विचार करना पड़ेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है। तीन बजे हमें गैर-सरकारी सदस्यों की कार्यसूची पर विचार करना है। अतः हम आपके संकल्प पर सोमवार को विचार करेंगे।

पूर्वोत्तर भारत में गंभीर स्थिति के बारे में संकल्प—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम गोपाल रेड्डी :

श्री राम गोपाल रेड्डी बोल रहे थे। वह अपनी बात जारी रखें।

हम संकल्प के लिए 4 घन्टे का समय समाप्त किया गया था। तीन घन्टे तथा 31 मिनट पहले ही लग चुके हैं। केवल 29 मिनट बाकी हैं। मेरे पास 19 वक्ताओं की सूची है। वदली हुई परिस्थितियों में यदि ससा अनुमति दे तो अब श्री एम० रामभोपाल रेड्डी को ही अन्त में अवसर दिया जाए। इसके पश्चात् मंत्री महोदय हस्तक्षेप कर सकते हैं और फिर प्रस्ताव का अपना अपना उत्तर देगा।

कई सदस्य : जी हां, जी हां।

श्री बापू साहिब पुरुलेकर : अन्य वे संकल्प भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जो आज की कार्य सूची में हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, जी हां।

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : दूसरा संकल्प तो कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस पर भी विचार करेंगे।

अब श्री एम० रामगोपाल रेड्डी अपना भाषण जारी रखे।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : पिछले चर्चा के बाद से, आसाम तथा उस क्षेत्र के अन्य राज्यों के वातावरण में भारी अन्तर आया है। श्रीमती गांधी के लिये कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जो हल न हो सके अथवा हल होने से बच सके। श्रीमती गांधी ने प्रयास किया है और इस समस्या का हल दिखाई देने लगा है। इन राज्यों की एकमात्र समस्या उनका पिछड़ापन है। वे यह सही महसूस करते हैं कि कुछ चालाक लोग उनका शोषण कर रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि स्थानीय लोगों को शोषण करने वाले लोगों को ऐसा नहीं करने दिया जाना चाहिये। उनके उद्योगों तथा अन्य चीजों को भारत सरकार अपने अधिकार में ले ले ताकि स्थानीय लोगों को यह अनुभव हो कि कोई व्यक्ति उनका शोषण नहीं कर रहा है और इन उद्योगों आदि का सारा लाभ राष्ट्रीय राजकोष में जा रहा है और कि उन्हें न्याय मिलेगा। जब तक सरकार उन चीजों को अपने अधिकार में नहीं लेगी तब तक यह स्थिति

जारी रहेगी। हमने आंध्र के तेलंगाना क्षेत्र में हिंसक आन्दोलन देखा है। वहां शिव सेना ने आंदोलन कराया था। श्रीमती गांधी ने उन सभी समस्याओं को हल कर दिया था और वह अब इस समस्या को भी हल कर लेगी। इस क्षेत्र के लोगों को श्रीमती गांधी में पूर्ण विश्वास है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोग भी उतने ही देशभक्त हैं जितने अन्य क्षेत्रों के लोग हैं। वहां पृथकवादी भावना को लेकर कोई आन्दोलन नहीं हो रहा है जो लोग इस आंदोलन को ऐसा समझते हैं वे गलती पर हैं। हर जगह ऐसे कुछ लोग तो होते हीं हैं जो कुछ मुसीबत खड़ी कर देते हैं परन्तु उसका कोई प्रभाव नही पड़ने वाला है। मुझे खुशी है कि उन सभी लोगों ने सरकार के साथ बातचीत करना मंजूर कर लिया है। युवा मंत्री इस मंत्रालय के लिये नये हो सकते हैं परन्तु उन्हें जन कार्य का बड़ा अनुभव है और वह बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं उनकी सफलता की कामना करता हूं। एक दिन ऐसा आयेगा जबकि उनके सामने पूर्वोत्तर क्षेत्र की कोई समस्या नहीं रह जायेगी। जो लोग बाहर से आये हैं और जो स्थानीय लोगों को लूट रहे हैं उन्हें ऐसा करने से रोका जाना चाहिये। आसाम की समस्त भूमि पर वहीं के लोगों द्वारा राहत होनी चाहिये। हमें ऐसा कानून पास करना चाहिये जैसाकि हमने काश्मीर के मामले में कर रखा है। काश्मीर में बाहर का कोई व्यक्ति भूमि नहीं खरीद सकता। ऐसा ही कानून आसाम तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में होना चाहिये। इन गरीबों की भूमि अन्य लोगों को क्यों खरीदने दी जाये ? यदि भारत सरकार इससे सहमत है तो मेरे विचार से सभी समस्यायें हल हो जायेंगी और वहां पहले के समान ही सामान्य स्थिति हो जायेगी। मुझे आशा है कि वह दिन बहुत समीप है और हमारे उनके साथ बहुत ही अच्छे संबंध होंगे।

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : श्रीमन्, मैं इन सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस महत्वपूर्ण मामले पर हुई चर्चा में भाग लिया। लगभग 15 सदस्यों ने भाग लिया और बहुत से सदस्यों ने बहुत ही अच्छे और रचनात्मक सुझाव दिये हैं। मैं उन सदस्यों का आभारी हूं और विशेषत: उनका जो इस समस्या का राजनैतिक हल चाहते हैं जिन्होंने विशेषतः श्री चन्द्रजीत यादव, मैं, श्री राम गोपाल रेड्डी, कई अन्य ने जिन्होंने बड़े रचनात्मक सुझाव दिये हैं।

पूर्वोत्तर की स्थिति पर सभा में काफी विस्तार से विचार विमर्श हुआ है, कई बार हुआ है और सदस्यों को सभी तथ्यों की जानकारी है। अतः मैं उन तथ्यों का जिक्र न करके समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र की स्थिति का जिक्र करूंगा।

आज आधी रात को मिजोरम में एक शांति क्षेत्र बताया गया था। मिजो राष्ट्रीय मोर्चा की तरफ से श्री लालडेंगा ने यह स्वीकार किया था कि सभी हिंसापूर्ण गतिविधियां रोक दी जायेंगी। सरकार ने भी सुरक्षा सेनाओं की गतिविधियां रोक दी थीं। वैसे निस्संदेह उक्त गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर और सामान्य कानून व व्यवस्था बनाये रखने के लिये तो रोकी नहीं जायेंगी।

मनीपुर की समस्या के दो पहलू हैं। एक तो मेतेहे आतंकवादी है जो विदेशों से प्रशिक्षण लेकर आये हैं और जो मुख्यत: इम्फाल नगर में हिंसा की गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। मनीपुर के चारों ओर के पर्वतीय क्षेत्र इससे अप्रभावित हैं। दूसरा पहलू छात्रों की गतिविधियां हैं जो स्पष्टतः आसाम में हुई घटनाओं से प्रेरित हुए हैं। मनीपुर में प्रतिनिधि सरकार का शासन है।

राज्य के लिये एक सरकार ने पर्याप्त सुरक्षा सेनायें जुटाई हैं। राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि वह हिंसा को दबाने और कानून का पालन करने वाले नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिये सुदृढ़ कदम उठाये।

त्रिपुरा में जहां जून 1980 में अत्यन्त भयंकर उपद्रव हुए थे, केन्द्र सरकार ने सभी प्रकार की सहायता दी है। कानून व व्यवस्था बनाये रखने के लिये केन्द्र सरकार की ओर से राज्य प्रशासन की सहायतार्थ सुरक्षा सेनायें भेजी गई थी। आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई तथा धन उपलब्ध कराया गया था ताकि हिंसा से प्रभावित लोगों को राहत तथा पुनर्वास सुविधायें दी जा सकें। संसद सदस्य श्री दिनेश सिंह की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय समिति ने, हिंसा से पीड़ित लोगों को राहत देने और उनके पुनर्वास के लिये और साथ ही वहां विभिन्न वर्गों में सदभावपूर्ण संबंध बनाने एवम् वहां सामान्य स्थिति पैदा करने के उपाय करने सम्बन्धी सुझाव देने हेतु हाल ही में त्रिपुरा का दौरा किया था। यह समिति संभवतः शीघ्र ही अपना प्रतिवेदन पेश कर देगी। एक अन्य सरकारी समिति की यहां राहत तथा पुनर्वास सम्बन्धी आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने हेतु भेजी गई थी। उसकी सिफारिशें भी शीघ्र ही मिलने की आशा है। जबकि कानून व व्यवस्था तो राज्य का विषय है, केन्द्र सरकार ने राज्य को इसके लिये हर संभव सहायता दी है।

नागालैंड में, वर्ष 1975 में शिलांग करार होने के बाद से स्थिति सामान्यतः शांतिपूर्ण है। भूतपूर्व भूमिगत नेता सभी वर्गों को, जिन में देश के बाहर रहने वाले लोग भी शामिल हैं, शांति बनाये रखने के कार्यों में शामिल कर रहे हैं। हमने हमेशा उन लोगों का साथ दिया है जो राज्य में शांति तथा विकास चाहते हैं।

मेघालय में गत वर्ष जो स्थानीय बनाय गैर स्थानीय लोगों के बीच उपद्रव हुए थे उन्हें राज्य सरकार की कड़ी कार्यवाही द्वारा नियंत्रित कर लिया गया था। हमें आशा है कि राज्य सरकार ऐसे कदम उठाती रहेगी जिस राज्य में शांति भंग नहीं होने पावे।

जहां तक अरुणाचल प्रदेश का संबंध है, यह राज्य तो सदा ही शांतिपूर्ण रहा है और राज्य में कोई उपद्रव अथवा हिंसा की घटनायें नहीं हुई हैं।

जैसा कि सदस्य गण जानते हैं, सरकार आसाम में विदेशी नागरिकों की समस्या का संतोषजनक हल ढूंढने के लिये बड़ी आतुर रही है। बार बार सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सरकार ने कोई जिद्द नहीं पकड़ी है और वह हमेशा ही बातचीत के लिये तैयार रही है। 30 जुलाई, 1980 को गृह मंत्री ने सभा में एक वक्तव्य दिया था और आसाम में पुनः शीघ्र ही सद्भावपूर्ण तथा सामान्य स्थिति बनाने के लिये अनेक उपायों की घोषणा की थी। सरकार इसके लिये सभी वर्गों के सहयोग की आशा है ताकि कोई संतोषजनक हल निकालने हेतु वार्ता शीघ्र ही आरम्भ की जा सके।

जबसे वर्तमान सरकार ने शासन संभाला है, पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्याओं की ओर सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। प्रधान मंत्री ने आसाम की समस्या पर विपक्ष से वार्ता की है और उसके दृष्टिकोण जाने हैं। मिजोरम में नये सिरे से कार्यवाही की गई थी जिससे उस क्षेत्र में शांति स्थापित हुई। बाहर से अवैध आगमनों को रोकने के लिये सुदृढ़ चौकसी हेतु विशेष

उपाय किये गये हैं। इस क्षेत्र में कानून व व्यवस्था बनाये रखने के लिये राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को हर प्रकार की सहायता दी गई है। गत दो वर्षों के दौरान जिन देश विरोधी, समाज-विरोधी तथा उपद्रवी तत्वों ने सिर उभारा था उन्हें नियंत्रणाधीन लाया जा रहा है। सरकार को इस क्षेत्र में कुछ भ्रम में पड़े तत्वों, गुमराहों, की जानकारी है, जिन्होंने हिंसा का मार्ग अपनाया है। उनके साथ प्रभावी ढंग से निपटने के लिये उचित उपाय किये जा रहे हैं।

सरकार को मालूम है पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुछ लोगों के विभिन्न वर्गों की क्या भावनायें हैं और कि वे अपनी संस्कृति को बनाये रखना चाहते हैं और क्षेत्र में आर्थिक विकास चाहते हैं। वस्तुत: प्रधान मंत्री ने हाल ही में मंत्रियों की एक समिति बनाई है जिनका मैं संयोजक हूँ और कुछ अन्य सरकारी स्तर की समितियाँ बनाई हैं ताकि इस क्षेत्र में विकास की गति तेज की जा सके जोकि वहां के संसाधनों एवम् आवश्यकताओं के अनुकूल हो।

यूं तो इस क्षेत्र की सभी उचित समस्याओं को हल करने के लिये कोई कसर उठा न रखी जायेगी तथापि मैं सरकार का यह निश्चय दोहरा हूं कि हम गुमराह हुए और विध्वंसकारी तत्वों के साथ सख्ती से निपटेंगे। संक्षेप में, इस समय पूर्वोत्तर संबंधी यही स्थिति है। जैसाकि सभा को मालूम है प्रधान मंत्री ने आरम्भ से ही अनेक कदम उठाये हैं और छात्रों से तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य नेताओं से बातचीत की है और मोटे तौर पर एक करार हो गया है।

उपरोक्त तथ्यों की दृष्टि से, मैं माननीय सदस्य से यह अनुरोध करूंगा कि वह अपना संकल्प वापस ले लें।

श्री बापू साहिब पुरुलेकर : श्रीमन् मैंने अपने भाषण में यह सुझाव दिया था कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की स्थिति को विचार में रखते हुए सरकार को उक्त क्षेत्र हेतु, एक विशेष मंत्रालय बनाना चाहिये। उस क्षेत्र की अनेक समस्याएं हैं जिन पर इस समय विभिन्न मंत्रालय विचार कर रहे हैं। उन सभी समस्याओं पर एक ही मंत्रालय विचार कर सकता था न कि उक्त क्षेत्र की हालत में तेजी से सुधार किया जा सकता।

श्री योगेन्द्र मकवाना : इस क्षेत्र के लिये पृथक से मंत्रालय बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इस समय इस पर गृह मंत्रालय विचार कर रहा है जहां तीन मंत्री—दो राज्य मंत्री तथा एक मंत्री मण्डलीय मंत्री हैं। पूर्वोत्तर के कार्य पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। इस प्रयोजन के लिये कोई नया मंत्रालय बनाने की जरूरत नहीं।

श्री कृष्ण चन्द्र हालदर (दुर्गापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय सहित उन सभी 16 सदस्यों का आभारी हूँ जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है। 4 जुलाई को मैंने जब यह संकल्प पेश किया गया था।

> "पूर्वोत्तर क्षेत्र में विदेशियों के प्रश्न का राजनैतिक हल ढूंढने तथा वहां के लोगों की कथित समस्याओं को हल करने हेतु विशेष ध्यान देने हेतु उचित उपाय करने के लिये ..."

तब स्थिति अच्छी नहीं थी। अब जब कि मैं उक्त चर्चा का उत्तर दे रहा हूं तो मुझे कोई

समझौता होने का वातावरण नजर नहीं आ रहा है। कल के दो अगस्त से, आंदोलन वापस ले लिया जाना है। मुझे नहीं पता कि वह वापस लिया भी जायेगा या नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : शायद आपने उक्त संकल्प किसी शुभ घड़ी में पेश किया था।

श्री चित्त बसु : जी हां, वह बड़ा ही सामयिक था।

श्री बापू साहिब परुलेकर : उनके संकल्प के कारण स्थिति सुधर गई है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं भी सोच रहा हूं कि यह पहला अवसर है जब इस प्रकार का गैर-सरकारी संकल्प सदन के समक्ष रखा गया और समझौते के कुछ आसार है। संकल्प प्रस्तुत करने में मुझे यह सफलता प्राप्त हुई है।

श्री बापू साहिब परुलेकर : आपको बधाई।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं उन सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इसमें भाग लिया, एक या दो सदस्यों को छोड़कर अधिकांश ने मेरे संकल्प को समर्थन दिया है।

मैं श्री चन्द्रजीत यादव, श्री योगेन्द्र झा, श्री चित्त बसु, श्री बनातवाला और सत्तारूढ़ दल के अन्य सदस्यों को बधाई देता हूँ। उनमें से अधिकांश ने मेरे संकल्प का समर्थन किया है।

मुझे दुख है कि मेरे मित्र श्री रामगोपाल रेड्डी ने कहा कि यह अप्रत्यक्ष रूप से सरकार की निन्दा करना है। मुझे दुःख है कि उन्होंने मेरे संकल्प को गलत समझा। उन्होंने संभवतः मेरे संकल्प को ठीक तरह नहीं पढ़ा है।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : अब मैं आपसे सहमत हूं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : महोदय, यहां आज श्री जी० एम० रेड्डी उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा था, "हमारे देश के सभी मिशनरियों पर दोषारोपण न कीजिए।" परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि हम सभी मिशनरियों पर दोषारोपण नहीं करना चाहते हैं। मैं यह चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति ईसाई अथवा इस्लाम धर्म अपना सकता है। यह उस व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छा है परन्तु आप जानते हैं कि विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुछ मिशनरियां होती हैं जो सब तरीकों को प्रयोग में ला रही हैं। वे पृथकतावादी आंदोलन को उकसा रही हैं, वे हमारे देश के विरुद्ध कार्य कर रही हैं और हम ऐसी उन मिशनरियों के विरुद्ध हैं। हम यह नहीं कहते हैं कि ईसाइयों की सभी मिशनरियां राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलग्न है।

श्री डागा, जो अभी यहाँ नहीं है, ने कहा कि आप समाजवाद की बात करते हैं परन्तु आपने जन-जातियों के लिए क्या किया ? मैं कहना चाहता हूँ कि वामपंथी सरकार त्रिपुरा में ऐसी पहली सरकार है जिसने जनजातियों की दशा सुधारने हेतु त्रिपुरा के भूमि सुधार अधिनियम का संशोधन किया है। हमारी सरकार ने यह भूमि नीति निर्धारित की है कि वर्ष 1969 के बाद गैर-जन-जातियों को स्थानान्तरित की गई सभी जन-जातियों की भूमि जन-जातियों को पुनः लौटाया जायेगा और जन-जातियों को जमीन लौटाने के एवज में गैर-जन-जातियों को उपदुना मुआवजा दिया जायेगा।

त्रिपुरा में हमारी वामपंथी सरकार ऐसी पहली सरकार है जिसमें जन-जातियों की दशा सुधारने के लिए कार्य किया है। उन्होंने जन-जाति बहुल क्षेत्र को स्वशासी जिला घोषित किया था और वहां चुनाव होने थे। परन्तु उस समय वहां दंगे हो रहे थे। इस वजह से चुनाव रोकना पड़ा। इससे पता चलता है कि वहां सरकार उनके सांस्कृतिक उत्थान और सभी क्षेत्रों में उनकी दशा सुधारने के लिए कार्य कर रही है। कोकबोराक भाषा अब त्रिपुरा की राज-भाषा है। इस प्रकार वापपंथी सरकार जन-जाति के लोगों के उत्थान के लिए अपना भरसक प्रयत्न कर रही है। मैं कह सकता हूं कि त्रिपुरा में कांग्रेस शासन के 30 वर्षों में उन्होंने जन-जाति के लोगों के उत्थान के लिए वस्तुतः कुछ नहीं किया। उनके शासन के काल में जन-जातियों की जमीनें गैर-जन-जाति लोगों को स्थानान्तरित की गई।

श्री एन० ई० होरो (खूंटी) : वर्ष 1960 में एक कानून पास किया गया था जिसके तहत जन-जाति के लोगों से ली गई जमीनें उन्हें बहाल की जानी थी और जन-जाति के लोगों की जमीनें बहाल करने के लिए 13,000 आवेदन-पत्र थे। उसके बारे में क्या कहना है ?

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : आवेदन-पत्र पिछली सरकार को दिये गए थे। यह पिछली सरकार का कर्त्तव्य था कि वह उनका निपटान करती।

उपाध्यक्ष महोदय : इसलिए इस सरकार ने पिछली सरकार द्वारा 1960 में किए गए काम को जारी रखा।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : जी हां, यह सरकार उस कानून को क्रियान्वित कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका मतलब यह है कि काम वर्ष 1960 में प्रारम्भ हो चुका था।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : कानून वर्ष 1960 में पास हुआ था और 13,000 आवेदन-पत्र दिये गये थे परन्तु तत्कालीन सरकार ने उन आवेदन-पत्रों का निपटान नहीं किया था। यह हमारी सरकार है जो जन-जाति के लोगों की जमीनों को उन्हें लौटाने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। इस प्रकार हमारी सरकार अपना भरसक प्रयास कर रही है।

पिछले वर्ष में त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड गया था। मेरी धारणा यह बनी है कि त्रिपुरा की वामपंथी सरकार के इस कार्यक्रम अन्य राज्यों में अच्छा प्रभाव पड़ा है और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न भागों में उनका प्रभाव फैल रहा है। इसलिए निहित स्वार्थ वाले और अन्य लोग वामपंथी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। एक षड़यंत्र रचा गया और जैसा आप जानते हैं जन-जाति लोगों के एक वर्ग ने त्रिपुरा उप-जाति युवा समिति के प्रभाव में आकर भूमिगत मिजो विद्रोहियों की सहायता से लोगों पर आक्रमण किया। हमारी सरकार ने केन्द्र को यह सूचना भेजी कि कोई घटना होने वाली है परन्तु मैं इन सबके ब्योरे में नहीं जाऊंगा क्योंकि अब असम, मनीपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अच्छा वातावरण व्याप्त है। मुझे प्रसन्नता है कि श्री लालडेंगा और प्रधान मंत्री के बीच बातचीत लाभदायक रही है और कल रात को मिजो नेशनल फ्रंट ने यह घोषणा की थी कि सशस्त्र संघर्ष रोक दिया जायेगा। मिजोरम में शांति स्थापित हो गई है। मनीपुर में भी सशस्त्र संघर्ष रोक दिया गया है।

30 जुलाई को माननीय गृह मंत्री ने अपने वक्तव्य में असम के मामले और मनीपुर के मुख्य मन्त्री श्री वीरेन्द्र सिंह और अखिल असम छात्र संघ और असम गण संग्राम परिषद् के बीच हुई बात-चीत के बारे में भी केन्द्रीय सरकार की नीति की घोषणा की थी। परंतु मुझे इस बारे में स्पष्ट पता नहीं है कि बातचीत का क्या आधार होगा। माननीय प्रधान मन्त्री ने अनेक बार कहा कि हम बातचीत करना चाहते हैं और विदेशियों का पता लगाने के लिए वर्ष 1971 आधार वर्ष माना जायेगा। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार की नीति अब भी वही है अथवा वे वर्ष 1961 को आधार वर्ष बनाने के लिए समझौता कर रहे हैं। संकल्प प्रस्तुत करते समय मैंने इस बात पर जोर दिया था कि वर्ष 1971 को ही आधार वर्ष लिया जाये। नेहरू लियाकत सांधि और इंदिरा-मुजीब समझौते के आधार पर, जो दो अन्तर्राष्ट्रीय समझौते है, और संविधान के अन्तर्गत विदेशी मामले का समाधान होना चाहिए। आप अखिल असम छात्र संघ और अखिल गण संग्राम परिषद् से बातचीत आरम्भ कर सकते हैं। परन्तु मेरी मांग है कि केन्द्रीय सरकार को भाषाई अल्पसंख्यक संगठनों और धार्मिक अल्पसंख्यक संगठनों और मैदानी जन-जातियों के संगठन से समस्याओं पर बातचीत करनी चाहिये ताकि ऐसा समझौता हो सके जिसमे सम्बन्धित सभी पार्टियां संतुष्ट हो सकें। हमें इस तरह आगे बढ़ना है।

संकल्प प्रस्तुत करते समय मैंने इस बात पर भी जोर दिया था और श्री मककाना भी इससे सहमत हुए थे और माननीय सदस्य भी इस पर सहमत थे कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्या का मुख्य कारण उस क्षेत्र का पूरी तरह से पिछड़ापन, निर्धनता विकास का न होना तथा वस्तुत: कोई औद्योगिक विकास का न होना, रेल लाइनों और सड़कों का न होना है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि योजना आयोग के अन्तर्गत एक मात्र पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक पृथक योजना बोर्ड होना चाहिए ताकि योजना बोर्ड उस क्षेत्रकी भूमि, शिक्षा, संस्कृति का विकास, औद्योगीकरण, रेल लाइनें, सडकों की समस्याओं पर गहराई से बिचार करे जिससे अन्तत: उस क्षेत्र के लोगों का विकास हो सके और उनका शोषण समाप्त हो। मैं जानता हूं जब तक ऐसा समाज है और जब तक हम समाजवादी सरकार नहीं लाते हैं तब तक हम पूर्ण विकास प्राप्त नहीं कर सकते हैं तथा निर्धनता को पूरी तरह से दूर नहीं किया जा सकता है। हमें शोषण के विरुद्ध संघर्ष करना है और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों की भलाई के लिए कार्य करना है और साथ ही साथ हमें विदेशी लोगों की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के विरुद्ध संघर्ष करना है। हमें उस क्षेत्र में लोकतंत्री आन्दोलन चलाना हैं।

महोदय, मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं सरकार से स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं। इस समय समझौते का वातावरण बना हुआ है बैठकर बातचीत की जा सकती है, मैं इसका स्वागत करता हूं। मैंने पहले ही मिजोरम और मनीपुर में शान्ति का स्वागत किया है। मुझे विश्वास है कि सत्तारूढ़ दल अपनी त्रिपुरा यूनिट को समुचित हिदायतें देगा कि वह आमरा बंगाली अथवा त्रिपुरा उपजाति युवा समिति जैसी राष्ट्र विरोधी तत्वों की सहायता न करे और त्रिपुरा की वामपंथी सरकार के विरुद्ध आन्दोलन न छेड़े। मुझे प्रसन्नता है कि त्रिपुरा में हुए सांप्र दायिक दंगों के पीड़ितों को राहत देने और उनका पुनर्वास करने के मामले में केन्द्र और त्रिपुरा राज्य सरकार के बीच समन्वय है।

इसलिए मैंने अपने संकल्प में कहा है :

"पड़ोसी देशों से लगती हुई पूर्वोत्तर भारत की सीमाओं की सुरक्षा और मजबूत करना है जिससे विदेशियों की घुसपैठ और सशस्त्र दलों के आगमन को रोका जा सके ; उन व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करना जो पृथकतावादी गतिविधियों में सक्रिय रूप से संलग्न है ; और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए देश में जनमत को जागकृत करना और हमारे राज्य ढांचे में वास्तविक संघवाद को मजबूत करके लोगों की इच्छा के अनुसार सभी भाषाई राष्ट्रिकों और जातीय समूहों को अपनी पृथक स्वतंत्र पहचान बनाए रखने और अपना पूर्ण सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए पूर्ण स्वतन्त्रता देने का आश्वासन देना है।"

राज्य सरकारों के लिए अपनी सीमाओं की रक्षा करना और विदेशी तत्वों को घुसपैठ रोकना संभव नहीं हैं। आपको पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य सरकारों को पर्याप्त सहायता देना होगा ताकि वे अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकें। जब तक सीमाओं को भली भांति चौकसी नहीं होती है, घुसपैठ को रोका नहीं जा सकता।

जैसा मैंने अपने पहले के भाषण में कहा था, राज्यों को अधिक अधिकार दिए जाने चाहिए ताकि राज्य और भाषाई राष्ट्रिक अपनी भाषा, संस्कृति और अपनी सामाजिक-आर्थिक जीवन का विकास कर सकें। तभी संघीय ढांचे को सुदृढ़ किया जा सकता है। इस प्रकार भारत मजबूत और एकताबद्ध हो सकता है। इस तरीके से हम पृथकतावादी आंदोलन को रोक सकते हैं चाहें यह पूर्वोत्तर क्षेत्र में हो, चाहे यह पश्चिमी क्षेत्र में हो या कुछ तत्व पश्चिम बंगाल अथवा आगरा बंद झारखंड आदि में झारखंड जैसे आंदोलनों को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से उत्तर चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री ने पहले ही हस्तक्षेप किया है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : किसी भी तरह सरकार को बताना पड़ेगा कि क्या वर्ष 1971 को आधार वर्ष माना जायेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : जब बातचीत चल रही है तब आपको वक्तव्य देने के लिए सरकार को मजबूर नहीं करना चाहिए ; यह उचित नहीं है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : अंत में मैं कहना चाहूंगा कि मुझे प्रसन्नता है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऐसा नया वातावरण बना है। इस प्रकार मेरा इस सदन में संकल्प लाने का प्रयोजन सफल रहा है और मैं मंत्री महोदय तथा सत्तारूढ़ दल से अपील करूंगा कि वे मेरे संकल्प को पारित करें और संसदीय जीवन में एक इतिहास का निर्माण करें।

इन शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या प्रस्तावक, मंत्री महोदय ने जो कहा है उसको देखते हुए अपना संकल्प वापिस ले रहे हैं ?

श्री बापूसाहिब परुलेकर । मैं प्रस्तावक से इस तथ्य को देखते हुए अपना संकल्प वापिस लेने की अपील करता हूं कि यदि सभा ने संकल्प स्वीकार नहीं किया तो इसके बडे गंभीर परिणाम होंगे।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं सरकार और सत्तारूढ दल की प्रतिक्रिया जानना चाहता था ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : महोदय, ऐसी कोई प्रथा नहीं है कि प्रस्तावक के उत्तर मंत्री द्वारा दिया जाये परन्तु वर्तमान स्थिति को देखते हुए मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाये गए कुछ बातों को स्पष्ट करना चाहूंगा । वह आरम्भ से ही इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आधारभूत वर्ष बताया जाना चाहिए । सदन में हर कोई जानता है कि बातचीत चल रही है और सद्भावना का बड़ा अच्छा वातावरण बना हुआ है । इस समय हमें तिथि अथवा कुछ और बताकर वातावरण खराब करना नहीं चाहिए ।

माननीय सदस्य ने बताया है कि असम विद्यार्थी संघ, जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय और सब व्यक्तियों को विश्वास में लिया जाना चाहिए । प्रधान मन्त्री का आरम्भ से ही यह विचार रहा है कि विपक्षी दलों विद्यार्थियों और समाज के अन्य वर्गों के विचारों का पता लगना चाहिए । हमारा यह प्रयास है कि हमें विपक्षी दलों, विद्यार्थियों और अन्य आन्दोलनकारियों के विचारों को सुनना चाहिए । जब बातचीत होगी तब सब बातों को ध्यान में रखा जायेगा और मैं आपके द्वारा इस सम्माननीय सदन को आश्वस्त कर सकता हूं । माननीय सदस्यों ने जो विचार रखे हैं, बातचीत के दौरान उनको ध्यान में रखा जायेगा ।

श्री जी० एम० बनातवाला : क्या उन संशोधनों पर भी विचार किया जायेगा ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : सब पर ।

मैं माननीय सदस्य से इस बात पर सहमत हूं कि सीमाओं की भली भांति चौकसी होनी चाहिए । सरकार पूरी तरह से सचेत है और हम अपनी अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं की चौकसी करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं ।

माननीन सदस्य ने अपील की है कि राज्यों को अधिक शक्तियां प्रदान की जानी चाहिये । हमारा संघीय ढ़ांचा है और संविधान के अन्तर्गत राज्यों की और केन्द्र की शक्तियों की विशेषरूप से व्याख्या की गई है और यह उसको दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है । इस तत्थ को देखते हुए मैं माननीय सदस्य से अपील करूंगा कि वह संकल्प को वापिस ले लें ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : अन्तिम उत्तर......

उपाध्यक्ष महोदय : कोई अन्तिम उत्तर नहीं ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैंने माननीय सदस्य का उत्तर नहीं दिया है । मैंने कुछ बातों को स्पष्ट किया है ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं कह रहा हूं कि उन्हें केन्द्र-राज्य सम्बन्ध के बारे में अभी जो कहा है......

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं वाद विवाद नहीं कर रहा हूं । मैंने कुछ बातों का स्पष्टीकरण किया है ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री बनातवाला अपना संकल्प वापस ले रहे हैं ?

श्री जी० एम० बनातवाला : इस तथ्य को देखते हुए कि प्रस्तावक ने कहा कि वह अपना संकल्प वापस ले रहे हैं, और यह आशा करते हुए कि मैंने जो अपने वक्तव्य में और संशोधन में जो बातें उठाई हैं, उन पर अच्छी तरह से विचार किया जायेगा और सरकार इस मामले में किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगी। मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सदस्य चाहते हैं कि श्री जी० एम० बनातवाला द्वारा प्रस्तुत संशोधन वापस लिया जाये ?

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मूल चन्द डागा यहां नहीं है। मैं उनका संशोधन मतदान के लिए सभा में रखता हूं।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा चाहती है कि श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर द्वारा प्रस्तुत संकल्प वापस लिया जाये ?

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

आदिमजाति क्षेत्रों तथा अनुसूचित जातियों के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने के बारे में संकल्प

श्री गिरिधर गोमांगो (कोरापुट) : महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूँ।

"यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह लोगों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिये आदिवासी क्षेत्रों की उप-योजना और देश की अनुसूचित जातियों की संघटक योजना में स्वीकृत नीतियों एवं कार्यक्रमों को तुरन्त क्रियान्वित करने हेतु पग उठाये तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भी उन्हें दृढ़ता पूर्वक क्रियान्वित करने को कहे ताकि निहित स्वार्थों द्वारा आदिवासियों के शोषण और हरिजनों पर अत्याचार के कारण उनमें बढ़ते हुए असन्तोष और रोष को रोका जा सके तथा राष्ट्र के व्यापक हित में उनके हितों की रक्षा की जा सके।"

मैं अपने संकल्प के सम्बन्ध में अपना संशोधन भी प्रस्तुत करता हूं :

कि संकल्प में,—

"आग्रह करती है कि वह" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये—

"गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री के अधीन गृह मंत्रालय में पृथक-पृथक विभाग बनाकर— एक अनुसूचित जनजातियों के लिये और दूसरा अनुसूचित जनजातियों के लिये— जिनकी जिम्मेदारी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये गठित

> विभिन्न समितियों/आयोगों की सिफारिशों को क्रियान्वित करना, पांचवीं और छठी अनुसूचियों के उपबंधों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सम्बन्धी अन्य उपबन्धों को भी क्रियान्वित करना और उप-योजना तथा संघटक योजना के कार्य के लिये उत्तरदायी केन्द्रीय मंत्रालय तथा विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना होगी,"

इन्हें प्रस्तुत् करने के पश्चात् मैं सरकार तथा इस सभा के माननीय सदस्यों का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि हमें पहली बार आदिवासियों और हरिजनों की उप-योजना और संघटक योजना के बारे में चर्चा करने का अवसर मिला है। मेरा संकल्प अलग-अलग मागों में है, पहला भाग यह है कि आदिम जातियों में बढ़ती हुई अशान्ति व असंतोष तथा हरिजनों पर अत्याचारों को कैसे रोका जाये। हमने आरक्षण, सेवाओं में आरक्षण तथा राजनैतिक आरक्षण की नीति को अपनाया है जिसे सरकार द्वारा क्रियान्वित किया गया है, लेकिन कुछ कारणों से असन्तोष अभी भी बढ़ रहा है। हमारे संविधान में पांचवी और छठी अनुसूची है। पांचवीं अनुसूची का सम्बन्ध अन्य राज्यों से है और छठी अनुसूची असम तथा पूर्वोत्तर राज्यों से सम्बन्धित है। हमने पुर्वोत्तर क्षेत्र की समस्याओं के बारे में चर्चा की है। अब हम पांचवीं अनुसूची के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमारे लिए यह उचित समय है कि हम आदिम जातियों और हरिजनों की समस्याओं के बारे में पूर्ण चित्र प्रस्तुत करें। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि वे अपने ठोस सुझाव दें ताकि तैयार की जा रही छठी योजना के लिए समस्याओं से अवगत हो सकें। वस्तुत: वे समस्याओं के बारे में जानते हैं लेकिन इन लोगों के प्रतिनिधियों के विचारों पर भी विचार किया जाना चाहिए तथा हमारी आवाज को भी महत्व दिया जाना चाहिए। जब हम सुझाव देते हैं तो उन्हें प्रतिक्रियायें नहीं समझा जाना चाहिए। यदि आदिम जातियों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त कोई सुझाव देता है तो उसे सुझाव समझा जाता है लेकिन यदि आदिम जाति के लोग कोई कैसा ही सुझाव देते हैं तो उसे प्रतिक्रिया माना जाता है, मैं सभी राजनैतिक दलों से आग्रह करता हूँ कि वे अपने ठोस सुझाव दें। वे आलोचना कर सकते हैं लेकिन उन्हें अपने ठोस सुझाव भी देने चाहिए जिससे उन लोगों द्वारा जिन समस्याओं का सामना किा जया रहा है उन्हें सरकार द्वारा हल किया जा सके।

मैं आपसे भारत सरकार द्वारा अपनायी गयी योजना-विधि के बारे में बतलाऊंगा। पांचवीं योजना में हमने आदिमजाति उप-योजना की नई विधि अपनायी, अब उसका क्या हुआ ? 1977, 1978 तथा 1979 के तीन वर्षों में काफी कुछ पीछे छोड़ दिया गया है। उसका कारण यह है कि जो भी योजना उन्होंने अपनायी उस पर विस्तार से उन्होंने विचार नहीं किया। आई०टी०डी०पी० प्रतिवेदनों को जो कि उप-योजना के परियोजना प्रतिवेदन हैं, अभी तक पूर्णत: प्रस्तुत नहीं किया गया है। 180 प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने थे लेकिन केवल 129 ही प्रस्तुत किये गये। यहां की स्थिति यह है, तब संघटक (कंपोनेंट) योजना की स्थिति क्या है ? संघटक योजना को राज्यों द्वारा तैयार नहीं किया गया है। भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए संघटक योजना हेतु 100 करोड़ रुपये दिये थे और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए केवल 70 करोड़ रुपये। भारत सरकार, गृह मंत्रालय ने 1978 तथा 1979 में 70 करोड़ रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता दी थी और यदि वह 1980 के लिए भी जारी रहती है तो वह उचित नहीं होगा क्योंकि जब

क्षेत्रफल और जनसंख्या बढ़ गयी है तो उसी के अनुसार, सहायता में भी बढ़ौतरी होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप हमारे विचारों को पुनः सुनें।

उप-योजना क्या है? हमें पहले इस बात को समझना है। उपयोजना राज्य योजना के अन्तर्गत एक योजना और केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत एक योजना है। उप-योजना की यह संकल्पना है। राज्य उप-योजना तैयार कर ली गयी है और उन्होंने उसके लिए राशि निर्धारित कर दी है। लेकिन केन्द्रीय उप योजना के बारे में क्या स्थिति है? मैं यह विशिष्ट प्रश्न पूछ रहा हूं क्योंकि जब हमने सिद्धान्ततः यह स्वीकार कर लिया है कि उप-योजना की यह संकल्पना है तो भारत सरकार ने आदिम जाति क्षेत्रों के लिए उप-योजना तैयार क्यों नहीं की है। इसका अर्थ यह हुआ कि केन्द्रीय मंत्रालयों को आदिम जाति क्षेत्रों के लिए राशि निर्धारित करनी चाहिए। प्रधान मंत्री ने भी 1975 तथा 1980 में राशि निर्धारित करने के लिए विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों को पत्र लिखा है। इस बीच गृह मंत्रालय तथा गृह मन्त्री ने भी विभिन्न मन्त्रालयों को पत्र लिखे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। अतः, महोदय, हमारे लिए यह उचित अवसर है कि जब हम इस क्षेत्र के और इन लोगों के विकास के बारे में सोच रहे हैं तो प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय को उपयोजना और संघटक योजना के लिए राशि निर्धारित करनी चाहिए, आदिम जाति उप-योजना के लिए जो विशेष केन्द्रीय सहायता मिलती है वह गृह मंत्रालय से मिलेगी। यह राशि केवल 70 करोड़ रुपये है लेकिन इसे बढ़ाया जाना चाहिए। संसाधनों का दूसरा संघटक संस्थागत वित्त है। वह वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत आता है, एक हरिजन विकास निगम है, उसी प्रकार अनुसूचित आदिम-जातियों के लिए भी एक विकास निगम भी होगा जिसके द्वारा इन लोगों को संस्थागत वित्त दिया दिया जा सकता है। उप-योजना क्षेत्रों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित विशेष योजनायें और विशेष केन्द्रीय परियोजनायें होनी चाहिए। पहले 50 प्रतिशत केन्द्र द्वारा दिया जाता था और शेष 50 प्रतिशत का प्रबन्ध राज्यों को करना पड़ता था। इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। जब हमने सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया कि भारत सरकार पूरी केन्द्रीय सहायता देगी तो वह आधी ही सहायता क्यों दे रही है, आधा-आधा अनुदान देने के सिद्धान्त को हमने पांचवी योजना में छोड़ दिया था। इसे छठी उपयोजना में क्यों लागू किया जा रहा है। इसे छोड़ दिया जाना चाहिए।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित अनेक योजनायें हैं जिन्हें इन क्षेत्रों में भी क्रियान्वित किया जाना है, यदि आप पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो उसमें आदिमजाति क्षेत्र भी आ जाते हैं, यदि आप पिछड़े क्षेत्रों की बात करें तो तब भी आदिमजाति क्षेत्र उसके अन्तर्गत आ जाते हैं। यदि आप लोगों के पिछड़ेपन की बात करें तब भी अधिकांश अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजाति के लोग उसके अन्तर्गत आ जाते हैं। चाहे आप मुख्य योजना की बात करें अथवा उप-योजना की अथवा संघटक योजना की, यही क्षेत्र हैं और ये ही लोग हैं जहां आपकी सभी योजनायें तथा केन्द्र और राज्यों के प्रयत्न क्रियान्वित होने चाहिए। सातवें वित्त आयोग ने इस क्षेत्र के लिए केन्द्रीय सहायता बढ़ाने के बारे में सिफारिश की है। केन्द्र द्वारा 275 (i) के अन्तर्गत इन क्षेत्रों को प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए राशि दी जायेगी।

अब मैं विस्तारपूर्वक बताऊंगा कि प्रशासन के सम्बध में क्या किया जाना चाहिए। मैं मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि उनके मंत्रालय में इन मामलों के लिए केवल एक डिवीजन है न कि विभाग। अतः मैंने अपने संशोधन में यह सुझाव दिया है कि गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

के अधीन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए एक पृथक विभाग होना चाहिए। उसे किसी अन्य मंत्रालय से सम्बद्ध नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि हालांकि वे महत्वपूर्ण मंत्रालय है लेकिन वे गृह मंत्रालय की तरह शक्तिशाली नहीं है, अथवा इसे प्रधान मंत्री के साथ सम्बद्ध करना चाहिए ताकि इस सम्बन्ध में उत्तरदायी सभी केन्द्रीय मंत्रालय राशि और योजनाओं को लेकर आगे आयें। इस तरह संकल्प के सम्बन्ध में मेरा संशोधन का प्रयोजन सिद्ध हो जायेगा।

जब हम समस्याओं के सम्बन्ध में चर्चा करते हैं तो हमेशा आबंटन की समस्या सामने आती है, इन सभी का उल्लेख मेरे संकल्प में है। योजना आयोग तथा गृह मंत्रालय में इस संबंध में राज्यों को अनेक सुझाव दिये हैं कि इन योजनाओं के लिए क्या किया जाना चाहिए। लेकिन इसी में एक त्रुटि है। योजना और उप-योजना में चार चीजों की आवश्यकता है। पहली बात आबंटन की हैं। आप योजना के लिए कितना आवंटन करेंगे? योजना को क्रियान्वित करने अथवा पूंजी निवेश करने के लिए किस प्रकार का प्रशासनिक ढांचा होना चाहिए? योजना को क्रियान्वित करने वाले अधिकारियों का रुख कैसा होगा?

सरकार का—चाहे वह इस दल की सरकार हो अथवा उस दल की—इस क्षेत्र की ओर तथा उस क्षेत्र के लोगों की ओर कैसा रवैया है? चौथी बात यह है कि उपलब्धि क्या है—उपलब्धि से तात्पर्य भौतिक उपलब्धि से है न कि इस बात से कि आपने इस क्षेत्र में कितना निवेश किया है।

अन्त में, यदि मुख्य योजना के लिए ये चार बातें आवश्यक हैं तो आदिम जाति उप-योजना के लिए क्यों नहीं? हमें इन समस्याओं का सामना करना पड रहा है। दूसरी बात यह है कि अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां भूमि दूसरों को दी जा रही है। आदिमजाति लोगों की भूमि को दूसरों को सौंपे जाने से आदिम जाति के लोगों में असंतोष पैदा हो जाता है। ये महाजन तथा निहित स्वार्थ वाले लोग हैं जो आदिम जाति लोगों का शोषण करते हैं। आदिम जाति लोगों को वनक्षेत्र से बेदखल किया जाता है। आदिम जाति क्षेत्रों के सम्बन्ध में योजना को ठीक प्रकार क्रियान्विति नही की जाती है, उन पर भाषा थोपी जाती है तथा उनकी परम्परा और संस्कृति की रक्षा नहीं की जाती है, नीति की क्रियान्विति के संबंध में कुछ त्रुटि है, अधिकारी उनकी समस्याओं की ठीक प्रकार नहीं समझते, आदिमजाति लोगों में असंतोष के लिए मैं उत्तरदायी हूं। मेरे संकल्प में इस असंतोष को रोकने के लिए इन बातों की क्रियान्विति के लिए सरकार से अनुरोध किया गया है।

मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि यद्यपि अब तक आयुपद के 25 प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जा चुके हैं लेकिन कितनों के मामले में सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये हैं। आदिम जातियों के बारे में प्रशासनिक प्रतिवेदन पेश करने का उत्तरदायित्व राज्यपालों का है। उन्हें ये प्रतिवेदन राष्ट्रपति को पेश करने होते हैं, अतः, आदिमजाति क्षेत्रों पर प्रशासन केन्द्र और राज्यों का है। प्रशासन की जिम्मेदारी राज्यों की अपेक्षा केन्द्र की अधिक है। अतः मैं सरकार से एक कार्य करने के लिए अनुरोध करूंगा। संविधान की सातवीं अनुसूची में तीन सूचियां है—एक राज्य सूची है, दूसरी संघ सूची है और तीसरी समावर्ती सूची है।

क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछ सकता हूं ? संविधान में ही इस बात का उल्लेख क्यों नहीं किया जाए कि आप किस सूची में आदिमजाति विकास को दिखाना चाहते हैं। अन्यथा राज्य अपनी जिम्मेदारी को केन्द्र पर डालेगा और केन्द्र राज्यों पर, यदि वे ऐसा करें तो आदिमजाति लोगों का क्या होगा ? हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि आप इसकी जिम्मेदारी संविधान में इसका उल्लेख करके निर्धारित करें और सूची में इसकी व्यवस्था करें कि आप आदिमजातियों के लिए क्या करना चाहते हैं। हमने अनुच्छेद 371 के अन्तर्गत महाराष्ट्र, गुजरात तथा आन्ध्र प्रदेश के लिए विशेष व्यवस्था की है। ऐसी ही व्यवस्था आदिमजाति लोगों के लिए क्यों न की जाये ? संविधान के अनुच्छेद 371 के अन्तर्गत राज्यपालों को और आधिक शक्तियां दी जा सकती हैं। लेकिन हमने संविधान की पांचवी अनुसूची के अनुसार राज्यपालों को शक्तियां प्रदान की हैं। राज्यपालों को अनुच्छेद 371 के अन्तर्गत अधिक शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए ताकि राज्यपालों द्वारा राष्ट्रपति से प्रशासनिक प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत किये जा सकें, यहां मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा, जिसे मुझे आशा है मंत्री महोदय स्वीकार करेंगे। अब कार्यकारी शक्तियां राज्यों के पास हैं। जब आप राशि का आबंटन करते हैं, आप किस प्रकार जानेंगे कि उसका खर्च ठीक प्रकार से किया गया है अथवा नहीं। हाल में महालेखा परीक्षक का 1978-79 का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था। उसमें टी०डी०ए० की उपलब्धि के बारे में उल्लेख था। टी०डी०ए० ने 1971-72 में कार्य करना आरम्भ किया था और उसे ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय द्वारा आरम्भ किया गया था। प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि आदिमजाति परियोजना के लिए जो राशि आबंटित की गयी थी उसे उचित रूप से खर्च नहीं किया गया और टी०डी०ए० ने उसके लिए कोई कारण नहीं बताया है, परियोजना का उद्देश्य उस क्षेत्र में नक्सलवादी गतिविधियों पर रोक लगाना था। यदि परियोजना को इस प्रकार क्रियान्वित किया जाता है तो आप वहां उत्पन्न हो रहे असंतोष को किस प्रकार समाप्त करेंगे ? मैं चाहता हूं कि इस त्रुटि को उप-योजना में न दोहराया जाये। नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के 1978-79 के प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख है कि भविष्य में इसी बात को आदिमजाति विकास परियोजनाओं में न दोहराया जाये।

मैं दो-तीन बातें कह कर समाप्त करूंगा। निम्नलिखित समस्याओं को अभी तक पूर्णतः हल नहीं किया गया है।

1. लिपि
2. भाषा तथा सांस्कृतिक विषमता;
3. भूमि से वंचित करना
4. अवसरों की समानता
5. अन्तर-जातीय विषमता तथा संबंध,
6. धर्म;
7. शहरीकरण का प्रभाव;
8. परिस्थिति की, वन कटाई का परिणाम ;

9. शराब बेचकर शोषण करना

10. आदिमजाति क्षेत्रों के औद्योगीकरण का प्रभाव ;

11. मनोपार्जन तथा प्रतिभा विकास ;

12. सीमा पर झगड़े तथा मनोवैज्ञानिक युद्ध ;

13. हस्तशिल्प नीति ; तथा

14. संवैधानिक उपबन्ध,

आदिमजाति लोगों की ये समस्यायें हैं जिन्हें अभी तक पूर्णतः तथा सहानुभूतिपूर्वक हल नहीं किया गया है ।

अन्त में, मैं कहना चाहूंगा कि आदिमजाति लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को उपलब्ध कराना होगा और संविधान में संरक्षात्मक उपायों का उपबन्ध करना होगा और विभिन्न राज्यों के नियमों तथा विनियमों में संशोधन करना होगा, कृषि तथा उससे सम्बद्ध क्षेत्र और विपणन की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा और औद्योगिक तथा सम्बद्ध क्षेत्र की ओर भी ध्यान देना होगा ।

महोदय, केन्द्रीय मंत्रालय-वार राशियों का निर्धारण किया जाना चाहिए था लेकिन वैसा नहीं किया गया । मंत्रालयों के वार्षिक प्रतिवेदनों में इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि क्या कुछ किया गया है । ऐसा केवल कुछ ही मंत्रालयों द्वारा किया जाता है । यदि ऐसा ही रवैया है तो मेरा प्रश्न है कि आप किस प्रकार राज्यों से राज्य के विकाश क्षेत्र से राशि निर्धारित करने के लिए कहेंगे । कृपया ध्यान रखें कि मुख्य बजट में आदिम जातियों और हरिजनों के लिए परि-योजना शीर्ष सेवा जाये और वार्षिक प्रतिवेदन में इसका उल्लेख होना चाहिए कि उन्होंने कितना आबंटन किया है और कितना खर्च किया है । जब महाराष्ट्र और एक अथवा दो अन्य राज्यों ने आदिम जाति उप-योजना के लिए पृथक बजट तैयार किये हैं तो अन्य राज्य उप-योजनाओं के लिए पृथक बजट तैयार क्यों नहीं करते । अन्यथा नियत की गई राशियां व्यपगत हो जायेंगी । यह केवल कागज में रहेगी और व्यय वास्तव में नहीं हो पायेगा ।

आदिम जाति तथा हरिजनों का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय सदस्यों के लिये सुझाव देने का यह उत्तम समय है क्यों कि निर्माणाधीन छठी योजना एक अच्छी रिपोर्ट होगी जिसके द्वारा हमारे इरादों, उद्देश्य तथा हित की पूर्ति होगी ।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह मेरे संशोधन सहित मेरे संकल्प को स्वीकार करें ताकि संकल्प का आशय छठी योजना में परिलक्षित हो ।

महोदय, मैं अपनी बात कह चुका हूं । धन्यवाद

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह लोगों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिये आदिवासी क्षेत्रों की उप-योजना और देश की अनुसूचित जातियों की संघटक योजना में स्वीकृत नीतियों एवं कार्यक्रमों को तुरन्त क्रियान्वित करने हेतु पग

उठाये तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भी उन्हें दृढ़तापूर्वक क्रियान्वित करने को कहे ताकि निहित स्वार्थों द्वारा आदिवासियों के शोषण और हरिजनों पर अत्याचार के कारण उनमें बढ़ते हुए असंतोष और रोष को रोका जा सके तथा राष्ट्र के व्यापक हित में उनके हितों की रक्षा की जा सके ।"

कि सकल्प में—

"आग्रह करती है कि वह लोगों" के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाये—

"गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री के अधीन गृह मंत्रालय में पृथक-पृथक विभाग बनाकर—एक अनुसूचित जनजातियों के लिये और दूसरा अनुसूचित जनजातियों के लिये—जिनकी जिम्मेदारी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये गठित विभिन्न समितियों/आयोगों की सिफारिशों को क्रियान्वित करना, पांचवीं और छठी अनुसूचियों के उपबंधों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सम्बन्धी अन्य उपबन्धों को भी क्रियान्वित करना और उप- योजना तथा संघटक योजना के कार्य के लिये उत्तरदायी केन्द्रीय मंत्रालय तथा विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना होगी,"

कुछ संशोधन हैं उन्हें प्रस्तुत किया जाये ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि सकल्प में,—

अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये—

"और यह सभा आगे सरकार से अनुरोध करती है कि अपने निहित स्वार्थों के लिये आदिवासियों और हरिजनों पर अत्याचार के दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाये ।"

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संकल्प में,—

(i) "उन्हें दृढ़तापूर्वक" के पश्चात "एक निश्चित अवधि के भीतर" अन्तःस्थापित किया जाये

(ii) अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये "और देश को भावी विस्फोटक स्थिति से बचाया जाये"

श्री भीखाभाई (बांसवाड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संकल्प में—

"जन जातीय क्षेत्रों" के पश्चात "सामान्य रूप से आदिवासी क्षेत्रों और विशेषरूप से अनुसूचित क्षेत्रों" अन्तःस्थापित किया जाये ।"

श्री बापू साहेब परुलेकर (रत्नागिरि) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि संकल्प में,—

अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये—

"और इस सभा की यह भी राय है कि यद्यपि उपयोजना का दृष्टिकोण तथा कार्याविधि पांचवीं योजना में ही स्पष्ट रुप से उद्घाटित कर दी गई थी, फिर भी उपलब्धियां योजना में उल्लिखित वरीयताओं के अनुसार प्राप्त नहीं हुई हैं और इसलिये यह सभा सरकार से सिफारिश करती है कि वह राज्य सरकारों को अपने तंत्र अधिक कुशल बनाने और बिना और विलम्ब किये आवश्यक परियोजनाएं तैयार करने का निर्देश दें।"

श्री भीखा भाई : इस रेजोल्यूशन में जो मैंने एमेंडमेंट दिया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है यह मैं बताना चाहता हूं। ट्राइबल एरिया का सृजन किस तरह से हुआ? संविधान के अन्दर शैड्यूल्ड एरिया का सृजन किया गया। दर असल शैड्यूल्ड एरिया को गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट के अन्तर्गत पार्शली एक्सक्ल्यूडिड एरिया और एक्सक्ल्यूडिड एरिया कहा जाता था। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसको संविधान के अन्दर समाविष्ट किया। शैड्यूल्ड एरिया में अनुसूचित आदिम जातियों का जिन को एबोरिजनल्ज़ कहा जाता था, बाहुल्य था। संविधान में इसको लेकर कुछ अनुच्छेद जोड़े गए ताकि वहां रहने वाले लोगों को राहत पहुंचाई जा सके और बैक्वर्ड कहलाने वाले जो लोग थे और जो सब ह्यूमन लाइफ लीड करते थे, उनको आगे बढ़ाया जा सके। ब्रिटिश गवर्नमेंट की यह नीति थी कि इन का म्यूजियम बनाया जाए, दुनिया के लोग आकर इन को देखें और इन पर पिटी करें, इन पर दया करें और बाहर जाकर हिन्दुस्तान की बुराई करें। परन्तु जब नेशनल गवर्नमेंट की स्थापना हुई तो उसने इस पर गम्भीर सोच विचार किया और यह जानने की कोशिश की कि किस प्रकार की विचारधारा यहां चलनी चाहिये। एक विचारधारा थी ऐसीमिलेशन की, दूसरी थी इंटेग्रेशन की और तीसरी थी आइसोलेशन की। देश के नेताओं ने महसूस किया कि इनका इंटेग्रेशन होना चाहिए, राष्ट्र की मुख्य धारा के अन्दर इनका इंटेग्रेशन होना चाहिये। यह प्रक्रिया बराबर चली आ रही है।

केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने कुछ मल्टीपरपज़ ब्लाक्स स्थापित किए। आल्विन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार भी कुछ कार्य हुआ। परन्तु जो काम किया गया उसका कार्यान्वयन ठीक नहीं हुआ। आज मैं प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक नया दृष्टिकोण अपनाया, एक नया परस्पैक्टिव 1975 में निकाला। इसके दो उद्देश्य थे। उसका नाम था प्लान आबजेक्टिव्ज एण्ड प्रायोरिटीज़। पहला तो यह था कि डिवेलेपमेंट के लेवेल में ट्राइबल तथा दूसरे क्षेत्रों में जो गैप है उसको कम करना और दूसरा यह था कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अन्दर किस प्रकार सुधार लायाजा सकता है।

(श्री गुलशेर अहमद पीठासीन हुए)

इन दो उद्देश्यों को लेकर यह प्लान बनाया गया था। इसको करीब 18 राज्यों में लागू किया गया और साथ ही साथ यूनियन टैरिटरीज़ में अलग से प्लान बनाए गए। जो काम

प्रारम्भ किए गए, जो योजना बनाई गई उसमें केन्द्र द्वारा सहायता देने की बात रखी गई जिसको स्पेशल असिस्टेंस कहा जाता है, वह स्पेशल असिस्टेंस देने की बात कही गई। उसमें लगभग 350 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई यानी हर साल सत्तर करोड़ रुपया। दूसरे यह कहा गया कि राज्य सरकारें अपने यहां से, अपने विभागों से इनफ्लो करेंगी। यह भी तय हुआ कि सेंट्रल मिनिस्टरीज़ भी उसके अन्दर पार्टिसिपेट करेंगी। लेकिन सेंट्रल मिनिस्टरीज ने पार्टिसिपेट नहीं किया। इस वास्ते जो प्रस्ताव के मूवर हैं उन्होंने मांग की है कि केन्द्र के अंदर इस प्रकार का कारपोरेशग हो जिसको डिवेलेपमेंट कारपोरेशन कह सकते हैं जोकि जो सेंट्रल प्लान हो या सब प्लान हो, उसको कोआर्डिनेट करे या अलग से मंत्रालय हो इस काम को सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकता है। स्टेट्स में सब प्लान बनता है और केन्द्र में प्लान बनता है, और वह दूसरे प्लान्ज़ को फिनांस करता है। ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक है कि यहां पर एक बहुत बड़ा ट्राइबल डेवेलपमेंट कारपोरेशन हो, जहां से स्टेट गवर्नमेंट्स के पास इनफ्लो हो, ताकि उनकी शक्ति बढ़े।

आज स्थिति यह है कि सेंट्रल मिनिस्ट्रीज ने अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं निभाई है। ट्राइबल एरियाज़ की बात छोड़ दीजिए ; उनकी कोई कांस्टीट्यूशनल सैंक्टिटी नहीं है। लेकिन शिड्यूल्ड़ एरियाज की तो एक कांस्टीट्यूशनल सैंक्टिटी है। संविधान के शैड्यूल 5 के पैराग्राफ 3 में कहा गया है कि जिस राज्य में शैड्यूल्ड एरियाज़ हैं, वहां का गवर्नर हर साल उन एरियाज़ के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में प्रैजिडेंट को रिपोर्ट देगा और केन्द्रीय सरकार को इस बारे में राज्यों को डायरेक्शन्ज़ देने का अधिकार होगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने अब तक राज्यों को कितने डायरेक्शन्ज़ दिये हैं। मुझे कहना पड़ता है कि उसने कोई डाररेक्शन्ज नहीं दिये हैं।

शिड्यूल 5 के पैराग्राफ़ 5(2) में लिखा है कि गवर्नर अपने राज्य के शिड्यूल्ड एरिया में पीस और गुड गवर्नमेंट के लिए रेगुलेशन्ज़ बना सकता है। मंत्री महोदय ने मेरे एक प्रश्न का जो उत्तर दिया, उससे मुझे आश्चर्य होता है। समय कम होने के कारण मैं उसको पढ़ कर नहीं सुनाना चाहता हूं। उसमें उन्होंने कहा कि यह प्रशासन की रिपोर्ट है। मैं कहना चाहता हूं कि संविधान में प्रशासन की रिपोर्ट नहीं, बल्कि गुड गवर्नमेंट की रिपोर्ट लिखा हुआ है, इसलिए गुड गवर्नमेंट की रिपोर्ट होनी चाहिए। और गुड गवर्नमेंट का यार्ड-स्टिक क्या है, वह संविधान में लिखा हुआ है। यदि पार्लियामेंट या विधान सभा द्वारा पास किये गये किसी कानून से शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ के हितों को किसी प्रकार की हानि की आशंका हो, तो राज्यपाल ऐसे कानून को रिपील कर सकता है या आदेश दे सकता है कि वह कानून शिड्यूल्ड एरिया पर लागू नहीं होगा।

अभी प्रस्तावक महोदय ने लिकर वेंडिंग का प्रश्न उठाया और ट्राइब्ज़ के एक्सप्लायटेशन का प्रश्न उठाया। क्या मंत्री महोदय जानते हैं कि ट्राइब्ज़ का कितना एक्सप्लायटेशन हो रहा है ? वह मेरे पड़ोसी राज्य, गुजरात के रहने वाले हैं और मेरे दोस्त हैं। वह डांग्ज़ डिस्ट्रिक्ट या छोटा उदयपुर की स्थिति जानते होंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उनसे भी पिछड़े हुए क्षेत्र हैं। मैं उस क्षेत्र का नाम नहीं लूंगा, जहां से मैं आता हूं। मैं नाम लूंगा संथाल परगना, दुमका, रांची, घाटशिला और मिर्जापुर वगैरह का। उन क्षेत्रों में क्या स्थिति है ? जैसाकि मैंने

पहले भी कहा है, वे क्षेत्र एमबाडीमेंट आफ् पावर्टी हैं। प्रायः कहा जाता है कि हमारे यहां पचास प्रतिशत लोग पावर्टी लाइन से नीचे हैं। लेकिन उन क्षेत्रों में तो पावर्टी लाइन है ही नहीं।

संविधान में दिये गये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्ज़ और केन्द्रीय सरकार की एक्सिक्यूटिव पावर का अगर ध्यान रखा गया होता, तो यह स्थिति न होती। राज्यपालों पर यह जिम्मेवारी डाली गई है कि वे जाकर उन क्षेत्रों को विज़िट करें, लेकिन वे वहां गये ही नहीं। संविधान को लागू हुए तीस साल हो चुके हैं। मैं जानना चाहता हूं कि विभिन्न राज्यपालों ने इस अवधि में गुड गवर्नमेंट के जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किये, उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की। मैं यह कहता हूं, शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज़ के बारे में मार्च में मैंने थोड़ी सी बात बतायी थी और यह पूछा था कि कम से कम शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्ज़ कमिश्नर की जो साढ़े चार हज़ार सिफारिशें हैं उनके क्रियान्वयन के लिए क्या कर रहे हैं, किस तरह से उनका क्रियान्वयन कर रहे हैं तो मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि ये जो सिफारिशे हैं इनको हमने स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भेज दिया है। तो यह स्टेट गवर्नमेंट का काम है क्या? शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्ज़ की जिम्मेदारी तो आप की है, स्टेट गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी है? आप उनको डायरेक्टिव देते हैं ··· ·(व्यवधान)··· · अभी तो मैंने पाने अमेंडमेंट की बात भी पूरी नहीं की। मुझे पांच मिनट और दे दीजिए।

सभापति महोदय : बहुत से माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। आप अब समाप्त करें।

श्री भीखा भाई : तो मैं अब शेड्यूल्ड एरिया के बारे में कहता हूँ। उसकी बात खत्म करता हूँ। उसके बारे में मंत्री महोदय जानें, संविधान के अन्दर जो डारेक्टिव्ज़ हैं उनको आज तक कार्यान्वित नहीं कराया है तो कराएं।

ट्राइबल सब-प्लान के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि सब ट्राइबल एरियाज़ शेड्यूल्ड एरियाज़ नहीं है लेकिन सब शेड्यूल्ड एरियाज़ ट्राइबल एरियाज़ हैं। ये ट्राइबल एरियाज़ जो हैं जो डिमार्केट हुए हैं सब-प्लान के अन्तर्गत और जो राज्यों ने बनाए हैं उनकी जनसंख्या को देखिए, साढ़े चार करोड़ है, 250 ट्राइब्ज़ हैं, 150 भाषाएं बोलते हैं, उनकी अलग-अलग संस्कृति है, अलग-अलग रंग, अलग-अलग वेशभूषा और अलग-अलग स्टेंडर्ड आफ लिविंग है। उनकी हालत में सुधार करने के लिए जब तक केन्द्रीय सरकार कटिबद्ध नहीं होगी और प्रस्तावक महोदय ने जो सुझाव दिए हैं उनके ऊपर जब तक अमल नहीं किया जायगा तब तक कुछ भी काम नहीं हो सकता है। स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस जो 70 करोड़ की है, प्रति वर्ष पांच साल से लगातार वही चल रही है। हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री ने ज्ञानी जी को चिट्ठी लिख कर कहा है कि हम तो स्टेट के अन्दर हमारा जो हिस्सा है उसको बढ़ा रहे हैं लेकिन आप पैसा नहीं बढ़ा रहे हैं। 337 लाख रुपये आप 77-78 में देते थे उसको घटा कर 256.49 लाख आप ने कर दिया। मंत्री महोदय से मैंने निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की परफामेंस नहीं है। अब यह परफामेंस क्या है? हमारे मुख्य मंत्री ने लगातार तीन वर्षों के आंकड़े दिए और कहा कि हमने सेक्टोरल प्लान पर रुपया बढ़ाया है, हमारा परसेंटेज बराबर बढ़ता रहा है। अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सब-प्लान के लिए स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस में जो आपने 350 करोड़ रखा है, जब उनकी पापुलेशन बढ़ गई है, आपके प्लान का आकार बढ़ गया है तो इसकी धनराशि क्यों नहीं

बढ़नी चाहिए ? वह 350 करोड़ के स्थान पर 500 करोड़ होनी चाहिए। यही कह कर मैं ग्रपनी बात खत्म करता हूं।

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीमनगर): यह जो रेजोल्यूशन गोमांगों साहब लाए हैं यह बहुत ग्रहम है। इस को तो कोई भी ग्रपोज़ नहीं करेगा, हर एक इस को सपोर्ट करेगा। ग्राप को मालूम है कि हजारों साल से यह हमारे हरिजन ग्रौर गिरिजन लोग दबे हुए हैं, इन को दबा कर रखा गया है। कोई उन की स्थिति को देखने वाला नहीं था। खास कर के शेड्यूल्ड कास्ट्स जो ग्रनटचेबिलिटी से सफर कर रहे थे, ग्राज हिन्दुस्तान के ग्राजाद होने के बाद भी उन की यह समस्या ग्रभी बनी हुई है। गवर्नमेंट कुछ मेजर्स ले रही है लेकिन फिर भी हम उस में कामयाब नहीं हुए हैं। हिन्दुस्तान की ग्राजादी के वास्ते जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्ट्रगल चल रहा था तो उसी वक्त ऐसे लोगों के लिए महात्मा जी ने कहा था कि जो हम ग्राजादी चाहते हैं यह सिर्फ बड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि ऐसे लोगों के लिए चाहते हैं जो हजारों साल से दबा कर रखे गए हैं, जिनकी ग्रार्थिक स्थिति हजारों साल से खराब है, ऐसे लोगों की स्थिति ग्रच्छी करने के लिए हम ग्राजादी चाहते हैं। तो उस वक्त हिन्दुस्तान की ग्राजादी के पहले ही महात्मा जी ने ऐसे स्टेप्स लिए थे जिस में हरिजनों की भलाई के लिए कुछ काम किया था। लेकिन ग्राजादी के बाद तो ग्राज तैंतीस साल हो रहे हैं फिर भी यह समस्या हमेशा हमारे सामने ग्राती है। यहां शेड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्ज की एक कमेटी भी है जिस में ज्यादातर वही सदस्य होते हैं। इस साल नोटिस मिला है कि कुछ दूसरे लोगों को भी उस में एलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इन सब लोगों के रहने के बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पाए हैं। ऐसी हालत में गवर्नमेंट ने जो बजट में प्रोवाइड किया है वह शायद 3 हजार करोड़ है। तीन हजार करोड़ जो ग्रापने एलोकेट किया है, बहुत ग्रच्छा किया है। जब तीन हजार करोड़ ग्रापने शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए किया है तो शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए कुछ इससे ज्यादा ही होना चाहिए। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक उनकी ग्रार्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी तबतक यह जो ग्रनटचेबिलिटी की प्राब्लम है वह हल नहीं होगी ग्रौर जितना ऊपर ग्राप उनको लाना चाहते हैं वह ला नहीं पायेंगे। इसलिए यह जो सेन्ट्रल ग्रासिस्टेंट फार शेड्यूल्ड कास्ट्स है इसके ग्रन्तर्गत जो ग्रापने स्कीमें ली हैं, स्पेशल काम्पोनेन्ट प्लान्स में, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बैण्ड्री, डेयरी, माइनर इरीगेशन, फिशरीज, काटेज ऐण्ड विलेज इण्डस्ट्रीज़, हैण्डीक्रैफ्ट्स, एजूकेशन, हेल्थ, हाउसिंग इत्यादी की जितनी भी स्कीमें ग्रापने ली हैं वह बहुत ग्रच्छी है लेकिन एक बात मैं मकवाना साहब से जोकि एक हरिजन मिनिस्टर हैं, कहना चाहता हूं कि यहां से ग्राप गाइडलाइन्स भेज रहे हैं यह ग्रच्छा किया है परन्तु कहां तक इंप्लीमेन्टेशन हो रहा है, इसको भी देखना चाहिए। मुझे खुशी है कि मकवाना साहब ने गुजरात जाकर एक मीटिंग बुलाई थी ग्राफिसर्स की, लेकिन गुजरात तो ग्रापकी स्टेट है, वहां पर बहुत ग्रच्छी बिगनिंग हुई है, गुजरात के ग्रलावा जो ग्रौर स्टेट्स हैं वहां पर भी आप जायें। ग्राप ग्रकेले नहीं जा सकते तो ग्रापस में बांट लें, ग्रौर भी मिनिस्टर्स हैं, ग्रौर वहां पर जाकर चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरीज की मीटिंग बुलाकर, जो यहां से गाइडलाइन्स इश्यु की गई हैं वह कहां तक इंप्लीमेंट हो रही हैं—इस बात को देखें। ग्रगर ठीक से इंप्लीमेन्टेशन नहीं हो रहा है तो ऐक्शन लेना चाहिए। जब तक ग्राप यह काम नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। तीन हजार करोड़ रुपया ग्रापने ट्राइबल्स के लिए रखा है,

शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए भी कुछ पैसा होगा—यह जितना भी पैसा है उसका कोई फायदा नहीं पहुँचेगा।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। जो हरिजन और गिरिजन हैं जिनकी अच्छाई के लिए आप इतना पैसा दे रहे हैं उसमें ज्यादा पैसा ऐसे लोगों के पास जा रहा है जो कि उनके लीडर्स हैं। वही लीडर्स उस पैसे को खाकर बैठ जाते हैं और बेचारे गरीब लोग गरीब ही रहते हैं। आपने शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए हाउस साइट प्रोग्राम चलाया लेकिन मैं अपनी कांस्टीटूएन्सी में गया था, मैंने देखा कि हर एक गांव में जो भी लीडर रहते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के, वही लोग ज्यादा ले लेते हैं अपने नाम पर, अपनी बीबी के नाम पर, अपने बेटे और बेटी के नाम पर और जितने भी गरीब लोग है जिनका कोई इन्फ्लूएन्स नहीं है उनको हाउस साइट्स नहीं मिली हैं। इसलिए हरिजन और गिरिजन में जो कमजोर लोग हैं उनके लिए खास इन्ट्रेस्ट लेने की जरूरत है।

इसी तरह से मुझे खुशी है कि आप कई प्रोग्राम चला रहे हैं, आप स्कालरशिप्स दे रहे हैं, ओवरसीज़ स्कालरशिप्स दे रहे हैं लेकिन इसमें जो डिजर्विंग लोग हों उन्हीं को यह मिलना चाहिए। गर्ल्स हास्टल्स हैं, किताबें भी आप सप्लाई कर रहे हैं—यह सब आप अच्छा कर रहे हैं लेकिन जैसा मैंने कहा, जिन लोगों को यह सब मिलना था उनको नहीं मिला। आपने प्रोटेक्शन आफ सिविल राइट्स ऐक्ट बनाया है लेकिन उसका सही इंप्लीमेन्टेशन हो रहा है—इसमें मुझे डाउट है। इसी तरह से मैं ने देखा है कि अनटचेबिलिटी की तहत आपने लीगल एड का प्राविज़न रखा है लेकिन जहाँ अनटचेबिलिटी हो वहां क्या आप कोई फ्री वकील एप्वाइन्ट कर रहे हैं या फिर किस तरह से लीगल एड के प्राविज़न को इंप्लीमेन्ट कर रहे हैं? अपनी स्टेट में मैंने लीगल एड नहीं देखी। खासकर मेरे डिस्ट्रिक्ट में पता नहीं लीगल एड कहां दी जा रही है? वहां अनटचेबिलिटी के कुछ केसेज़ आए थे तो मैं एक गांव में गया और सब इंसपेक्टर को भेजकर अरेस्ट करवाई। तो इस तरफ भी आपको देखना चाहिए। आप प्राज़ीक्यूटिंग आफिसर एप्वाइन्ट करके मदद देना चाहते हैं लेकिन वह ठीक तरह से हो नहीं रहा है। स्पेशल कोर्ट का प्राविज़न अच्छा है लेकिन आपने कहां पर स्पेशल कोर्ट बनाई है? आंध्र प्रदेश में चार डिस्ट्रिक्ट्स में अनटचेबलिटी केसेज़ के लिए मोबाइल कोर्ट लगाई गई हैं। इसमें लीगल एड की भी जरूरत नहीं है। वे गांव में जाकर पूछेंगे कोई अनटचेबिलिटी केसेज़ या दूसरी एट्रोसिटीज़ हैं और फौरन ऐक्शन लेकर जजमेंट दे सकती हैं। आन्ध्र प्रदेश के चार जिलों में आपने किया है, लेकिन दूसरे स्टेट्स में इसका प्रोवीजन नहीं किया है। मेरा आपसे निवेदन है कि यदि दूसरे स्टेट्स से भी इसका प्रोवीजन हो जाए तो अच्छा है।

आपने वालेंटरी आर्गेनीजेशन स्कीम बनाई है। मकवाना साहब जब आप जवाब दें, तो बताइएगा कि ये वालेंटरी आर्गेनीजेशन्स क्या हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बोगस आर्गेनीजेशन्स हैं या ये सही काम कर रहे हैं। एक करोड़ रुपया उन लोगों को सैंटर की तरफ से दिया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लोग हरिजन के नाम पर रुपया खा जाते हों? इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस पर खास तवज्जह दें।

अब मैं एक-दो मिनट शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में कहना चाहता हूं। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग देश के दूसरे भागों में भी है, लेकिन इनकी तादाद नार्थ-ईस्टर्न-रिजन, जैसे मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मनीपुर, मिजोरम, त्रिपुरा आदि में 80-90 प्रतिशत होगी। इन लोगों की व्यवस्था के लिए हमने हल्दर साहब के रिजोल्यूशन पर भी बोलते हुए कहा था कि उस एरिए को नैग्लैक्ट न किया जाए। इसलिए चाहे असम की समस्या हो या मणिपुर की समस्या हो, यह सिर्फ इकोनॉमिक डवेलपमेंट न होने की वजह से हो रही है। मुझे खुशी है कि उन लोगों के एजीटेशन की वजह से, फारेनर्स के नाम से, यह चीज आपके नोटिस में आई है और अब आप उन के लिए कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं और वह करना चाहिए। लेकिन जब तक वे लोग मेन-स्ट्रीम में नहीं लाए जायेंगे, तब तक नेशनल इन्टीग्रेशन एचीव नहीं कर सकते हैं। वहां ज्यादा पैसा देकर रेलवे लाइन बनाइए, रोड्स बनाइए और ज्यादा से ज्यादा इन्डस्ट्रीज़ बनाइए।

मुझे नार्थ-ईस्टर्न स्टेट्स में जाने का मौका मिला था। मैंने वहां देखा कि वहां प्लानटेशन का काम होता है, जैसे चाय का या तेल निकलता होता है। ये सब काम दूसरे लोगों के हाथ में है, वहां के लोगों के हाथ में नहीं है। न असम के लोगों के हाथ में है और न वहां के दूसरे स्टेट्स के लोगों के हाथ में है। राजस्थान के लोग डोमिनेट कर रहे हैं या दूसरे लोग जो वहां के बाशिन्दे नहीं है, डोमिनेट कर रहे हैं।

श्री मूल चन्द डागा : राजस्थान तो सारे हिन्दुस्तान में छाया हुआ है। वह तो सेवा करता है।

श्री एम० सत्यनारायण राव : ठीक है, लेकिन फैक्ट यह है कि वे लोग इकोनॉमिक डोमिनेशन कर रहे हैं। सब इन्डस्ट्रीज़ प्लानटेशन उन के हाथ में है। आज जो ट्राइब्लस एजुकेशन की वजह से ऊपर आ रहे हैं, वे महसूस कर रहे हैं कि जब तक ओनरशिप हमारे हाथ में नहीं आयेगी, तब तक हमारा डेवेलपमेंट नहीं हो सकता है और इसलिए वहां पर एजीटेशन हो रहा है। जैसे कश्मीर में लैण्ड दूसरों को नहीं बेची जा सकती है, अगर ऐसा कोई प्रोवीजन आप इनके लिए भी लायें, तो मैं समझता हूं कि वह ठीक होगा।

श्री मूल चन्द डागा : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। ये कैसे एक समाज के खिलाफ बात करते हैं। हम अपना फायदा नहीं उठाते हैं, हम तो सेवा करते हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : शोषण करने के लिए जाते हैं।

श्री एम० सत्यनारायण राव : कश्मीर में जैसी व्यवस्था आपने बनाई है, अगर वैसी व्यवस्था, बनायें, तो शायद उनका इकॉनोमिक डवलेपमेंट हो सकेगा। इस तरह की व्यवस्था से लोग महसूस करेंगे कि वहां जितनी जमीन है या दूसरी चीजें हैं, वे हमारी हैं, हम उनके ओनर है।

विधि तथा कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : ट्राइबल लैंड्स ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं।

श्री एम० सत्यनारायण राव : एक बात और बतलाना चाहता हूं। हमारी नेता के नेतृत्व में हम जो यहां पर पावर में आए हैं, वह शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की वजह से आए हैं। हमें 90 या 100 प्रतिशत लोगों ने वोट दिया है। उनके वोट की वजह से हम यहां पार्लियामेंट में बैठे हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनकी स्थिति को अच्छा करें।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री हरिहर सोरन (क्योंझर) : मैं श्री गिरिधर गोमांगो द्वारा प्रस्तुत किए गए संकल्प का समर्थन करता हूं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों को बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मुझे विश्वास है कि भगवान इस प्रकार अन्यायी नहीं है कि इन समस्याओं को पैदा करे। इन अधिकतर समस्याओं के लिए प्रशासन उत्तरदायी है।

जब हम स्वतन्त्र हुए तो हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने हरिजनों तथा जनजातीय लोगों की दशा सुधारने का निर्णय किया। उनके विकास को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में विशेष उपबन्ध रखे गये ताकि वे शेष समाज के बराबर के स्तर तक पहुँच सकें। विभिन्न योजनाओं में इन अभागे वर्गों के उत्थान के लिए राशियां आबंटित की गईं। जन जातीय उप-योजनाएं तथा छोटी योजनाएं बनाई गई उनके कार्यान्वियन पर करोड़ों रुपये व्यय किये गये परन्तु हरिजनों तथा जनजातीय लोगों की दशा में सुधार नहीं हुआ है।

इसका कारण योजनाओं के कार्यान्वियन के ईमानदारी का अभाव है। जिन्हें इन योजनाओं को कार्यान्वित करना चाहिये था। वे इन लोगों की दुर्दशा के प्रति अप्रभावित रहे और उनका शोषण करते रहे। जिन अफसरों के मन में इन अभागे लोगों के बारे में कोई सहानुभूति नहीं हो उनके द्वारा तैयार की गई योजनायें किस प्रकार से सफल हो सकती है ?

देश की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में गहरा विश्वास है। इसी कारण 1980 के चुनावों में उन्होंने उन्हें भारी बहुमत दिया। वह अन्तिम आशा है। यदि वह भी उनकी दशा सुधारने में असफल रहीं, तो कोई अन्य सरकार इन पद-दलित लोगों को दुर्दशा से बाहर नहीं निकल सकेगी।

योजनायें कितनी भी अच्छी क्यों न हों केवल उनको तैयार करने मात्र से उनकी सहायता नहीं हो सकती और न ही उनमें असन्तोष फैलने को रोक सकती हैं। कार्यान्वियन में हमारी कमजोरी है और सरकार को यह देखना चाहिए कि योजनाओं का ईमानदारी से कार्यान्वियन हो और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के उत्थान के लिए आबंटित धनराशि उसी प्रयोजन के लिए खर्च की जाये।

हमारे देश की 75 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे रहती हैं और उसमें से बहुमत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों का है। वे साधनहीन लोग हैं। साधनों वाले लोग आराम-प्रद जीवन व्यतीत कर रहे हैं परन्तु निर्धन अनुसूचित जातीय और अनसूचित जनजातीय व्यक्ति दुर्दशा में जी रहे हैं। उनका शोषण किया जाता है, उपेक्षा की जाती है, दमन किया जाता है और इस कारण वे पिछड़े बने रहते हैं। उनमें से अधिकतर को एक समय का खाना भी नहीं मिलता। इन परिस्थितियों में आप देश में शांति और अनुशासन की सम्भावना किस प्रकार से कर सकते हैं ? सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रशासन द्वारा अपने तरीके बदले जायें और वे इन अभागे लोगों के उत्थान के लिए योजनाओं को ईमानदारी से कार्यान्वित करें।

*उड़िया में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

हम कानून बनाते हैं परन्तु वे केवल अमीरों को संरक्षण देते हैं, जो कि अवसरवादी हैं और दूसरों को मिलने वाले लाभों को भी प्राप्त कर लेते हैं। ये कानून अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की सहायता नहीं करते। हमें देखना होगा कि विशेष कानूनों के द्वारा उनको तथा उनके हितों को संरक्षण दिया जाये।

जहां तक कृषि श्रमिकों का सम्बन्ध है हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिनकी मासिक आय 15,000/- रु० से अधिक है परंतु कृषि श्रमिक को मजूरी के रूप में यदि 4 रु० प्रति रिम प्राप्त हो जाये तो वह भाग्यशाली होता है। यह उड़ीसा राज्य में नियत की गई न्यूनतम मजूरी है। चार रु० की राशि पर कोई व्यक्ति कैसे जीवित रह सकता है। ऐसे भी लोग हैं जो धूम्रपान पर इससे अधिक राशि एक दिन में व्यय करते हैं। हमारी योजनाओं, उपयोजनाओं तथा सह-योजनाओं का क्या लाभ यदि कृषि श्रमिक अपनी दैनिक मजूरी के साथ परिवार का तो या स्वयं अपना पेट भरने में असमर्थ हैं। योजनायें गरीबी के प्रसार को रोकने में असमर्थ हैं।

देश का विकास और प्रगति हरिजनों तथा आदिवासियों के उत्थान पर निर्भर करती है। यदि सरकार इन समुदायों की भलाई के प्रति उत्सुक है तो इसे यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उनके लाभ की योजनाओं को ईमानदारी तथा तेजी से कार्यान्वित किया जाये।

जहां तक भूमि सुधारों का सम्बन्ध है मेरा अनुरोध है कि अधिकतर हरिजन एवं आदिवासी, यदि उनके पास भूमि है तो छोटे और सीमांत किसान हैं। जमीन के छोटे-छोटे टुकड़े ही उनका सहारा हैं क्योंकि उनके पास किसी अन्य काम में लगाने के लिये पूंजी नहीं है। उनके पास उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु भी धन नहीं है। जमीन से होने वाली अपनी अल्प आय को बढ़ाने का एक ही तरीका है कि वे दूसरे की जमीन पर कृषि श्रमिक के रूप में काम करें। दूसरी ओर भूतपूर्व, जमींदारों ने झूठे नामों पर अपने पास काफी जमीन रख रखी है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को जो उनकी जमीनों पर काम करते हैं, चार रुपये प्रतिदिन की मजूरी मिलती है। न्याय की मांग है कि जमीन के वास्तविक जोतने वालो को उस जमीन का मालिक बनाया जाये।

जहां तक भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों की बात है फालतू भूमि को भूमिहीनों में बांटे जाने की व्यवस्था है परन्तु जहां कहीं ऐसी भूमि बांटी गई है, जोत का आकार इतना छोटा है कि उनके पाने वालों के परिवारों के लिए पर्याप्त नहीं है। कभी कभी तो खेती पर होने वाला खर्च भी प्राप्त होने वाली फसल के मूल्य से अधिक होता है। अतः उन्हें और अधिक भूमि दी जानी चाहिये।

अन्त में, मैं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के जीवन स्तर को सुधारने के लिये कुछ सुझाव देना चाहता हूं। इन वर्गों के कल्याण की सहकारी योजनाएं तथा अन्य परि-योजनाएं उनमें शिक्षा के प्रसार के लिये आबंटित की जानी चाहिये। हरिजनों तथा आदिवासियों को उनके क्षेत्रों कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं में अधिक से अधिक संख्या में नौकरी दी जानी चाहिये। उनके लाभ की योजनाओं को कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व उन वर्गों के अधिकारियों को सौंपा जाना चाहिये। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है। मेरी प्रार्थना है कि इस का टाइम एक्सटेंड कर दीजिए। दो घंटे से बढ़ा कर तीन घंटे, चार घंटे कर दिया जाए।... (व्यवधान)...

सभापति महोदय : श्री सुन्दर सिंह। आप पांच मिनट ही लीजिए।

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लौर): यह बहुत इम्पोर्टेंट मसला है। मैं सन् 1947 से एम०एल०ए० लगा हुआ हूँ और अब यहां आ गया हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह जो हरिजनों का मसला है, यस कहते हैं कि यह दे दो और वह दे दो। मुझे हैरानी इस बात की है कि यह मांगते किससे हैं। आपको वोट दे दिये गये और आप एम० पी० बन गये। अब आप इकट्ठा हो कर इन के हकों को लें। आप सेवा करने के लिए वोट लेते हैं और हरिजनों को कोई फायदा नहीं मिलता है। मैं आप को सरदार प्रताप सिंह की बात बताता हूं, जो चीफ मिनिस्टर थे। मैं 1951 की बात करता हूं, 1957 की बात करता हूँ। वह कोई जमीन नहीं देता था हरिजनों को और यों ही कह देता था कि हरिजनों को जमीन देंगे। उस ने जमींदारों को कह दिया था कि तुम अपनी जमीन पर बाग लगा लो। उन के यहां फार्मर्स की एक मीटिंग हुई, तो मैंने एक प्राइवेट आदमी वहां छोड़ दिया। उसमें उन्होंने कहा कि मैं तो यों ही कह देता हूं और हरिजनों को जमीन नहीं देनी है। मैंने पांच स्टैन्डर्ड एकड़ जमीन ली। मेरी श्री जवाहरलाल नेहरू से दोस्ती थी और उन्होंने मेरी मदद की। उनकी वजह से मुझे जमीन मिली है। मैं तो यह समझता हूं कि देहातों में अगर उनके पास जमीन हो जाती है, तो लाठी भी हो सकती है। जमीन नहीं होगी, तो लाठी नहीं होगी। चरण सिंह उनको वोट नहीं डालने देंगा। जमींदारों की यही हालत है और यही देवी लाल ने भी किया। उनको वोट नहीं डालने दिया जाता और 30 साल से ऐसा ही होता रहा है। आप ने हरिजनों में इतनी ताकत नहीं डाली कि वे अपना वोट डाल सकें। क्यों कि आपने land reforms नहीं की, इसलिए मुझे हैरानी है कि आप अपने हक किस से मांगते हो। आज लोगों का यह किरदार है कि दो, दो और तीन तीन लाख रुपया खर्च कर देते हैं और मिनिस्टर बन जाते हैं। मैं हैरान हूं कि आप किसी के उपदेश पर अमल नहीं करते हैं।

महात्मा गांधी ने कहा है —

"मैं दूसरा जन्म नहीं लेना चाहता। यदि मुझे पुनर्जन्म लेना पड़े तो मेरा जन्म अछूत के रूप में हो ताकि मैं उनके दुःख बाँट सकूं। अतः मैं प्रार्थना करता हूँ कि यदि मेरा पुनर्जन्म हो तो ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय अथवा वैश्य अथवा शूद्र के रूप में न हो कर "अति शूद्र" के रूप में होना चाहिए"।

यह तो महात्मा गांधी की बात हुई। अब मैं कहना चाहता हूं कि गुरु नानक ने क्या कहा है—

नीचा अन्दर नीच है, नीचा तू अतिनीच
नानक तिनके संग साथ, मेरी बड़ों से क्या रीस,
जिनके नीच समा लिये उत्थे तेरी नजर तेरी बख्शीश ॥

ये जो वजीर हैं, जो बटरें हैं वे सड़कों पर घूम रहे हैं। जो वोट मांगते हैं या जो वोट लेते हैं वे बड़ी बड़ी सवारियों पर चलते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। ये लोग गरीबों की तरफ कुछ ध्यान नहीं देते। मैं आपको क्या बताऊं कि यह जो पांच एकड़ जमीन हरिजनों को दी गई वह पंडित जवाहर लाल नेहरू की वजह से हरिजनों को मिली थी। वह जमीन सरदार प्रतापसिंह की वजह से नहीं मिली थी। मैं तो काफी इलाकों में हालत देख कर के बड़ा हैरान होता हूं। ये जितने कास्ट्स हैं वैश्य हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, खत्री हैं ये अपने आपको सुपीरियर समझते हैं। ये हम पर डोमिनेट करते हैं। ये सुपीरियर्टी काम्प्लेक्स पैदा करते हैं। ये लोग हमारे लिये क्या कर सकते हैं? हरिजन ऐसा नहीं है जो मांग कर लेगा।

जब तक लाखों लोग भूख और अज्ञानता में रहते हैं मैं ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को गद्दार मानता हूं जो उनकी कीमत पर शिक्षित हुए हैं परन्तु उनकी ओर लेशमात्र भी ध्यान नहीं देते।

ये लोग हम से वोट ले कर लिप सिम्पेथी दिखलाते हैं, क्रोकोडाइल टियर्स बहाते हैं। ये हरिजनों के खैरख्वाह बनते हैं। ये लोग हमारे लिए कोई काम नहीं करते हैं।

हरिजन भाइयों मेरा कहना है कि मैंने इन्दिरा जी से कहा कि हमें मुलाकात चाहिए। हमें चाहिए कि हमारे एस० पी०, हमारे आई० जी० हर स्टेट में हों। फिर देखते हैं कि कौन हमें मारता है। कम से कम हमारी जानें तो बच जायेंगी। मैंने उनसे कहा कि देना तो आपने कुछ नहीं, सिर्फ यही दे दीजिए कि हमारी जानें बच जाये। ये जो हमारे मकवाना साहब मिनिस्टर हैं ये कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें तो उस खान्दान से प्यार है जिसकी वजह से आज हम बैठे हैं।

इसलिए मैं सीधी बात कहता हूं। आप सब जानते हैं कि मेरी कोई खास इच्छा नहीं है। मैं हरिजन भाइयों आपको बताता हूं—

कोई भी मनुष्य अनुरोध करके अपना हक नहीं प्राप्त कर सकता। हक तो अनिच्छुक हाथों से छीने जाते हैं। (स्वामी विवेकानन्द)

आपके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। मैं आपको कहता हूं कि ये सब लिप सिम्पेथी दिखा रहे हैं। आप खुद मेम्बर बन गये हो फिर किस से मांगते हो। इन्होंने कुछ नहीं देना है, देना किसी ने नहीं है। हमें चाहिए तो सिर्फ मुलाकात चाहिए।

यह गरीब आदमी है, यह अमीर आदमी है। ये सब नारे हैं। मैं आपको बताता हूँ—

चरित्र के बिना ज्ञान बुराई के लिए शक्ति है जैसा अनेक उदाहरणों से स्पष्ट है—विश्व में प्रतिभावान चोर एवं भद्र दुर्जन।

ये होशियार आदमी है, ये हमको एक्सप्लोइट करते हैं। मैं यह जान कर के हैरान हूं कि ये कुछ नहीं करते है। कमेटियों में क्या होता है और जो उनकी रिपोर्ट आती हैं उनका क्या होता है? वहां पर जो मैम्बर होते हैं टी ए और डी ए लेते हैं और रिपोर्ट दे देते हैं लेकिन उन पर कोई अमल नहीं होता है, आगे की कोई कार्रवाई नहीं होती है। रिपोर्ट छाप दी, उसके बाद काम खत्म हो जाता है।

सचिव लोग जो हैं वे मंत्रियों की बात नहीं मानते हैं। जो वे चाहते हैं वह करते हैं। बिना उनकी मर्जी के कुछ नहीं होता है। इस वास्ते आपका कंट्रोल पूरी तरह से उन पर होना चाहिए।

संजय गांधी ने फैमिली प्लानिंग का कार्यक्रम चलाया था। उसको भी खत्म कर दिया गया है। वह बहुत अच्छा प्रोग्राम था। उसके बिना आप जो कुछ चाहे करते जाएं, मदद देते जाएं, कुछ नहीं होगा। हजारों लोग रोज मरते हैं। आबादी इतनी हो गई है कि जो आदमी कार या बस पर जाता है अगर वापिस लौट कर घर आ जाए तो यह उसकी खुशकिस्मत है। अब आप फैमिली प्लानिंग के बारे में क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साथ ही बिना लैंड रिफार्म्ज के तरक्की नहीं हो सकती है।

आज जिनको खाने के लिए अच्छा मिलता है, जिनको पहनने के लिए अच्छा मिलता है वे बड़े बड़े लैक्चर झाड़ देते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था बोलो कम, करो ज्यादा। इनके कहे अनुसार आपको और हम को भी अमल करना चाहिये।

कास्ट सिस्टम को भी आपको खत्म करना चाहिए। शर्मा, ठाकुर, वगैरह को जातियां हैं इन सब को आपको खत्म करना चाहिये। जाति प्रथा पर आपको करारा हमला करना चाहिये।

1946 से मैं मैम्बर चला आ रहा हूं। चौधरी छोटू राम तब मिनिस्टर हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि तुम भी अपने नाम के साथ चौधरी लगा लो। हम चौधरी बन गये जमीन हमारे पास कोई नहीं। आज हमारा राज्य है और मैं कहता हूं :

मेरी अब जिन्दगी को ठोकरें खाना नहीं आता
मैं मजबूरे तमन्ना हूं कि मर जाना नहीं आता
तुम्हारी बज्म में आ कर हमें जाना नहीं आता
होशो हवास खो कर दिल को समझाना नहीं आता
पर यह दुनिया अपनी दुनिया है, हमी तो इसके मालिक हैं
कोई बेगाने के घर में कोई बेगाना नहीं आता
पर तेरे मस्तों को साकी शोरे माशर क्या उठाएगा
यह वह है जिनको पी कर होश में आना नहीं आता।

मैं अन्त में यही कहना चाहता हूं कि हमारे लोगों को आप एस पी, एस एस पी, आई जी आदि बड़े पदों पर बैठा दें तब देखेंगे हम पर कौन जुल्म करता है, कौन हमें वोट डालने नहीं देता है।

इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री बापु साहेब पारुलेकर : मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं। उसके साथ ही मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया है जिसमें सुझाव दिया है कि चाहे सरकार द्वारा योजनाएं बनाई गई है और उस पर बहुत अधिक राशि व्यय की गई है उनका कार्यान्वयन उचित ढंग से नहीं हुआ है। मैं

अपना संशोधन नहीं पढ़ूंगा चूंकि वह परिचालित किया गया है और मेरे पास समय बहुत कम है।

मेरी श्री मकवाना तथा श्री शिव शंकर से अनुरोध है कि जन-जातीय तथा हरिजनों की समस्याएं केवल आर्थिक उत्थान के द्वारा और इन संकल्पों के पारित किए जाने से हल नहीं हो सकतीं। आपको इस बात से हैरानी होगी कि यदि मैं आपको बताऊं कि देश के मेरे भाग में इन कथित अछूतों के साथ, जिन्हें अब हरिजन कहा जाता है, किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। यदि भीड़ में किसी सवर्ण के साथ कोई अछूत छू जाए तो अपने आप को शुद्ध करने के लिए वह गाय का आलिंगन करता है। तब वह समझता है कि वह शुद्ध हो गया है। आप इसे किस प्रकार से हल करेंगे ?

प्रो० एन० जी० रंगा : ऐसा अजीब जिला कौन सा है ?

श्री बापु साहेब परुलेकर : वह महाराष्ट्र का सांगली नगर है। जहां से आपके वसंत दादा पाटिल चुन कर आये हैं। यह स्थिति सांगली, सतारा तथा अन्य क्षेत्रों की है।

हमारे क्षेत्र में हरिजन महिलाएं बेंत की टोकरियां बुनती हैं और जब वह उनको बेचने के लिए जाती हैं तो आंगन के एक कोने में खड़ी होती हैं। यदि सौदा तय हो जाये और तय कीमत 1.50 रु० है। यदि उसे 2 रु० दिये जायें तो वह 50 पैसे वापस करती है। 50 पैसे के सिक्के उस से वापस लेकर महिला उसे धोती के छोर से बांध लेती हैं उस धोती से जो पूजा के समय पर बांधी जाती है। परन्तु बेंत की वह टोकरी घर के भीतर नहीं ले जाई जाती। घर का नौकर उस टोकरी पर एक बाल्टी पानी डालता है। यह पहली शुद्धि है। तब उसे घर के पहले कमरे में ले जाया जाता है। तब उस पर गोमूत्र छिड़का जाता है और उसे दूसरे कमरे में ले जाया जाता है। कुछ दिन के उपरांत उसे पूरी तरह से शुद्ध माना जाता है और तब घर की महिलाएं उसे उपयोग में लाना आरम्भ करती हैं। आप इसमें कैसे सुधार लाने जा रहे हैं ? कृपया उस हरिजन महिला के दिमाग की दुर्दशा पर विचार कीजिए, जो यह सब देख रही है कि हरिजन द्वारा दिये जाने वाला 8 आने का सिक्का सीधा भगवान के कक्ष में पहुंच जाता है, यह उसकी जेब में चला जाता है, लेकिन उसने रात-रात भर जाग कर बेंत के जिस बाक्स को बनाया था, उसे इस विशेष क्षेत्र में प्रयोग होने के लिए महीनों लग जाते हैं। ऐसी अनेक घटनाएं हैं, लेकिन मैं उनके विषय में बताकर सभा का समय नहीं लूंगा। इन संकल्पों के माध्यम से, इन मुँहजबानी सहानुभूतियों से इन समस्याओं को कोई हल नहीं निकलने वाला है और इसलिए संकल्प के बाद वाले भाग के लिए मेरा यह सुझाव है कि यदि ऐसा नहीं किया गया है, तो उसका प्रभाव वही होगा, जो हम उत्तर पूर्वी राज्यों में होता हुआ देख रहे हैं और इसलिए, हमें कुछ बातों पर बड़ी गम्भीरता से विचार करना है।

हम देखते हैं कि वर्ष 1971 में हुई जनगणना के अनुसार जनजातियों के लोगों की जनसंख्या 380 लाख थी, जो कुल जनसंख्या का 7 प्रतिशत थी। वर्ष 1976 में क्षेत्र प्रतिबन्धों को हटाने के बाद 411 लाख अर्थात् 7.5 प्रतिशत हो गई। इस प्रकार इसमें वृद्धि हुई। जैसा हमें पता चलता है कि ये जन जातियां सामाजिक तथा आर्थिक विकास के विभिन्न चरणों में हैं और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की समस्यायें भी भिन्न-भिन्न हैं। यद्यपि व्यापक आधारभूत ढांचा तैयार

है, फिर भी इन योजनाओं के कार्यान्वियन की असफलता के कारण पैसा खर्च करने के बावजूद हमें इसके कोई परिणाम नहीं मिल रहे हैं।

अब, महोदय इस सम्मानीय सदन के माननीय सदस्यों की सूचना के लिए मैं यह बताना चाहूँगा कि आंकड़ों के अनुसार पहली योजना से पांचवीं योजना तक जनजातियों के लिए कुल मिलाकर 859.93 करोड़ रुपये की धनराशि ही खर्च की गई है। इसका परिणाम क्या रहा? जैसा कि मैंने बताया है, मुख्य कठिनाई कार्यान्वियन की है। इसका कार्यान्वियन कौन करता है। दिल्ली के वातानुकूलित कमरों में बैठे हुए उच्च अधिकारी, दफ्तरशाह लोग जनजातियों की समस्याओं को हल नहीं कर सकते।

उस दिन, मेरे विद्वान मित्र श्री राजदा ने माननीय सूचना मंत्री जी को पंडित जवाहर लाल नेहरु की एक घटना सुनाई थी। यह एक संकेत था। घटना इस प्रकार थी कि पंडित जवाहर लाल नेहरु कबीलों में गये थे, उन्होंने उनकी ड्रैस पहनी, उनके लोक-नृत्यों में भाग लिया और यह दिखाने का प्रयास किया था कि वे भी उनमें से एक हैं। लेकिन हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं, वे वहां पूरे सूट में जाते हैं, महिलाएं बालों का फैशनेबल स्टाइल बनाकर जब मीनीज और बिकनोज कपड़ों में वहां जाती हैं, तो वहां की महिलाएं डर कर भाग जाती हैं। अतः जब तक कि हम जन-जातियों के लोगों में यह भावना पैदा करके उनमें यह विश्वास जगाने के लिए उन्हें शिक्षित न बना दें कि हम भी उनमें से ही हैं, तब तक इस विशेष समस्या का समाधान नहीं निकल सकता।

जनजाति के लोगों की समस्याओं का सम्बन्ध, जैसा कि अभी-अभी मैंने संकेत दिया है, तथाकथित सभ्य और उन्नत लोगों के व्यवहार और शिक्षा से भी उतना ही है जितना कि उनके अपने विकास से है।

मैं एक और यह सुझाव देना चाहूँगा कि इन उन्नत लोगों को दो बातें सिखानी पड़ेंगी— जनजाति जीवन की नैतिकता, जो हमारे लोग नहीं जानते। हम पैसा खर्च करने की बात करते हैं, योजनाएं बनाते हैं; लेकिन हम जनजातियों के दस्तूरों को नहीं जानते, हम यह नहीं जानते कि जनजातियों के लोगों से कैसे व्यवहार किया जाये। हम यह समझ बैठते हैं कि हम उनको यह बताने आये हैं कि हम भगवान के भेजे हुए विशेष दूत हैं और हम उनकी उन्नति के लिए आये हैं। उनकी अपनी इज्जत है और इन बातों का वे बुरा मानते हैं तथा इसे अपमानजनक समझते हैं। इसीलिए इस पांचवीं योजना में एक सुझाव दिया गया है, जिसे मैं यहां उद्धृत करना चाहूँगा :—

> "इस प्रकार, नगरों के उन्नत, शिक्षित और विशिष्ट वर्ग के लोगों को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे वे जनजाति जीवन की नैतिकता से अवगत हो जायें, जिससे उनमें जनजाति लोगों के आत्मसम्मान के प्रति आदर की भावना पैदा हो जाए और जिससे वे उनकी संस्कृति को उसमें स्वंय भाग लेकर समझें न कि उसका संरक्षक बनकर या उन पर कृपा प्रदर्शित करके।"

यह एक तरीका है, जिसके जरिए समस्या तक पहुंचा जा सकता है।

दूसरी बात हमें यह देखनी है कि क्या हमने शोषण समाप्त कर दिया है। इस योजना में यह उल्लिखित है :

> "पहला उपाय यह होना चाहिए कि उसे शोषण की ऐसी अनेक प्रतिक्रियाओं से बचाया जाये, जिन्हें आदिवासी क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों को शुरू करने के साथ-साथ बल मिलता है।"

यद्यपि हमने 900 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च कर दी है, तो भी हमें इसके कोई परिणाम नहीं मिल रहे हैं।

मैं एक उदाहरण पेश करना चाहूंगा। यदि कोई आदिवासी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दिल्ली आता है और वह किसी कार्यालय में अपनी आदिवासी वस्त्रों में जाने का प्रयास करता है, तो उसे कार्यालय-भवन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलती। लेकिन यदि कोई शहरी कपड़ों में जाता है तो बड़े आराम से वह अन्दर प्रवेश कर सकता है। अतः आपको ऐसे समाज सेवकों के एक कैडर का निर्माण करना चाहिए, जो आदिवासियों की समस्याओं, जीवन निर्वाह के तरीकों, भाषा और दस्तूरों को समझते हों। ऐसे लोगों की भर्ती की जानी चाहिए। केवल तभी इस समस्या को हल किया जा सकता है।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान वर्ष 1977-78 की आयुक्त की रिपोर्ट की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जिसमें यह उल्लिखित है :

> "यह देखा गया है कि इस धारणा को, कि आदिवासियों के विकास की जिम्मेदारी सभी विकास विभागों की है अनुभव करने में पर्याप्त समय लगा है। सभी राज्यों में अभी तक आदिवासी विकास विभागों के प्रमुख वरिष्ठ अधिकारी नहीं हैं। इसी प्रकार, अधिकांश मामलों में आई०. टी० डी० पी० के स्तर पर परियोजना प्रशासकों की नियुक्ति नहीं हुई है। यह भी देखा गया है कि परियोजना प्राधिकारियों को प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों को सौंपने में भी काफी विलम्ब हुआ है।"

यह स्थिति है, जो परिणामों के न मिलने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। मैंने एक संशोधन का सुझाव दिया है कि राज्यों को यह निर्देश दिया जाना चाहिए कि जो कुछ यहां बताया गया है, उस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कुछ ऐसा काम करना चाहिए, जिससे कि आदिवासियों के आत्म सम्मान का आदर किया जा सके।

श्री सुधीर गिरि (कन्टई) : मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूँ। बिल्कुल न होने से तो कुछ होना अच्छा है। इस संकल्प में दिये गये सुझावों से जनजातियों और अनुसूचित जातियों की वास्तविक समस्या हल नहीं होगी। उन्हें अन्य पिछड़े लोगों से अलग कर के नहीं देखा जाना चाहिए।

उनकी मुसीबतों का मुख्य कारण तो यह है कि उन्हें मैदानों में काम करना पड़ता है, उन्हें बड़े-बड़े जमींदारों द्वारा मजूरी पर रखा जाता है, उन्हें तावेदारी करनी पड़ती है। अतः केवल कुछ प्रस्ताव पेश कर देने से ही प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा।

संकल्प में चार बातों का उल्लेख है। सबसे पहले संकल्प में यह कहा गया है कि आदिवासी लोगों के लिए उपयोजना और अनुसूचित जातियों के लिए घटक योजना शीघ्र ही राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार द्वारा कार्यान्वित की जानी चाहिए। इसमें दूसरी बात यह दी गई है कि लोगों की सामाजिक आर्थिक दशा को सुधारने के लिए उप-योजना और घटक योजना में अपनाई गई नीतियां और कार्यक्रम क्या-क्या हैं। तीसरे, हरिजनों और आदिवासियों में शोषण के कारण असन्तोष और अशान्ति है। इन्हीं विषयों के सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

सर्वप्रथम, इनके लिए योजनाएं और उपयोजनाएं तो चल ही रही हैं तथा पांचवीं पंच-वर्षीय योजना में इन पर विस्तृत रूप से कार्यवाही की गई है, और योजना आयोग ने यह निष्कर्ष निकाला है कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए और उस कार्यक्रम के अन्तर्गत, ऐसे क्षेत्रों का पता लगाया जाना चाहिए, जहां अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या 20 प्रतिशत से अधिक हो और जहां आदिवासी क्षेत्रों की बहुलता हो तथा योजनाओं और उप-योजनाओं के कार्यान्वियम हेतु ऐसे क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाना चहिए। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में तीन सुझाव दिये गये हैं। प्रथम क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र नामक तीन क्षेत्र होने चाहिए। प्रथम क्षेत्र में कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन और वन सम्बन्धी उद्योग होंगे। योजना में इस बात का उल्लेख है कि इन के सम्बन्ध में कार्यवाही में तेजी लाई जानी चाहिए और इनका विकास होना चाहिए। दूसरे क्षेत्र में, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों का विस्तार होना चाहिए तथा लघु उद्योग, कारीगरी और अन्य सहायक सेवाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। तृतीय क्षेत्र में नियोजित विपणन, प्रोसेसिंग उद्योग और तत्सम्बद्ध अन्य गतिविधियों का विस्तार होना चाहिए, इन कार्यक्रमों में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना कुओं और नलकूपों की व्यवस्था किया जाना और अस्पतालों का बनाया जाना आदि सम्मिलित हैं। हमें आजादी मिलने के पश्चात्, तथा 1950 में हमारा सविधान लागू होने के समय से लेकर अब तक हमने देखा है कि अनेक योजनाओं और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि वास्तविक गरीब लोगों के लिए क्या किया गया है? वर्ष 1971 में वर्तमान प्रधान मन्त्री, जो उस समय भी प्रधान मंत्री थीं, ने घोषणा की थी और यह नारा दिया था कि देश से गरीबी को समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन 1977 में जब उन्हें सत्ता से हटाया गया, तो उस समय गरीबी की रेखा से नीचे गुजर-बशर करने वालों की संख्या में 40 प्रतिशत से बढ़कर 65-70 प्रतिशत तक पहुंच चुकी थी और इस संख्या में दिन-प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। इन लोगों के लिए क्या किया जा रहा है?

मैं श्री सोरन को जिन्होंने उड़िया भाषा में विस्तार से बोलते हुए आशा व्यक्त की है कि प्रधान मंत्री के नेतृत्व में सभी समस्यायें हल हो जाएंगी, बधाई देता हूं। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि ये समस्यायें तब तक हल नहीं की जा सकती, जब तक कि बुर्जुआ लोगों और बड़े-बड़े जमींदारों के हाथ में सत्ता रहती है और जब तक आर्थिक शक्ति, प्रशासनिक शक्ति और नीति बनाने संबंधी शक्ति साम्राज्यवादी बहु-राष्ट्री कम्पनियों के हाथ में रहती है। अतः मैं कुछ सूझाव देता हू। यदि सरकार वास्तव में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के साथ-साथ पिछड़े लोगों की समस्याओं को हल करना चाहती है—क्योंकि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोग गरीब हैं तथा सवर्ण हिन्दुओं में भी कुछ लोग गरीब हैं—तो हमें कुछ करना होगा। यदि योजना आयोग की सिफारिशों को पूर्णतः स्वीकार कर लिया जाए और

उन्हें कार्यान्वित किया जाए, तो भी शोषण, काला-बाजारी, सूदखोरी भारी बेरोजगारी और बन्धक मजूरी चलती रहेंगी। न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी; समाज कल्याण के कार्यक्रमों हेतु, नौकरशाही का कोई लचीला रुख नहीं होगा; जनता में भारी निरक्षरता रहेगी; अन्ध-विश्वास रहेगा तथा उत्पादन-पद्धति और उत्पादन-सम्बन्ध पहले जैसे ही बने रहेंगे। यदि उत्पादन पद्धति पहले जैसी ही रहती है, तो हम गरीब जनता का कैसे भला कर सकते हैं? अतः, उत्पादन-पद्धति और उत्पादन-संबंध में परिवर्तन लाना होगा। यह सब करने के लिए सामाजिक परिवर्तन लाना होगा। सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए हमें आमूल-चूल भूमि सुधार के बारे में विचार करना होगा। ऐसे लोगों को भूमि के अधिकार से वंचित कर देना चाहिए जो खेत नहीं जोतते और ऐसी फालतू भूमि को बिना कोई मूल्य लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्ग के लोगों में बांट दिया जाना चाहिए।

मेरा यह एक व्यवहारिक सुझाव है कि जनजाति कल्याण संगठन अथवा अनुसूचित जाति कल्याण संगठन जैसी अनेक संस्थाएं हैं। लेकिन इन संस्थाओं के पास अपने कोई आत्म निर्भर तन्त्र नहीं है। इन्हें राज्य सरकारों पर निर्भर रहना पड़ता है और इसलिए ये सुचारु रूप से कार्य नहीं कर पाती। यह देखने के लिए कोई आत्म निर्भर तन्त्र का होना आवश्यक है कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों से प्राप्त होने वाले धन का अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के कल्याण के लिए ही उपयोग किया जाता है।

इन लोगों को दी गई जमीन पर इनके अधिकार को रिकार्ड किया जाना चाहिए। भूमि रखने की सीमा को घटाया जाना चाहिए। हर आदमी और औरत को दोनों वक्त का खाना अवश्य ही मिलना चाहिए। उन्हें कपड़े अवश्य मिलने चाहिए; उन्हें शिक्षा मिलनी चाहिए। भारत में, हम देखते हैं, कि जनता का 67 प्रतिशत भाग अनपढ़ रह जाता है। वे अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं हैं; वे दूसरे लोगों के अधिकारों के प्रति सजग नहीं हैं; वे यह नहीं जानते कि गाँवों में क्या-क्या सुविधाए दी जा सकती हैं। अतः, मेरे विचार से, सामाजिक परिवर्तन के लिए क्रान्तिकारी नीतियों को अपनाया जाना चाहिए। मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूँ, जिन्होंने एक दिन कहा था कि उनकी सरकार की नीतियां क्रान्तिकारी नीतियों से भिन्न हैं। मैं उन्हें इस बात पर बधाई देता हूं कि उन्होंने इसे स्वीकार किया। वे सरकार बनाने वाले लोग, जब जनता के पास जाते हैं, तो कहते हैं कि वे गरीबों के दोस्त हैं। लेकिन जब ये सत्ता में आते हैं तो उन गरीबों के साथ उचित व्यवहार नहीं करते। ये उन्हें उपेक्षित कर देते हैं। ये उन्हें भूल जाते हैं।

महात्मा गांधी के एक भाषण का उद्धरण देने के बाद मैं अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। महात्मा गांधी ने अपनी कृतियों में कहा है:

> "जब आप संशय में हों, अथवा जब स्वार्थ आपको बहुत सता रहा हो, तो यह परीक्षण कीजिए। ऐसे सबसे गरीब और सबसे कमजोर आदमी को अपने ध्यान में ले आइये, जिसको पहले कभी आपने देखा हो, और अपने आप से पूछिए कि जो कदम आप उठाने जा रहे हैं, क्या उससे उसे भी कोई लाभ पहुंचेगा; क्या इससे उसे कोई फायदा होगा; क्या इससे वह अपनी नियति को बदल सकेगा।"

मै उन सभी लोगों से अनुरोध और अपील करता हूं, जो महात्मा गांधी के प्रति आदर-भाव दिखाने के कारण गांधी-टोपी पहनते हैं, कि वे अपने हृदयों में झांक कर देखें कि क्या वे वास्तव में इस देश के सबसे गरीब लोगों के चेहरों को देख रहे हैं। मेरा विचार है, वे ऐसा नहीं करते।

मैं जवाहरलाल नेहरू का एक सन्दर्भ देता हूं। 1936 में, उन्होंने लखनऊ में अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था :

> "मैं इस बात को पूरी तरह मान चुका हूं कि संसार की समस्याओं और भारत की समस्याओं के हल करने की एक-मात्र कुंजी समाजवाद है और जब मैं इस शब्द का प्रयोग करता हूं तो मैं इसका प्रयोग अस्पष्ट मानवीय रूप से नहीं करता, बल्कि मैं इसका प्रयोग वैज्ञानिक, आर्थिक दृष्टि .... भारत के लोगों की गरीबी और व्यापक बेरोजगारी को समाप्त करने का मुझे समाजवाद के अतिरिक्त कोई और रास्ता दिखाई नहीं देता।"

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : सभापति महोदय, आज़ादी के 33 साल गुज़र जाने के बाद भी आज हरिजनों और आदिवासियों की स्थिति बहुत ही शोचनीय है, बहुत दुखद है। आज पूर्वोत्तर भारत में जो आन्दोलन चल रहा है और जिसमें मांग की जा रही है कि बाहर के लोगों को भगाओ, इसका मतलब है कि उन लोगों का सर्वांगीण शोषण बाहर के लोग ही करते हैं, जिससे उनका विकास अधूरा रह जाता है, वे उपेक्षित रह जाते हैं। पांच पंचवर्षीय योजनायें खत्म हो चुकी हैं, हर पंचवर्षीय योजना के समय कहा गया कि हरिजनों और आदिवासियों का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर ऊपर उठाया जायगा, लेकिन आज भी उनकी स्थिति बड़ी चिन्ताजनक बनी हुई है, वही कराह, वही उत्पीड़न आज भी उस समाज के अंदर व्याप्त है।

ऐसी परिस्थिति में आज जो संकल्प आया है, इस पर विशेषत: सरकार को और गृह मंत्री जी को विशेष रूप से विचार करना चाहिये। आज हरिजनों पर सर्वत्र अत्याचार हो रहा है, उनको ज़िन्दा जलाया जाता है। पार्लियामेंट के पिछले सप्ताहों में लगातार उन घटनाओं पर चर्चा होती रही है, कहीं उनको मारा जाता है, कहीं उनको जलाया जाता है, कहीं उनको लूटा जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। इन सब घटनाओं से ऐसा मालूम होता है कि अभी तक उनके लिये कोई कारगर कार्यवाही नहीं हो पाई है। पिछली पांच पंचवर्षीय योजनाओं में कितनी धनराशि उनके नाम पर खर्च हुई. वह सही ढंग से उन लोगों के लिये नहीं हुई है, उनको ज़मीन पर नहीं लाया जा सका है। उनके नाम पर उनकी मदद करने वाले सब बीच में खा जाते हैं, उनका शोषण कर जाते हैं।

मैं छोटा नागपुर क्षेत्र से आता हूं, जहां आदिवासियों और हरिजनों की संख्या बहुत ज्यादा है। छोटा नागपुर में आदिवासियों की संख्या 36 लाख से अधिक है और हरिजनों की संख्या भी इस से कम नहीं है। इसके बावजूद भी वहां अभी भी दो-जून खाने के लिये नहीं मिलता है। हरिजनों और आदिवासियों के गांवों तक सड़कें नहीं बन पाई हैं, न उन के लिये मकानों की व्यवस्था है, न उन के बच्चों के लिये पढ़ाई की व्यवस्था है। आदिवासियों के गांवों में जो स्कूल हैं, उन के लिये मकान नहीं है, आज भी वहां वृक्षों के नीचे बच्चे पढ़ते हैं, वर्षा के दिनों में वहां

पढ़ना दूभर हो जाता है और शिक्षक लोग यूंही तलब लेते हैं। इस तरह की बहुत सी समस्यायें वहां पर हैं।

उन के पास जो जमीनें हैं, उन को बड़े-बड़े लोग, सेठ-साहूकार लोग नाजायज ढंग से बेनामी कागज़ों के द्वारा रजिस्टर करा कर हज़म कर जाते हैं। इसलिये मैं आप से यह निवेदन करना चाहूंगा...

सभापति महोदय : टाइम कम है, इसलिये सजेश्चन्ज़ दे दीजिये।

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा—मेरा निवेदन है कि वे मेरे सुझाव पर विचार करें, बल्कि इस को मान लें तो बहुत अच्छा होगा—हरिजनों और आदिवासियों पर जो अत्याचार हो रहा है, इसकी देख-रेख करने वाले जो मंत्री होते हैं, वे किसी दूसरे वर्ग के होते हैं, जिस से उन के प्रति जो उचित सहानुभूति होनी चाहिये, संवेदना होनी चाहिये, वह नहीं हो पाती है। इसलिये मैं चाहता हूँ कि इन के लिये एक पृथक मंत्रालय होना चाहिये जो केवल हरिजनों और आदिवासियों के कल्याण और उनके सर्वांगीण विकास का ही काम करे और उस विभाग में जो मंत्री हो, वह चाहे हरिजन हो या आदिवासी हो। जब कहीं भी हरिजनों और आदिवासियों पर जुल्म हो, अत्याचार हो, वह उस को सही ढंग से देखे और अपने दृष्टिकोण को उनके प्रति सही रखे, अन्यथा यह होता है कि हर मामले को दबा दिया जाता है।

दूसरी बात—एक कालबद्ध योजना होनी चाहिये। हरिजनों तथा आदिवासियों के लिये जो काम किया जाय, उस के लिये निश्चित समय फिक्स किया जाना चाहिये और अधिकारियों को उस के लिये बतलाना चाहिये। जैसे स्कूल का निर्माण करना है तो उन को स्पष्ट कह दिया जाय कि इतने समय में बन जाना चाहिये, यदि नहीं बनता है तो जो अधिकारी ज़िम्मेदार होंगे, उन को ज़िम्मेदार ठहराया जाय, उन पर कठोर कार्यवाही की जाय। हरिजनों और आदिवासियों का आर्थिक विकास कैसे हो सकता है, उन के लिए क्या डेवलपमेंट के काम हो सकते हैं, यह देखने की बात है। जंगलों में जो नदि नाले हैं, उन को बांध कर लिफ्ट इर्रीगेशन द्वारा सिंचाई की जा सकती है और उन के लिए खेती के साधन उपलब्ध कराए जाएं। यह कार्यवाही अभी भी अपेक्षित हैं और इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

इतना कह कर मैं समाप्त करता हूं।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री गोमांगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस संकल्प के द्वारा एक बार फिर इस सदन में अनुसूचित जातियों और जन-जातियों की समस्याओं के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित करने का मौका दिया और इन्होंने जो रेज़ोलेशन मूव किया है, उस का मुख्य मुद्दा यह है "उप-योजना और उप-योजना का कार्यान्वयन"।

मैं मकवाना साहब से आग्रह करूंगा कि हिन्दुस्तान की आजादी के बाद से, मैं देख रहा था कि आप के पास अभी कोई रिसेन्ट रिपोर्ट नहीं है, जिससे यह पता चल सके कि इस देश में शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की जन-संख्या कितनी है। इस के बारे में जो

1971 की रिपोर्ट जन-गणना की है, उस के मुताबिक 3 करोड़ 90 लाख आदिवासी इस देश में थे। उन की जनसंख्या को अगर आप अलग अलग प्रदेशों में देखें, तो इस प्रकार है :

आन्ध्र प्रदेश	22 लाख 26 हजार
असम	16 लाख 07 हज़ार
बिहार	49 लाख 33 हज़ार
गुजरात	37 लाख 57 हज़ार
कर्नाटक	2 लाख 62 हज़ार
हिमाचल प्रदेश	1 लाख 42 हज़ार
केरल	1 लाख 93 हज़ार
मध्य प्रदेश	98 लाख 15 हज़ार
महाराष्ट्र	29 लाख 54 हज़ार
मणिपुर	3 लाख 34 हज़ार
उड़ीसा	50 लाख 72 हज़ार
राजस्थान	31 लाख 26 हज़ार
तमिलनाडु	3 लाख 12 हज़ार
त्रिपुरा	4 लाख 51 हज़ार
उत्तर प्रदेश	1 लाख 99 हज़ार
पश्चिम बंगाल	26 लाख 03 हज़ार
अंडमान निकोबार	0 लाख 18 हज़ार
गोवा, दमन, डीव	0 लाख 7 हज़ार

यह आबादी 1971 की जनसंख्या की रिपोर्ट के अनुसार आदिवासियों की है। 1971 तक सिर्फ अनुसूचित जनजातियों की 65.23 प्रतिशत जनसंख्या ही उप-योजना के अन्तर्गत सम्मिलित की गई थी। राज्यों की जो भौगोलिक स्थिति है, उस के मुताबिक आप देखेंगे, उन का क्षेत्र 28 लाख 2 हज़ार 198 वर्ग किलोमीटर है, जिस में से आप ने उपयोजना के अन्तर्गत 4 लाख 60 हज़ार 434 वर्ग किलोमीटर कवर किया है और यह 16.43 परसेन्ट होता है। यह सब मैं इसलिए आप को बतला रहा हूं कि 33 वर्ष की आजादी के बाद भी समस्या की जानकारी दोनों तरफ के सदस्यों को है लेकिन सब से बड़ी बात है कि हम को ऐसा लगता है कि हमारी नीयत साफ नहीं है और आजादी के इतने वर्षों के बाद भी हम राजनीति चला रहे हैं और हर सुबह-शाम हरिजन.मुसलमान हरिजन-मुसलमान का नाम लेते हैं ताकि उन के वोट मिल सकें और उन के वोटों का वोट-बैंक बन सके।

मैं आप को बताना चाहता हूँ कि 19 जुलाई को प्रधान मंत्री जी ने सामाजिक कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में अपनी स्पीच में कहा था कि उन सभी पुरानी योजनाओं पर नये सिरे से विचार करने की आवश्यकता है जो सरकार अथवा स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही हैं। उन के अनुसार बारीकी से जांच करवाएं, तो जांच करने पर पता चलेगा कि संस्थाओं को दिया गया सारा धन प्रशासनिक कामों पर खर्च हो रहा है और हरिजन मुंह देखते रहते हैं, आदिवासी मुंह देखते रहते हैं। आप ने कितनी सारी संस्थाएं खोल रखी हैं, पता नहीं और अगर उन संस्थाओं को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ लोग हैं, सरकार के कुछ लोग जो अनएम्पलायड हो जाते हैं, तो उन को कहीं अगर एम्पलायमेंट देना होता है, तो हरिजनों और आदिवासियों के नाम पर एक बोर्ड बना दिया और उस में किसी को चेयरमेन बना दिया और किसी को मेम्बर बना दिया और मकवाना साहब घोषणा कर देंगे कि 100 करोड़ रुपये की योजना है और 500 करोड़ रुपये की योजना रखी गई है लेकिन 5 साल के बाद अगर रिजल्ट देखेंगे तो यह निकलेगा कि 5 पर-सेन्ट हरिजनों और आदिवासियों के गले भी वह नहीं पहुंच पाता है।

मैं आपको बतलाता हूँ कि ये जितनी सारी स्वेच्छिक संस्थाएं हैं, इनकी जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को भी आप देखें। जितने भी आपके मिशन चल रहे हैं, प्रान्तीय मिशन चल रहे हैं, न जाने कौन-कौन से मिशन चल रहे हैं उन पर आप देखें कि आपका कितना पैसा लगा है।

प्रो० एन० जी० रंगा : रामकृष्ण मिशन उत्कृष्ट मिशनों में से एक है। आप इसे अन्य मिशनों के साथ क्यों मिलाते हैं? कृपया इसे अन्य मिशनों से अलग ही रखें।

श्री राम विलास पासवान : आप कहते हैं, कुछ मिशन अच्छे हो सकते हैं। इन जातियों के विकास की कुल 179 योजनाएं चल रही हैं लेकिन समस्याएं जहां की तहां हैं। मैंने सलाह-कार समिति की बैठक में गृह मंत्री जी को सजेशन दिया था कि शैड्युल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स का यदि विकास करना है तो यह कोशिश करें कि जितनी भी योजनाएं आप चलाएँ वे ईमानदारी पूर्वक चलाएं। अगर आपका इरादा साफ हो तो इनका विकास करने में पांच साल का समय नहीं लगेगा।

डा० अम्बेदकर जो संविधान के निर्माता थे, उन्होंने संविधान बनाते समय कहा था कि इन लोगों का रिजर्वेशन दस साल के लिए रखा जाए। क्योंकि वे यह जानते थे कि ईमानदारी पूर्वक काम किया जाएगा तो इनके विकास में दस साल से अधिक का समय नहीं लगेगा। ये लोग भी दस साल के अन्दर दूसरे लोगों के समान आ जाएंगे। लेकिन हम लोग बेईमान निकले। आज चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे सरकारी नौकरी हो, व्यापार हो, किसी भी क्षेत्र के आप फिगर उठा कर देख लीजिए, रिपोर्ट देख लीजिए। कोई भी आपको यथोचित स्थान पर नहीं मिलेगा।

मैंने प्रधान मंत्री जी से हरिजनों को हथियार देने के सम्बन्ध में पूछा तो उन्होंने कहा कि इससे अराजकता और फैलेगी। लेकिन मैंने उनसे कहा कि दूसरे लोगों पर इसका मनोवैज्ञानिक असर होगा। बिहार में जब बेलछी काण्ड हुआ था तो वहां की सरकार ने हरिजनों को हथियार देने का काम शुरू किया था। वहां पर एस० पी० और डी० एम० उन को सिर पर बिठाने का काम शुरू हुआ था उसके बाद घटनाएं जहां की तहां रुक गई थी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये घटनाएं रुकने वाली नहीं हैं।

रोज इस तरह की घटनाएं होंगी और होती हैं। रोज हम लोगों को उनके बारे में इस सदन में हल्ला करना पड़ता है। रोज हरिजनों पर अत्याचार और महिलाओं पर रेप के बारे में हमें कहना पड़ता है। अगर आदिवासी मारे जाएंगे, हरिजनों पर अत्याचार होंगे, उनकी महिलाओं पर बलात्कार होंगे तो क्या हम यहां हंगामा नहीं करेंगे ? और तो हम कुछ कर नहीं सकते। हम उनके प्रतिनिधि हैं। जब हम अपने क्षेत्र में जाते हैं तो हम से कहा जाता है कि कम से कम आपको संसद में तो यह मामला उठाना चाहिए था। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी घटनाएं रोज बढ़ती जा रही हैं। एक नहीं दर्जनों काण्ड हो रहे हैं।

हरीश रावत जी नहीं हैं। उनके यहां कफल्टा में एक बारात निकलती है और वहां पर 15 हरिजनों की हत्या हो जाती है। थोड़ी सी भी कोई बात हो जाती है कि हरिजन और आदिवासी की हत्या हो जाती है। मैं होडल गया था। वहां एक हरिजन को फंसा दिया गया और उसको थाने में मार दिया गया। कह दिया गया कि वह पाखाना फिरने गया था और कुएं में गिर कर मर गया। एक सरकारी कर्मचारी को रुपया दे कर उसको फंसा दिया गया।

सभापति महोदय : या तो अब खत्म कर दीजिए, नहीं तो दूसरे दिन बोलिये।

श्री राम बिलास पासवान : मैं दूसरे दिन बोलूंगा।

आधे घन्टे की चर्चा

इलायची का विपणन

सभापति महोदय : अब हम आधे घन्टे की चर्चा प्रारम्भ करते हैं।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति (कनकपुरा) : मैं इलायची के विपणन से सम्बन्धित तारांकित प्रश्न संख्या 504 के उत्तर में मंत्री महोदय द्वारा 11 जुलाई, 80 को दिये गए उत्तर से उत्पन्न मुद्दों पर चर्चा करने के बारे में आपकी अनुमति चाहता हूं।

विश्व में इलायची का वर्तमान उत्पादन लगभग 7,000 टन होता है, जिसका 57 प्रतिशत हमारे देश में, शेष 33 प्रतिशत गोटेमाला में और बाकी 4 प्रतिशत श्रीलंका में होता है।

महोदय, इलायची बोर्ड का गठन कुछ उद्देश्यों को लेकर 1965 में किया गया था। मुझे उन उद्देश्यों को पढ़कर सुनाने की अनुमति दी जाये :

"1) इलायची के वृक्ष लगाने वालों को इलायची के उत्पादन में वृद्धि के लिए वित्तीय तथा अन्य सहायता देना और यह सुनिश्चित करना कि इलायची उत्पादकों को लाभकारी मूल्य मिल सके।"

यह बात सबसे अधिक महत्व रखती है। 15 वर्ष का समय बीत जाने पर भी, उन्होंने अभी तक कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है और इलायची बोर्ड इस मामले पर आंखें मूंदे हुए हैं।

दूसरा उद्देश्य है :

> "इलायची मजदूरों के लिए काम की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना ।"

वे यह काम नहीं कर रहे हैं। अब मैं जिस मुद्दे पर आ रहा हूं, वह इलायची की बिक्री और निर्यात को विनियमित करने के बारे में है। इस बारे में, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इलायची बोर्ड एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी की तरह कार्य कर रहा है और कुछ ऐसे व्यापारियों तथा निर्यातकों के हितों का प्रचार कर रहा है जो इलायची की बिक्री में कुछ निहित स्वार्थ रखते हैं। देश भर में इलायची की बिक्री और इसका विपणन पूरी तरह इन्हीं निहित स्वार्थ रखने वालों के हाथ में है। ये लोग बीजक में कम मात्रा दिखला रहे हैं और सरकार को भी धोखा दे रहे हैं और इस तरह बड़ी धनराशि इकट्ठी कर रहे है तथा उसे विदेशी बैंकों में जमा कर रहे हैं।

ये असहाय उत्पादक इन लोगों की दया पर निर्भर करते हैं, 1973 में इलायची बोर्ड ने विस्तृत चर्चा की और यह निर्णय किया कि काफी बोर्ड की तरह का एक पूल बनाया जाए और उसी तरह की विपणन व्यवस्था की जाए। उन्होंने इस सम्बन्ध में कुछ टिप्पणियों के साथ एक प्रस्ताव सरकार को अनुमोदन के लिए भेजा है ; वे टिप्पणियां कुछ इस प्रकार हैं :

> "इलायची बोर्ड में अनेक बिचौलियों की मौजूदगी को समाप्त करना, और इस प्रकार यह सुनिश्चित करना कि इलायची उत्पादकों को लाभ मिल सके।"

यह इसका सबसे महत्वपूर्ण अंश है। 1979-80 में निर्यात के माध्यम से इलायची की सबसे अधिक कीमत 203 रु० प्रति कि० ग्रा० वसूल हुई। इसकी सबसे महत्वपूर्ण और दुर्भाग्य की बात यह है कि यह वास्तविक मूल्य नहीं है। उत्पादकों को जो मिलता है, वह वही मूल्य है जिस मूल्य पर व्यापारियों और निर्यातकों को मिलता है, वे वास्तव में बिचौलिए हैं। इससे आप अनुमान कर सकते हैं कि लोगों द्वारा हमारे उत्पादकों, गरीब किसानों का किस तरह शोषण किया जा रहा है।

अगली बात कर चोरी, तस्करी और विपणन के बारे में प्रचार पर रोक लगाने की है। वे वैसा नहीं कर रहे हैं। एक दूसरी बात यह है कि निर्यातक देशों के साथ बेहतर समझौता होना चाहिए, ताकि बिक्री के बारे में कोई ऐसी बात न हो जो अपने लिए ही घातक हो। महत्वपूर्ण उद्देश्य तो मूल्य स्थिरता प्राप्त करना है। इन पांच वर्षों में से किसी में भी ऐसा नहीं हो रहा है। दूसरा उद्देश्य है उत्पादकों को दी गई सहायता को दोषारहित बनाना।

वास्तव में, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, बोर्ड का गठन कुछ विशिष्ट उद्देश्यों को लेकर *किया गया था*। यहां इलायची बोर्ड उत्पादकों अथवा छोटे किसानों के हितों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वे केवल व्यापारियों तथा बिचौलियों और निर्यातकों में ही रुचि रखते हैं। सरकार ने *कुछ टिप्पणियों* के साथ, जिनका मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा, उस प्रस्ताव को नामंजूर *कर दिया :*

> *"इससे बोर्ड को सप्लाई की गई इलायची के लिए छोटे उत्पादकों को उनकी उचित कीमत मिलने में अनावश्यक विलम्ब होगा।"*

मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं एक मिसाल देना चाहूंगा। कर्नाटक में, काफी भी छोटे उत्पादकों द्वारा बोर्ड को बेची जा सकती है। बोर्ड उनसे काफी ले रहा है और उन्हें अपनी कीमत का भुगतान किया जा रहा है। सरकार कहती है कि काफी किस्म में खराबी आ जाती है। यह भी कहा जाता है कि यह व्यवस्था बेहतर किस्म की इलायची के उत्पादन के लिए सभी प्रोत्साहनों को समाप्त कर देगी।

यह सच नहीं है। हम काफी के मुकाबले इलायची को ज्यादा देर तक सुरक्षित रख सकते हैं। हम इसे हवा-बंद डिब्बों में रख सकते हैं। तब यह कहा जाता है :

"पूल भरने की प्रशासनिक लागत काफी अधिक होगी और उत्पादकों की आय का काफी प्रतिशत उसमें निकल जायेगा......... ।"

जहाँ इलायची बोर्ड को पूल व्यवस्था के अन्तर्गत विपणन की अनुमति नहीं है, वहां एक कारण यह भी है। टिप्पणी के बाद वाले भाग में उनका कहना यह है :

"उपर्युक्त निष्कर्ष पर पहुंचने में, सरकार ने केरल राज्य सरकार की सलाह का लाभ उठाया है क्योंकि इलायची का 70 प्रतिशत उत्पादन उसी राज्य में होता है।"

यह बड़ी उपहासजनक बात है। आपकी सूचना के लिए, मैं बताना चाहता हूँ कि भारत में काफी के कुल उत्पादन का 75 प्रतिशत उत्पादन कर्नाटक में होता है और शेष 25 प्रतिशत केरल और तमिलनाडु में होता है, फिर भी हम कोई मनमानी नहीं कर रहे हैं। हमारी सरकार मनमानी नहीं कर रही है। सभी काफी उत्पादकों को एक-समान मूल्य मिल रहा है, भले ही वे कर्नाटक के हों, तमिलनाडु के अथवा केरल के।

इन सभी तत्वों को ध्यान में रखते हुए, क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूँ कि ऐसी क्या बात है जो सरकार को काफी बोर्ड के पैटर्न पर पूल बनाने और विपणन व्यवस्था करने पर पुनर्विचार करने से रोकती है अथवा सरकार इस निरर्थक इलायची बोर्ड को काफी बोर्ड के साथ जोड़ने की क्यों सोचती है जो निर्यात मंडी में प्रशासनीय कार्य कर रहा है। दूसरे क्या सरकार इस बात के लिए तैयार है कि गत 15 वर्षों के दौरान उक्त बोर्ड द्वारा किए गए गलत कार्यों की जांच कराई जाए और प्रशासन को दोषरहित बनाया जाए ताकि छोटे उत्पादकों के हितों की सुरक्षा की जा सके।

वाणिज्य और इस्पात तथा खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने दो बातें पूछी हैं। एक तो यह कि काफी की तरह की पूल व्यवस्था करने का जो विचार पहले किया गया था, उसे इलायची के मामले में शुरू क्यों नहीं किया जा सकता और कारण उन्होंने स्वयं ही बतला दिए हैं। उन्होंने जो दो कारण बताए हैं, मैं उनके अलावा एक और कारण का उल्लेख करना चाहूंगा। जहां तक उत्पादन का सम्बन्ध है, इसमें अन्तर हो सकता है। उदाहरण के तौर पर, गत वर्ष 4,500 टन उत्पादन हुआ और उससे पिछले वर्ष यह 4,000 टन के लगभग था। यदि हम यह मान लें कि उत्पादन 4,000 टन से 4 500 टन के बीच होगा, तो स्वाभाविक है कि कम मात्रा को पूल करने पर होने वाला खर्च काफी की तुलना में अधिक

होगा। इलायची के मामले में पूल व्यवस्था आरम्भ न की जा सकने के जो दो कारण माननीय सदस्य ने बतलाए हैं, उनके अतिरिक्त एक कारण यह भी है।

दूसरे यह सच है---मैं आपत्ति के औचित्य की बात नहीं कर रहा हूं—केरल सरकार ने इस विचार पर आपत्ति उठाई और माननीय सदस्य को इस बात का पता है कि इलायची का 70 प्रतिशत केरल में होता है और जहां तक इलायची के निर्यात का सम्बन्ध है, इसमें काफी मात्रा केरल की इलायची की होती है। उसके परिणामस्वरूप, जब उन्होंने गम्भीर आपत्तियां उठाईं, तो सरकार को उसकी जांच करनी पड़ी। हम किसी बड़े उत्पादक राज्य द्वारा उठाई गई किसी आपत्ति को यों-ही नजर-अन्दाज नहीं कर सकते। लेकिन, मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूँ कि हमें उत्पादकों की मदद करने का प्रयत्न करना चाहिये। सवाल यह है कि हम किस तरह ऐसा कर सकते हैं। इलायची बोर्ड के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य, जिस पर माननीय सदस्य ने ध्यान अवश्य दिया होगा, यह है। यह उद्देश्य है बाजार पर नियंत्रण करना। जहां तक केरल और तमिलनाडु का सम्बन्ध है, इस पर केन्द्रीय नियम लागू होता है। जिसका मतलब है कि उत्पादकों को नीलामी में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। लेकिन जहां तक कर्नाटक का सम्बन्ध है, वहां दोहरा नियंत्रण है। केन्द्रीय कानून के अलावा, वहां राज्य कानून भी है। यह देखा गया है कि जो लोग उत्पादकों से खरीद करते हैं उनमें से भी काफी लोग इन नीलामियों में भाग लेते हैं और जिसके परिणामस्वरूप, लाभ उत्पादकों को नहीं मिल पाता है। हमने कर्नाटक सरकार के साथ यह मामला उठाया है और मुझे आशा है, हम किसी ऐसे निष्कर्ष पर पहुंच जायेंगे जिसके द्वारा हम कोई एकरूप व्यवस्था आरम्भ कर सकें।

उसके अलावा, एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र, जहां हमें ध्यान देना चाहिये, यह है कि इन इलायचियों को कुछ अन्य क्षेत्रों में लोकप्रिय बनाया जाये। जहां तक हमारे प्रमुख निर्यात क्षेत्र का सम्बन्ध है, उसका माननीय मंत्री को पता है, यह मुख्यतया मध्य-पूर्व के देश हैं; हमारे कुल निर्यात का 90 से 91 प्रतिशत तक वहां जाता है। और उन्हें अलेप्पी की हरी इलायची बहुत अच्छी लगती है। कुर्ग की हरी इलायची में उन्हें रुचि नहीं है और उस किस्म की इलायची का उत्पादन केवल कर्नाटक में ही किया जा रहा है। लेकिन, हाल ही में हमने जो प्रनिनिधि-मंडल वहां भेजा था, उसने भी कुछ बाजारों का अध्ययन किया और हम अन्य बाजारों की सम्भावनाओं का भी पता लगा रहे हैं। यदि हम इन किस्मों को अन्य बाजारों में लोकप्रिय बनाएं, तो जहां तक निर्यात बाजार का सम्बन्ध है उसमें कर्नाटक के उत्पादन को शामिल करना हमारे लिए अधिक आसान होगा। यदि हमारे निर्यात में वृद्धि होगी, तो परिणामतः, उत्पादकों को अवश्य ही लाभ होगा।

मूल्य निर्धारण के बारे में, महोदय, मैं उन्हीं मूल्यों का उल्लेख कर सकता हूं जो नीलामी केन्द्रों से उपलब्ध होते हैं। यह बताना हमारे लिए सम्भव नहीं है कि उत्पादकों को कितना मिल रहा है। इलायची के लिए किसी न्यूनतम मूल्य की सिफारिश नहीं की गई है। लेकिन उस मामले पर गौर किया जा सकता है और हम इसकी जांच कर सकते हैं तथा ऐसी व्यवस्था करने का प्रयत्न कर सकते हैं जिसके जरिए हम यह सुनिश्चित कर सकें कि उत्पादकों को उनका उचित हिस्सा मिले।

हमारे पास कुछ आंकड़े हैं। जहां तक पिछले वर्ष अर्थात् 1979-80 का सम्बन्ध है, कर्नाटक में 120 रु० प्रति कि० ग्रा० का भाव था। पिछली नीलामी में भी यह लगभग इतना ही

था। मेरे पास ये आंकड़े हैं। ये नीलामी केन्द्रों से एकत्र किए गए हैं। राष्ट्रीय औसत 135 है; केरल 142, तमिलनाडु 114। मेरे विचार में, यही दो मुद्दे हैं जो माननीय सदस्य ने उठाए थे और मैं सोचता हूं, मैंने उनका जवाब दे दिया है।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : मैंने जांच के बारे में एक प्रश्न उठाया था।

श्री प्रणब मुखर्जी : जहां तक जांच का सम्बन्ध है, यदि कोई गम्भीर आरोप हों, तो वे सरकार के ध्यान में लाए जा सकते हैं और उनकी जांच कर सकते हैं। इन आंकड़ों से ही, आपको पता चलेगा कि निर्यात में वृद्धि हो रही है। कर्नाटक के मामले में भी आप पाएंगे कि उनमें वृद्धि हो रही है। 1976-77 में यह 74 टन था। 1977-78 में यह 139 टन था। 1978-79 में घट कर 78 टन रह गया और 1979-80 में इसमें कुछ वृद्धि हो गई; यह 107 टन है। अत: यह बढ़ रहा है। इसमें सुधार हुआ है और हम अपनी ओर से भरसक प्रयत्न करेंगे कि इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो। लेकिन यदि माननीय सदस्य कुछ विशेष सुझाव दें, तो हम उन पर विचार कर सकते हैं। यदि वह कुल उत्पादन के आंकड़ों में रुचि रखते हैं; तो मैं ये आंकड़े भी दे सकता हूं। 1975-76 में, कुल उत्पादन 3,000 टन था। निर्यात 1941 टन था। 1979-80 में, उत्पादन 4,500 टन था। निर्यात 2671 टन था।

श्री राम विलास पासवान : सभापति महोदय, मन्त्री महोदय ने कास्ट आफ प्रोडक्शन के सम्बन्ध में एक बात कही लेकिन उस दिन जब डिस्कशन हुआ और जो मूल प्रश्न का जवाब आया उसमें कहीं नहीं बतलाया गया कि कास्ट आफ प्रोडक्शन कितनी है। दूसरी बात यह कही कि बिचौलियों के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करेंगे लेकिन जब मंत्री महोदय कंविन्स्ड हैं, इस बात से, कि बिचौलिए मुनाफा ले रहे हैं और जो ग्रोवर्स हैं, यानी किसान, उनके पास पैसा नहीं पहुंच रहा है तो इस सम्बन्ध में वे तत्काल क्या करने जा रहे हैं?

सभापति महोदय : आप प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री राम विलास पासवान : मूल प्रश्न के जवाब में बतलाया गया था कि कर्नाटक में आल इंडिया प्राइस जो रखी थी वह 1977-78 में 134 रखी, 1978-79 में 166 रखी, 1979-80 में 136 रखी लेकिन कर्नाटक को जो मिला वह 1977-78 में 134 के बदले में 105 मिला, 1978-79 में 166 के बदले में 134 मिला और 1979-80 में 136 के बदले में 123 मिला। इस तरह से केरल की स्थिति तो अच्छी है लेकिन मेन प्रश्न कर्नाटक के सम्बन्ध में था और कर्नाटक में जो कम दाम दिया जा रहा है, जो आपने एवरेज रखा है उससे कम मिलता है, तो उसको मीट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्या आपके पास ऐसी कोई योजना है कि कुछ परसेंट अपने पास रखकर बाकी एक्सपोर्ट कर सकें जिससे अधिक से अधिक पैसा मिल सके और जो दूसरी स्टेट हैं उनके मुकाबले में आ सके?

दूसरी बात यह है कि जो फारेन मार्केट है वहां इलायची का क्या रेट है और हिन्दुस्तान में आपने जो रेट बतलाया है उससे अधिक है या कम है—यह मैं जानना चाहता हूं।

क्या आपने कोई रिसर्च वगैरह की है क्योंकि आपने कहा है कि इसको लोकप्रिय करने के लिए दूसरे क्षेत्र खोज रहे हैं तो विदेश के अलावा देश में भी इसका अधिक से अधिक उपयोग हो क्योंकि यह स्वादिष्ट चीज है—इस सम्बन्ध में कोई रिसर्च करवाई है या करवा रहे हैं ताकि इसकी अधिक से अधिक खपत हो सके और किसानों को उचित दाम मिल सके?

श्री एच० एन० नंजेगौडा (हसन) : सभापति महोदय, मुझे इलायची-नीति में खामियों की ओर सरकार का ध्यान दिलाना है। तब ही मंत्री महोदय उनमें सुधार कर सकेंगे। महोदय, इस समय वे इलायची बोर्ड के प्रतिवेदन पर निर्भर करते हैं जिसके आंकड़े पूर्णतया गलत हैं। हम उनके आंकड़ों पर निर्भर नहीं कर सकते क्योंकि उनके आंकड़े एकत्र करने के लिये अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। लगभग 31 नीलामकर्ता हैं, 111 निर्यातकर्ता और 400 बड़े उत्पादक तथा लगभग एक लाख छोटे और सीमांत किसान हैं। परन्तु यहां क्या हो रहा है? यदि सरकार इन छोटे और सीमान्त किसानों की सहायता करने के लिए उत्सुक है तो इसे इलायची बोर्ड के बारे में अपनी राय बदलनी होगी। बोर्ड इन छोटे और सीमान्त किसानों का शोषण कर रहा है जिनके साथ उसके द्वारा उचित बर्ताव नहीं किया जा रहा है। बोर्ड का कार्य केवल नीलामकर्ताओं, विक्रेताओं और निर्यातकर्ताओं का लाइसेंस जारी करने का है, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। स्वयं उन्होंने माना है कि 45 प्रतिशत इलायची उत्पादक छोटे और सीमान्त उत्पादक हैं। उनके साथ क्या हो रहा है? मन्त्री महोदय हमें बता रहे थे कि यदि काफी बोर्ड की भांति यह कार्य किया जाना है तो यह एक सर्वोच्च बड़ा प्रशासन हो जायेगा। हम 140 करोड़ रुपये या 150 करोड़ रुपये प्राप्त करने के लिये 70 से 80 हजार मी० टन काफी निर्यात कर रहे हैं परन्तु हम 3000 मी० टन से कम इलायची निर्यात कर रहे हैं और 50 करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त कर रहे हैं। उसे हम बिना किसी के प्रयास के प्राप्त कर रहे हैं। निर्यातकर्ता कम राशि के बीजक बना रहे हैं। मुझे पता है कि जिस वास्तविक दर पर वे बेच रहे हैं वह प्रति किलोग्राम 300 रुपये से अधिक है; काफी का यूनिट मूल्य 100 किलोग्राम के ढंग से है जबकि इलायची का यूनिट मूल्य 21 किलोग्राम के ढंग से है। परन्तु चूंकि कम राशि के बीजक बनाये जाते हैं इसलिये हमें 3000 मी० टन से कम इलायची निर्यात करने से केवल 50 करोड़ रुपये प्राप्त हो रहे हैं। मंत्री महोदय की जानकारी के लिये केरल की इलायची 'मैसूर इलायची' कहलाती है। यदि उन्हें जानकारी नहीं है तो वह जानकारी एकत्र करें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं क्योंकि अधिकारी, अफसरशाही और बोर्ड सरकार को गुमराह कर रहे हैं। वे प्रसन्न हैं क्योंकि वे निर्यातकर्ताओं, जिन्होंने कारोबार पर एकाधिकार कर रखा है, का पक्ष ले रहे हैं। उन्हें इन निर्यातकर्ताओं के खर्चे पर बम्बई, दिल्ली और अन्य स्थानों पर फाइव-स्टार होटलों में बहुत अच्छी पार्टियां मिल सकती हैं। इन कर्त्तव्यों को काफी बोर्ड से सम्बद्ध किया जाये, उन्हें इलायची की भी देख-रेख करने दी जाये तो व्यय में बहुत अधिक कमी आ जायेगी।

एक और महत्वपूर्ण बात है और मुझे मालूम नहीं कि मंत्री महोदय को उसकी जानकारी है या नहीं। वे विक्रयकर, आयकर तथा उत्पादन-शुल्क न देकर सरकार को धोखा भी दे रहे हैं। सामान्यतया, बड़े काफी उत्पादक बड़े इलायची उत्पादक भी हैं। वे हिसाब नहीं बताते हैं। एक बड़ा उत्पादक एक हजार किलोग्राम इलायची पैदा कर सकता है और उसे काले बाजार में बेच सकता है। एक निर्धन किसान को क्या दर मिलती है। कर्नाटक में छोटे अथवा सीमान्त उत्पादक को 90 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक किसी भी अवसर पर नहीं मिला है। वह जो इलायची पैदा करता है उसे बाजार में लायेगा क्योंकि उसे पैसे की आवश्यकता है, वह कर्जदार है। यदि एक एकड़ नई भूमि में काफी की खेती की जाती है तो उसे 5000 रुपये के कर्ज के अलावा 1000 रुपये राज-सहायता के रूप में मिलेंगे। आप इलायची उत्पादक को क्या राज-सहायता दे रहे हैं? अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इलायची का क्या मूल्य है? हम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इस कुल वस्तु के 70 प्रतिशत का योगदान कर रहे हैं और उस सबसे हम उन पर नियंत्रण

कर सकते हैं । क्या वे मूल्यों के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार को आदेश नहीं दे सकते ? हम विवशता की दलील दे रहे हैं । यह सब बोर्ड की अकुशलता के कारण है । बोर्ड तस्करों तथा धोखेबाजों, जो इस छोटे उत्पादकों का शोषण करना चाहते हैं, की आवश्यकताएं पूरी करने अतिरिक्त कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं कर रहा है । मैं मंत्री महोदय से गम्भीरतापूर्वक अनुरोध करूंगा कि वह इस पर विचार करें । मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूँ; हम पर आसमान नहीं गिरने वाला है । मंत्री महोदय पांच वर्षों में हुए परिवर्तन को देख सकते हैं । इलायची के बारे में दिये गये आंकड़े गलत हैं । बहुत-सी इलायची की देश से बाहर और भीतर तस्करी की जाती है । यह प्रतिवर्ष लगभग 10 से 12 हजार मी० टन तक की होती है । वे सही आंकड़े नहीं दे रहे हैं । यह इलायची बोर्ड और उसके भागीदारों की जानकारी में हो रहा है । मैं मंत्री महोदय से अपील करूंगा कि वह प्रतिष्ठा को लेकर न बैठे, वह तथ्यों का सामना करें, सच्चाई को समझें और इस बोर्ड को समाप्त करें तथा इसके कार्यों को काफी बोर्ड को सौंपें ।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर)) : सभापति महोदय, मैं भी कुछ समय के लिये इलायची बोर्ड के साथ सहबद्ध रहा हूं और जैसा कि श्री चन्द्रशेखर मूर्ति ने बताया है, बोर्ड पिछले कई वर्षों से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर पाया है । मुझे व्यक्तिगत अनुभव है क्योंकि मैं बोर्ड का सदस्य था । समूचे बोर्ड पर इसके सदस्यों द्वारा नियन्त्रण नहीं होता है अपितु निर्यातकर्ताओं और व्यापारियों जैसी बाह्य शक्तियों तथा उन लोगों द्वारा इस पर नियन्त्रण रखा जाता है जो निर्यात में व्यापार का छल साधन कर रहे हैं । यहां तक कि कभी-कभी चेयरमैन और निदेशक पर भी दबाव आ सकते हैं । केरल में यह इलायची बोर्ड कैसे कार्य कर सकता है ? मैं कहना चाहूंगा कि इलायची बोर्ड के विचार, इसके सदस्य, इसके उद्देश्य और कारण तथा इसके स्थान को बदलना होगा क्योंकि कर्नाटक में आंदोलन चल रहा है । पहले उत्पादकों, जो इस समय वहां हैं, की भागीदारी को समाप्त किया जाना चाहिये तथा जो लोग इलायची के उत्पादन में रुचि रखते हैं और जो लोग इलायची बोर्ड में योगदान दे रहे हैं तथा प्रशासन में भाग ले रहे हैं, उन्हें इलायची बोर्ड से हटाया जाना चाहिये ।

यहां तक कि भर्ती और पदोन्नति के सम्बन्ध में भी भेदभाव है जिसे बदला जाना चाहिये । आंकड़ों के अनुसार हम 25 प्रतिशत उत्पादन कर रहे हैं परन्तु वह उससे ज्यादा है । फिर भी हम बोर्ड में भाग नहीं ले रहे हैं । मैं जानना चाहूँगा कि आप केरल में कितने बोर्ड स्थापित करना चाहते हैं । यहां तक कि नारियल बोर्ड भी वहां स्थापित किया जाना चाहिये । जहां तक भागीदारी का सम्बन्ध है, हम क्या पैदा करते हैं, इसके आधार पर यह सम्भव नहीं है । वहां बहुत से बोर्ड स्थापित किये गये हैं । यहां तक कि इलायची बोर्ड में उत्पादकों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है । वे कहते हैं कि कर्नाटक की इलायची की किस्म निर्यात के लिये ठीक नहीं है लेकिन ऐसी बात नहीं है । मैं इसे जानता हूं । इलायची बोर्ड तथा इसके कृत्य पूर्णतया उद्देश्यों और कारणों के अन्तर्गत नहीं है और यह एक पूर्णतया असंगत बोर्ड है । मैं ऐसा कह सकता हूं । जब तक हम सब बातों पर ध्यान न दें, इस गम्भीर स्थिति में सुधार नहीं हो सकता । इलायची बोर्ड के उद्देश्यों तथा व्यवस्था की गई निर्यात प्रणाली के अनुसार निर्यात पक्ष के ही अधिक प्रतिनिधि हैं । उन्हें उत्पादक भी कहा जाता है । वे कहते हैं कि वे सभी बड़े उत्पादक हैं । जब मैं वहां था तो सभी सदस्य वहां थे । मैं ही एकमात्र संसद सदस्य था । हम विदेशों में उनकी गतिविधियों पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं रख सकते । जब हमने संकल्प पारित किया था तब मैंने इस

बात पर जोर दिया था कि मतदान प्रणाली होनी चाहिये। परन्तु निदेशक, चेयरमैन ग्रौर ग्रधिकारी एवं इलायची निर्यातकों के ये एकाधिकार गृह, सब साथ मिल कर ग्राये ग्रौर सुनिश्चित किया कि मतदान प्रणाली को रोका जाये। यही एकमात्र प्रणाली है जहां हम उन पर नियंत्रण कर सकते हैं। यह स्पष्ट है कि आपने दो कारण उद्धृत किये हैं। तीसरा कारण 1½ लाख उत्पादकों के पक्ष में है। मतदान प्रणाली लागू करनी होगी। ग्रन्यथा हम एकाधिकार गृहों ग्रौर निर्यातकर्ताग्रों तथा उनके छल साधनों को समाप्त नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा कार्य करने में वे छल साधम का सहारा ले रहे हैं—कम राशि के बीजक बना रहे हैं, ग्रधिक राशि के बीजक बना रहे हैं। ग्रत: बोर्ड द्वारा दिये गये तथ्य सही नहीं हैं; यह सही स्थिति नहीं है। यहां तक कि ग्रांकड़े भी सही नहीं है।

मैं जानता हूं कि हमें कर्नाटक में इलायची 30 रुपये, 40 रुपये ग्रौर 50 रुपये प्रति कि० ग्रा० मिलती है ग्रौर वे इसे ग्रन्य देशों को 250 रुपये, 300 रुपये से 400 रुपये प्रति कि० ग्रा० की दर से बेच रहे हैं। तो उत्पादक को क्या मिल रहा है? एजेन्टों से समूचा स्टाक, जो वे पैदा करते हैं, अपने हाथ में लेने, वितरित करने तथा किसानों को मूल्य दिलवाने के लिए बोर्ड का कोई नियंत्रण नहीं है। केवल बिचौलिये शोषण कर रहे हैं। हमने एक संकल्प पारित किया है जिसमें कहा गया है कि समान प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए ग्रौर कार्यालय को ग्रनुसंधान ग्रौर विकास में कार्य करना चाहिए। जहां तक नियंत्रण रखने का सम्बन्ध है, यह सबसे गन्दी बीमारी है जो सभी किसानों को मार रही है। मैंने उनसे कहा कि बंगलौर में एक कार्यालय खोला जाना चाहिये। उन्होंने वहाँ एक कार्यालय खोला है परन्तु ग्रधिकारी नहीं लगाये गये हैं क्योंकि सभी ग्रधिकारी कर्नाटक की ग्रोर के लोगों की भागीदारी को रोक रहे हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमें "स्थानीय लोगों के सिद्धान्त" को ग्रपनाना चाहिए।

यह पत्र है जो मुझे मिला है। मैं इसे ग्रापको सौंपूंगा। ग्राप देखेंगे कि प्रशासनिक मामलों में किस प्रकार भेदभाव चल रहा है। इसलिए, मैं यह सुझाव देता हूं, यह उत्तर देने से काम नहीं चलेगा। मैं एक सीधा प्रश्न पूछना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री स्थिति की वास्तविकता का पता लगायेंगे ग्रौर समस्त प्रशासन ग्रौर समिति के गठन तथा निदेशक मंडल की शक्तियों में सुधार करेंगे। ग्रन्यथा इसे समाप्त कर देना ही बेहतर है ग्रौर यह कार्य काफी बोर्ड को सौंप दिया जाना चाहिए क्योंकि जहां कहीं भी काफी तथा इलायची उगाई जाती है वहां भारी व्यय वाले उच्च ग्रधिकारियों के प्रशासन या ग्रन्य ग्रौपचारिकताग्रों सहित एक पृथक बोर्ड की ग्रावश्यकता नहीं है। एक निदेशक है जो कई वर्षों से केरल में काम कर रहे हैं। इस तरह का प्रशासन हमेशा नहीं चल सकता। वस्तु बोर्ड निर्यात के लिए होते हैं ग्रौर हमें ग्रधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। लेकिन हमें हानि हो रही है, किसानों को हानि हो रही है। मैं यह सुझाव देता हूं कि माननीय मंत्री पूरी जांच करें ग्रौर प्रशासन के ढांचे में परिवर्तन करें ग्रौर इस बोर्ड को समाप्त कर दिया जाये, संकल्प के ग्रनुसार पूलिंग पद्धति को मान लिया जाये, बंगलौर कार्यालय को रखा जाये ग्रौर इसमें सुधार किया जाये तथा ग्रधिकारियों को पदोन्नति दी जाये।

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : मुझसे पहले बोलने वाले वक्ता की भावनाओं से मैं पूरी तरह सहमत हूं। हमें निर्यात बाजार का विस्तार करना है और हमें किस्म में सुधार करनी है और अच्छी किस्म के लिए निर्यातकों ने भी बाजार खोजना है। विदेशी बाजारों में हमने देखा है कि गोटेमाला आगे आने वाला एक ऐसा देश है जो कम दरों पर इलायची बेच रहा है। वे वास्तव में भारतीय कीमत से कम कीमत पर माल बेच रहे हैं। मैं यहां तक कह सकता हूं कि यह कार्य युद्ध की घोषणा के समान है। क्यों? क्योंकि जब तक हम कोई हल न ढूंढ लें और जब तक हमारा उस देश से कोई समझौता न हो जाये, हमें अपने उत्पादों के लिए बाजार नहीं मिलेगा इसलिए, यह हमारा कर्त्तव्य है और सरकार का भी कर्त्तव्य है। इसलिए, माननीय मन्त्री से मैं यह पूछता हूं कि क्या भारत सरकार इलायची की कीमत के बारे में उस देश से कोई समझौता करने जा रही है। हमारी इलायची की किस्म में सुधार के लिए क्या कदम उठाने गये हैं?

इसके अलावा जहां तक कर्नाटक का सम्बन्ध है उसके साथ भेद-भाव किया जा रहा है। माननीय मंत्री द्वारा सदन में 11 जुलाई, 1980 को दिये गये उत्तर से यह पता चलता है कि इलायची बोर्ड ने भेद-भाव बरता है। 11 जुलाई को दिये गये उनके वक्तव्य के अनुसार कर्नाटक के उत्पादकों को कम मूल्य मिल रहा है। माननीय मंत्री ने स्पष्ट रूप से यह बताया है कि जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है, केरल का योगदान 70 प्रतिशत है। क्यों? क्योंकि कर्नाटक सहित उस क्षेत्र से कोई उचित प्रतिनिधित्व नहीं है।

श्री जी० एम० बनातवाला : दो किस्में हैं। केरल की इलायची, कर्नाटक की इलायची से भिन्न है।

श्री जनार्दन पुजारी : इस व्यापार में बिचौलिये हैं और वे केरल के तस्करों की सहायता कर रहे हैं। अरब देशों सहित, विदेशों को इलायची की तस्करी की जा रही है। केरल से होने वाली तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं? मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इन सभी मुद्दों के उत्तर देंगे।

श्री प्रणब मुखर्जी : मैं बहस में भाग लेने वाले अन्तिम सदस्य के प्रश्नों से प्रारम्भ करूंगा—क्या हम यह देखने के लिए कि एक दूसरे के हितों को हानि न पहुंचे, गोटेमाला के साथ, जो दूसरा बड़ा उत्पादक देश है, बातचीत करेंगे? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन हमेशा हमारी यह कोशिश होती है कि किसी न किसी प्रकार का समझौता हो जाये और इस मद के बारे में भी हम गोटेमाला से समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन समझौता करना हमेशा आसान नहीं होता। केवल इलायची के मामले में ही नहीं, हम अन्य वस्तुओं के मामले में भी कठिनाई का अनुभव करते हैं। माननीय सदस्य उन कठिनाइयों से अवगत हैं जो हम लोह-अयस्क, चाय, पटसन आदि के मामले में अनुभव कर रहे हैं। अतः यह समस्या है। लेकिन मैं उनसे सहमत हूँ कि हमें अन्य उत्पादक और निर्यात कर्ता देशों से बेहतर समझौता करने की सम्भावनाओं का पता लगाना चाहिए।

जहां तक कर्नाटक को बोर्ड में प्रतिनिधित्व देने का सम्बन्ध है, अधिकांश सदस्यों ने इसका उल्लेख किया है, मैं यह बता दूं कि जहां तक बोर्ड के वर्तमान गठन का संबंध है, उसमें दो पदेन सदस्य हैं। तीन प्रतिनिधि उन तीन राज्य सरकारों- तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के हैं जो इलायची का उत्पादन करते हैं ; छः उत्पादक प्रतिनिधि हैं और तीन केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि हैं। इसका अर्थ है कि प्रत्येक उत्पादक राज्य के कम से कम दो प्रतिनिधि होंगे—एक सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला और दूसरा उत्पादक का प्रतिनिधित्व करने वाला। दो अधिकारी हैं— इलायची बोर्ड का सभापति—निदेशक और दो श्रमिक प्रतिनिधि, तीन संसद सदस्य, एक उप-भोक्ता के हित की रक्षा करने वाला और एक दूसरों का प्रतिनिधित्व करने वाला। लगभग यह बोर्ड का गठन है। इसलिए, ऐसा नहीं हो सकता कि इस प्रकार गठित प्रत्येक बोर्ड में प्रत्येक के कम से कम दो प्रतिनिधि हों। जहां तक वर्तमान बोर्ड का सम्बन्ध है, कर्नाटक के तीन प्रतिनिधि हैं। पिछली बार इसके चार प्रतिनिधि थे, क्योंकि श्री लकप्पा..........

श्री के० लकप्पा : कोई शक्तियां भी नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रणब मुखर्जी : मैं उस पर आ रहा हूँ,

(व्यवधान)

श्री प्रणब मुखर्जी : मैं श्री लकप्पा का आभारी हूं, बोर्ड में रहने के अपने अनुभव से वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि बोर्ड के पास कोई शक्ति नहीं है और वह चाहते हैं कि हम या तो शक्ति बढ़ा दें या बोर्ड को समाप्त कर दें। मैं उस बात पर आ रहा हूं।

जहां तक स्थान का संबंध है उसके केरल में होने के कारण स्पष्ट हैं। यदि आप उत्पादन और निर्यात के आंकड़ों को देखें तो अच्छी किस्म के अतिरिक्त यह एक बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। यह क्रेता के स्वाद पर निर्भर करता है। इसका उपभोग मैंने तो नहीं करना। यदि वे एलेप्पी की हरी इलायची पसन्द करते हैं और यदि वे कुर्ग किस्में पसन्द नहीं करते, तो हमें अपने उत्पादन को कुछ अन्य बाजारों में बेचना है। इसलिए, यह परिश्रम की जा रही है।

संभावनाओं के बारे में, हम छोटे उत्पादकों की किस प्रकार सहायता कर सकते हैं, श्री नन्जे गौडा ने बहुत प्रभावशाली भाषण दिया है, मैंने उनसे कुछ तथ्य लेने का प्रयास किया। एक मूल तथ्य जिसका उल्लेख उन्होंने किया है कि कर्नाटक में लगभग 1 लाख छोटे उप्पादक हैं। *(व्यवधान)* । कुल उत्पादन 4,500 टन है। इसके अलावा, 400 बड़े उत्पादकों का भी कुछ *हिस्सा है।* 4,500 टन में इन छोटे उत्पादकों का कितना वास्तविक योगदान है ? इसकी जांच *करनी पड़ेगी। हम* छोटे उत्पादकों की सहायता करना चाहते हैं। एक कठिनाई जो हमारे सामने *आ रही है, विशेषतः कर्नाटक* में, वह यह है कि वर्तमान नीलामी की व्यवस्था में बिचौलिया भाग

ले सकता हैं। हम केन्द्रीय नियम का वहां तक विस्तार करके एकरूपता लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमें करना चाहिए और हम करने के लिए कानूनी रूप से सक्षम हैं। हमने कर्नाटक से इस बारे में बातचीत की है और बिचौलियों को हटाना हमारे लिए संभव हो सकेगा। यदि उत्पादक नीलामी केन्द्रों में सीधे भाग ले सकें तो कम से कम उन्हें अब मिलने वाले मूल्य से कुछ अधिक मिल सकेगा। जहां तक अनुसंधान का संबंध है, एक अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने के बारे में पहले ही निर्णय लिया जा चुका है। दूसरा विकल्प यह है कि या तो इसके लिए बाजार का विवधी-करण किया जाये या इसके अन्त—उपयोग का विवधीकरण किया जाये। उसके लिए हम पहले ही कुछ कदम उठा चुके हैं और हम संभावनाओं का पता लगा रहें हैं। प्रथम उत्तर में मैंने यह कहा है कि विभिन्न भागों में भेजे गये विभिन्न अध्ययन दलों में भी कर्नाटक का एक प्रतिनिधि था जो इस समय बोर्ड का एक सदस्य है। हमने सोचा कि हमें उत्पादकों या निर्यातकों का एक प्रतिनिधि भी अवश्य शामिल करना चाहिए। लेकिन यदि उत्पादकों की संख्या बहुत अधिक हो और वे एक मंच पर संगठित न हो तो अध्ययन दल में शामिल करने के लिए किसी विशेष उत्पादक का चयन करना आसान नहीं है। लेकिन गत मई में जो दल माल के लिए नये बाजारों की संभावनाओं का पता लगाने के लिए विभिन्न देशों को भेजा गया था उसमें एक सदस्य ने प्रतिनिधित्व किया था, इसलिए, हम ऐसा करने का प्रयास कर रहेहैं।

जहां तक बोर्ड के कार्य करने का संबंध है, मैंने 11 जुलाई को भी यह कहा था कि यदि माननीय सदस्यों के पास कोई सुझाव हैं तो मैं उनसे बात-चीत करने के लिए तेयार हूं। यह कहने का कोई लाभ नहीं है कि बोर्ड को समाप्त कर दिया जाये। यह कहने का कोई लाभ नहीं है कि पूरी जांच करवाई जाये। पूरी जांच किसलिए ? किस क्षेत्र की पूरी जांच ? यदि आप यह देखें कि ये लोग बीजकों में कम मूल्य लगा रहे है या किसी प्रकार का गोलमाल कर रहे है तो मैं निश्चित रूप से इसकी जांच करने के लिए तैयार हूँ। मैं निश्चित रूप से मामले को किसी जांच एजेंसी को यह पता लगाने के लिए सौंपने को तैयार हूं कि इसमें कोई सच्चाई है या नहीं, लेकिन यह कहने की बजाय कि वे ठीक तरह कार्य नहीं कर रहे हैं, मेरे पास कोई ठोस आरोप होने चाहिए। यदि माननीय सदस्यों के पास कोई पक्की सूचना है, यदि वे यह महसूस करते हैं कि इस क्षेत्र की जांच की जानी चाहिए या उसकी छान-बीन होनी चाहिए और यदि माननीय सदस्य इस सुझाव के साथ आगे आये, "यह देखा जाये कि विपणन में या अनुसंधान कार्य में उनका कितना योगदान रहा है" आदि, तो मैं उस पर विचार करने को तैयार हूं। इसीलिए मैंने माननीय सदस्यों से सहयोग मांगा था और कहा था कि यदि उनसे कोई ठोस सुझाव प्राप्त हो तो उसका स्वागत है और मैं उस पर उनसे बात-चीत कर सकता हूं। लेकिन यह कहने का कोई लाभ नहीं है कि उसकी पूरी जांच की जानी चाहिए। पूरी जांच किसलिए ? आप मुझे बीजक में कम मूल्य लगाये जाने के बारे में कोई सूचना दें या उसका संकेत दें। तब मैं उसे किसी जांच एजेंसी को भेजने के लिए तैयार हूं ताकि वह सच्चाई का पता लगा सकें। जांच करना मेरा काम नहीं है।.यदि आप यह देखें कि वे निर्यातकों या बड़े उत्पादकों के साथ, छोटे उत्पादकों को वंचित करने के लिए साठ-गांठ कर रहे

हैं, यदि आप कोई संकेत दे सकें तो हम इसे किसी ऐसी एजेंसी को भेज सकते हैं जो जांच करके सच्चाई का पता लगा सके। मैं ऐसा करने के लिये तैयार हूं। मैं किसी भी ऐसे सुझाव पर विचार करने के लिए तैयार हूं जो माननीय सदस्य स्थिति में सुधार और छोटे उत्पादकों की सहायता के लिए दे सकते हैं।

सभापति महोदय : सभा सोमवार 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

6.15 बजे म०प०—तत्पश्चात लोक-सभा सोमवार 4 अगस्त, 1980/10 श्रावण, 1902 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रण : सबीना प्रिंटिंग प्रेस, फरीदाबाद